ISSN 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer- Reviewed Research Journal

UGC Journal No. (Old) 40942

Impact Factor 5.125 (IIFS)

Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©

ProQuest, U.S.A. Title Id: 715205

अंक 36 हिन्दी संस्करण वर्ष – 18 जनवरी – जून 2022

2022

www.researchjournal.in

आई. एस. एस. एन. 0973-3914

रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal

UGC Journal No. (Old) 40942

Impact Factor 5.125 (IIFS)

Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest, U.S.A. Title Id : 715205

अंक-36	हिन्दी संस्करण	वर्ष-18	जनवरी-जून 2022

प्रोफेसर ब्रजगोपाल
प्रधान सम्पादक
सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड से सम्मानित
profbrajgopal@gmail.com

डॉ. अखिलेश शुक्ल
ऑनरेरी सम्पादक
प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित
akhileshtrscollege@gmail.com

डॉ. संध्या शुक्ल
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
drsandhyatrs@gmail.com

डॉ. गायत्री शुक्ल
अतिरिक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा
shuklagayatri@gmail.com

डॉ. आर. एन. शर्मा
सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा, रीवा
rnsharmanehru@gmail.com

सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा

की मुख्य शोध पत्रिका
म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत
पंजीयन क्रमांक 1802, सन् 1997

विषय विशेषज्ञ/परामर्श मण्डल

1. डॉ. अरविंद जोशी (आचार्य) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी
arvindvns@outlook.com
2. डॉ. रामशंकर, आचार्य, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर
rs_dubey@yahoo.com
3. डॉ. डी. एस. राजपूत, आचार्य, डॉक्टर हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर
drdiwakarrajeut@rediffmail.com
4. डॉ. बी. के. सिंह, आचार्य, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी
imdrbrajesh.kv@gmail.com
5. डॉ. अंजली श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आचार्य, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा
anjali_apsu@rediffmail.com
6. डॉ. बी. पी. बडोला, सेवानिवृत्त आचार्य, कांगड़ा हिमाचंल प्रदेश
bpbadola@gmail.com
7. डॉ. आभा सक्सेना, सह प्राध्यापक, अग्रसेन कन्या स्वशासी महाविद्यालय वाराणसी
drabhasaxena7@gmail.com
8. डॉ. प्रज्ञा मिश्रा, आचार्य, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट
pragyamishramgcgv@gmail.com
9. डॉ. आशीष सक्सेना, आचार्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
ashish.ju@gmail.com
10. डॉ. ज्योति उपाध्याय, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश
drjyotiupadhyay11@gmail.com
11. डॉ. प्रमिला पुनिया, सह प्राध्यापक, इतिहास, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान
pramilapoonia@rediffmail.com
12. डॉ. रामलला शुक्ल, प्राध्यापक, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान रीवा
ramlalashukla666@gmail.com
13. डॉ. मृदुल जोशी, आचार्य, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार
dr_mriduljoshi@yahoo.com
14. डॉ. के. के. शर्मा, प्राध्यापक, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान रीवा
sharmakktrs@gmail.com
15. डॉ. शैलजा दुबे, प्राध्यापक, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल
shailjadubey70@yahho.in
16. डॉ. प्रमिला श्रीवास्तव, आचार्य, शासकीय कला महाविद्यालय कोटा राजस्थान
dr21pramila@gmail.com
17. डॉ. जयशंकर शाही, आचार्य, अलवर राजस्थान
jayshankarshahi@gmail.com
18. डॉ.एन. पी. त्रिपाठी, सेवानिवृत्त आचार्य, रीवा मध्य प्रदेश
19. डॉ. राजेश भट्ट, एच. एन. बी. केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड
rajeshbhatt11@gmail.com

Guide Lines

- **General:** English and Hindi Editions of Research Journal are published separately. Hence Research Papers can be sent in Hindi or English.
- **Manuscript of research paper:** It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be checked before submission as there is no provision of sending proof. It must include Abstract,Keywords, Introduction, Methods, Analysis, Results and References. Hindi manuscripts must be in Devlys 010 or Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in Email also. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.
- **References :** References must be listed cited inside the paper and alphabetically in the order- Surname, Name, Year in bracket, Title, Name of book, Publisher, Place and Page number in the end of research paper as under- Shukla Akhilesh (2018) Criminology, Gayatri Publications, Rewa : Page 12.
- **Review System:** Every research paper will be reviewed by two members of peer review committee. The criteria used for acceptance of research papers are contemporary relevance, contribution to knowledge, clear and logical analysis, fairly good English or Hindi and sound methodology of research papers. The Editor reserves the right to reject any manuscript as unsuitable in topic, style or form without requesting external review.

लेखकों से निवेदन-

- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेज (ISSN-0973-3914) सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज की मुख्य शोध पत्रिका है, जो मानव संसाधन मंत्रालय तथा पंजीयक समाचार पत्र एवं पत्रिका, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत हैं।
- शोध पत्रिका उलरिच इन्टरनेशनल पीरियाडिकल्स डाइरेक्ट्री प्रोक्वेस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका से इंडेक्स्ड और लिस्टेड हैं।
- शोध पत्रिका का अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण अलग-अलग प्रकाशित होता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस का प्रकाशन प्रतिवर्ष जून एवं दिसंबर में किया जाता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस को इम्पैक्ट फैक्टर एवं आई.एस.एस.एन प्राप्त हैं। शोध पत्रिका Peer-Reviewed हैं।
- शोध पत्रिका के नवीनतम अंक में प्रकाशित शोध पत्रों को हमारी वेबसाइट www.researchjournal.in (Current Issue) में देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।
- शोध पत्रिका का प्रिंट एडीशन सदस्यों को अलग से डाक द्वारा भेजा जाता है।
- शोध पत्र में शीर्षक, नाम, पद, पदस्थापना का विवरण, पत्र व्यवहार का पता तथा दूरभाष क्रमांक,मोबाइल नं., ई-मेल एड्रेस अवश्य दिया जाये।
- शोध पत्र के प्रारम्भ में कम से कम 50-100 शब्दों का सारांश दिया जाये।
- मुख्य शब्द सारांश के नीचे टाइप कराया जाये।

- शोध पत्र में शोध पद्धति तथा शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध पत्र में निष्कर्ष और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाये। संदर्भ ग्रंथों का विवरण पूरा दिया जाये। लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का विवरण, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- शोध पत्र माईक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइप किया हुआ होना चाहिए। (नोट- पेज मेकर की फाइल, पी.डी.एफ. फाइल, स्कैन मैटर आदि में कदापि शोध पत्र न भेजें) शोध पत्र हिन्दी लिपि में कृतिदेव या देवलिस फांट 010 (फॉन्ट साइज 14, स्पेस डबल, मार्जिन ए-4 साईज के कागज में चारो तरफ 1 इंच) में भेजा जाना चाहिए।
- शोध पत्र के साथ यह घोषणा अवश्य संलग्न करें कि शोध पत्र मौलिक है तथा इसे कहीं अन्यत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम शोध पत्र ई-मेल द्वारा भेजें-

researchjournal97@gmail.com,
researchjournal.journal@gmail.com

शोध पत्र की स्वीकृति की सूचना सम्पादकीय कार्यालय द्वारा लेखक को ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रदान की जाती है।

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00

-सदस्यता शुल्क -		
अवधि	व्यक्तिगत सदस्यता	संस्थागत सदस्यता
वर्ष एक	2000-00	2500-00
वर्ष दो	2500-00	4000-00

सदस्यता शुल्क की राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच-रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667 MICR Code 486002003) के खाता क्रमांक 30016445112 में जमा की जा सकती है।

प्रकाशक: गायत्री पब्लिकेशन्स
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: ग्लोरी ऑफसेट
नागपुर

संपादकीय कार्यालय

186/1, विन्ध्य विहार कालोनी
रीवा- 486001 (म.प्र.)
दूरभाष- 7974781746
E-mail- researchjournal97@gmail.com, researchjournal.journal@gmail.com
www.researchjournal.in

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं है। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। सम्पादन का कार्य अव्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

सम्पादकीय

महिलाओं एवं बालिकाओं का सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण सामाजिक और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आयाम है।इस आयाम को लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन और समावेशी आर्थिक वृद्धि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु इसके साथ ही यह भी आवश्यक है किअर्थव्यवस्था में महिलाओं और बालिकाओं को समाहित करने और कार्यस्थलों एवं सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाने के साथ-साथ महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने की भी जरूरत है। साथ ही समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी और उनके स्वास्थ्य एवं संपन्नता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

भारत में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। हर तीन में एक व्यक्ति युवा है, यानी 15 से 24 वर्ष के बीच, और देश की जनसंख्या में बच्चों की संख्या 37 प्रतिशत के करीब है। भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं और उपलब्धियां बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि युवाओं में कौशल, ऊर्जा और सफलता की कितनी इच्छा है तथा क्या नेतृत्व, भागीदारी और स्वेच्छा को पोषित करने वाली प्रभावशाली प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। महिलाओं, बालिकाओं एवं युवाओं को यदि उचित अवसर मिले तो देश का सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य प्रगति के बहुत ऊंचे आयाम पर पहुंच सकता है, किंतु इसके लिए सतत परिवर्तन और प्रयास की आवश्यकता है। युवाओं का मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए और जिन क्षेत्रों का प्रत्यक्ष प्रभाव उनके भविष्य पर पड़ने वाला है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों से संबंधित फैसलों में उन्हें सहभागी बनाया जाना चाहिए।

महिलाएं एवं बालिकाएं एक हिंसा मुक्त परिवेश में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें, इसके लिए उन्हें सहयोग देने के साथ-साथ उनका आर्थिक सशक्तीकरण भी जरूरी है। बाल लिंगानुपात (सीएसआर) में गिरावट, पक्षपातपूर्ण तरीके से लिंग चयन की परंपरा और बाल विवाह, इन सभी से पता चलता है कि लैंगिक भेदभाव और लैंगिक असमानता किस हद तक भारत के लिए एक चुनौती बनी हुई है। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं भी बहुत होती हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि एक ऐसा नागरिक समाज तैयार हो जिसका परिवेश सभी को समान रूप से दक्षता हासिल करने का मौका दे। ऐसी नीतियां बनाने और आचरण विकसित करने में उन्हें भागीदार बनाया जाना चाहिए जिनमें सभी लिंगों को मान्यता मिले और लैंगिक रूढ़ियों और मानदंडों को चुनौती दी जा सके। भारत सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने को अपनी प्राथमिकता बनाया है। साथ ही उनकी तस्करी, घरेलू हिंसा तथा यौन शोषण रोकने के लिए विशेष उपाय किए हैं। नीतिगत कार्यक्रमों में लैंगिकता को प्रस्तावित और एकीकृत करने के लिए प्रयास भी किए गए हैं। बालिकाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण करने वाले अभियान 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत की गई जिसे राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जा रहा है। वित्त पोषण सेवाओं के साथ महिलाओं के दक्षता और रोजगार कार्यक्रम देश के कोने-कोने में सुविधाओं से वंचित ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच रहे हैं। यौन शोषण, घरेलू हिंसा और असमान पारिश्रमिक से संबंधित कानूनों को भी

मजबूती दी जा रही है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में युवाओं को सशक्त बनाने का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। इस नीति में पांच सुपरिभाषित उद्देश्यों और 11 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है तथा इसमें प्रत्येक के लिए नीतिगत हस्तक्षेप का सुझाव है। प्राथमिक क्षेत्रों में शिक्षा, दक्षता विकास और रोजगार, उद्यमिता, स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवनशैली, खेल, सामाजिक मूल्यों का प्रचार, सामुदायिक भागीदारी, राजनीति और प्रशासन में भागीदारी, युवाओं का जुड़ाव, समावेश और सामाजिक न्याय शामिल हैं। सरकार ने रोजगार बाजार में पूर्ण भागीदारी और रोजगार सेवाओं की उपलब्धता हासिल करने के लिए युवाओं को सक्षम बनाने की पहल की है। सरकार ने ग्रामीण युवाओं के क्षमता निर्माण के लिए दक्षता विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं, खासतौर से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल), तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आने वाले युवाओं के लिए। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, शारीरिक विकास, डिजिटल समावेश, बाल अपचार, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, युवतियों के प्रति भेदभाव और अन्य युवा-विशिष्ट विषयों पर कार्य करने के प्रयास किए गए हैं।

निश्चित रूप से शासन का प्रयास भारतीय समाज को एक अच्छे लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रहा हैं। आवश्यकता इस बात की है कि संपूर्ण समाज का हर नागरिक लोकतंत्र का प्रहरी बनकर अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ति करें तो निश्चित रूप से हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

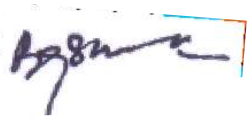

(प्रोफेसर ब्रजगोपाल)
प्रधान संपादक

डॉ. अखिलेश शुक्ल
सम्पादक

अनुक्रमणिका

01 कामकाजी महिलाओं का जाति व्यवस्था शिक्षा एवं जनसंख्या नियंत्रण के प्रति अभिमत (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में समाजशास्त्रीय विश्लेषण) 09

अखिलेश शुक्ल

02 बालिका शिक्षा: वर्तमान परिदृश्य समाजशास्त्रीय विश्लेषण रीवा नगर के विशेष संदर्भ में 22

रेखा सेन

03 समसामयिक समाज में घरेलू हिंसा का महिलाओं पर प्रभाव (रीवा जिले के संदर्भ में समाजशास्त्रीय विश्लेषण) 28

रेखा त्रिपाठी

04 महिला नेतृत्व की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन (सीधी जिले के त्रिस्तरीय पंचायती राज के विशेष संदर्भ में) 39

अखिलेश शुक्ल, शिखा पाण्डेय

05 भारत में महिलाओं के विरूद्ध लैंगिंक अपराधों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 53

कृष्णदास द्विवेदी

06 ग्रामीण युवा एवं जनसंचार माध्यम: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण 56

प्रतिभा जायसवाल, ब्रजेश कुमार सिंह

07 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की समस्याऐं आर्थिक एवं सामाजिक नियोग्यताएँ 69

वसुधा कुलश्रेष्ठ

08 समाज में स्वास्थ्य एवं पोषण की अवधारणा: एक विश्लेषण 77

शुचि मित्तल

09 पर्यावरण और मानवाधिकार : 21वीं सदी के ज्वलंत मुद्दे और चुनौतियाँ 83

दीपक कुमार दिनकर

10 वर्षा जल संग्रहण प्रबंधन 88

मंजरी अवस्थी

11 मानवता की संरक्षा और संत मत की प्रासंगिकता 91

विश्वदीपक उपाध्याय

12 उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का विकास 96

निशा राठौर, जितेन्द्र सिंह

13 गांधी जी के सामाजिक एवं आर्थिक विचारों की उपादेयता 101

रेखा शर्मा

14 ग्रामीण क्षेत्रों में एल.आई.सी. : सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू 107

सुनील कुमार

15 रीवा जिले में सौर ऊर्जा : मूल्यांकन एवं प्रभाव 119

मंजुला शर्मा, आर.पी. गुप्ता

16 सीएनजी– संपीड़ित प्राकृतिक गैस 128

मंजरी अवस्थी

17	मध्यप्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में सूचना संसाधनों के प्रकार एवं शैक्षणिक कार्य की उपयोगिता के संदर्भ में **पुष्पेन्द्र पाठक**	132
18	मनुस्मृति की प्रासंगिकता (वर्तमान संस्कृति के परिदृश्य में) **मधु**	138
19	भारतीय संस्कृति के निर्माता महर्षि वेदव्यास **बृजेश द्विवेदी**	142
20	खेल संस्कृति, नृत्य व कला **ममता**	145
21	भारत में नारीवाद : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन **सुधा गुप्ता**	151
22	आधुनिक हिन्दी साहित्य और संतमत **विश्वदीपक उपाध्याय**	160
23	21वीं सदी की हिन्दी कविता में पर्यावरण चेतना **सूरजमुखी**	166
24	शेखावाटी लोकगीतों में विरह **दीनदयाल शर्मा, वीणा छंगाणी**	172
25	बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' के साहित्य में सांस्कृतिक मूल्य **साधना सिंह**	176
26	जनपद पंचायत रीवा में चलने वाली योजनाओं का हिग्राहियों पर प्रभाव **रविकान्त तिवारी**	179
27	स्त्री की बदलती तस्वीर का साक्षी हिन्दी उपन्यास **अनिता प्रजापत**	187
28	हितग्राहियों की आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण (जनपद पंचायत रीवा के विशेष संदर्भ में) **रविकान्त तिवारी**	192
29	बुन्देली लोककला एवं नारी संघर्ष का अनूठा समन्वय रूप: कामिनी बघेल **राज कुमार सिंह**	202
30	महोबा के हजरत सैय्यद पीर मुबारक **रानू चौरसिया**	205

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

कामकाजी महिलाओं का जाति व्यवस्था शिक्षा एवं जनसंख्या नियंत्रण के प्रति अभिमत (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में समाजशास्त्रीय विश्लेषण)

• अखिलेश शुक्ल

सारांश- स्वतंत्र भारत में जातिवाद का प्रभाव कम होने के बजाय विस्तृत हुआ है। समाजवैज्ञानिक यह मानते हैं कि अब जातियों का राजनैतिकीकरण हो गया है। सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति जाति व्यवस्था के परिपोषक नहीं होते हैं। नगरीय परिस्थिति, परिवेश एवं वातावरण में रहने वाले व्यक्ति जाति व्यवस्था को अधिक अहमियत नहीं देते हैं जबकि परम्परागत दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति जाति व्यवस्था को अधिक महत्व देते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में कामकाजी महिलाओं का जाति व्यवस्था शिक्षा एवं जनसंख्या नियंत्रण के प्रति अभिमत का विश्लेषण करने का करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द -जाति, शिक्षा, जनसंख्या, संस्कृति, विकास

भारतीय समाज विकास क्रम के विभिन्न चरणों में बहुआयामी संस्कृति और बदलते हुये उत्पादन सम्बन्धों के साथ अन्त: क्रियारत रहा है। भारतीय समाज की मौलिक एवं परम्पराओं से प्रतिस्थापित संरचना में तीव्र परिवर्तन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ प्रारम्भ हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल्य उपनिवेशवादी व्यवस्था से सामंजस्य बनाये रखने में परिवर्तित एवं परिशोधित होते रहे हैं। सामाजिक सुधार आन्दोलनों की प्राथमिकी ने भारतीय समाज में महिलाओं की परम्परागत जीवनशैली को परिमार्जित करने के लिये न केवल परम्परावादियों की मानसिक ग्रंथियों पर आघात किया, अपितु पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित नये मध्यमवर्गीय लोगों में भी सकारात्मक जागरूकता उत्पन किया था। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में 18वीं और 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आन्दोलनों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उपनिवेशकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति एवं उनकी जीवनशैली में परिमार्जन के महत्वपूर्ण प्रयास किये गये थे। बाल-विवाह और सती प्रथा पर प्रतिबन्ध, विधवा विवाह का प्रचलन, विवाह के समय आयु आदि विषयों पर अधिनियम पारित किये थे एवं उन्हें प्रभावकारी ढंग से लागू किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान तथा अनेक विधियों तथा शिक्षा के विस्तार ने महिलाओं की प्रस्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। परिणामत: महिलाओं की जीवन शैली में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ।

• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा,मध्य प्रदेश

देश में आधी आबादी महिलाओं की है। अतः देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। इसलिये यह स्वभाविक है कि महिलाओं को देश के विकास में पुरूषों के समान भूमिका निभाने का अवसर मिलना चाहिये। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से विगत 75 वर्षों में महिलाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन आया है किन्तु अभी इस दिशा में अनेक ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रोत्तर काल में महिलाओं में शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ा है और अब पढ़ी-लिखी महिलायें पुरूषों के समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। आज मंत्रालयों, संचालनालयों, क्षेत्रीय, संभागीय, जिला स्तरीय, उपखण्डों और प्रत्येक प्रशासनिक क्षेत्रों में महिलायें कार्यरत हैं। इन कार्यरत महिलाओं का अधिकांश भाग उन परिवारों से संबंध रखता है, जो अभी भी नारी को दोहरे दायित्वों के निर्वहन को उनका कर्तव्य मानता है। परिवार में पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कार्यरत महिलाओं को ठीक उसी प्रकार करना पड़ता है जैसे कि घर के अन्दर रहने वाली महिलाओं को।

शोध कार्य के उद्देश्य- आज समाज 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुका है। शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य रीवा नगर में शासकीय सेवा में कार्यरत कामकाजी महिलाओं का जाति व्यवस्था शिक्षा एवं जनसंख्या नियंत्रण के प्रति अभिमत का विश्लेषण करना है।

अध्ययन पद्धति- किसी भी अध्ययन समूह के संबंध में तथ्य या आंकड़े एकत्रित करने की दो पद्धतियां होती हैं, एक तो समूह के सभी सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर तथ्यों को संकलित किया जाए या समूह के सभी सदस्यों के स्थान पर उनमें से कुछ प्रतिनिधि चुनकर उनसे ही तथ्य संकलित किए जाएं। अनुसंधानकर्त्ता अध्ययन विषय के उद्देश्य को ध्यान में रखकर उस पर प्रकाश डालने वाली तथा उसके अनुकूल इकाइयों को ही निदर्शन के रूप में विचारपूर्वक चुनता है। रीवा नगर में कार्यरत महिलाओं में से 200 का चयन इस पद्धति द्वारा किया गया है। चयन करते समय कार्यरत महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति को ध्यान में रखा गया है। निदर्शों के चयन के पश्चात साक्षात्कार के लिये अनुसूची का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन में साक्षात्कार अनुसूची, सहभागी-अवलोकन, केन्द्रित साक्षात्कार की अध्ययन प्रविधि का उपयोग किया गया है। इसके अलावा शोध से सम्बन्धित तथ्यों को एकत्रित करने के लिये अवलोकन पद्धति को भी अपनाया गया है। द्वैतीयक स्रोत के रूप में प्रकाशित शोध सामग्रियों, समाचार पत्रों, पुस्तकों, सरकारी सांख्यिकीय सूचनाओं और अन्य प्रकाशित तथा अप्रकाशित माध्यमों से संकलित किये गये हैं। इस सन्दर्भ में रीवा नगर की सांख्यकीय पत्रिका, म.प्र. सरकार द्वारा प्रकाशित जनगणना एवं श्रम सांख्यकीय के साथ-साथ अध्ययन क्षेत्र से एकत्रित समंकों का उपयोग किया गया है। कार्यरत महिलाओं के प्रत्येक संरचनात्मक इकाईयों की विशिष्टता को समझने के लिये विभिन्न आयोगों के प्रतिवेदनों, भारतीय विकास की नीतियों को स्पष्ट करने वाले दिशा-निर्देशों और सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से द्वैतीयक सामग्री का उपयोग किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण- जाति व्यवस्था शिक्षा एवं जनसंख्या नियंत्रण के प्रति अभिमत का विश्लेषण के संदर्भ में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण नीचे किया जा रहा है।

जाति व्यवस्था के प्रति अभिमत नगरीय क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण यह विश्वास किया जाता है कि महिलाओं में सामाजिक जागरूकता विकसित होगी। प्रसिद्ध समाजवैज्ञानिक प्रो. एम.एन. श्रीनिवास ने भारत में जातियों के अस्तित्व के संदर्भ में अपन मत व्यक्त करते हुये लिखा है कि, सभी को यह जान लेना चाहिये कि इस देश में एक अल्प मत के थोड़े से लोग हैं, जिनकी संख्या मुट्ठी भर है जो सशक्त हो सकते हैं। इस मत के लोग वास्तव में कामना करते हैं कि जाति प्रणाली समाप्त हो जाये। जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग, विशेष रूप से हिन्दू, यह नहीं चाहते कि जातिवाद समाप्त हो पर उनके लिये शायद एक जाति-विहीन-समाज की कल्पना करना भी असंभव है। ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले अधिकांश लोगों के लिये जाति से तात्पर्य आसपास के कुछ गाँवों में रहने वाले सगोत्री और श्वसुर पक्ष के रिश्तेदारों से ही होता है। हमारे समाज में संयुक्त परिवार तथा जाति से व्यक्ति को कतिपय ऐसे लाभ मिल जाते हैं जो औद्योगिक रूप से विकसित पश्चिम के देशों में एक कल्याणकारी राज्य में किसी व्यक्ति को मिलते हैं।[1] प्रारंभ में किसी व्यक्ति के मित्र उसकी जाति के ही होते हैं, उसके रिश्तेदार भी उसकी जाति के होते हैं और ये सब लोग उसके परिचय के दायरे में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि जाति स्वायत्तता का प्रतिनिधित्व न भी करे तो भी एक हद तक सांस्कृतिक एकरूपता का तो करती ही है। निश्चित अर्थ में भारत जाति-प्रथा का आगार है और यहां शायद ही कोई सामाजिक समूह ऐसा हो जो इसके प्रभाव से अपने को मुक्त रख सका हो। मुसलमान और ईसाई तक भी इसके पंजे में फँस चुके हैं; चाहे उसका स्वरूप ठीक वैसा न हो जैसा हिन्दुओं में है। दूसरी बात यह है कि प्रारंभ में जाति-प्रथा इतनी जटिल न थी जितनी की बाद में हुई। समय के परिवर्तन के साथ इसका स्वरूप भी परिवर्तित होता गया और अन्त में यह न केवल जटिल बल्कि विचित्र भी हो गई। आज भारतवर्ष में लगभग 3000 जातियाँ, और उपजातियाँ, हैं और उनके अध्ययन के लिये, जैसा कि श्री हट्टन का कथन है, विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि असंख्य विद्वानों ने इस जाति-प्रथा के संबंध में अनेक गंभीर विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इन विद्वानों में इतिहासकारों का उल्लेख सर्वप्रथम किया जा सकता है, जिन्होंने जातिप्रथा को ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जोड़कर विभिन्न युगों में इसमें होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाला है। इसके बाद इण्डोलाजिस्टों ने व्याख्यात्मक रूप में जाति-प्रथा को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इतना ही नहीं, भारतीय जनगणना आयुक्त, अंग्रेज मिशनरियों तक ने भारतीय जाति-प्रथा को अछूता नहीं रखा और अपने-अपने दृष्टिकोण से जाति-प्रथा की विचित्रता और महत्ता को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। इनके अध्ययन व विश्लेषण तथा निरूपण में अनेक त्रुटियां हैं और इन त्रुटियो को दूर करने का उत्तरदायित्व स्वभावत: ही सामाजिक वैज्ञानिकों पर आ पड़ा है। फलत: अनेक समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जाति-प्रथा को समझने और समझाने का प्रयास किया है। समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने इस जाति-प्रथा का विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। कुछ विद्वानों ने जाति-प्रथा की उत्पत्ति को समझाया है, तो कुछ ने जाति-प्रथा की गतिशीलता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये आधुनिक समय में जाति-प्रथा में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण किया है। ऐसे भी

अनेक विद्वान हैं जिन्होंने हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में जाति-प्रथा के महत्व या कार्यों का निरूपण किया है, फिर भी सम्पूर्ण भारतीय जाति प्रथा का पूर्ण विश्लेषण व निरूपण पूर्ण रूप से आज भी नहीं किया जा सका है। जाति मुख्यत: जन्म के आधार पर सामाजिक संस्तरण और खण्ड विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो खाने-पीने, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवासों के सम्बन्ध में अनेक या कुछ प्रतिबन्धों को अपने सदस्यों पर लागू करती है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जाति व्यवस्था गतिशील है और इसके प्रतिबन्ध भी अन्तिम नहीं हैं। जाति व्यवस्था विगत सौ या उससे अधिक वर्षों के दौरान जाति-संस्था का प्रभाव नये कार्य क्षेत्रों में फैला है। जिस ढंग से अंग्रेजों ने भारतवासियों को सत्ता सौंपी उससे जाति को राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने में सुविधा हुई है। स्वतंत्र भारत में जनता के पिछड़े वर्ग, विशेषत: अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सुरक्षा के लिये संविधान में जो प्रावधान किये गये उससे जातिवाद को नया जीवन प्राप्त हुआ है। साथ ही यह कहने की विशेष जरूरत नहीं कि ये प्रावधान अधिकांश राजनीतिक दलों द्वारा जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, जाति-विहीन-समाज के लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य का जो प्रचार किया जाता है उससे ठीक उलटे हैं।

अंग्रेजों के भारत में आने के पहले भारत की राजनीतिक व्यवस्था में यह बात साफ दिखाई देती है कि तब राज्यों के क्षेत्र बिखरे हुये थे, एक मुखिया या राजा का इलाका दूसरों के इलाकों से अलग रहता था। सामान्यत: ऐसे मुखिया या राजा के ऊपर कोई सम्राट स्वयं या उसका सूबेदार रहता था और मुखिया के नीचे भी सरदार रहते थे। मुखिया या राजा के इलाके की सीमायें हमेशा बदलती रहती थीं। सीमा वृद्धि या सीमा संकुचन का यह परिवर्तन उस मुखिया या राजा की सैन्य-शक्ति पर निर्भर करता था और इस पर भी कि सूबेदार या सम्राट इन मुखियाओं पर अपना नियंत्रण कितनी –ढ़ता से रखता है। यद्यपि कालान्तार से ये सीमाएँ परिवर्तित होती थीं तथापि किसी एक समय में ये सीमाएँ ही अलग-अलग मुखियों के अधीन प्रदेश की जनता के बीच दीवार बन जाती थी। अत: स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था जातिगत संबंधों के समस्तरीय प्रसार को दृढ़ता से रोकती थी। संक्षेप में कहा जाये तो एक ही क्षेत्र के अन्दर रहने वाली प्रत्येक जाति के बहुत अधिक नहीं तो थोड़े बहुत प्रभावकारी सामाजिक विस्तार की निर्णायक राजनीतिक सीमाएँ होती थीं। किसी खास दौर में सीमाएँ बदलती रहीं, इस तथ्य का अर्थ यह है कि उस समय विद्यमान राजनीतिक सीमाओं के आर-पार सांस्कृतिक बंधन बार-बार टूटते थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सीमाओं की अनुरूपता को सुस्पष्ट रूप से मान्य किया है। सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सीमाओं की यह अनुरूपता भारतीय इतिहास में कुल मिला कर एक नयी घटना है।

राजनीतिक व्यवस्था द्वारा जातियों के समस्तरीय प्रसार की प्रवृत्ति पर क्षेत्रीय-सीमा के आरोपित करने का स्वाभाविक नतीजा यह हुआ कि एक ही क्षेत्र में रहने वाली अनेक जातियाँ एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के लिये प्रेरित हुई। व्यवसायगत विशिष्टता ने भी परस्पर निर्भर रहने को मजबूर किया क्योंकि हर जाति अपनी आजीविका के लिये दूसरी जातियों पर निर्भर रहती थी और फिर एक जाति का हर सदस्य दूसरी जातियों द्वारा दी जा रही सुविधाओं तथा फायदों को पाने का इच्छुक था और इसका

साफ मतलब यह है कि एक जाति के सदस्यों के संबंधों में विरोध रहता था। आर्थिक बंधनों द्वारा जातीय अवरोधों को काटने की इस प्रवृत्ति को राजनीतिक तथा धार्मिक बंधनों द्वारा समर्थन मिला। अंग्रेजी राज्य की स्थापना होने से जातियां उन सीमाई बंधनों से मुक्त हो गयीं जो पहले की राजनीतिक व्यवस्था से लगी थे। इस तरह अंग्रेजी राज्य ने जाति रूपी उस जिन्न को बोतल से मुक्त कर दिया।[2] पूरे भारत में सड़कों के निर्माण, रेलें, डाक-तार, सस्ते कागज और छपाई विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं में - के चालू हो जाने से जातियों का जैसा संगठन संभव हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। जाति की बैठक की खबर एक पोस्टकार्ड से दी और जब जरूरत हुई दूर गांवों में बैठे जाति के सदस्य रेलों में बैठ कर आये और एक जगह एकत्रित हो गये। और सस्ते अखबारी कागज मिलने लगे जिससे जातीय पत्रिकाओं को चालू करना सरल हो गया। इन पत्रिकाओं का उद्देश्य था, अपनी-अपनी जातियों के हितों को बढ़ावा देना। साधारणत: यह कहा जाता है कि रेल और कारखानों ने खाने-पीने और सम्पर्क के अन्य तरीकों को लेकर पवित्रता-अपवित्रता के नियमों को कमजोर बनाया है, पर यह एकतरफा बयान है। सस्ता कागज मिलने से जातीय झगड़ों को लेखबद्ध किया जाने लगा और इससे नियमों और पुराने मामलों को स्थायी स्वरूप मिल गया जो पहले सिर्फ बड़े-बूढ़ों की याददाश्त पर निर्भर रहते थे जिसमें भूल-चूक होती थी और जिसे जब चाहे चुनौती दी जा सकती थी।

स्वतंत्र भारत में जातिवाद का प्रभाव कम होने के बजाय विस्तृत हुआ है। समाज वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अब जातियों का राजनैतिकीकरण हो गया है। एक अध्ययन में राम आहूजा ने पाया है कि सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति जाति व्यवस्था के परिपोषक नहीं होते हैं। नगरीय परिस्थिति, परिवेश एवं वातावरण में रहने वाले व्यक्ति जाति व्यवस्था को अधिक अहमियत नहीं देते हैं जबकि परम्परागत दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति जाति व्यवस्था को अधिक महत्व देते हैं। रीवा नगर की कार्यरत महिलाओं की जाति व्यवस्था के प्रति भावना का अध्ययन करते हुये निम्नवत् तथ्य सामने आये हैं।

तालिका क्रमांक 01

जाति व्यवस्था के प्रति अभिमत

उत्तरदात्री कार्यरत महिलायें	संख्या	जाति व्यवस्था			
		समर्थक		समर्थक नहीं	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
विवाहित	140	80	57.2	60	42.8
अविवाहित	40	20	50	20	50
विधवा/परित्यक्ता	20	10	50	10	50
योग	200	110	55	90	45

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 55 प्रतिशत महिलायें जाति व्यवस्था की परिपोषक पाई गई हैं। वे जाति व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहती हैं। 45 प्रतिशत महिलायें जातिवाद की समर्थक नहीं पाई गई हैं। वे जाति व्यवस्था में परिवर्तन चाहती हैं।विवाहित कार्यरत महिलाओं की जातिवादी भावना में अविवाहित एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं की भावना में अंतर पाया गया है। विवाहित कार्यरत महिलाओं में जातिवादी भावनायें अधिक पाई गई हैं उनमें 57.2 प्रतिशत जाति व्यवस्था की समर्थक पाई गई हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि महिलाओं में अधिकांश जाति व्यवस्था के प्रति आस्था रखती हैं।उक्त स्थिति को नीचे रेखा चित्र में प्रस्तुत किया जा रहा है।

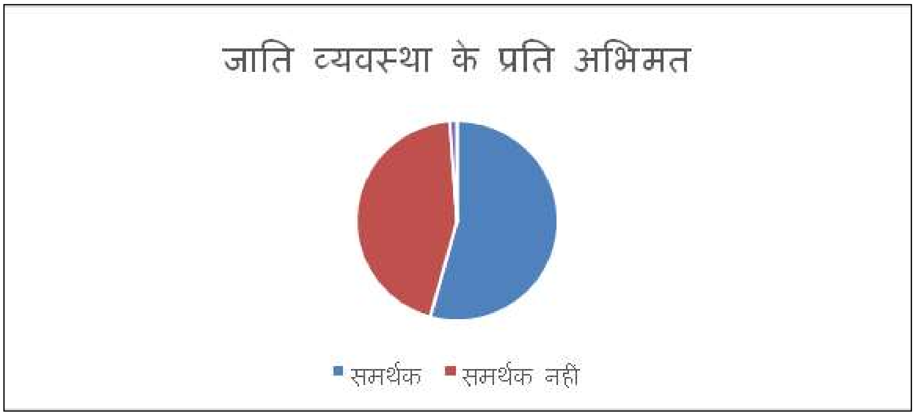

शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण-सरकार ने बीसवीं शताब्दी के अन्त तक निरक्षरता को समाप्त करने की योजना बनाई थी। यदि हम कुछ दशक पहले की स्थिति देखें तो पायेंगे कि शिक्षा के धीमी गति से ही सही, मगर बढ़ते प्रचार-प्रसार से गांव, देहात और शहरों के पिछड़े वर्गों के परिवारों में लड़कियों को स्कूल भेजने का मन धीरे-धीरे ही बना है। यह विचार लगभग सभी कार्यरत महिलाओं का रहा है। उनका मानना है कि इस उद्देश्य की सीमाएं बहुत संकुचित तथा उद्देश्य सीमित था, जैसे लड़कियों को उनके विवाह तक व्यस्त रखा जाए, उन्हें शिक्षित कर देने से अच्छे वर पाने की संभावना रहती है और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिये लड़की के पास डिग्रियों का होना आवश्यक है। शिक्षा को लेकर तब कोई इतना गंभीर नहीं था, जितना कि आज है। तब शिक्षा का विशेष कोई महत्व नहीं था। सब का मानना था कि विवाहोपरांत अंततः लड़की को अपने घर जाकर अपना घर संसार बसाना होगा। बेपढ़ी लड़की की तुलना में पढ़ी-लिखी वधू एक समझदार गृहिणी बन सकती है। इसीलिये लगभग हर घर में माताएं अपनी लड़कियों को चौका-बासन से लेकर सिलाई-कढ़ाई तक की शिक्षा स्वयं ही देती थी क्योंकि लड़की के भविष्य की यही नियति थी। हालांकि यह धारणा शाश्वत सत्य नहीं थी। बहुत सी लड़कियां पढ़ कर उन दिनों पश्चात्य सभ्यता में रंगने को ही अपना उद्देश्य मान बैठी थीं और अंग्रेजी रंग-ढंग को ही अपनी शिक्षा का उत्कर्ष मान बैठी थीं, जो कि सही नहीं था। सच यह है कि शिक्षा मनुष्य को केवल समर्थ ही नहीं बनाती वरन् उसका संर्वांगीण विकास भी करती है। यदि यह धारणा सच न होती तो आठवें दशक की लड़की अपने प्रबुद्ध व्यक्तित्व के दूसरे उपयोग खोज सकने में समर्थ न होती। यहां यह बात कहना आवश्यक है कि यदि स्त्री (शिक्षित) गृहिणी व माता का कार्यभार संभालने में ही अपना सारा समय और क्षमता लगाकर संतुष्ट है, तब भी उसकी शिक्षा बेकार नहीं जायेगी। यह शिक्षा एक कुशल गृहिणी और माता के रूप में भी अपना प्रभाव दिखा सकती है। उच्च शिक्षा प्राप्त कार्यरत महिलायें यह मानती हैं कि आज यह कहा जा सकता है कि महिला बौद्धिक क्षेत्र में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अवसर मिलने पर वह काफी आगे निकल सकती है।[4] हरियाणा के फरीदाबाद नगर निगम की पहली महिला मेयर सूबेदार सुमन या एसोसियेशन ऑफ फिजीशयंस

ऑफ इंडिया की अध्यक्षा हृदय रोग चिकिसा विशेषज्ञ डॉ. लेखा पाठक या किरन बेदी या और भी बहुत सी प्रबुद्ध महिलाएं उदाहरण में रखी जा सकती हैं, जिन्होंने शिक्षा और संकल्प के दम से अपने को पुरूष समाज में एक नई पहचान के साथ परिचित कराया है।इसके बावजूद शिक्षा या अक्षर की सार्थक यात्रा अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रही है। संसार के सारे निरक्षरों में भारत का प्रतिशत 1/2 है। इसमें महिलाएं सबसे अधिक हैं। सच यह है कि इस अभियान में हमने विशेष उपलब्धि अभी तक प्राप्त नहीं की है। सच यह भी है कि आज तक हम साक्षर और शिक्षा के अभियान का अंतर ही नहीं समझ पाये हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अंतर दिशाहीन शिक्षा पद्धति का ही लघु-संस्करण है। यदि बालिकाओं के लिये प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण, शिक्षा-नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता है तो इस ओर हम ध्यान क्यों नहीं देते ? क्यों प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां कालेजों तक नहीं पहुंच पातीं? क्या इसलिये कि हम इन बच्चियों को ठीक से सुरक्षा नहीं दे पाते, या सामाजिक विसंगतियों के कारण उन्हें पराए घर का धन मानव मात्र एक जिम्मेदारी मानकर उनके विवाह तक का इंतजार करते हैं। माता-पिता नहीं चाहते कि बेटी पर पैसा खर्च किया जाये और व्यवस्था नहीं चाहती कि शिक्षा पर धन खर्च हो, तो यह समस्या कौन सुलझाएगा? ''एसोशियेशन आफ इंडियन यूनीवर्सिटीज'' द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के हिसाब से आज देश में लगभग 35 प्रतिशत महिलाएं जो कि 15 वर्ष से अधिक की हैं, ही शिक्षा प्राप्त कर सकी हैं। जबकि विदेशों में यह आंकड़ा 85 और 90 प्रतिशत है।

80 प्रतिशत कार्यरत महिलायें यह मानती हैं कि नारी शिक्षा का एक लाभ यह हुआ है कि जहां वह आत्मनिर्भर हो जाती हैं, वहीं सामाजिक रूढ़ियों का स्वत: ही विघटन होने लगता है। ऐसा इसलिये है कि ये रूढ़ियां उनकी जीवनचर्चा में बाधाएं खड़ी करती हैं। वह जब बाहरी दुनिया के सम्पर्क में आती है तो घर के आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करती हैं और एक प्रकार के आत्मविश्वास से समाज को भी बल मिलता है। यहां यह कहा जा सकता है कि यदि महिला शिक्षा को सर्वोच्च मान ले तो वह उससे अवश्य लाभ उठा सकती है। यह लाभ मात्र उसका अकेले का ही नहीं, वरन् समाज और देश का भी होगा। किन्तु इसके लिए समूची व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से आगे आना होगा। लेकिन इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस देश की हर लड़की स्कूल जाना चाहती है। उसकी आंखों में भी लड़कों के सपनों जैसे सपने तैरते हैं, वह भी आत्मनिर्भर बनना चाहती है। जहां ये सपने साकार हो जाते हैं, वहां का समाज एक तरह का शक्ति का प्रतीक बन जाता है। जहां ये सपने आधे-अधूरे पूरे होते हैं, वहीं या जो लड़की आगे का सफर तय नहीं कर पाती, या तय कर लेती है तो विवाहोपरांत उसे आत्मनिर्भर बनने से रोक दिया जाता है और शुरू होती है दहेज की कमी के बहाने के लेकर यातनाओं का अंधा सफर। ऐसी स्थिति में कहीं तो लड़की को जलाकर मार दिया जाता है, या फिर तलाक का सर्प उसे डस लेता है। ये सामाजिक कुसंगतियां अंतत: समूचे समाज को अभिशप्त कर देती है, जिनके विरूद्ध अब महिला समाज की एक लंबी लड़ाई जरूरी हो गई है।

90 प्रतिशत कार्यरत महिलाओं का यह अभिमत है कि जरूरी है कि हम लड़कियों को न केवल स्कूली शिक्षा दें बल्कि उन्हें कालेज तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था करें और ऐसी तकनीकी शिक्षा से भी उन्हें वंचित न होने दें जो उन्हें आत्मनिर्भर

बनने में सहायक सिद्ध होती है। यदि ऐसा हुआ या होने लगे तो हम लड़कियों के भविष्य को पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे। इस संबंध में स्कूल और कालेज में जाने वाली लड़कियों को भी अपने भीतर एक नए आत्मविश्वास को जन्म देना होगा जो उन्हें पुरूष प्रधान समाज की बनाई गई संकीर्ण सोच से भी टकराने की शक्ति प्रदान करेगा। इससे एक लाभ यह होगा कि वे भय, आतंक, संशय और दिशा के भंवर से खुद को मुक्त कर सकेंगी, साथ ही अपने गांव, मुहल्लों और शहरी कालोनियों में रह रही प्रौढ़ाओं को भी खाली समय में साक्षर बना सकेंगी। लेकिन इसे एक आन्दोलन के रूप में ही लेना होगा। तभी हम समाज और राष्ट्र में एक नए शैक्षिक परिवर्तन को लाने में सफल हो सकेंगे। इसलिए आवश्यक है कि आज सरकार और स्वयंसेवी सामाजिक संगठन एकजुट होकर इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लामबंद हों और महिलाओं के कल्याण के लिए नेकनीयती के साथ नैतिक और संवैधानिक तरीकों को अमल में लाएं जिससे उनके कल्याण और विकास में तेजी आए।

उच्च शिक्षित कार्यरत महिलायें यह मानती हैं कि शिक्षा के व्यवसायीकरण ने समाज के समक्ष गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। आधुनिक शैक्षिक संस्थाएं विद्या के मंदिरों के स्थान पर एजुकेशनल शो-रूम और दुकानों में परिवर्तित हो चुकी है। शिक्षा के बाजारवाद ने विद्यार्थियों के भविष्य को भी दांव पर लगा दिया है। ऐसी स्थिति के पैदा होने के पीछे सरकारी स्कूलों की बढ़ती दुर्गति और कुप्रबंधन को भी जिम्मेदार माना जाना चाहिए जहां अध्यापक मात्र नौकरियां' करते हैं और नौकरियां पाना उनका मुख्य ध्येय होता है। नौकरियों में 'परमानेंसी' भी एक घटक है जो अध्यापकों को अपनी जिम्मेदारियां से बेपरवाह कर देती है। इससे 'गुरू' की महिमा को भारी आघात पहुंचा है। शिक्षा के व्यवसायीकरण के चलते सरकारी स्कूलों के अध्यापक स्कूलों के बच्चों पर ध्यान न देकर टयूशनों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करते हैं और टयूशन प्रणाली ने बच्चों के बीच 'स्टेटस' की समस्या पैदा कर दी है। कहीं-कहीं तो ऐसा भी देखने में आता है कि जो अच्छे बच्चे टयूशन पढ़ने की स्थिति में नहीं होते हैं, वे मेधावी होते हुए भी अध्यापक के भेदभाव भरे वातावरण का शिकार बन जाते हैं और गैर मेधावी छात्र आगे निकल जाते हैं।

इसमें संदेह नहीं कि समाज करवट ले रहा है, स्त्रियों में जागृति आ रही है, शिक्षा के प्रति उनका रूझान बढ़ रहा है, पर्दा-प्रथा विदाई के रास्ते पर है और महिलाओं की आवाज सशक्त हो रही है, मगर यात्रा काफी लम्बी है। जब तक महिलायें पूर्णतः साक्षर न हो जाए तब तक देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकती हैं। साक्षरता की दर में यह वृद्धि शासन द्वारा कन्याशालाओं की स्थापना एवं शिक्षिकाओं की संख्या में वृद्धि और 14 वर्ष तक की बालिकाओं हेतु अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य स्वीकार किया जाना है।

भारत में महिलाओं की स्थिति समय-समय पर बदलती रही है। सुधारवादी आंदोलनों और सरकारी प्रयासों के कारण महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन हुए हैं। आज की महिलाएं विश्वसुंदरी का सम्मान पाने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का अवसर प्राप्त कर चुकी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस प्रकार के परिवर्तनों से कोसों दूर है।

84 प्रतिशत कार्यरत महिलाओं का यह अभिमत है कि जहाँ तक ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा का प्रश्न है, उनकी शिक्षा की जरूरत ही नहीं महसूस की जाती। उनको शुरू से ही घर की देख–रेख करने में लगा दिया जाता है।

92 प्रतिशत कार्यरत महिलाओं का मानना है कि संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को अधिकार सम्पन्न तो बना दिया गया है, परंतु उनकी अधिकार सम्पन्नता के परिणाम तभी दृष्टिगोचर होंगे, जब उन्हें महिला विकास के प्रति जागरूक बनाया जाएगा। बिना शिक्षा के इस संशोधन का लाभ महिला वर्ग को नहीं मिल सकता। शिक्षा से ही उन्हें योग्यता, सामर्थ्य और साहस मिल सकेगा। सशक्तिकरण एवं शिक्षा के बीच सीधा संबंध है। शिक्षा मनुष्य को अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। अशिक्षा आधुनिकीकरण तथा उच्च तकनीकों को व्यवहार में लाने का मार्ग अवरूद्ध करती है। शिक्षा, उन्नति और अपनी महत्वकांक्षाओं को यथार्थ में बदलने का ऐसा रास्ता बताती है जिसका विकल्प विश्व में दूसरा हो ही नहीं सकता। यदि महिलायें शिक्षा के महत्व को अंगीकार कर लें, तो महिला सशक्तिकरण की ऐसी अविरल धारा बहेगी, जिसमें अशिक्षा के समस्त दोष बह जाएंगे।

कार्यरत महिलाओं में उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को जानने का जब प्रयास किया गया तो यह पाया गया है कि कामकाजी महिला उच्च स्तरीय शिक्षा की परिपोषक है, जबकि सामान्य गृहणी महिलायें उच्च शिक्षा के प्रति अधिक अभिरूचि नहीं रखती हैं। महिलाओं की इस सामाजिक दृष्टिकोण का विश्लेषण नीचे तालिका में किया जा रहा है। प्राप्त तथ्य यह प्रकट करते हैं कि कार्यरत महिलायें उच्च शिक्षा के पक्ष में हैं। इस तरह की अवधारणा 90 प्रतिशत महिलाओं में विकसित पायी गई है।

कार्यरत महिलायें	संख्या	प्रतिशत
सकारात्मक	180	90
नकारात्मक	20	10
योग	200	100

तालिका क्रमांक 02

कार्यरत महिलाओं में उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

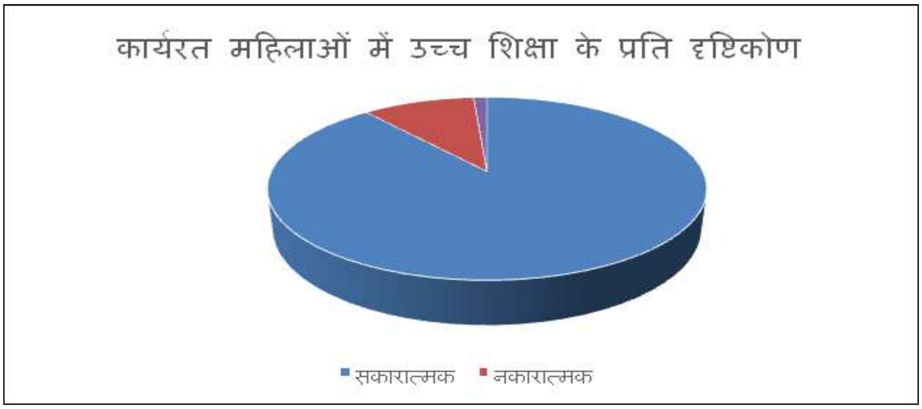

उक्त स्थिति को नीचे रेखा चित्र में प्रस्तुत किया जा रहा है।

10 प्रतिशत महिलायें उच्च शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार की परिपोषक नहीं पाई

गई है, किन्तु यह उनकी व्यक्तिगत सोच थी। उनका मानना है कि औरतों को एक ओर हम साक्षर बना रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं उन्हें शक्ति सम्पन्न करने का राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा कर रहे हैं पर शिक्षित होने के बाद की उन समस्याओं पर हम पुनर्विचार नहीं कर रहे हैं, जिनके रहते महिलाओं को अनेक समस्याओं का शिकार होना पड़ सकता है। इसलिये साक्षरता-मिशन में इन अंधेरे कोने पर भी निगाह डालने की जरूरत है। रीवा नगर की 10 प्रतिशत कार्यकारी महिलाओं का यह मानना है कि उच्च शिक्षा के कारण अनेक समस्याएं भी पैदा हुई हैं जिनमें गरीबी, बेरोजगारी, पारिवारिक विवाद, दिवालियापन, दहेज विवाद और पागलपन प्रमुख हैं। इसका कारण है कि महिलाओं को शिक्षा तो दी गई, पर डिगरीधारी महिलाओं के लिये नौकरियां नहीं दी गईं। समाज में 30 प्रतिशत पढ़ी-लिखी महिलाएं ऐसी भी हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई क्योंकि उनके योग्य वर वहां उपलब्ध नहीं है।

जनसंख्या नियंत्रण के सम्बन्ध में अभिमत- वर्तमान समय में जनसंख्या की समस्या मानवीय समस्याओं में प्रमुख है। इसका प्रभाव देश की भौतिक एवं आर्थिक उन्नति पर पड़ता है। देश का आर्थिक विकास जनसंख्या के आकार तथा गुणों पर निर्भर करता है। किसी देश की जनसंख्या वहां के श्रम, संगठन तथा साहस का स्रोत होती है। ये उत्पादन के प्रमुख सक्रिय साधन होते है। वास्तव में देश का कुल उत्पादन तथा विकास उसकी जनसंख्या पर ही निर्भर करता है। अतः जनसंख्या का आवश्यकता से कम या अधिक होना देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। जनसंख्या का आधिक्य देश के लिए खतरा बन जाता है। यही कारण है कि आज हमारे देश में जनसंख्या की समस्या सबसे गंभीर एवं महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। विगत कुछ वर्षो में भारत की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई जिसके कारण निर्धनता तथा बेरोजगारी की समस्याएं भी भयंकर रूप धारण कर गई हैं। कार्यरत महिलाओं ने भारत में जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण बताये हैं -

- 80 प्रतिशत कार्यरत महिलाओं ने कहा है कि भारत में जन्म दर बहुत ऊंची है। ऊंची जन्म दर के अनेक कारण हैं जैसे- बाल विवाह, अनिवार्य विवाह, भाग्यवादिता, पारिवारिक मान्यता, अंध विश्वास, निर्धनता, निम्न जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि आदि।
- 75 प्रतिशत कार्यरत महिलाओं का मानना है कि जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं में काफी वृद्धि हुई है। जिसके कारण औसत आयु बढ़ी है तथा मृत्यु दर घटी है। इसने भी जनाधिक्य को और बढ़ाया है।
- 85 प्रतिशत कार्यरत महिलाओं की मान्यता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण यहां के निवासियों का निम्न जीवन स्तर है। अशिक्षित होने के कारण लोग जनसंख्या की समस्या को नहीं समझ पाते।
- 50 प्रतिशत कार्यरत महिलाओं की धारणा है कि भारत की जलवायु गर्म है। गर्म जलवायु वाले देशों में निवास करने वाले व्यक्तियों में परिपक्वता की अवस्था शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है, जिससे विवाह जल्दी कर दिए जाते हैं और संतानोत्पत्ति की अवधि लंबी हो जाती है।

- 40 प्रतिशत कार्यरत महिलाओं का मानना है कि इन सबके अतिरिक्त भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण शरणार्थियों का आगमन है। बंगलादेश के बन जाने के बाद लगभग एक करोड़ शरणाथी भारत में आकर बस गए।
- 65 प्रतिशत कार्यरत महिलाओं ने बताया है कि अशिक्षा, निर्धनता तथा पिछड़ेपन के कारण भारत की अधिकांश जनसंख्या को परिवार कल्याण कार्यक्रमों का ज्ञान नहीं है। अत: वे सीमित परिवारों के लाभों से अनभिज्ञ रहते हैं। इससे जनसंख्या में वृद्धि होती है।

जनसंख्या विस्फोट भारत के आर्थिक विकास में सबसे अधिक बाधक है। जनसंख्या वृद्धि से देश पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे – खाद्यान्न की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आश्रितों की संख्या और मूल्य स्तर में वृद्धि तथा भुगतान संतुलन की समस्या आदि। प्रश्न उठता है कि जनसंख्या की इस समस्या का समाधान कैसे हो तथा कैसे बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए? वैसे तो सरकार इस समस्या के समाधान के लिए अनेक कार्य कर रही है, लेकिन देश के प्रत्येक नागरिक को इस ओर ध्यान देना चाहिए। विशेष कर महिलाओं को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि नारी अब दिन–प्रतिदिन प्रगति पथ पर अग्रसर हो रही है। समय एवं परिस्थितियों के परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप अब नारी प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कर रही है वह पुरूषों के पीछे रहने वाली नारी नहीं है। तात्पर्य यह है कि आधुनिक युग में नारी ने आश्चर्य चकित करने वाली प्रगति की है। समय पड़ने पर नारी ने अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के लिए बहुत से कार्य किए हैं। वर्तमान समय में हमारा देश तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित है। जिससे अनेक समस्याएं पैदा हो रही है। अगर नारी चाहे तो जनसंख्या नियंत्रण में भी देश का साथ दे सकती है। रीवानगर में कार्यरत महिलाओं ने जनसंख्या को नियंत्रित करने में नारी की भूमिका के संदर्भ में अपने अभिमत निम्नवत प्रस्तुत किए हैं।

तालिका क्रमांक 03

जनसंख्या नियंत्रण के सम्बन्ध में कार्यरत महिलाओं का अभिमत

जनसंख्या नियंत्रण के साधन	उत्तरदात्री कार्यकारी महिलाओं की संख्या					
	विवाहित (140)		अविवाहित (40)		विधवा/ परित्यकता (20)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
शिक्षा सुविधाओं को अपना कर	100	71.4	20	50	15	75
दूसरों को शिक्षित करके	50	35.7	20	50	10	50
नियमों का कठोरता से पालन करके	20	14.2	10	25	10	50
मानसिकता में बदलाव लाकर	60	42.8	20	50	10	50
परिवार नियोजन के साधन अपनाकर	140	100	40	100	10	50
समाज सुधार कार्यक्रम	20	14.2	10	25	08	40
अनाथ बच्चों को अपनाकर	25	17.8	05	12.5	20	100
आत्म निर्भर बनकर	100	71.4	15	37.5	15	75

रीवा नगर की कार्यरत महिलाओं के अभिमतों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान समय में जनसंख्या को नियंत्रित करने में महिलायें अपनी भूमिका अनेक प्रकार से निभा सकती है, जैसे –

शिक्षा सुविधाओं को अपना कर- सर्वप्रथम नारी को स्वयं शिक्षित होना चाहिए। यह एक तथ्य है कि शिक्षित परिवारों में सदस्यों की संख्या कम होती है। एक नारी के शिक्षित होने से दो परिवार शिक्षित होते हैं। जब भारत में शिक्षित लड़कियों की संख्या बढ़ेगी तो वे स्वत: ही अपने परिवार को सीमित रखेंगी और इस प्रकार जनसंख्या की समस्या, समस्या नहीं रहेगी।

दूसरे को शिक्षित करके- पढ़ी-लिखी लड़की दूसरों को शिक्षित करके भी इस समस्या को कम कर सकती है। वह अपने परिवार तथा आसपास की कम पढ़ी-लिखी, बिना पढ़ी महिलाओं को शिक्षित करके जनसंख्या संबंधी समस्या से परिचित करा सकती है और वह उन्हें समझा सकती है कि किस प्रकार जनसंख्या की समस्या का समधान हो सकता है।

मानसिकता में बदलाव लाकर- किसी-किसी परिवार में पुत्र प्राप्ति की इच्छा के कारण कई-कई बच्चों का जन्म हो जाता है। भारतीय परिवार में पुत्र का होना जरूरी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पुत्र ही वंश को चलाता है। महिलाओं को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए तथा परिवार के बड़ों को भी समझना चाहिए कि बेटी-बेटा दोनों समान होते है। चाहे बेटा हो या बेटी परिवार को सीमित रखना चाहिए।

परिवार नियोजन अपनाकर- महिलाओं को परिवार नियोजन का पालन करना चाहिए। परिवार नियोजन से तात्पर्य है कि विवाहित दम्पति द्वारा अपने परिवार की संख्या सीमित रखने और बच्चों के जन्म के मध्य पर्याप्त अंतर रखने से है। इससे मां का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तथा वह बच्चों का पालन-पोषण ठीक प्रकार से कर सकेगी। महिलाओं को "दो बच्चों का लक्ष्य महान, लड़का-लड़की एक समानअथवा हम दो हमारे दो जैसे आदर्श अपनाने चाहिए तथा इनके लिए दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए।

गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग- आज के वैज्ञानिक युग में गर्भ निरोधक साधन आसानी से उपलब्ध हैं। देर से बच्चे पैदा करने के लिए तथा दो बच्चों के जन्म में अंतर करने के लिए महिलाएं इन साधनों का प्रयोग कर सकती हैं तथा बच्चों का जन्म हो जाने पर नसबंदी भी करा सकती हैं।

समाज-सुधार कार्यक्रम में भाग लेकर- जनसंख्या की समस्या को दूर करने के लिए महिलाएं समाज-सुधार कार्यक्रमों में भाग लेकर लोगों में प्रेरणा जाग्रत कर सकती है। घर-घर जाकर विशेष कर गांव में जाकर लोगों को अपने परिवार को सीमित रखने की बात समझा सकती है तथा गांव की अशिक्षित तथा गरीब महिलाओं को गर्भ निरोधक साधनों के बारे में जानकारी दे सकती है।

अनाथ बच्चों को अपना कर- जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते, वे अनाथ बच्चों को अपना कर समाज कल्याण में योगदान दे सकती है।

आत्मनिर्भर बनकर- लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करके आत्मनिर्भर बनना

चाहिए। ज्यादातर निर्धन परिवारों में ही सदस्यों की संख्या अधिक होती है तथा मनोरंजन आदि का अभाव रहता है। प्रायः परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर जीवन स्तर में सुधार ला सकती हैं तथा जनसंख्या नियंत्रण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नारी जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्या के समाधान में राष्ट्र का साथ दे सकती है। यदि महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करें तो वे समाज को अनेक कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, आडंबरों से मुक्त करा सकती है। तथा नारी अपनी सजगता से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में अपनी भूमिका निभा सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. प्रो. एम. एन. श्रीनिवास, आधुनिक भारत में जातिवाद, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1971, पृष्ठ 16-17.
2. शर्मा, क्षमा, "स्त्री का समय", मेघा बुक्स, दिल्ली, 2001, पृष्ठ 12-13.
3. प्रो. एम. एन. श्रीनिवास, आधुनिक भारत में जातिवाद, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1971, पृष्ठ 16-17
4. राय, सरोज, महिला श्रमिक, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1999.

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

बालिका शिक्षा: वर्तमान परिदृश्य समाजशास्त्रीय विश्लेषण रीवा नगर के विशेष संदर्भ में

• रेखा सेन

सारांश- स्त्रियों का परिवार, समाज व राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। बालिकाओं पर भी किसी भी देश का भविष्य निर्भर करता है। क्योकि बालिकाएँ आगे चलकर माँ बनती है और माँ किसी भी परिवार की केन्द्रीय इकाई होती है। यदि माँ को शिक्षा प्राप्त नहीं है और वह बचपन से ही कुपोषण व अज्ञानता की शिकार है, तो वह एक स्वस्थ शिक्षित परिवार व उन्नत समाज को जन्म देने में विफल रहेगी। अत: बालिका के लिए शिक्षा नितांत आवश्यक है। आज बालिका शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकता समझकर जोर दिया जा रहा है। परिणामत: बालिकाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। समय तेजी से बदल रहा है। समय के साथ बालिकाओं ने भी करवट ली है। आज बालिकायें, बालकों से किसी क्षेत्र में कम नहीं है, वे आज इस प्रतियोगी युग में तेजी से आगे बढ़ रही है। आज विचार किया जाए तो बालिकाएँ, बालकों से हर क्षेत्र में आगे है।

मुख्य शब्द - बालिका शिक्षा, समाज, राष्ट्र निर्माण, परिवार, केन्द्रीय इकाई

अवधारणात्मक विवेचन-बालिका शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है, जिसका उददेश्य एवं निर्धारण ऐसे शैक्षिक परिवेश में किया जाता है, जहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिका है। अशिक्षा अज्ञानता की जननी है तो शिक्षा ज्ञान की जननी है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है। जिस देश व गाँव में शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अत: हमेशा जीवन भर अपनी दरिद्रता से पीड़ित रहते हुए वह परेशान ही रहेगा। किसी भी समाज की उत्पति शिक्षा के बिना असंभव है हमारे समाज में नारियों का शिक्षित होना नितांत आवश्यक है। यदि नारी शिक्षित नहीं होगी तो वह परिवार उन्नति नहीं कर सकता। समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के वातावरण में अशिक्षित नारी हीनता का पात्र बनी रहेगी। नारी शिक्षा की सार्थकता इसमें है कि वह स्वयं रूचि लेकर विद्या अध्ययन कर, घर पर बच्चों को भी पढ़ायें एव गृहस्थी के कार्यों को भी सुचारू रूप से संचालित करें। प्रत्येक नारी का साक्षर एवं सुशिक्षित होना आवश्यक है। यदि वह अनपढ़ या निरक्षर रहेगी तो समाज के अनेक कार्यों में अपना योगदान नहीं दे सकेगी। स्वतंत्रता के पूर्व स्त्रियों को शिक्षा देना अनावश्यक माना जाता था इसलिए अशिक्षा के कारण स्त्रियों में अपने अधिकारों के संबंध में कोई जागरूकता उत्पन्न नहीं हो पायी अपितु परम्पराओं में

● अतिथि विद्वान, समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय बरका, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश

इस प्रकार जकड़ी हुई है कि इससे उनको मुक्ति दिलाना स्वयं ही समस्या हो गई है। बालिका शिक्षा के संबंध में वर्तमान समय में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। पहले बहुत ही कम बालिकाएँ पढ़ी-लिखी होती थी। आज की बालिकाए शिक्षा की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। आज की बालिकाएँ वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। सरकार भी बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा प्राइवेट शिक्षा देने की सुविधा, छात्रवृत्तियां आदि देकर शिक्षा के विषय में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शिक्षा व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक परिवर्तन का मुख्य साधन है शिक्षा की प्रगति से ही व्यक्ति व समाज के मौलिक विकास का सूत्रपात होता है। पुरानी रूढ़ियों, सामाजिक परम्पराओं व अंध विश्वासों की मजबूत बेड़ियों से व्यक्ति का छुटकारा संभव हो सकता है। शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है जिससे व्यक्ति की चर्हुमुखी विकास को मापा जा सकता है।

एक दशक के बीच शिक्षा के क्षेत्र में लोगों की मानसिकता बदली है। अब हर व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाकर कुशल नागरिक बनाना चाहता है। पहले बालिकाओं की पढ़ाई पर अघोषित पाबंदी थी। कम उम्र में शादी और फिर घर परिवार की जिम्मेदारी। खासतौर से गरीब तबके के बीच यह प्रवृति कुछ ज्यादा थी, लेकिन अब लोगों की मानसिकता बदल रही है। बालकों की तरह ही बालिकाओं को भी लोग शिक्षित करना चाहते हैं। बालिकाएँ भी पहले की अपेक्षा जागरूक हुई हैं। वे परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती हैं। उनमें भी पढ़ाई को लेकर ललक है। वे कुछ बनकर समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त करना चाहती हैं। और इस दिशा में सरकार की ओर से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले चंद वर्षों में शिक्षा के मामले में देश की तस्वीर काफी हद तक बदली हुई होगी। रीवा नगर की बालिकाओं की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में आज भी ज्यादा अच्छी नहीं है। इनकी स्थिति में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि ग्रामीण महिला समाजों ने परिवार शिक्षा को अच्छा नहीं मानती हैं वे रूढ़िवादिता को आज की स्थिति में भी लिए हुए है वे समझती हैं कि शिक्षा देने से लड़कियाँ बिगड़ जाती है। अत: इस रूढ़िवादिता ने महिलाओं के विकास की जड़ को मजबूत होने में बांधा है। जब तक उसमें नई चेतना नहीं आयेगी, तब तक बालिकाओं का पूर्ण विकास होना संभव नहीं हो पायेगा।

भारत में साक्षरता- भारत में साक्षरता के मामले में पुरुष और महिलाओं में काफी अंतर है, जहां पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 है, वहीं महिलाओं में इसका प्रतिशत केवल 65.46 है। महिलाओं में कम साक्षरता का कारण परिवार और आबादी की जानकारी कमी है। भारत मे साक्षरता पहले के अपेक्षा काफी बेहतर हुई है। भारत में 6-14 साल के आयु वर्ग के प्रत्येक बालक और बालिका को स्कूल में मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। यहाँ पर 40 प्रतिशतसे अधिक बालिकायें 10 वीं कक्षा के उपरांत स्कूल त्याग देती है। 1995 की मानव विकास रिपोर्ट में पहली बार लिंग सम्बन्धी विकास को शामिल किया गया जिसमें स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन (संभावित आयु के लिहाज में), शिक्षा (प्रौढ़ साक्षरता तथा कुल छात्रों की संख्या के हिसाब में) तथा ठीक ठाक जीवन स्तर (क्रय शक्ति और आय के मुताबिक) जैसे आयाम सम्मिलित है। UNDP की रिपोर्ट (2015) के अनुसार भारत

का लैंगिक विकास सूचकांक (GDI) 131 वाँ एवं मूल्यांक 0.819 (मध्यम मानव विकास) है।

आज भारत में राष्ट्रीय महिला साक्षरता 65.46 प्रतिशत है। जो पुरूष साक्षरता (82.14 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम है। इनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं की साक्षरता क्रमशः 56.46 व 49.36 प्रतिशत अपेक्षाकृत काफी कम है। भारत में महिलाओं एवं पुरूषों के औसत स्कूली वर्ष के बीच लगभग दोगुने का फर्क है जबकि विश्व स्तर पर यह अन्तर काफी कम है। भारत में पुरूषों का औसत स्कूली वर्ष 7.2 वर्ष तथा महिलाओं का 3.6 वर्ष है। जबकि विश्व में पुरूषों का औसत स्कूल वर्ष 7.9 वर्ष तथा महिलाओं का 6.2 वर्ष है । आज भारत में पुरूष और महिला राष्ट्रीय साक्षरता में 16.68 प्रतिशत का अन्तर है।समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता शिक्षा के क्षेत्र में स्पष्ट दिख रही लैंगिक भेदभावपूर्ण मानसिकता की जड़ है। आजादी के बा्द से बालिका शिक्षा के संदर्भ में बात की जाये तो बालिका शिक्षा की प्रगति को निम्नलिखित तालिका के द्वारा समझा जा सकता हैं-

वर्ष	महिला साक्षरता दर
1951	8.86
1961	15.35
1971	21.97
1981	29.76
1991	39.29
2001	54.16
2011	65.46

आज भारत में राष्ट्रीय महिला साक्षरता 65.46 प्रतिशत है। जो पुरूष साक्षरता (82.14प्रतिशत) की तुलना में काफी कम है। इनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं की साक्षरता क्रमशः 56.46 व 49.36 प्रतिशत अपेक्षाकृत काफी कम है। भारत में महिलाओं एवं पुरूषों के औसत स्कूली वर्ष के बीच लगभग दोगुने का फर्क है जबकि विश्व स्तर पर यह अन्तर काफी कम है। भारत में पुरूषों का औसत स्कूली वर्ष 7.2 वर्ष तथा महिलाओं का 3.6 वर्ष है। जबकि वि□व में पुरूषों का औसत स्कूल वर्ष 7.9 वर्ष तथा महिलाओं का 6.2 वर्ष है। आज भारत में पुरूष और महिला राष्ट्रीय साक्षरता में 16.68 प्रतिशत का अन्तर है। समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता शिक्षा के क्षेत्र में स्पष्ट दिख रही लैंगिक भेदभावपूर्ण मानसिकता की जड़ है।

शोध उददेश्य-

1. रीवा नगर में समाज के सभी वर्गों की बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति का पता लगाना।

2. बालिकाओं की शैक्षणिक अभिरूचि का पता लगाना।

शोध की उपयोगिता एवं महत्व-

1. लिंगानुपात में सतत्, गिरावट का पता लगेगा।
2. बालिकाओं का विकास, सामाजिक रूढ़िवादिता, रीतिरिवाज यौन विसंगतियों के कारण अवरूद्ध रहा उसे शोध के माध्यम से सामने लाना है।
3. शोध के माध्यम से महिलाओं को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराना है।

शोध की अध्ययन पद्धति एवं उपकरण-

(अ)अध्ययन पद्धति - प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक तथा द्वितीयक समंकों वर आधारित है। प्राथमिक समंकों के संकलन के लिए समग्र में से सविचार निर्देशित विधि द्वारा सूचनादाताओं का चयन किया गया। चयनित सूचनादाताओं से साक्षात्कार अनुसूची द्वारा सूचनाएँ संकलित की गई। प्रस्तुत शोध में आवश्यक अनुसार विभिन्न स्त्रोतों से संकलित द्वितीयक समंकों का भी प्रयोग किया गया। संकलित समंकों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला गया।

(ब) उपकल्पना-

1. समाज में गरीब वर्ग में साक्षरता का अभाव है।
2. समाज में लड़कियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।
3. विद्यार्थियों में संचालित छात्रा प्रोत्साहन योजनाओं का स्तर संतोषजनक नहीं है।

शोध क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय- शोधार्थी का शोध कार्य क्षेत्र रीवा जिले का रीवा नगर है। इस नगर में बालिका शिक्षा की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा- यादव परमानंद एवं पादव लालधारी (2018) ने अपने शोध अध्ययन में वर्तमान शैक्षणिक समस्याओं के समाधान में प्राचीन भारतीय शैक्षिक परम्पराओं की प्रासंगिकता में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपेक्षित, शैक्षिक गुणवत्ता लाने के लिये आवश्यक अनुशासन और नैतिक स्तर के दृष्टिकोण से प्राचीन भारतीय शैक्षिक आचार एवं दंड सहिता आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। मिश्र भागवत प्रसाद (2004) ने रीता संभाग में बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की प्रभावशीलता का समीक्षात्मक अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रीवा संभाग में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है और इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए।

तथ्यों का संकलन वर्गीकरण एवं विश्लेषण- प्रस्तुत शोध के लिए तथ्यों का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से किया गया है। प्राथमिक तथ्य प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्त्रोतों से सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए इंटरनेट एवं जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के कार्यालय से संपर्क किया गया है। तथ्यों को वर्गीकृत करने के लिए बालिकाओं के वर्ग बनाकर उनकों अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग के बालिकाओं के रूप में तथ्य प्राप्त किए गये हैं। उनका विवरण निम्नानुसार है।

तालिका क्र 01
2011-12 में बालिका शिक्षा का स्तर

क्र.	शिक्षा का स्तर	संख्या	प्रतिशत
1.	शिक्षित	65	65
2.	अशिक्षित	35	35
	कुल योग	100	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कुल 65 प्रतिशत बालिकाएँ शिक्षित है तथा 35 प्रतिशत बालिकाएँ आज भी अशिक्षित हैं, इससे स्पष्ट होता है कि रीवा नगर में रहने वाली बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति संतोषजनक नहीं है।

तालिका क्र 02
पढ़ने में रूचि रखने संबंधी जानकारी

जाति समूह	हाँ	नहीं	कोई उत्तर नहीं	योग
सामान्य वर्ग	50	-	-	50
पिछड़ा वर्ग	20	-	-	20
आदिवासी	-	6	4	10
हरिजन	4	6	-	10
अल्पसंख्यक	7	3	-	10
योग	81	15	4	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पढ़ने में रूचि रखने वाली बालिकाओं की संख्या 100 में से 81 है, तथा 15 बालिकाएँ पढ़ने में रूचि नहीं रखती हैं। 81 प्रतिशत बालिकाओं ने बताया कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है शिक्षा से विकास होता है। अतः स्पष्ट है कि बालिका उत्तरदाता शिक्षा के पक्ष में हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव- प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि हमारे देश में अभी भी बालिका शिक्षा के प्रति वांछित जागरूकता की कमी है। जैसा कि दुनिया के अन्य विकसित देशों में है शासन द्वारा चलाये गये अनेक योजनाओं के परिप्रेक्षण में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बालिका शिक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय विकास हो रहा हैं परन्तु भ्रष्टाचार एवं योग्य शिक्षकों की कमी के कारण वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में अभी भी कठिनाई है। प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से निम्नानुसार सुझाव प्रेषित है-

1. बालिका शिक्षा को आकर्षक बनाया जावे, जिससे स्कूल त्यागी छात्राओं की संख्या में कमी आ सके।
2. बाल-श्रम पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया जावे तथा ऐसे अभिभावकों को दंडित किया जावे जो अपनी बालिकाओं को श्रम के लिए बाहर भेजतें हैं।

3. बालिका प्रोत्साहन योजनाओं के संचालन में समाज एवं आर्थिक विषमताओं को महत्व दिया जावे।
4. सह शिक्षा वाले स्कूलों में कम से कम एक महिला शिक्षक अनिवार्यत: रखी जाए एवं इसके लिए एक पद भी निर्धारित किया जावे। जिससे उस पर केवल महिला शिक्षक का ही पदांकन हो सके।
5. बालिकाओं के शत-प्रतिशत नामांकन हेतु नागरिकों को और जागरूक बनाया जावे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. अमर उजाला इलाहाबाद 2 जनवरी 2016, पृ.12
2. जनगणना 2011 के अनुसार एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2014-15
3. प्रसाद गोमती (2009) रीवा संभाग की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालक-बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति की समीक्षात्मक अध्ययन। (अप्रकाशित शोध ग्रंथ) अ.प्र.सिंह वि.वि. रीवा (म.प्र.)
4. दुबे श्यामचरण (1994) शिक्षा समाज और भक्ति राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि. नई दिल्ली।
5. बालिका शिक्षा की वर्तमान स्थिति पूर्व लघुशोध प्रबंध रीवा।
6. कुमावत पूरण चंद्र (कुरूक्षेत्र 2011) ग्रामीण शिक्षा को समर्पित जीवन। वर्ष : 57 मासिक अंक :7 पृष्ठ : 48।
7. https://www.gkexams.com/ask/45553-Balika-Shiksha-Ki-Paribhasha

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

समसामयिक समाज में घरेलू हिंसा का महिलाओं पर प्रभाव (रीवा जिले के संदर्भ में समाजशास्त्रीय विश्लेषण)

• रेखा त्रिपाठी

सारांश- भारतीय जीवन में विवाह मानव जीवन के लिए अनिवार्य है, इसे पवित्र धार्मिक संस्कार से जोड़ा गया है। स्वास्थ्य एवं सुखी दाम्पत्य वैवाहिक जीवन,सुखी व समृद्धशाली समाज का निर्माण कर सकने में सफल हो सकते है। मनुष्य बिलकुल अकेला नहीं जी सकता है क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है। उसे जीने के लिए जीवन साथी चाहिए जिससे वह अपने गंभीरतम विचारों का आदान- प्रदान कर सके इस उद्देश्य की पूर्ति विवाह नामक संस्था करती है। विवाह पति व पत्नी के जीवन में एक अवर्णनीय माधुर्य लाता है। किंतु वर्तमान समय में परिवार में पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद होना तो एक सामान्य बात है लेकिन जब यह हिंसा का रूप धारण कर लेती है तो यह व्यक्तिगत विघटन पारिवारिक विघटन और सामाजिक विघटन की ओर अग्रसर हो जाती है यह समाजशास्त्रीय पहलू से चिंताजनक तथ्य है। इस शोध पत्र में इन्हीं तथ्यों को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द - विवाह, परिवार, वैवाहिक हिंसा, पति, पत्नी

मानवीय व्यवहारों के विभिन्न स्वरूपों में से हिंसात्मक व्यवहार का होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रत्येक मनुष्य के अतिरिक्त बाह्य जीवन में किसी न किसी रूप में हिंसा अवश्य पाई जाती है। हिंसा का तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा दूसरें पर शारीरिक बल या हानिकारक शारीरिक उद्धीपन पैदा करना है,या दूसरे शब्दों में व्यक्ति को चोट या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया कार्य हिंसा कहलाता है। ''वैवाहिक संबंधों में हिंसा का होना एक प्रक्रिया हो सकती है''। परिवार में हिंसा का होना नई बात नहीं है। प्राचीन समय से लेकर अभी तक यह घर-घर की समस्या बनी हुई है, फर्क यह है कि प्राचीन समय में यह समस्या घर की चारदीवारी तक ही सीमित थी, सामाजिक भय एवं प्रतिष्ठा इसे उभरने नहीं देती थी। भारतीय परिवारों में कुछ मात्रा में हिंसा को सामान्य हिंसा माना जाता है परन्तु इसकी गंभीरता,आवृत्ति एवं शारीरिक चोट पहुंचने पर यह गंभीर शारीरिक हिंसा का स्वरूप ले लेती है।

• अनंतपुर, रीवा, मध्य प्रदेश

इस शोधपत्र में पति–पत्नी के मध्य हिंसा को अध्ययन का केन्द्र बनाया गया है। प्रस्तुत शोधपत्र में पति–पत्नी के साथ हिंसात्मक व्यवहार की परिभाषा में हिंसा के बिलकुल आरंभिक स्तर से तीव्रतम स्तर के मध्य आने वाली सभी श्रेणियों को शामिल किया गया है, जिसमें साधारण विरोधी रूख की बातचीत, प्रताड़ना, गाली–गलौज, धक्का देना, वस्तुएं फेंकना, साधारण मारपीट से लेकर गंभीर मारपीट आदि है। वास्तव में पति–पत्नी के मध्य हिंसा का होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। अच्छे शालीन या स्वर्ग कहे जाने वाले परिवारों में पति–पत्नी के मध्य विवाद होते हैं। सत्यता तो यह है कि विवाद रहित कोई युग्म का होना मुश्किल है,भले ही सामाजिक दृष्टिकोण से सुसभ्य कहे जाने वाले युग्मों का विवादस्पद हिंसात्मक स्वरूप घर के बाहर न पहुंचे। पति–पत्नी के मध्य कई बार छोटी–मोटी बातों पर झगड़ा होना स्वाभाविक है। दोनों के मध्य विचारों का टकराव कहीं न कही अवश्य होता है इसका स्वरूप कभी कम ज्यादा होता है। दोनों के बीच कोई बात आत्मसम्मान व जिद पर अटक जाती है, दोनो में से कोई झुकने को तैयार नही होता, दोनो एक दूसरे को गलत मानते हैं, ऐसे में हिंसात्मक व्यवहार का स्वरूप बढ़ जाता है। उक्त स्थिति भारतीय स्त्री के जीवन में तनाव पैदा करती है। महिलाओं के विभिन्न समस्याओं मे से सबसे ज्वलंत समस्या उनके विरूद्ध की जाने वाली हिंसा है।

शोध प्रारूप- प्रस्तुत शोध में इस तथ्य को जानने का प्रयास किया गया है कि विवाह उपरान्त हो रही वैवाहिक हिंसा का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वैवाहिक हिंसा की आवृत्ति कितनी है, महिलाओं को अपने अधिकारों एवं उनके लिए बनाए गए विधानों की जानकारी कितनी है, इसके प्रति उनमें कितनी जागरूकता है।

अध्ययन का उद्देश्य- महिलाओं के विवाह पश्चात् हेतु वैवाहिक हिंसा एक प्रमुख समस्या के समाधान हेतु सरकार स्वयं, प्रयत्नशील है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार निश्चित किया गया है।

- वैवाहिक हिंसा से पीड़ित महिला के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- पति–पत्नी के विवाह के प्रति एवं विवाह पश्चात् आने वाले उत्तरदायित्वों के प्रति उनके दृष्टिकोणों का अध्ययन करना।
- पति–पत्नी के आपसी संबंधों के बारे में अध्ययन करना।
- वैवाहिक हिंसा के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क का अध्ययन करना।
- वैवाहिक हिंसा से उत्पन्न होने वाले मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में अध्ययन करना।
- पति–पत्नि के शैक्षणिक पृष्ठभूमि के विषय में अध्ययन करना।
- महिला को अपने अधिकारों एवं उनको प्राप्त करने के प्रति उसकी जागरूकता एवं ज्ञान का अध्ययन करना।

अध्ययन का क्षेत्र- प्रस्तुत शोध अथवा अनुसंधान रीवा शहर का चयन अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर चयनित किया गया है। इनका चयन उद्देश्य पूर्व निर्देशन के आधार पर किया गया। नारी निकेतन के महिलाओं का चयन लाटरी विधि द्वारा 25

महिलाओं का अध्ययन किया जाएगा।

न्यायदर्श का चुनाव- न्यायदर्श के रूप में 25 वैवाहिक हिंसा से पीड़ित महिलाओं को लाटरी विधि से चयन किया गया है तथा उनका विवाह के प्रति दृष्टिकोण उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठिभूमि, उनके प्रति परिवार के सदस्यों का सहयोग विवाह पश्चात् को सफल अथवा असफल बनाने में सहभागिता, महिला शिक्षा आदि की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु प्रतिनिधित्व का चयन इस प्रकार का दैव निर्दशन के द्वारा किया गया है कि समग्र का प्रतिनिधित्व हो सके। इसके अतिरिक्त चुने हुए प्रतिनिधियों से व्यवस्थिति एवं वस्तुपरक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार विधि का सहारा लिया गया है।

अध्ययन के श्रोत- प्रत्येक शोध अध्ययन करने के दो स्रोत होते हैं। शोद्यार्थी ने इन्हीं स्रोतों का प्रयोग किया है।

(क) प्राथमिक श्रोत- शोध अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यकर्ता साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से चुने गए 25 न्यादर्श वैवाकि हिंसा से पीड़ित महिलाओं का साक्षात्कार दैव निदर्शन प्रणाली के माध्यम से करके वांछित संकलन तथा तथ्यों का वर्गीकरण तथा विश्लेषण करने के लिए सांकेतिक किया गया तथा एक मास्टर सीट तैयार की गई जिस पर सूची पर प्राप्त सभी तथ्यों की स्थानान्तरित किया गया।

(ख) द्वितीयक श्रोत- अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यकर्ता ने विभिन्न पुस्तकों का सहारा लिया। प्रस्तुत शोध अध्ययन समस्या मूलक क्षेत्रीय अध्ययन है। अतः द्वितीयक स्रोत से तथ्यों का संकलन आवश्यक एवं आवश्यक रहा। इस क्रम के विभिन्न विद्वानों की पुस्तकों को, शोध पत्रिकाएँ आयोग की रिपोर्ट तथा प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध ग्रंथो से तथ्य सकंलित किए।

तथ्य संकलन की विधि- तथ्यों के माध्यम से यह अनुसूची तैयार की गई। जिसके द्वारा उत्तरदाताओं से साक्षात्कार विधि द्वारा तथ्य एकत्रित किए गए। ये सभी साक्षात्कार महिला नारी निकेतन संस्था रीवा में उपस्थिति उत्तरदाताओं एवं वहाॅ से प्राप्त वैवाहिक हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए निवास स्थान के पते पर किए गए। अनुसूची में दिए गए प्रश्न के उत्तरदाताओं को अवसर दिया गया कि अपनी-अपनी इच्छा को व्यक्त करे। साक्षात्कार के समय शोधकर्ता ने उत्तरदाताओं को विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र कर दिया, जिसमें उत्तरदाता मुक्त रूप से अपना विचार दे सके। कहीं-कहीं कार्यकर्ता ने आवश्यकता पड़ने पर उत्तरदाता के प्रश्नों को सही-सहीं व्याख्या भी की। साक्षात्कार में उत्तर दाता का नाम गोपनीय रखने की जानकारी उत्तरदाताओं को दी गई

अध्ययन की सीमाएँ- किसी भी विषय का समय समग्र अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। किसी भी विषय के अध्ययन उपरान्त कुछ-कुछ कमियां अवश्य बनी रहती है जो इसकी विशिष्ट सीमाएँ है। प्रस्तुत शोधपत्र में सभी तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है, चूँकि अध्ययन का क्षेत्र वैवाहिक महिलाओं पर बढ़ते हुए हिंसात्मक व्यवहार का मनोसामाजिक एवं समाजशास्त्रीय अध्ययन है, अतः स्वाभाविक है कि कुछ सीमा तक अनुमानित आकड़ो का प्रयोग स्वयं के निरीक्षण का प्रयोग करना पड़ता है, जो शोध के लिए महत्वपूर्ण कमियां होती है।

तथ्यों का विश्लेषण-

तालिका क्र. 01
वैवाहिक जीवन काल में जीवनसाथी द्वारा आप से निम्न में से कौन-कौन से हिंसात्मक व्यवहार अभी तक किया गया है

क्रमांक	विकल्प	महिलाएँ	प्रतिशत
अ.	ऑख दिखाना	15	60
ब.	व्यंग कसना	00	00
स.	गाली देना	05	20
द.	भोजन न करना	00	00
इ	चुप रह कर	00	00
उ	वस्तु फेकना पटकना	05	20
	कुल योग	25	100

तालिका क्र.01 में जीवन साथी द्वारा वैवाहिक जीवनकाल में अभी तक कौन-कौन से हिंसात्मक व्यवहार किए गए है आधार पर संर्वाधिक 60 प्रतिशत महिलाओं ने ऑख दिखाना को स्वीकार किया है। तथा 20 प्रतिशत महिलाए वस्तुएँ फेकने, फटकने को स्वीकार किया है।

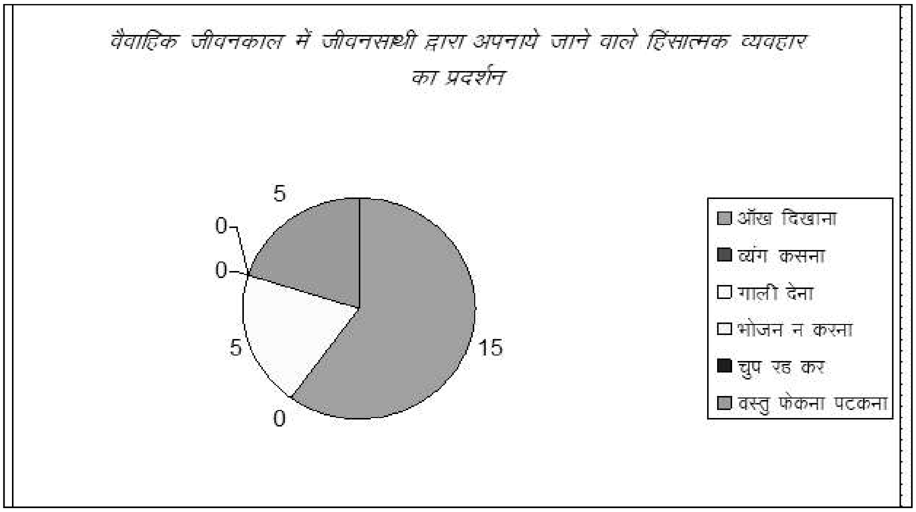

तालिका क्र.02
पति द्वारा हिंसात्मक व्यवहार और औतस आवृत्ति क्या है

क्रमांक	विकल्प	महिलाएँ	प्रतिशत
अ.	प्रतिदिन उत्पीड़न	04	16
ब.	एक या दो बार उत्पीड़न करना	02	0.8
स.	माह में एक दो बार उत्पीड़न करना	08	32
द.	वर्ष एक दा बार उत्पीड़न करना	11	44
	कुल योग	25	100

तालिका क्र. 02 में जीवन साथी द्वारा एक वर्ष में हिंसा के विभिन्न स्तर के स्वरूपों में निदर्श को उत्पीड़ित करने की औसत आवृत्ति के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि

32 प्रतिशत महिलाओं के बताया कि माह में ए दो बार उत्पीड़ित किया जाता है। 44 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि वर्ष में एक दो बार उत्पीड़ित किया जाता है। 16 प्रतिशत महिलाओं ने बताया प्रतिदिन उत्पीड़न किया जाता है तथा 8 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि सप्ताह में एक या दो बार उत्पीड़न किया जाता है।

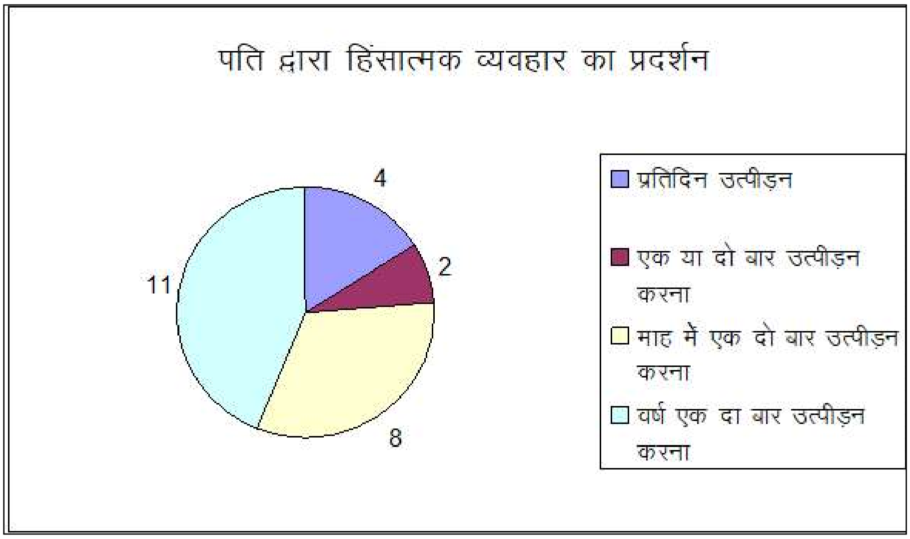

तालिका क्र. 03
जीवन साथी द्वारा सर्वाधिक हिंसा घर के किस स्थान पर की जाती है

क्रमांक	विकल्प	महिलाएँ	प्रतिशत
अ.	बैठक कक्ष पर	02	8
ब.	रसोई कक्ष पर	16	64
स.	शयन कक्ष पर	02	8
द.	सभी स्थानों पर	5	20
	कुल योग	25	100

तालिका क्रमांक 03 में जीवन साथी के घर से किस स्थान पर सर्वाधिक हिंसा होती है के विश्लेषण से ज्ञान होता है। कि सर्वाधिक 64 प्रतिशत महिलाए रसोई घर पर हिंसा होने को स्वीकार किया है। 20 प्रतिशत महिलाओं ने घर के सभी स्थानों पर हिंसा होती है को स्वीकार किया है तथा आठ-आठ प्रतिशत महिलाओं ने बैठक कक्ष तथा शयन कक्ष पर हिंसा को स्वीकार किया है।

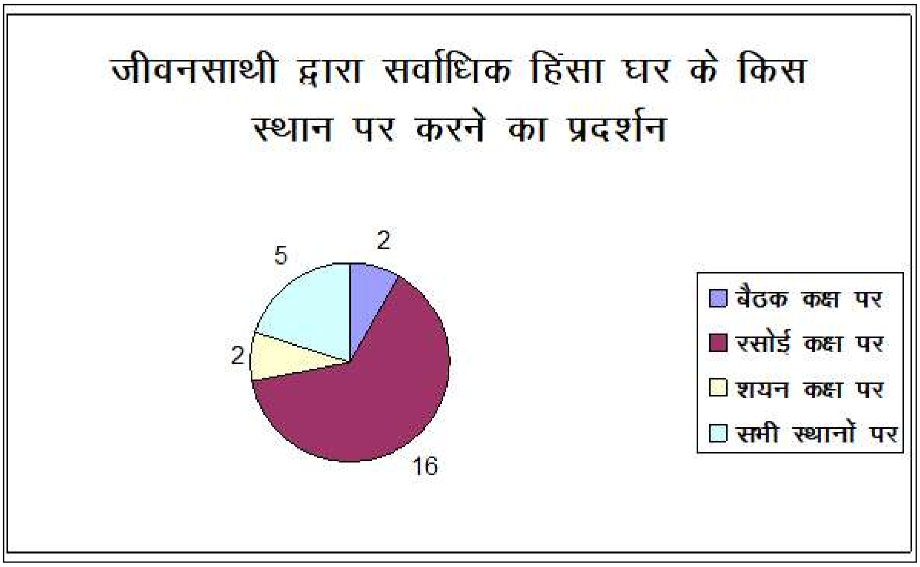

तालिका क्र. 04
जीवन साथ से हिंसा होने के कारण का मुख्य आधार क्या है

क्रमांक	विकल्प	महिलाएँ	प्रतिशत
अ.	विचार विनमय से कार्य न होना	08	32
ब.	आर्थिक बोझ	08	32
स.	घर के सदस्यों का प्रोत्साहन	04	16
द.	दहेज	05	20
इ.	अन्य कारण	00	00
	कुल योग	25	100

तालिका क्रमांक 04 में जीवन साथी से हिंसा होने के प्रमुख कारणों को दर्शाया है, जिसमें यह ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 32 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि हिंसा का प्रमुख कारण आपसी विचार विनमय से कार्य न होना मानते है तथा 32 प्रतिशत महिलाओं ने हिंसा होने का कारण आर्थिक बोझ को मानती है। 16 प्रतिशत महिलाएँ हिंसा होने के लिए घर के सदस्यों को जिम्मेदार मानती है। 20 प्रतिशत महिलाएं हिंसा का कारण दहेज के लिए मानती है। उपरोक्त परिणामों को देखकर यह कहा जा सकता है। कि महिलाओं पर हिंसा होने का प्रमुख कारण आर्थिक बोझ, दहेज एवं विचार विनमय से कार्य न होना।

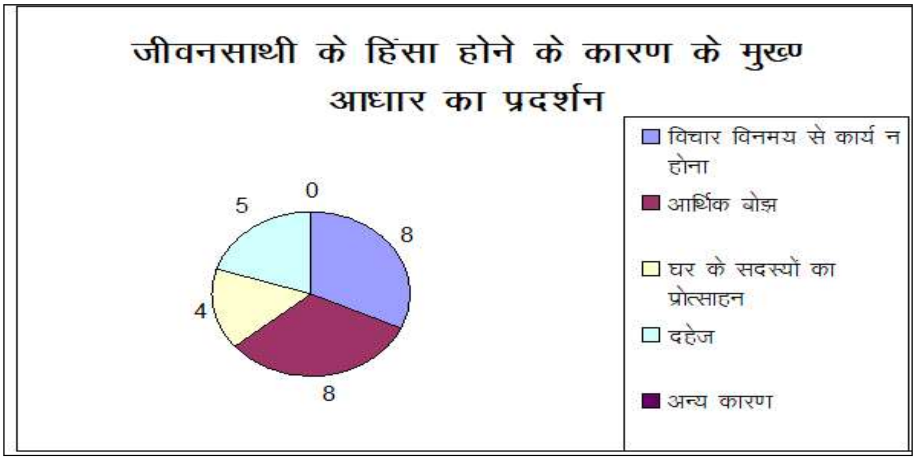

तालिका क्र.05

जीवन साथी द्वारा की गई हिंसा

के विरूद्ध आपकी अधिकांशतः तात्कालिक प्रक्रिया क्या होती है

क्रमांक	विकल्प	महिलाऍं	प्रतिशत
अ.	चुपरहकर	08	32
ब.	खाना नहीं खाकर	07	28
स.	तीव्र स्तर में जवाब देकर	05	20
द.	बच्चों को मारना	03	12
इ.	वस्तुऍं फेकना	02	08
	कुल योग	25	100

तालिका क्रमांक 05 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जीवन साथी के द्वारा कठोर हिंसा के विरूद्ध निदर्श की अधिकतर व्यक्त प्रक्रिया के विश्लेषण के आधार पर ज्ञात होता है। कि 32 प्रतिशत महिलाऍं हिंसा होने पर चुप रहती है। 28 प्रतिशत महिलाएं हिंसा होने पर खाना नहीं खाती। 20 प्रतिशत महिलाऍं जीवन साथी द्वारा की गई हिंसा के विरूद्ध तीव्र स्तर में जवाब देने को सोचती है। 12 प्रतिशत महिलाए हिंसा के बाद बच्चों को मारती है। 8 प्रतिशत महिलाऍं वस्तुऍं फेकती पटकती है।

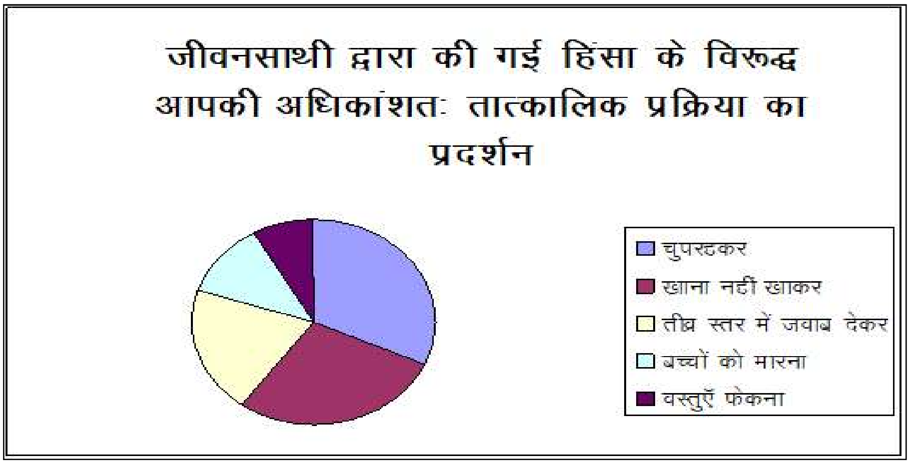

तालिका क्र. 06
जीवन साथी द्वारा हिंसा कर चुकने के पश्चात आपके मन में सर्वाधिक कौन सा विचार आता है

क्रमांक	विकल्प	महिलाएँ	प्रतिशत
अ.	जबाब दें	07	28
ब.	आत्महत्या कर लें	10	40
स.	तलाक ले ले	03	12
द.	मायके चले जाये	05	20
कुल योग		25	100

तालिका क्रमांक 06 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जीवन साथी के द्वारा हिंसात्मक व्यवहार करने के पश्चात् उत्पीड़ित निदर्श के सर्वाधिक विचार की अभिव्यक्ति के आधार पर 40 प्रतिशत महिलाएँ हिंसा के पश्चात् आत्महत्या करने का विचार रखती हैं। 28 प्रतिशत महिलाएँ हिंसा के पश्चात् जबाब देने का विचार लाती है। 20 प्रतिशत महिलाएँ हिंसा के पश्चात् जबाव देने का विचार लाती हैं। 20 प्रतिशत महिलाएँ हिंसा के पश्चात् मायके चले जाने का विचार रखती हैं। तथा 12 प्रतिशत महिलाएँ हिंसा के पश्चात् तलाक लेने का विचार रखती हैं। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 12 प्रतिशत महिलाएँ जो है वह हिंसा में सर्वाधिक पीड़ित हैं। उनका कहना है कि ऐसे जीवन साथी से न जीवन साथी होना ही अच्छा है।

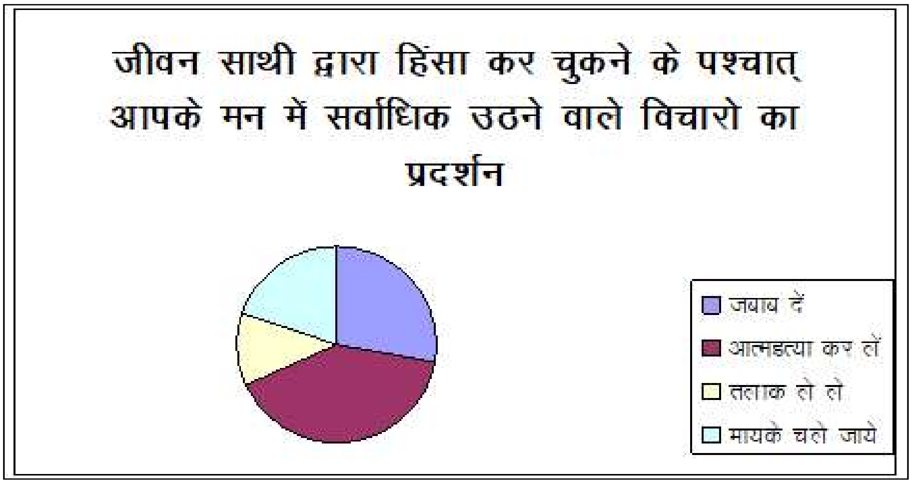

तालिका क्र. 07
जीवन साथी द्वारा किए गए
हिंसात्मक व्यवहार से आप पर सर्वाधिक कौन सा प्रभाव पड़ा

क्रमांक	विकल्प	महिलाएँ	प्रतिशत
अ.	मानसिक कष्ट	05	20
ब.	शारीरिक कष्ट	07	28
स.	मानसिक तथा शारीरिक दोनों कष्ट	10	40
द.	कोई प्रभाव नहीं पड़ा	03	12
कुल योग		25	100

तालिका क्रमांक 07 में जीवन साथी द्वारा दी गई प्रताड़ना का निदर्श पर पड़ने वाले प्रभाव से ज्ञात होता है कि 40 प्रतिशत महिलाएँ जो कि जीवन साथी से हिंसा होने से शारीरिक एवं मानसिक दोनों कष्ट होता है। 28 प्रतिशत महिलाएँ हिंसा के पश्चात् जबाब देने का विचार आती है।। 20 प्रतिशत महिलाएँ जिनको शारीरिक कष्ट होता है। 20 प्रतिशत महिलाएँ जिनको मानसिक कष्ट होता है तथा 12 प्रतिशत महिलाएँ ऐसी हैं जिन्हें जीवन साथी किए गये हिंसात्मक व्यवहार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

परिवर्तन एक सर्वभौमिक सत्य है प्रत्येक समाज में समयानुसार परिवर्तन अवश्य होते हैं। अत: भारतीय समाज में पिछले लगभग 150 वर्षों से नारी की स्थिति में परिवर्तन आया। अब आधुनिक युग में यह सम्भव नहीं है कि स्त्रियों को चूल्हा चक्की में फसाकर घर की चारदीवारी में बंद रखा जा सके। स्त्रियों में जागृति आई है और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। पति-पत्नी विवाहित जीवन में बराबर की साझीदार है। यदि पति कमाता है तो पत्नी घर ठीक तरह से संचालित करती है। पति पत्नी एक-दूसरे के मालिक या दास नहीं बल्कि जीवनसाथी और मित्र है।

आधुनिक परिवर्तनों से समाज का भौतिक पक्ष जितना प्रभावित होता है उस रूप में समाज के मूल्य प्रतिमान तथा परम्पराएँ प्रभावित नहीं हुई। यही कारण है कि भारतीय समाज में विवाह को सामाजिक आदर्श तथा धार्मिक संस्कार के रूप में आज भी मान्यता प्राप्त है। यद्यपि पूर्व शताब्दी के वैवाहिक सम्बन्धों और आज के वैवाहिक सम्बन्धों पति-पत्नी के विचारों में बहुत अन्तर आया है फिर भी लोकाचार का प्रभाव है। अभी भी यह भावना है कि विवाह में पुरूष की प्राथमिकता है। वास्तव में मनुष्य ने समाज में ऐसे नये परिवर्तनों को स्वीकार नहीं किया गया है, यद्यपि नारी जागरण के फलस्वरूप ऐसे प्रयत्न निरन्तर किये जा रहे हैं। पुरूष समाज अपने सहजह प्राप्य अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सदियों से अपने श्रेष्ठ समझने के परम्परागत अधिकार, स्वामित्व की भावा, उच्चता की भावना, घर के मालिक की भावना आज भी पुरूष वर्ग में विद्यमान है, जिसे वह वैवाहिक सम्बन्धों में हिंसात्मक व्यवहार को बुरा नहीं मानता बल्कि हिंसा के माध्यम से स्त्री पर धाक जमाना चाहता है, उसका सोचना है कि स्त्रियों को काबू में रखना चाहिए, सच्चे मर्द स्त्रियों पर हुकूमत करते हैं, यदि स्त्री अपने मन के माफिक नहीं चली तो मर्दानगी पर धब्बा है। पुरूषों में अन्तर्निहित इस मानसिकता का

परिणाम ही है कि आज परिवर्तित समाज में भी पति-पत्नी के मध्य वैवाहिक सम्बन्धों में हिंसा न केवल बढ़ी है बल्कि पहले से विकृत स्वरूप ले लिया है तथा हिंसा के नये-नये स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगे। आज की शिक्षित व जागृत नारी सहजता से पुरूष की उपरोक्त मानसिकता को स्वीकार नहीं करती, परन्तु परम्परागत सामाजिक विधान कारण उसे झुकना पड़ता है। पुरूष के सारे अत्याचार ''पतिधर्म'' से सहजता से छुप जाते हैं। यही भारतीय महिला की सामाजिक नियति भी है।

परिस्थिति में काफी परिवर्तन आया है पर हमारे सामाजिक कानून/नियम आज भी पुरानी मान्यताओं पर आधारित है। इससे हमाारे समाज में नारी के प्रति कल्याणकारी रचनात्मक कार्य वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने में सफल नहीं हो पा रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. अमरजीत महाजन जयंत जोशी ''गिरती हैं पत्तियाँ '' नई दुनिया दैनिक पत्र इन्दौर
2. अलटकर ए.एस. (सिवलाइजेशन पब्लिकेशन) ''पोजीशन ऑफ वूमेन इन हिन्दू''
3. डॉ. गरीश कुमार ''समाज कार्य के क्षेत्र''
4. डॉ. डी.आर. सचदेव ''भारत में समाज कल्याण प्रशासन''
5. निकस्टीनेट एवं जोस बालर ''रिलेशनशिप मैरिज एन फैमिली'' मेकनिकल पब्लिकेशन. न्यूयार्क
6. विमलचन्द पाण्डेय ''भारत वर्ष का सामाजिक इतिहास'' हिन्दुस्तान एकेडमी इलाहाबाद
7. श्रीवास्तव हरिशचन्द्र ''भारतीय समाज संरचना'' समाजशास्त्र प्रकाशन वाराणसी
8. श्रीवास्तव आशा ''ऐटीट्यूड'' टूवर्डस मैरिज एण्ड रिलेटिव प्राब्लम्स एमंग यंग वूमेन ऑफ देलही
9. वर्मा सावित्री ''पारिवारिक समस्याएँ'' आकराम एण्ड सन्स, दिल्ली
10. भारद्वाज दिनेश चन्द्र ''मध्ययकालीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति''
11. स्ट्रास एम.ए. ''इन्साइक्लोपिडिया ऑफ क्राइम एण्ड जस्टिस'' (मेकमिलन पब्लिकेशन न्यूयार्क)
12. गोडे डब्लू.जे.''फोर्स एण्ड वायलेंस इन दा फेमिली'' ''भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र''
13. डोना एम. मोरी ''बेटर्ड बूमेन'' सेग पब्लिकेशन लंदन
14. अमरजीत महाजन जयंत जोशी ''गिरती हैं पत्तियाँ'' नई दुनिया दैनिक पत्र इन्दौर
15. अमरजीत महाजन जयंत जोशी ''गिरती हैं पत्तियाँ'' नई दुनिया दैनिक पत्र इन्दौर
16. अलटकर ए.एस. (सिवलाइजेशन पब्लिकेशन) ''पोजीशन ऑफ वूमेन इन हिन्दू''
17. डॉ. गरीश कुमार ''समाज कार्य के क्षेत्र''
18. डॉ. डी.आर. सचदेव ''भारत में समाज कल्याण प्रशासन''
19. निकस्टीनेट एवं जोस बालर ''रिलेशनशिप मैरिज एन फैमिली'' मेकनिकल पब्लिकेशन न्यूयार्क
20. विमलचन्द पाण्डेय ''भारत वर्ष का सामाजिक इतिहास'' हिन्दुस्तान एकेडमी इलाहाबाद
21. श्रीवास्तव हरिशचन्द्र ''भारतीय समाज संरचना'' समाजशास्त्र प्रकाशन वाराणसी
22. श्रीवास्तव आशा ''ऐटीट्यूड'' टूवर्डस मैरिज एण्ड रिलेटिव प्राब्लम्स एमंग यंग वूमेन ऑफ देलही
23. वर्मा सावित्री ''पारिवारिक समस्याएँ'' आकराम एण्ड सन्स, दिल्ली
24. भारद्वाज दिनेश चन्द्र ''मध्ययकालीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति''

25. स्ट्रास एम.ए. ''इन्साइक्लोपिडिया ऑफ क्राइम एण्ड जस्टिस'' (मेकमिलन पब्लिकेशन न्यूयार्क)
26. गोडे डब्लू.जे. ''फोर्स एण्ड वायलेंस इन दा फेमिली'' ''भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र''
27. डोना एम. मोरी ''बेटर्ड बूमेन'' सेज पब्लिकेशन लंदन
28. अमरजीत महाजन जयंत जोशी ''गिरती हैं पत्तियाँ'' नई दुनिया दैनिक पत्र इन्दौर

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

महिला नेतृत्व की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन (सीधी जिले के त्रिस्तरीय पंचायती राज के विशेष संदर्भ में)

• अखिलेश शुक्ल
•• शिखा पाण्डेय

सारांश- पंचायती राज व्यवस्था ने स्त्रियों को पंचायतो की सहभागिता में आरक्षण प्रदान किया है। इस आरक्षण के कारण आज के पंचायती व्यवस्था के विभिन्न पदों पर है। इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्र में महिला जनप्रतिनिधियों की स्थिति क्या है और उनकी सामाजिक कल्याण में क्या भूमिका है? जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की महिला नेतृत्व की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्रमशः उच्च, मध्य व निम्न ही है के पहलुओं के साथ ही साथ महिला प्रतिनिधियों की यह सामाजिक और आर्थिक स्थिति स्वयं भी पंचायती राज संस्थाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी एवं भूमिका तय करती है। जिसके द्वारा ग्रामीण विकास कितना हुआ है? यह जानना इस अध्ययन का मुख्य लक्ष्य है।

मुख्य शब्द - महिला, नेतृत्व, सामाजिक, आर्थिक स्थिति पंचायती राज, जनप्रतिनिधि

प्रस्तावना- देश में महिलाओं की स्थिति, खासकर ग्रामीण समाज के पिछड़े तबके से आती हैं, इनकी स्थिति दयनीय है। बच्ची अपने जन्म के पहले से ही भेदभाव का शिकार होती हैं और जन्म के बाद भी उनके साथ खान-पान, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के मामलों में भेदभाव किया जाता है और किशोरावस्था आते-आते उनकी शादी कर दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की ज्यादातर महिलाओं को खाना पकाने, पानी लाने, बच्चों को स्कूल भेजने, जानवरों को चारा देने, गाय दुहने जैसे कार्य करने पड़ते हैं। जबकि, पुरुषों के हिस्से ऐसे काम होते हैं जो अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, जैसे- दूध की बिक्री, खेती करना और खेती के उत्पाद बेचकर धन कमाना। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की स्थिति भी ठीक नहीं। वे केवल अल्पसंख्यक ही नहीं होतीं बल्कि वे हासिए पर पड़े बहुसंख्यक समुदाय के भी अंग होती हैं। परिवार के अहम फैसलों में उनकी कोई इच्छा नहीं पूछी जाती और सामाजिक कामों में भी उन्हें भाग लेने के अवसर नहीं दिए जाते

• प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
•• शोधार्थी, एम.एस.डब्ल्यू, एम.फिल (समाज कार्य), शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

और इस प्रकार समाज से मिलने वाले लाभों में उनकी भागीदारी बराबर की नहीं होती।

भारतीय संदर्भ में जहां हर प्रकार के शासन तंत्र में आरंभ से ही पंचायत का महत्व सर्वोपरि रहा है तथा उसके निर्णयों को सर्वमान्य मानते हुए किसी ने भी उनका विरोध किसी स्तर पर नहीं किया है, इस बात का द्योतक है कि पंचायत व्यवस्था एक ठोस और परिपक्व सामाजिक व्यवस्था के रूप में भारतीय जनमानस में व्याप्त रही है। विदेशी कुशासन के कुछ अन्तराल के पश्चात् इस व्यवस्था का पुनरुत्थान लोकतांत्रिक भारत में पंचायतीराज व्यवस्था की स्थापना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा है। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की महती अवधारणा को मूर्त रूप देने की ओर अग्रसर होने के लिए भी इस कदम को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। इसी अवधारणा को कार्यान्वित करने एवं ग्रामीण समाज को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से 1950 के दशक में सामुदायिक विकास योजनाओं को लागू किया गया। किन्तु इन योजनाओं की असफलता के कारण भारत सरकार ने बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने यह ठोस सुझाव दिया कि जब तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं किया जाएगा और जनता की सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता नहीं ली जाएगी तब तक ग्रामीण विकास में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। समिति की इन्हीं अनुशंसाओं के तहत 1994 में म.प्र. में त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण किया गया। अर्थात् जिला स्तर पर जिला पंचायत तथा तहसील स्तर पर जनपद पंचायत एवं ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य- अध्ययन का मूल उद्देश्य इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में महिला नेतृत्व की सामाजिक कल्याण में भूमिका का अन्वेषण करना है। इस हेतु सीधी जिले का चयन किया गया है। पुरुष और स्त्री सामाजिक जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। उनमें किसी एक के अभाव में यह गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। राष्ट्र की नारियाँ पत्नी के रूप में पुरुष को साहस प्रदान करती हैं। माता के रूप में भावी सन्तति को उस प्रकार शिक्षित करती हैं जिससे कि वे आत्म सम्मान, स्वतंत्रता और श्रेष्ठ आचरण का अनुगमन कर आदर्श नागरिक बन सकें। इन्हीं कारणों से हमारे समाज में नारियों को दुर्गा, सरस्वती व लक्ष्मी मानकर आराधना की जाती रही है। यह सब स्थिति वैदिक काल तक रही, कालान्तर में मध्ययुग के प्रारम्भ से स्त्रियों की स्थिति काफी गिरती गई। ब्रिटिश काल में कुछ समाज सुधारकों द्वारा स्त्रियों की निम्न स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल होने के फलस्वरूप बढ़ी हुई चेतना ने स्त्रियों को समाज में आगे बढ़ाने का मौका दिया जिससे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नारियों को सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किये गये। धीरे-धीरे वह अपनी पूर्ववत स्थिति की ओर तीव्रता से बढ़ रही हैं। डॉ0 कार्लेकर ने स्पष्ट लिखा है कि, ''कानून स्त्री को समानता का अधिकार दे चुका है। समान कार्य समान वेतन की व्यवस्था हमारे यहाँ है। आवश्यकता है कि योग्य कर्मठ स्त्रियों की जो आगे बढ़कर अपनी जगह पहचान लें उसे हासिल करें।'' गॉव भारत की आत्मा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 72.2 प्रतिशत भाग गॉवों में निवास करता है। अत: भारत के विकास की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती है जब तक गॉवों का विकास न हो। आजादी के बाद भारत में गॉवों के विकास को

लिया गया। मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गॉवों के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया गया है। इस विकास में संविधान का 73 वॉ संशोधन मील का पत्थर है जिसके द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को सहभागिता मिली है। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। यही कारण है कि आज महिलायें पंचायती राज में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं।

प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से जहाँ एक ओर ग्रामीण महिलाओं की उभरती प्रतिभाओं को रेखांकित किया गया है, वहीं दूसरी ओर यह जानने का प्रयास भी किया गया है कि सामाजिक कल्याण में महिला जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है? शिक्षा का विकास तथा प्रजातांत्रीकरण की प्रक्रिया के कारण आज महिलायें केवल घर की चहर दीवारी तक सीमित नहीं है। आज उनका योगदान जीवन के विविध क्षेत्रों में है मध्यप्रदेश में पंचायती राज के द्वारा गॉव के सारे अधिकार पंचायतों को दे दिये गये हैं। इन पंचायतों के द्वारा गॉव का विकास कितना हुआ है यह जानना इस अध्ययन का उद्देश्य है तथा इसकें ग्रामीण महिलाओं की क्या भूमिका है? इस अध्ययन के माध्यम से यह जानना भी है कि ग्रामीण महिलाओं के द्वारा ग्रामीण विकास के नेतृत्व प्रदान करने में कौन-कौन सी बाधायें हैं तथा इन बाधाओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है।

सीधी जिले का परिचय- सीधी मध्य प्रदेश के उत्तर-पूर्व छोर पर स्थित जिला है। इसका मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक स्थान है। सीधी जिले का प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। सोन इस जिले की महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। सिंगरौली (24 मई 2008 को सीधी जिला से अलग हुआ) बहुत बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। इससे देश भर के कई उद्योग को कोयले की आपूर्ति की जाती है। यहीं पर विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, जिससे बहुत बड़े क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति होती है। सीधी जिला राज्य के उत्तर-पूर्वी सीमा पर 22'', 47''5' और 24. 42''10'' उत्तर अक्षांश और 81:18''40 और 82''48''30 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। सीधी जिला रीवा संभाग के 4 जिलों में से एक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सीधी की दूरी 632 कि.मी. है। वहीं संभागीय मुख्यालय से इसकी दूरी 80 कि.मी. है। यह जिला पूर्व-पश्चिम में 155 और उत्तर-दक्षिण में 95 कि.मी. क्षेत्र में फैला है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 10,532 कि.मी. है। जिले में चौफाल, खाम्ह घाटी में विशाल –श्य जंगल की ज्वाला और फूलों का खुबसूरत नजारा है। वहीं महुआ के फूलों की खुशबू मदमस्त कर देती है। सीधी जिले में कुसमी तहसील के अंतर्गत बना बरचर बांध जिले का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध से सिंचाई होती है तथा मछली पालन होता है। यह बांध संजय टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित है। बांध के आसपास साल के घने वन आच्छादित है जो काफी मनमोहक है !

शोध प्रविधि- प्रस्तुत शोध पत्र में महिला नेतृत्व की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का सही ढंग से विश्लेषण करना अति आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति पर वातावरण एवं परिस्थितियों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है और व्यक्ति के नेतृत्व व्यवहार की व्याख्या इस वातावरण का गहन अध्ययन करके ही की जा सकती है इसी के लिए ही प्रस्तुत शोध पत्र में महिला नेतृत्व की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का तालिकाओं के

माध्यम से विश्लेषण किया गया है।

न्यादर्श चयन- प्रस्तुत अध्ययन तथ्य विश्लेषण, गणनात्मक अध्ययन विधि, अवलोकन तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया गया। सीधी जिले के चुने हुए 50 महिला प्रतिनिधियों का चयन सविचार उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली के माध्यम से चयन किया गया तथा प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया गया है।

व्याख्या- महिला नेतृत्व की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का सही ढंग से विश्लेषण करना अति आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति पर वातावरण एवं परिस्थितियों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है और व्यक्ति के नेतृत्व व्यवहार की व्याख्या इस वातावरण का गहन अध्ययन करके ही की जा सकती है इसी के लिए ही प्रस्तुत शोध पत्र में महिला नेतृत्व की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का विवरण दिया जा रहा है। महिला नेतृत्व की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सीधी जिले के पंचायती राज के चुनावों में निर्वाचित तीनों स्तरों की महिलाओं का साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से साक्षात्कार किया गया है तथा इससे उपलब्ध हुए आकंड़ों को यहाँ विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से दर्शाया गया है। पचांयती राज संस्थाओं के त्रिस्तरीय ढ़ाचे के अंतर्गत कार्यरत महिला नेतृत्व की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के विवेचन से हमें उनके व्यक्तितत्व का सम्पूर्ण ज्ञान तथा उनकी नेतृत्व की शैली का पूर्वानुमान प्राप्त होता है। अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही महिला नेतृत्व की सामाजिक स्थिति के अध्ययन से यह जाना जा सकता है कि वे मतदाताओं द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्वों को कितनी सक्षमता एवं कितनी सफलता से निभा रही हैं? महिलाओं के शैक्षणिक स्तर के अध्ययन से अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूकता तथा अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का पता चलता है। इसी प्रकार प्रस्तुत शोध पत्र में आयु, वर्ग, शैक्षणिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, परिवार, व्यवसायिक पृष्ठभूमि, आय, पारिवारिक निर्णय लेने में भूमिका, व्यक्तिगत आर्थिक कार्यों के लिए प्रोत्साहन, मकान, जमीन, आदि जैसे कारकों को सम्मिलित करके पंचायती राज व्यवस्थाओं की तीनों स्तरों की चयनित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। सीधी जिले के पंचायतीराज में निर्वाचित महिला नेतृत्व की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के विवेचन की संक्षिप्त व्याख्या की जा रही है।

अशिक्षा महिलाओं के शोषण का मुख्य कारण है। खासकर अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक अयोग्यता, शोषण, सामाजिक अधीनता का मुख्य कारण अशिक्षा ही है। लोकतन्त्रीय राजनीति में नेतृत्व के स्वरूप निर्धारण में शिक्षा की महती भूमिका है। महिला नेतृत्त्व में सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं एवं मुद्दों को समझने एवं उनको हल करने की क्षमता शिक्षा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।

आयु संरचना- भारतीय सन्दर्भों में अधिक आयु के लोगों को कम आयु वालों की अपेक्षा अधिक अनुभवी एवं ज्ञानी समझा जाता है। सामाजिक परिवेश में निश्चित सामाजिक स्थिति और भूमिका उम्र के द्वारा ही प्राप्त होती है। परन्तु सार्वजनिक वयस्क मताधिकार एवं निर्वाचन की न्यूनत्तम आयु के निर्धारण के कारण धीरे-धीरे स्थितियों में परिवर्तन आने से ग्रामीण स्तर पर भी युवा नेतृत्त्व उभरा है। महिला सदस्यों की आयु को

जानने के बाद यह ज्ञात होगा कि जनता ने प्रतिनिधित्व किस आयु वर्ग की महिलाओं को सौंपा है। सारणी 01 में जिले के पंचायती राज में निर्वाचित महिला नेतृत्व की आयु के वर्गीकरण को चार वर्गों में बांटकर दर्शाया गया है।

1. युवा आयु वर्ग (21 से 25 वर्ष तक)
2. परिपक्व आयु वर्ग (26 से 35 वर्ष तक)
3. मध्यम आयु वर्ग (36 से 45 वर्ष तक)
4. बुजुर्ग वर्ग (45 वर्ष से अधिक)

तालिका 01

आयु के आधार पर वर्गीकरण

क्रमांक	आयु वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	21-25 वर्ष	04	08
2.	26-35 वर्ष	13	26
3.	36-45 वर्ष	20	40
4.	45 से ऊपर	13	26
	योग	50	100

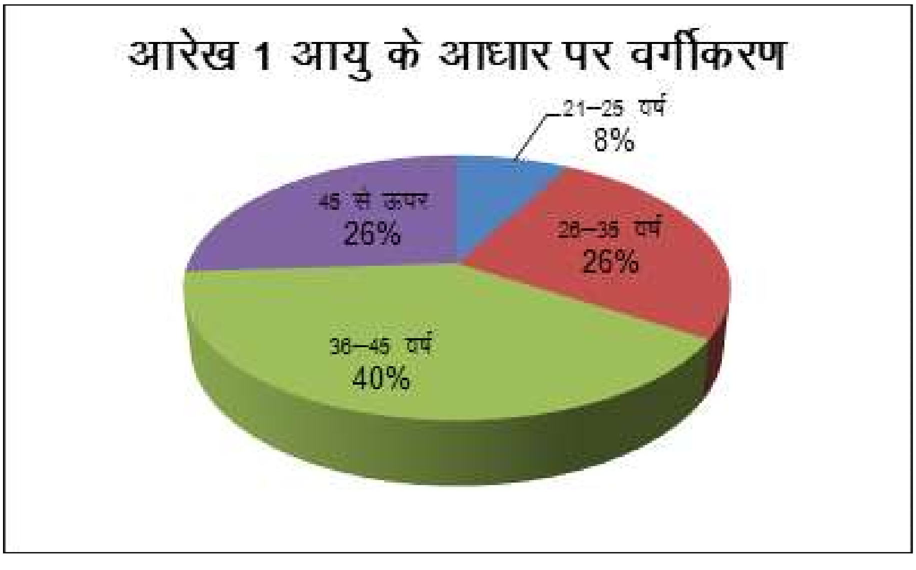

आयु सम्बन्धी तालिका 01 के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जिला सीधी जिले में 21-25 वर्ष वाले आयु वर्ग की महिला प्रतिनिधियों की आवृत्ति 04(08 प्रतिशत),13(26 प्रतिशत),26-35 वर्ष की आवृत्ति 20 (40 प्रतिशत),36-45 वर्ष की आवृत्ति 111 (27.75 प्रतिशत) तथा 45 वर्ष से ऊपर की आवृत्ति 30 (20 प्रतिशत) है। इनमें 36-45 वर्ष वाले आयु वर्ग की महिला नेतृत्व की आवृत्ति सर्वाधिक है जो कि कुल उत्तरदात्रियों का 40 प्रतिशत है।

वैवाहिक स्थिति- सामाजिक स्थिति के निर्धारण तथा नेतृत्व के दृष्टिकोण से व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

सारणी 02
वैवाहिक स्थिति

क्रमांक	वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	विवाहित	46	92
2.	अविवाहित	00	00
3.	विधवा/परित्यक्ता	04	08
4.	अन्य	00	00
	योग	50	100

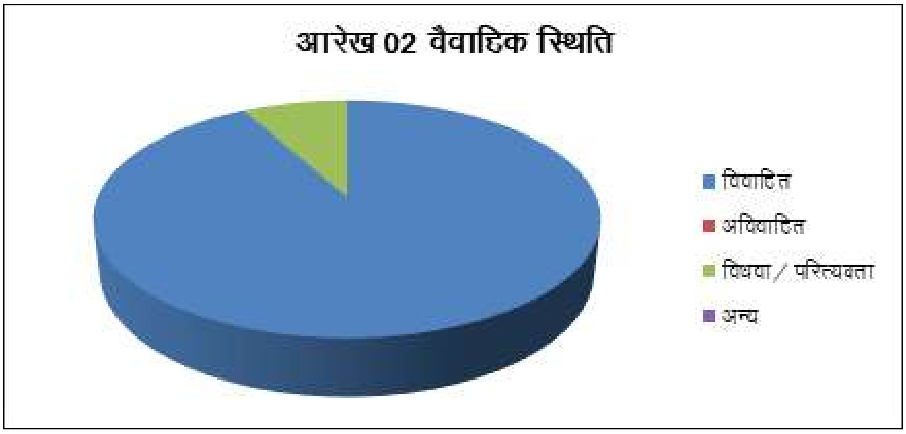

वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी सारणी 2 को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि सीधी जिले में विवाहित वर्ग की महिला प्रतिनिधियों की आवृत्ति 46 (92 प्रतिशत), अविवाहित की आवृत्ति शून्य, विधवा/परित्यक्ता महिलाओं की आवृत्ति 04 (8 प्रतिशत) तथा अन्य की आवृत्ति भी शून्य है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सीधी जिले की कुल उत्तरदात्रियों में से 92 प्रतिशत सर्वाधिक विवाहित हैं।

तालिका क्रमांक 3
शैक्षणिक स्थिति

क्रमांक	शैक्षणिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अनपढ़	07	14
2.	केवल साक्षर	5	10
3.	प्राइमरी तक	06	12
4.	आठवीं तक	05	10
5.	मैट्रिक/12वीं	10	20
6.	स्नातक	05	10
7.	स्नातकोत्तर	02	04
8.	और अधिक	00	00
	योग	50	100

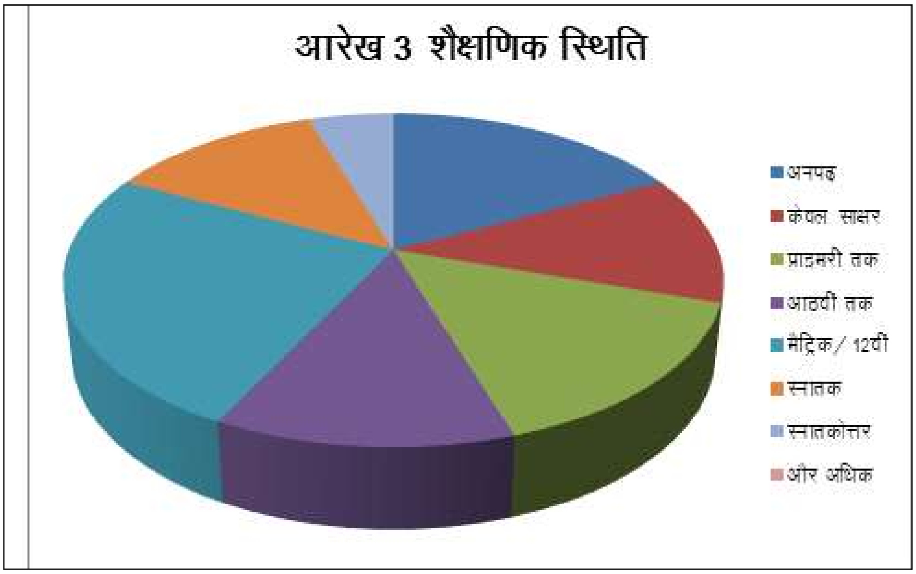

शैक्षिक स्थिति सम्बन्धी सारणी क्रमांक 3 में दर्शाए गए आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि सीधी जिले के महिला नेतृत्व की आवृत्ति 07(14 प्रतिशत), केवल साक्षर की आवृत्ति 05 (10 प्रतिशत), प्राइमरी तक शिक्षित 06 (12 प्रतिशत), आठवीं तक 05 (10 प्रतिशत), मैट्रिक/12वीं 10 (20 प्रतिशत), स्नातक 05 (10 प्रतिशत), स्नातकोत्तर 02 (04 प्रतिशत), तथा 'और अधिक' की आवृत्ति शून्य है। अर्थात् कुल उत्तरदात्रियों में से सर्वाधिक 20.00 प्रतिशत महिलाएँ केवल साक्षर हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि केवल साक्षर महिलाएँ ही सर्वाधिक 20.00 प्रतिशत हैं।

वर्ग से सम्बन्ध- पंचायती राज में महिला प्रतिनिधियों का चुनाव प्रभुत्व प्राप्त वर्गों या आरक्षित वर्गों के आधार पर ही होता आया है। वर्तमान अध्ययन में भी यही बात सामने आयी है कि पंचायती राज सस्थाओं में जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वे मुख्यत: इन्ही वर्गों से संबंधित हैं। इसे नीचे दी गई सारणी क्रमांक 4 में स्पष्टत: देखा जा सकता है।

तालिका क्रमांक 4
वर्ग से सम्बन्ध स्थिति

क्रमांक	वर्ग से सम्बन्ध	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सामान्य	16	32
2.	पिछड़ा वर्ग	18	36
3.	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	16	32
4.	अन्य	0	0
	योग	50	100

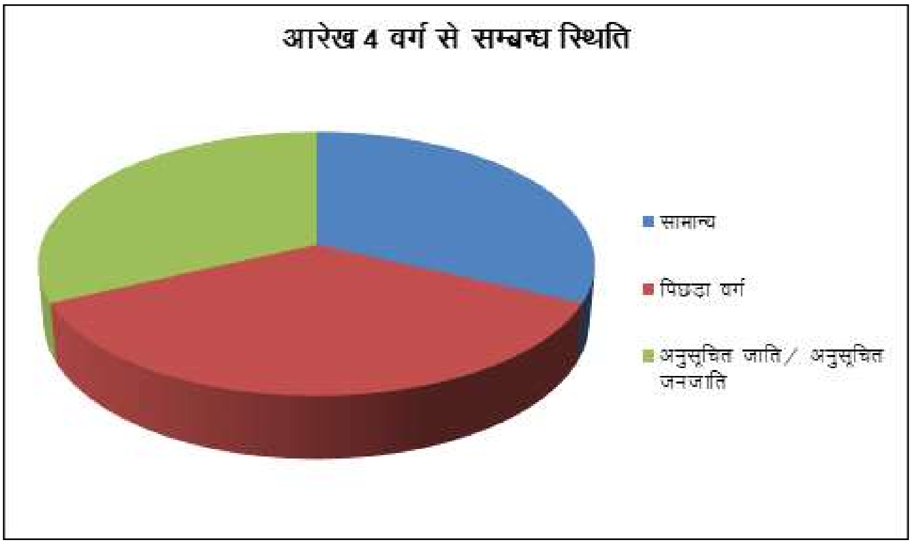

वर्ग से सम्बन्धित सारणी 4 से स्पष्ट होता है कि सीधी जिले में सामान्य वर्ग की महिला नेतृत्व की आवृत्ति 16 (32 प्रतिशत), पिछड़ा वर्ग की आवृत्ति 18 (36 प्रतिशत), अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं की आवृत्ति 16 (32 प्रतिशत) तथा अन्य की आवृत्ति शून्य है। इस प्रकार निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि कुल उत्तरदात्रियों में से सर्वाधिक 36 प्रतिशत महिलाएँ पिछड़ा वर्ग की हैं।

परिवार का स्वरूप- आधुनिक काल में परम्परागत संयुक्त परिवार की व्यवस्था, रचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताओं में औद्योगीकीकरण, नगरीकरण, शिक्षा के प्रसार, आर्थिक और व्यावसायिक जीवन में होने वाले बदलावों इत्यादि के फलस्वरूप परिवर्तन हो रहे हैं।

तालिका क्रमांक 5
परिवार का स्वरूप

क्रमांक	परिवार का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	एकल परिवार	28	56
2.	संयुक्त परिवार	22	44
	योग	50	100

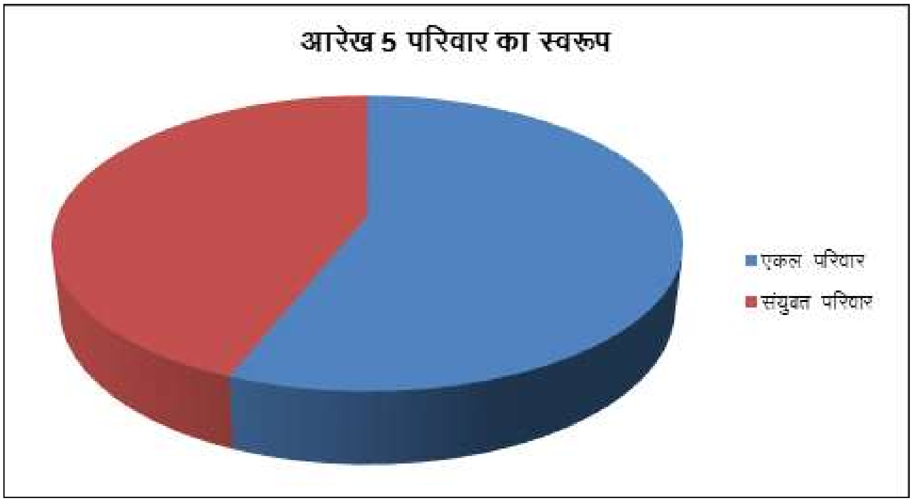

सारणी 5 के अनुसार सीधी जिले की महिला नेतृत्व में से 28(56 प्रतिशत) एकल परिवार तथा 22 (44 प्रतिशत) संयुक्त परिवार से संबंधित हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि 56 प्रतिशत एकल परिवार की महिला नेतृत्व सर्वाधिक हैं।

पारिवारिक निर्णय लेने में भूमिका- नेतृत्त्व के सन्दर्भ में महिला प्रतिनिधियों की घर व परिवार के निर्णयों में हिस्सेदारी तथा उनकी ग्राम पंचायत या उच्च स्तर की पचांयतों में भागीदारी में सीधा संबंध होता है। तालिका 6 में परिवार में निर्णय में भूमिका सम्बन्धी विवरण दिया गया है।

तालिका क्रमांक 6
पारिवारिक निर्णय लेने में भूमिका

क्रमांक	पारिवारिक निर्णय लेने में भूमिका	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	निर्णय घर के बड़े सदस्य	06	12
2.	कुछ विषयों में राय	09	18
3.	समान भागीदारी	31	62
4.	परिवार की मुखिया	04	08
	योग	50	100

पारिवारिक निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका संबंधी सारणी 06 से स्पष्ट होता है कि सीधी जिले में 43(10.75 प्रतिशत) महिलाओं के अनुसार निर्णय घर के बड़े सदस्य लेते हैं, 06 (12 प्रतिशत) से कुछ विषयों में राय ली जाती है, 09 (18 प्रतिशत) महिलाओं की समान भागीदारी है तथा 31(62 प्रतिशत) महिलाएँ परिवार की मुखिया हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि कुल उत्तरदात्रियों में से सर्वाधिक 62.00 प्रतिशत महिलाओं की पारिवारिक निर्णय लेने में समान भागीदारी है।

मकान का निर्माण- आवास या निवास स्थान के माध्यम से व्यक्ति जीवन की उपलब्धियों, धन सम्पदा एवं ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति करके अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण परिचय जगजाहिर करने का प्रयास करता है।

तालिका क्रमांक 7
सुविधाओं के साथ मकान निर्माण

क्रमांक	सुविधाओं के साथ मकान निर्माण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	कच्चा मकान	06	12
2.	पक्का मकान	20	40
3.	सुविधापूर्ण मकान	18	36
4.	आलीशान मकान	06	12
	योग	50	100

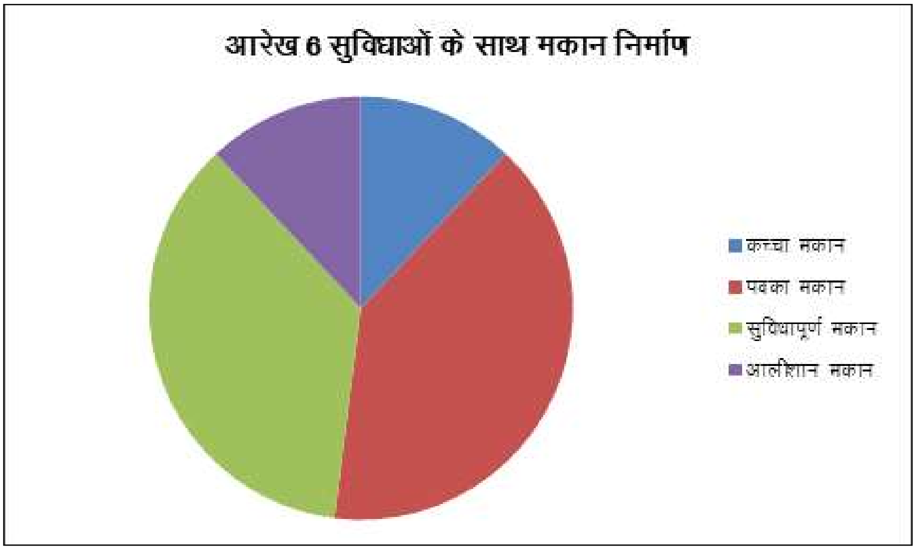

तालिका 07 से स्पष्ट होता है कि सीधी जिले में कच्चे मकान 06 (12.00 प्रतिशत), पक्के मकान 20 (40 प्रतिशत), सुविधापूर्ण पक्के मकान 18 (36 प्रतिशत) तथा आलीशान मकान 6(12.00 प्रतिशत) महिला नेतृत्वों के पास हैं। अर्थात् कुल उत्तरदात्रियों में से सर्वाधिक 39.25 प्रतिशत महिलाएँ पक्के मकान में रहती हैं। इस

प्रकार निकर्षतः यह कह सकते हैं कि 40 महिला नेतृत्व वाली महिलाएं पक्के मकानों में रहती हैं।

राजनीति में प्रवेश से परिवार व समाज में संबंधो पर प्रभाव- पितृसत्तात्मक परम्परागत भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा खराब रही है परन्तु पचांयती राज के संवैधानीकरण के तहत पंचायती राज संस्थाओं में तीनों स्तरों की महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया गया है। जिससे महिलाएँ भी चुनी जाने लगी हैं। इस प्रश्न में यही जानने का प्रयास किया गया है कि राजनीति में प्रवेश के कारण परिवार व समाज में उनके सम्बन्ध किस तरह प्रभावित हुए हैं? इसके प्रत्युतर में प्राप्त आंकड़ों को ही नीचे सारणी 08 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 08

राजनीति में प्रवेश से संबंधों पर प्रभाव

क्रमांक	राजनीति में प्रवेश से संबंधों पर प्रभाव	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पहले के जैसे ही हैं	18	36
2.	पुरुषों के समान दर्जा	05	10
3.	राय में हिस्सेदारी	10	20
4.	सकारात्मक प्रभाव	14	28
	नकारात्मक प्रभाव	03	06
	योग	50	100

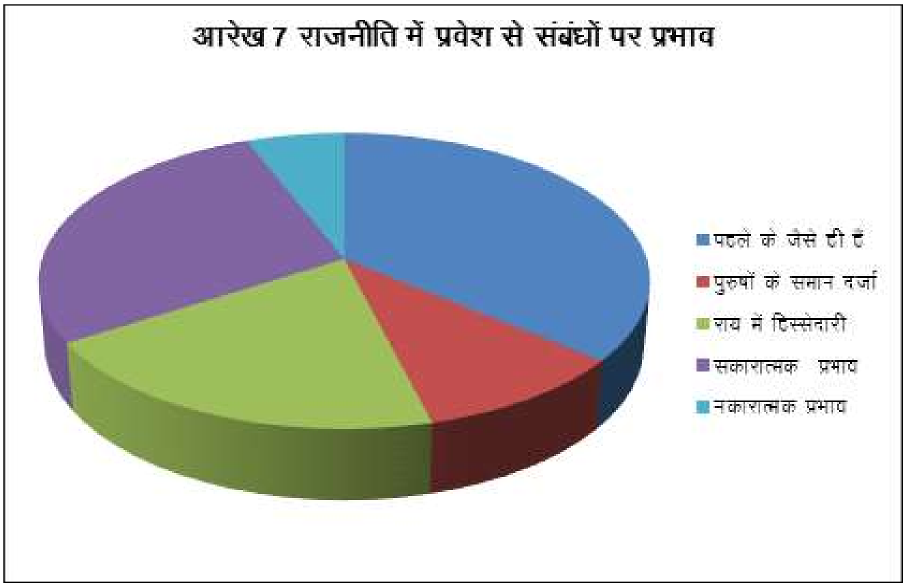

तालिका 08 के अनुसार सीधी जिले की 18 (36 प्रतिशत) महिला प्रतिनिधियों के राजनीति में प्रवेश के बाद भी परिवार व समाज से सम्बन्ध पहले के जैसे ही हैं, 05 (10

प्रतिशत) को पुरुषों के समान दर्जा, 10 (20 प्रतिशत) की राय में हिस्सेदारी, 14 (28 प्रतिशत) के संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव एवं 03(06 प्रतिशत) के संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि महिला प्रतिनिधियों के राजनीति में प्रवेश परिवार व समाज से सम्बन्ध 36 प्रतिशत पहले के जैसे ही है।

शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास- महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने बाबत शिक्षा आज अत्यन्त ही आवश्यक है।

तालिका क्रमांक 9

शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास

क्रमांक	शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	43	86
2.	नहीं	07	14
	योग	50	100

तालिका 09 के तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सीधी जिले की 43 (86 प्रतिशत) महिला प्रतिनिधियों ने माना है कि शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है तथा केवल 07 (14 प्रतिशत) महिला प्रतिनिधियों के अनुसार शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास नहीं बढ़ा है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सीधी जिले में लगभग 86 प्रतिशत सभी महिला प्रतिनिधियों के अनुसार शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है।

परिवार में पंचायत से जुड़े सदस्य- महिला प्रतिनिधियों के परिवार से अधिकतर पति, सास-ससुर या कोई महिला ही पंचायतों से जुड़े हुए होते हैं तथा बदल-बदल कर प्रतिनिधित्व करते रहते हैं।

तालिका क्रमांक 10

परिवार में पंचायत से जुड़े सदस्य

क्रमांक	परिवार में पंचायत से जुड़े सदस्य	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पति	12	24
2.	सास/ससुर	16	32
3.	महिला	05	10
4.	अन्य	17	34
	योग	50	100

सारणी 10 से स्पष्ट होता है कि सीधी जिले में 12 (24 प्रतिशत) महिला प्रतिनिधियों के पति, 16 (32 प्रतिशत) के सास-ससुर, 05(10 प्रतिशत) के परिवार से कोई महिला तथा 17 (34 प्रतिशत) के परिवार से अन्य व्यक्ति पंचायतों से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि कुल उत्तरदात्रियों में से सर्वाधिक 34 प्रतिशत महिलाओं के परिवार से सास-ससुर पंचायतों से जुड़े हुए हैं।

परिवार नियोजन संबंधी निर्णय कर्त्ता-

तालिका क्रमांक 11

परिवार नियोजन संबंधी निर्णय कर्त्ता

क्रमांक	परिवार में पंचायत से जुड़े सदस्य	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	स्वयं	07	14
2.	पति	18	36
3.	सास/ससुर	14	28
4.	अन्य	11	22
	योग	50	100

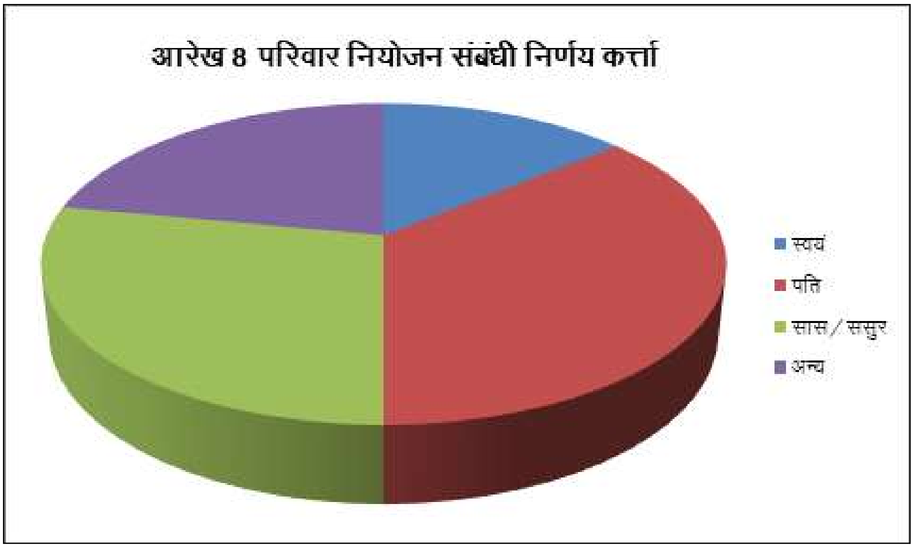

तालिका 11 से स्पष्ट होता है कि सीधी जिले में परिवार नियोजन संबंधी निर्णय स्वयं लेने वाली महिला प्रतिनिधियों की आवृत्ति 58 (14.5 प्रतिशत), पति द्वारा निर्णय लेने की आवृत्ति 145 (36.25 प्रतिशत), सास-ससुर द्वारा निर्णय लेने की आवृत्ति 115 (28.75 प्रतिशत) तथा अन्य की आवृत्ति 82 (20.50 प्रतिशत) है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कुल 36.25 मामलों में परिवार नियोजन संबंधी निर्णय पति द्वारा लिया जाता है।

निष्कर्षतः महिला नेतृत्व की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आयु, वर्ग विभाजन, शैक्षणिक स्थिति, व्यवसाय, परिवार की स्थिति, व्यक्तिगत आर्थिक कार्यों हेतु प्रोत्साहन, आवास, जमीन की स्थिति तथा अन्य आयामों की दृष्टि से देखा जाए तो सीधी जिले के पंचायती राज के तीनों स्तरों पर 2014 के चुनावों में निर्वाचित महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक स्तर बहुत अधिक भिन्न नहीं है। महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विस्तार से विश्लेषण, व्याख्या

एवं निष्कर्ष द्वारा इस अध्ययन से एक अन्य महत्वपर्णू तथ्य यह उभरता है कि पचांयती राज सस्ंथाओं के चुनावों के तहत निर्वाचित महिला सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उनकी पंचायती राज संस्था के स्तर के अनुरूप ही है अर्थात् जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्रमशः उच्च, मध्य व निम्न ही है। साथ ही साथ महिला नेतृत्व की यह सामाजिक और आर्थिक स्थिति स्वयं भी पंचायती राज संस्थाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी एवं भूमिका तय करती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. अन्नू मेमन मजूमदार, सोशल वेलफेयर इन इण्डिया, बाम्बे एशिया, 1964
2. कौशिक, सुशीला, वुमैन एण्ड पंचायती राज, हर आनन्द पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1993
3. कपूर, प्रमिला, कामकाजी भारतीय नारी बदलते जीवन मूल्य और सामाजिक स्थिति, अनुवादक-रमेश नारायण तिवारी, राज पाल एण्ड संस, दिल्ली, 1976
4. गांधी, एम. के., ग्राम स्वराज, नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस अहमदाबाद, 2014,
5. ए.एस. अल्तेकर, प्राचीन भारतीय शासन पद्धतियां (भारतीय भण्डार, इलाहाबाद 1948
6. एम.एन. श्रीवास्तव, इण्डियाज विलेज एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे 1961
7. ओमन, टी.के., पोलिटिकल लीडरशिप इन रुरल इण्डियन-इमेज एण्ड रियलिटि, एशियन सर्वे, वाल्यूम 9 (7), 1969
8. एस.एन.राना डे और पी.रामचन्द्रन, विमन एण्ड इम्प्लायमेन्ट, बॉम्बे टाटा इंस्टिटच्यूट ऑफ साइन्सेज, 1970
9. उषा मेहता, ''द इण्डियन विमेन एण्ड देयर पार्टीसीपेशन इन पालिटिक्स शोसल चेन्ज, वाल्यूम-8, नं.3, सितम्बर 1978.
10. महिपाल, पंचायतों में महिलाएँ: सीमाएं और सम्भावनाएं, सारांश प्रकाशन, नई दिल्ली, 1996।
11. भारत 2016, प्रकाशन केन्द्र भारत सरकार नई दिल्ली
12. श्रीवास्तव, अरूण कुमार, भारत मे पंचायती राज, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपरु , 1994,
13. सुराणा राजकुमारी, भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और नव-पंचायती राज, राज पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 2000
14. बघेल डी.एस., 1990, भारतीय सामाजिक समस्याएं, पुष्पराज प्रकाशन रीवा, 1998
15. भनौट, शिवकुमार, ''राजस्थान में पंचायत व्यवस्था'', यूनीवर्सिटी बुक डिपो, जयपुर, 2000

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

भारत में महिलाओं के विरूद्ध लैंगिंक अपराधों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

• कृष्णदास द्विवेदी

सारांश- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) स्पष्ट करता है कि भारत में महिलायें सदियों से सामाजिक तथा आर्थिक रूप से अपंग तथा पिछड़ेपन का शिकार रहीं है। इसलिए अनुच्छेद 15 (3) महिलाओं तथा बच्चों को समता की स्थिति तक लाने हेतु विशेष प्रावधान बनाने में सक्षम बनाता है तथा महिलाओं की सुरक्षा हेतु अनेक कानून बनाये भी गयें है। यद्यपि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(1) धर्म,जाति,लिंग तथा जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर राज्य को भेदभाव करने से रोकता है किन्तु भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को अनुच्छेद 15(1) के बंधन से मुक्त करता है। इस प्रकार अनुच्छेद 15(3) के प्रावधान का लाभ लेते हुए महिलाओं को सुरक्षा करने करने हेतु अनेक कानूनी प्रावधान किये गयें है किन्तु इसके बावजूद भी महिलाओं के विरूद्ध हो रहें लैंगिक अपराध के साथ अन्य प्रकृति के अपराधों से पूर्णतः संरक्षण अभी दूरगामी स्वप्न है तथा प्रत्येक व्यक्ति की महिलाओं के प्रति सद्भावना और कड़े कानून की आवश्यकता विद्मान है।

मुख्य शब्द - लैंगिंक अपराधों, संविधान, सामाजिक, आर्थिक

प्रस्तावना- भारत में महिलाओं के विरूद्ध लैंगिंक अपराधों के पूर्णतः संरक्षण अनेक कानूनी प्रावधानों के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। चाहे वह विद्यार्थी हो या महिला का कार्य स्थल हो उनके लिए लैंकिग उत्पीड़न एक गम्भीर समस्या है। इस हेतु अनेक कानूनी प्रावधान बनाये गये। भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन कर लैंगिंक उत्पीड़न से संरक्षण हेतु क्रमशः धारा 354-A, 354-B, 354-C, 354-D जोड़ी गयी तथा इस प्रकार के अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया। किन्तु पर्याप्त विधिक प्रावधानों के बावजूद महिलाओं का लैंगिंक अपराधों के पूर्णतः संरक्षण नहीं हो पा रहा है और कड़े कानून की आवश्यकता विद्यमान है।

समस्याएँ एवं मुद्दे- पर्याप्त विधि प्रावधान होने के बावजूद पीड़िता परिवार के सदस्य या किसी अन्य परिचित के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी हो तब आमतौर पर बदनामी के डर से काफी बड़ी संख्या में मामले दर्ज नहीं हो पातें है ये कानूनी प्रावधान तभी प्रभावी हो सकतें है जब महिलायें आगे आयें और दोषियों के खिलाफ मामले दर्ज करायें जो

• सहायक प्राध्यापक, विधि, श्रीयुत महाविद्यालय गंगेव, जिला रीवा (म.प्र.)

कभी–कभार ही होता है। बड़ी संख्या में इस प्रकार के अपराधों की शिकायत दर्ज नहीं करायी जाती। इस प्रकार कानूनी प्रावधान होने के बावजूद ऐसे मामलों की फरियाद न करने की वजह से दोषी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो पाती व इस प्रकार के अपराधों को बढ़ावा मिलता है।

शोध कार्य का उद्देश्य- इस शोध के माध्यम से महिलाओं को लैंगिक अपराधों से सहायता प्रदान करना है ताकि इस शोध शोध कार्य के माध्यम से प्रभावी भावी योजनाएँ, नीतियॉ तथा विधियॉ बनायी जा सके।

शोध परिकल्पना- इस शोध में शोध परिकल्पना कानूनी प्रावधान तभी प्रभावी हो सकतें है जब इस प्रकार के अपराधों के विरूद्ध महिलायें आगे आयें व दोषियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायें। इस शोध में विश्लेषणात्मक शोध पद्धति को अपनाते हुए तथ्यों को सत्यापित करने का प्रयास किया गया है।

विधिक प्रावधान- महिलाओं को लैंगिक अपराधों से मुक्ति दिलाने हेतु भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन कर क्रमशः धारा 354-A, 354-B, 354-C, 354-D में प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को गलत निगाह से छूटा है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354-A के तहत अपराध करता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के कपड़े उतारता है या सेक्सुअल डिमाण्ड करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354-B के तहत अपराध माना जायेगा । यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ पोर्न दिखाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354-C के तहत अपराध कारित करता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को सेक्सुअल कमेन्ट करता है तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354-D के तहत अपराध कारित करता है।

महिलाओं के विरूद्ध कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से निवारण हेतु, महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध व प्रतितोष अधिनियम 2013 पारित किया गया है। जो महिलाओं के विरूद्ध लैंगिक अपराधों की रोकथाम में सार्थक सिद्ध हो रहा है। इसी प्रकार महिला विद्यार्थियों की रक्षा हेतु महिला अपराध प्रकोष्ठ के हेल्पलाईन नम्बर बड़े–बड़े अंको में स्कूलों/कॉलेजों/अस्पतालों के परिसर में प्रदर्शित करने का प्रावधान है। इस प्रकार महिलाओं के विरूद्ध लैंगिक अपराधों से संरक्षण हेतु पर्याप्त विधिक प्रावधान होने के बावजूद पूर्णतः संरक्षण नहीं हो रहा।

निष्कर्ष एवं सुझाव- महिलाओं के विरूद्ध लैंगिक अपराधों के पूर्णतः संरक्षण अभी दूरगामी स्वप्न है किन्तु लोगों की महिलाओं के प्रति सम्मान व कड़े कानून से भविष्य में महिलाओं को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान हो सकता है। इस हेतु मेरी ओर से निम्नलिखित सुझाव प्रेषित।

1. प्रत्येक व्यक्ति के मन महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना जागृत करना।
2. इस प्रकार से घटित अपराधों की अविलम्ब शिकायत दर्ज करना ताकि दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।
3. प्रवर्तित कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाकर।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. बसंतीलाल बाबेल, भारतीय दण्ड संहिता 1860
2. महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिशेष और प्रतितोष अधिनियम 2013
3. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

ग्रामीण युवा एवं जनसंचार माध्यमः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

• प्रतिभा जायसवाल

•• ब्रजेश कुमार सिंह

सारांश- देश की करीब 27 प्रतिशत आबादी युवाओं की है। यह वर्ग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जनसंचार माध्यमों के जरिए कर रहा है। जनसंचार माध्यम इन युवाओं को सपने दिखाने से लेकर इन्हें निखारने तक में अहम भूमिका निभाने का काम कर रहा है। अखबार, पत्र-पत्रिकाएँ जहाँ युवाओं को जानकारी मुहैया कराने का दायित्व निभा रहे हैं, वहीं टेलीविजन, रेडियो व सिनेमा उन्हें मनोरंजन के साथ आधुनिक जीवन जीने का सलीका भी सिखा रहे हैं। लेकिन युवाओं पर सबसे ज्यादा और अहम असर हो रहा है, सोशल मीडिया का। 2जी इन्टरनेट से लेकर 4जी, 5जी और वाई-फाई के इस दौर में देश-दुनिया की सीमाओं का मतलब इन युवाओं के लिए खत्म हो गया है। युवाओं पर इसका अधिक प्रभाव इसलिए पड़ा है क्योंकि वे उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के होते हैं तथा बिना किसी हिचकिचाहट के किसी भी नई तकनीक का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में ग्रामीण युवाओं पर जनसंचार माध्यमों के द्वारा पड़ने वाले सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों को जानने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द - प्रौद्योगिकी, जनसंचार माध्यम, न्यू मीडिया, नवाचार

प्रस्तावना- किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और उसके लोगों की खुशहाली के लिए प्रौद्योगिकी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी भी संगठन एवं समुदाय की प्रगति और विकास में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रगति और विकास के नवीन साधन के रूप में स्वीकृत सूचना प्रौद्योगिकी आज मानव जीवन के अनेक पहलुओं को एक साथ प्रभावित कर रही है। इस नवीन प्रौद्योगिकी ने न केवल विश्व समुदाय को विचार-विमर्श का एकीकृत मंच प्रदान किया है बल्कि सम्पूर्ण मानव जाति के विकास हेतु अभिनव मार्ग प्रशस्त किया है।

''भारतीय समाज में आधुनिकीकरण, पाश्चात्यीकरण एवं नवीन प्रौद्योगिकी आदि के कारण अनेक महत्वूपर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण वर्तमान समाज तथा व्यक्ति की सोच में काफी बदलाव आया है। आज के बदलते परिवेश और

• असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, कुँवर आर.सी. महिला महाविद्यालय, मैनपुरी

•• डीन, सोशल साइंस, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

आधुनिकीकरण के कारण युवाओं के विचारों, व्यवहारों, रूचियों, आदतों एवं दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा रहे हैं, जो कि पुरानी पीढ़ी से बिल्कुल ही भिन्न दिखाई पड़ते हैं।"[1]

आधुनिक जनसंचार माध्यम आज की बदलती हुई दुनिया के परिप्रेक्ष्य में शक्ति के प्रतीक बन गए हैं। आधुनिक जनसंचार माध्यमों ने पूरी दुनिया को एक वैश्विक ग्राम में बदल दिया है। जनसंचार के साधन जहाँ एक ओर संपूर्ण विश्व को तकनीकी आधार पर संयुक्त परिवार का रूप देने में सफल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक क्षेत्र के विकास हेतु एक पूर्व प्राथमिकता और अनिवार्य शर्त बन चुके हैं। ग्रामीण परिक्षेत्र में सूचना तंत्र के प्रसार से न केवल रोजगार संवर्धन की विपुल संभावनाएं प्रकट हो रही हैं, बल्कि कृषि प्रसार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं धार्मिक क्षेत्रों के अनेक रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारियाँ ग्रामीणों को प्राप्त हो रही हैं। जनसंचार माध्यमों ने बड़े ही प्रभावपूर्ण तरीके से स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सामाजिक कुरीतियों एवं विषमताओं के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता भी उत्पन्न की है।[2]

ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंचार माध्यमों का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में ग्रामीण युवा वर्ग इन संचार माध्यमों के द्वारा महानगरीय परिवेश में व्याप्त चकाचौंध एवं ग्लैमर से वाकिफ हो रहा है। युवा मन में नगरीय चकाचौंध के प्रभाव के फलस्वरूप नित नई कल्पनाओं का निर्माण होने लगता है। वे अपने भविष्य के सम्बन्ध में स्वप्न देखते हैं एवं अपनी स्वप्निल दुनिया को साकार करने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु जब गरीबी, अभाव, अशिक्षा इत्यादि के कारण युवा अपने सपनों को साकार करने से वंचित रह जाता है, तब उसमें धीरे-धीरे तुलनात्मक रूप से कुंठा का जन्म होने लगता है।उमा नरूला के अनुसार, सैटेलाइट टेलीविजन और मुक्त व्यापार के प्रभाव ने संरक्षित समाज को बदल दिया है। इसका प्रभाव आजकल युवाओं पर सबसे ज्यादा पड़ा है। आज का युवा चाहे वह गरीब हो या सम्पन्न, वह अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह का स्वरूप अपना रहा है जिससे समाज के संरक्षित मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रसारित उपभोक्तावादी संस्कृति एवं महानगरीय व पश्चिमी संस्कृति एवं ग्लैमर से ओतप्रोत कार्यक्रमों का सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव समाज पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

इस तरह के नवाचार का प्रभाव अब केवल नगरों तक ही सीमित नहीं है, वरन यह अपनी जड़ें अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पसार रहा है। नगर के किशोरों के समान ही ग्रामीण किशोर भी इन परिवर्तनों से अछूते नहीं है और जहाँ तक इससे प्रभावित होने का प्रश्न है, यह ग्रामीण किशोरों के जिज्ञासा और शिक्षा को अग्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

आज यह जनसंचार माध्यम ग्रामीण क्षेत्रों के किशोरों की अभिरूचियों, मनोवृत्तियों और मूल्यों को परिवर्तित करने का एक बड़ा माध्यम बन रहा है। हम सभी जानते हैं कि किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का बसंत काल होता है, यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी गई है। यह काल मानसिक शक्तियों के विकास का काल होता है। मानसिक विकास के साथ-साथ बालक की कल्पना का विकास भी होता है। बालक

इसी समय ऊँचे आदर्शों को अपनाता है, क्योंकि किशोर बालकों का पर्याप्त बौद्धिक विकास भी इसी समय होता है। उसकी चिंतन शक्ति विकसित होती है, इसके लिए उसे पर्याप्त बौद्धिक श्रम करना पड़ता है और नित नई-नई परिस्थितियों के साथ उसे सामंजस्य भी बिठाना पड़ता है।

हम सभी जानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यन्त चलती रहती है। मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने का होता है, और जब बात युवा और युवा अवस्था की आती है तो हम सभी जानते हैं कि युवा स्वभाव से बड़े जोशीले और जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। उन्हें नित नवीन वस्तुओं को सीखने और जानने की एक प्रबल लालसा होती है। उनके इस कार्य में तथा उनकी जिज्ञासा को शांत करने में जनसंचार माध्यम व उससे प्राप्त होने वाली सूचनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि आज का युवा जनसंचार माध्यमों के किस पहलू पर अधिक ध्यान दे रहा है, सकारात्मक या नकारात्मक पहलू पर। यह बात सही है कि जनसंचार माध्यमों द्वारा आज का युवा वर्ग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। किशोरों पर मीडिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक कहे तो देश की तकरीबन 27 फीसदी आबादी युवाओं की है, यह वह वर्ग है जो सबसे ज्यादा सपने देखता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगाता है। मीडिया इन युवाओं को सपने दिखाने से लेकर उन्हें निखारने तक में अहम भूमिका निभाने का कार्य करती है।

समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ जहाँ युवाओं को जानकारी मुहैया कराने का दायित्व निभा रहे हैं, वहीं टेलीविजन, रेडिया, सिनेमा उन्हें मनोरंजन के साथ आधुनिक जीवन जीने का सलीका सिखा रहे हैं, परन्तु किशोरों व युवाओं पर सबसे ज्यादा और अहम असर हो रहा है न्यू मीडिया का। इंटरनेट से लेकर तीसरी और चौथी पीढ़ी (3जी और 4जी) मोबाइल का असर ऐसा है कि देश दुनिया की सरहदों का मतलब अब इन युवाओं के लिए खत्म हो गया है।[3]

यह कहना गलत नहीं होगा कि आज का ग्रामीण किशोर भी इस नवीन संचार माध्यम की चमक के माया जाल में फंसता जा रहा है। किशोरों में तेजी से पनप रहे मनोविकार, दिशाहीनता और कर्तव्यविमुखता को संचार माध्यमों के दुष्परिणामों से जोड़कर देखा जा सकता है। इससे ग्रामीण युवाओं की अभिरूचियों, मनोवृत्तियों और सामाजिक प्रतिमानों पर प्रतिफूल प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जिससे उनके रहन-सहन खान-पान वेशभूषा और बोलचाल इत्यादि प्रभावित हो रहे है। मद्यपान और धूम्रपान उन्हें एक फैशन लगने लगा है, नैतिक मूल्यों के हनन में यह कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। अत्याधुनिक संचार माध्यम जिसे हम न्यू मीडिया के नाम से जानते हैं, वे जहाँ एक ओर इन युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह एक अभिशाप के रूप में युवाओं की दिशाहीनता को बढ़ा रहे हैं। अतः ग्रामीण युवाओं पर जनसंचार माध्यम किस प्रकार प्रभाव डाल रहे हैं, और उनकी शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, राजनीतिक मूल्य एवं सामाजिक मूल्य किस प्रकार परिवर्तित हो रहे हैं, उक्त तथ्यों का विश्लेषण प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम से किया गया है।

जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रसारित उपभोक्तावादी संस्कृति एवं महानगरीय पश्चिमी संस्कृति एवं ग्लैमर से ओतप्रोत कार्यक्रमों का प्रभाव ग्रामीण युवाओं पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आज का युवा वर्ग परंपरागत जाति व्यवस्था एवं संयुक्त परिवार प्रणाली के नियन्त्रण से मुक्त होना चाह रहा है। वह बाल-विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत, ऊँच-नीच आदि कुरीतियों से दूर हो रहा है। युवाओं में उन्मुक्त स्त्री-पुरूष सम्बन्धों के बारे में नई सोच पनप रही है। वे प्रेम विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे तलाक व विवाह विच्छेद की प्रवृत्ति बढ़ रही है। युवा वर्ग अपने परंपरागत संस्कृति एवं मूल्यों की पहचान खोता जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति के मूल्यों को अपना रहा है। जिससे युवा वर्ग में व्यक्तिवादिता बढ़ती जा रही है और सामाजिक सम्बन्धों, आदर्शों एवं मानदंडों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के साथ पारिवारिक एवं वैवाहिक समस्याओं का सामना भी कर रहा है।

आज के युवा वर्ग और सामाजिक व्यवस्था के मध्य एक अंतराल स्पष्ट रूप से दिखायी दे रहा है। समाज में युवा वर्ग को क्रांतिकारी, विवेकशील एवं अपरिपक्व समझा जाता है, किन्तु युवा स्वयं कितने तनावग्रस्त, चिंतित और व्यथित हैं, इसके कारणों को जानने का प्रयास ही नहीं किया जाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं की मानसिकता का आकलन किया जाये। उनकी क्या समस्याएं हैं? ये समस्याएं किन कारणों से हैं? क्या संचार माध्यमों के द्वारा उनकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है? उनके स्वास्थ्य शिक्षा एवं राजनीतिक विचारों को सुधारने में जनसंचार साधनों की क्या उपयोगिता हो सकती है? इन सबका समाज''ाास्त्रीय दृष्टिकोणों से गहन विश्लेषण करना आवश्यक है।

भारत में युवाओं की संख्या नगर क्षेत्र के समान ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर्वाधिक है, और जनसंचार माध्यम शहरों के युवाओं की भांति ही ग्रामीण युवाओं को भी प्रभावित कर रहे हैं और जहाँ तक इसके प्रभाव का प्रश्न है, जनसंचार माध्यम ग्रामीण किशोरों की जिज्ञासाओं को शांत करने के साथ शिक्षा को अग्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आधुनिक वैज्ञानिक समाज के उभरते नवीन मूल्यों, प्रतिमानों वैज्ञानिक यंत्रों, नवीन जनसंचार साधनों व सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव आजकल के युवाओं पर सबसे ज्यादा पड़ा है। जनसंचार माध्यम द्वारा प्रसारित उपभोक्तावादी संस्कृति, महानगरीय व पश्चिमी संस्कृति एवं कार्यक्रमों का युवाओं पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव किस प्रकार पड़ रहा है? यही प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन की विषय वस्तु है। प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है।

किसी भी राष्ट्र के विकास में युवाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इन्हीं पर किसी भी राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है। युवाओं में कुछ नया करने के प्रति एक ललक होती है। यह एक ऐसा वर्ग है जो शारीरिक व मानसिक रूप से सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और जो देश और परिवार के विकास के लिए हर संभव प्रयत्न करता है। युवा शब्द जीवंतता, आनंद ,उत्साह और जुनून के साथ जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि युवा पीढ़ी के लोग जोश से भरे हुए होते हैं। वे नई चीजें जानने के लिए और दुनिया में नई खोजों का पता लगाने के लिए भी उत्सुक रहते हैं और साथ ही ऊर्जा से

भी परिपूर्ण होते हैं। पिछली पीढ़ियों द्वारा निर्धारित रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुरूप नहीं ढलना चाहते हैं। युवा कल की आशा हैं, इसलिए उनसे बहुत उम्मीदें हैं। सही मानसिकता और क्षमता के साथ युवा राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकते हैं और देश को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि युवा ही सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है किसी भी राष्ट्र को विकास की चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए।

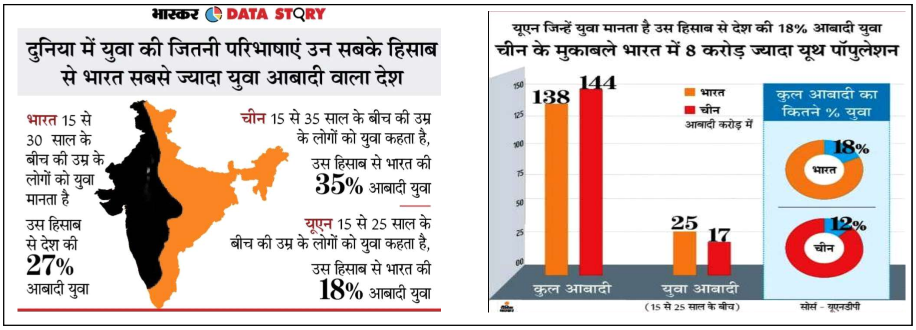

स्त्रोत- www.bhaskar.com

पारंपरिक रूप से किशोरावस्था से लेकर मध्यम आयु तक की अवधि को युवावस्था कहा जाता है। युवा वर्ग में कितने उम्र के लोग शामिल हो इसको विभिन्न एजेंसियों द्वारा परिभाषित किया गया है। यूएनओ (UNO) ने युवाओं को परिभाषित करने के लिए 15 से 24 आयु वर्ग को अपनाया। राष्ट्रीय युवा नीति (2003) ने युवाओं को 13 से 35 आयु वर्ग के रूप में रखा है। परंतु राष्ट्रीय युवा नीति (2014) ने इसे संशोधित करते हुए और 15 से 29 आयु वर्ग को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 से 24 वर्ग के युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है।

भारत की जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 19. 1प्रतिशतभाग युवाओं का है जो अन्य किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक हैं, और यह प्रतिशतता 2020 तक 34.33 प्रतिशत तक बढ़ जाने की संभावना है।[4]

जनसंचार-आधुनिक युग में जनसंचार शब्द काफी प्रचलित है। इसे लोक संपर्क, जनसंपर्क या जनसंचार (Mass Communication) भी कहते हैं। जनसंचार शब्द से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से हैं जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं । प्रायः इसका अर्थ सम्मिलित रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र इत्यादि से लिया जाता है, जो समाचार एवं विज्ञापन दोनों के प्रसारण के लिए प्रयुक्त होते हैं।

जनसंचार माध्यम में संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'चर' धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है चलना। जनसंचार का अर्थ बड़ा ही व्यापक और प्रभावकारी है। लोकतंत्र के द्वारा स्थापित लोकसत्ता के परिचालन के लिए ही नहीं बल्कि राजतंत्र और अधिनायक क्षेत्र में भी सफल शासन के संचालन के लिए भी लोक संपर्क आवश्यक माना जाता है। कृषि, उद्योग, व्यापार, जनसेवा, लोकरुचि के विस्तार तथा परिष्कार के लिए भी लोक संपर्क की आवश्यकता होती है।

प्राचीन काल में लोकमत को जानने अथवा लोकरुचि को संवारने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता था, वह आज के वैज्ञानिक युग में अधिक उपयोगी नहीं रह गए हैं। एक युग था जब राजा लोक रुचि को जानने के लिए गुप्तचर पर पूर्णतः आश्रित रहता था, तथा अपने निर्देशों, मंतव्यों और विचारों को वह शिलाखंड, प्रस्तर मूर्तियों,ताम्रपत्र आदि पर अंकित करा कर प्रसारित किया करता था। भोजपत्र पर अंकित आदेश जनसाधारण के मध्य प्रसारित कराए जाते थे। राज्यादेशों की मुनादी कराई जाती थी। धर्म ग्रंथों और उपदेशों के द्वारा जनरुचि का परिष्कार किया जाता था। आज भी विक्रमादित्य, अशोक, हर्षवर्धन आदि राजाओं के समय के जो शिलालेख मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में लोक संपर्क का मार्ग कितना जटिल और दुरूह था। धीरे-धीरे विज्ञान का विकास होने से साधनों का भी विकास होता गया और अब ऐसा समय आ गया है जब लोक संपर्क के लिए समाचार पत्र, मुद्रित ग्रंथ, पुस्तक पुस्तिकाएं, प्रसारण यंत्र (रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि) अनेक साधन उपलब्ध है, जिसने इस कार्य को आसान बनाया है।

वर्तमान युग में लोक संपर्क के सर्वोत्तम एवं लोकप्रिय साधन समाचार पत्र हैं। इसके बाद रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र और इंटरनेट आदि का स्थान है। नाटच, संगीत, भजन, कीर्तन, धर्मोपदेश आदि के द्वारा भी जनसंपर्क का कार्य होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जुलूस, सभा, संगठन, प्रदर्शन आदि का उपयोग भी राजनीतिक दलों की ओर से जनसंपर्क के लिए किया जाता है। डाक, तार, टेलीफोन, रेल, वायुयान, मोटर कार, जलपोत और यातायात तथा परिवहन के साधन भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संपर्क के लिए व्यवहार में प्रयोग किए जाते हैं।लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भी लोकमत प्राप्त करने के लिए इन साधनों का प्रयोग करते हैं। ये साधन जनसंपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं।जनसंचार माध्यमों की महत्ता बताते हुए सन 1787 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति टायर्स जेफरसन ने लिखा था, "हमारी सत्ताओं का आधार जनमत है। अतः हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए 'लोकमत को ठीक रखना'। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं समाचार पत्रों से विहित सरकार चाहता हूं अथवा सरकार से रहित समाचार पत्रों को पढ़ना चाहता हूं तो मैं निःसंकोच उत्तर दूंगा कि शासन सत्ता से रहित समाचार पत्रों का प्रकाशन ही मुझे स्वीकार है,परंतु मैं चाहूंगा कि ये समाचार पत्र हर व्यक्ति तक पहुंचे और वे उन्हें पढ़ने में सक्षम हो।जहां समाचार पत्र स्वतंत्र हैं और हर व्यक्ति पढ़ने की योग्यता रखता है वहां सब कुछ सुरक्षित है।"[5]

जनसंचार के साधन- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण पारंपरिक संचार साधनों यथा नाटक, कठपुतली, लोकगायक, हरिकथा वाचक, सार्वजनिक भाषण इत्यादि की जगह प्रौद्योगिकी पर आधारित वैज्ञानिक संचार साधनों ने ले लिया है। इनमें प्रेस तथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा टेलीविजन, मोबाइल फोन एवं कम्प्यूटर आधारित साधन, इंटरनेट इत्यादि उल्लेखनीय है।वर्तमान समय में प्रचलित संचार के साधन को निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं-

पारंपरिक साधन- धार्मिक प्रवचन, कथा, वार्ता, यात्रा वृतांत, पर्यटन, गीत-संगीत, लोकगीत, नाटक, लोकनाट्य इत्यादि।

मुद्रित साधन - पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ, पोस्टर, बैनर, पंपलेट, हैंडबिल इत्यादि मुद्रित सामग्री।

आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक साधन- रेडियो, वायरलेस, ट्रांजिस्टर, टेपरिकॉर्डर, टेलीविजन, वीडियो कैसेट, रिक,र्डर, डीवीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल इत्यादि।

जहां एक ओर प्रेस एवं समाचार पत्र और पत्रिकाएं ज्ञान एवं सूचना उपलब्ध कराने के स्रोत होते हैं वहीं दूसरी ओर यह सामाजिक नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं द्वारा किसी भी विषय या समस्याओं से लोगों को परिचित कराया जाता है। समाचार पत्र न केवल सरकारी नीतियों से आम जनता को अवगत कराते हैं, बल्कि सरकार की कमियों तथा सामाजिक समस्याओं के विभिन्न पक्षों पर जनमानस का ध्यान भी आकर्षित करते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्रेस व मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहकर भी संबोधित किया जाता है।

जनसंचार माध्यमों में भारत में सबसे लोकप्रिय श्रेणी में आकाशवाणी व ऑल इंडिया रेडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आकाशवाणी के कार्यक्रमों को रेडियो सेट के माध्यम से आम व्यक्ति सुनता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो आज भी सूचना एवं संचार का सबसे सशक्त एवं लोकप्रिय साधन है। रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में जन सामान्य के साथ ग्रामीण अंचल से संबंधित किसानों के लिए ''किसानवाणी'' नामक चैनल प्रारंभ किया गया है, जिसमें किसान अपनी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान व अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ग्रामीण युवाओं को शिक्षित करने हेतु कक्षा में अध्यापन और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम जैसे परंपरागत सूचना प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जाता रहा है, और उसमें परस्पर विचार-विमर्श के लिए कम ही गुंजाइश रहती थी।यह प्रणालियां छात्र केंद्रित होने के बजाय प्रक्रिया केंद्रीय थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से हुए प्रौद्योगिकीय विकास ने सूचना प्रक्रिया को और अधिक परस्पर विमर्शी एवं जनकेंद्रित बना दिया है।

भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट और मोबाइल की उपलब्धता ने सूचनाओं के प्रवाह की प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (ICT) में नई पहलों जैसे- वेबपोर्टल, सोशल मीडिया, विशेषज्ञ व्यवस्था, ई-शिक्षण, ई-लाइब्रेरी, मोबाइल एप, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT), डिजिटल वीडियो, सामुदायिक रेडियो आदि ने तकनीकी आदान-प्रदान को और अधिक सक्षम एवं समयबद्ध बना दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम समय में विशेषकर युवाओं तक अपनी बात कारगर ढंग से पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया वर्तमान समय में सर्वोत्तम साधन है। मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और डाटा रिचार्ज करने की राशि दिन-प्रतिदिन कम हो रही है। सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, लिंकडीन, मैसेंजर एप, व्हाट्सएप, ब्ल,ग, वर्डप्रेस, ट्विटर, वीडियो शेयरिंग टूल्स, यू-ट्यूब आदि साइट अपनी बात आमजन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। भारतीय टेलीफोन नियामक प्राधिकरण (TRAI) के अनुमानों के अनुसार 31 अगस्त 2018 तक भारत में

मोबाइल उपयोगकर्ताओं की संख्या 116.7 करोड़ (कुल जनसंख्या का 91 प्रतिशत) था, इसमें से 51.9 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है।[6]

आधुनिक प्रौद्योगिकी के चलते जनसंचार के परंपरागत माध्यमों में नित नए नवाचारों का समावेश हो रहा है, जिससे ग्रामीण युवक पहले से अधिक आत्मनिर्भर और जागरूक हो गया है। ग्रामीण युवा इन सुविधाओं का लाभ लेते हुए अपनी ऊर्जा को एक सशक्त भारत के निर्माण में लगा रहा है। इसमें सरकार का प्रयास भी सराहनीय है। इसी क्रम में ग्रामीण युवाओं के लिए ग्राम संवाद, किसान संचार लिमिटेड एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंडियन ब्लड डोनर्स, ई-ममता, ई-औषधि जैसी सेवाएं शुरू की गई है। ग्रामीण युवाओं को शिक्षित करने एवं ग्रामीण कार्यकर्ताओं एवं संगठनों को प्रशिक्षित करने में संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण समाज के वंचित समूह को कभी भी और कहीं भी सामुदायिक अध्ययन हेतु ई-लर्निंग और निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम कई संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

अधिकतर ग्रामीण सामुदायिक रेडियो केंद्र, सामुदायिक विकास से जुड़ी समस्याओं पर जागरूकता बढ़ाने और आवश्यक जानकारी देने का कार्य करते हैं। इसमें संस्कृति, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि और स्थानीय शासन जैसे विषय शक्ति होते हैं।

देश की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 67 प्रतिशतभाग दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें 42 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय और लगभग 25 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है। निश्चित रूप से 21वीं सदी 'सूचना संचार' की सदी है। नित-नूतन वैज्ञानिक आविष्कारों ने गत शताब्दी के अंतिम दशकों में सूचना संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इस क्रांति का ही परिणाम वैश्वीकरण के रूप में परिलक्षित हो रहा है, साथ ही 'ग्लोबल विलेज' की संकल्पना मूर्तमान हुई है। सूचना संचार क्रांति का प्रणेता यदि किसी को कहा जा सकता है तो वह निश्चित ही कंप्यूटर है। यदि राष्ट्र को एक सावयव मान लिया जाए तो संचार उसका रक्त परिसंचरण तंत्र और कंप्यूटर (संचार-साधन) उसका हृदय है।

अनिल सारी के अनुसार, "सिनेमा समाज का दर्पण है, सर्वाधिक सफल फिल्में वही रही हैं जिसमें लोकप्रिय मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक सुधार और मानवीय विकास की आकांक्षाओं का सही मेल रहा है।"

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (NIOS) उन लोगों को शिक्षा व सीखने का अवसर प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक या अन्य किसी कारण से शिक्षा प्राप्त करने या जारी रखने में असमर्थ हैं। NIOS संचार और प्रौद्योगिकी के आधुनिक माध्यमों का उपयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा को सरल और गुणात्मक बनाने में प्रयासरत है।

दूरदराज एवं गांव के विद्यार्थी जो अच्छे शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, वे उन्हें टेलीविजन के माध्यम से देश ही नहीं अपितु दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षकों के अभिभाषण सुनने के साथ-साथ उनसे प्रश्न पूछने का अवसर भी मिल रहा है। भौगोलिक दूरी खत्म हो गई है। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न एजेंसियों का गठन किया है जिनमें हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी

(HEFA) 2016, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 2018 और हायर एजुकेशन एंपावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी (HEERA) 2017 शामिल हैं। ये एजेंसियां अपनी विभिन्न योजनाओं RISA (2017), RUSA (2017), SWAYAM(2017), स्वयं प्रभा (2017), नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (2017), स्मार्ट इंडिया है। केथान (2018), इंपैक्टिंग इन रिसर्च इन्नोवेशन एंड टेक्नोल,जी (IMPRINT) 2018 आदि के माध्यम से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा रही है, जिससे ग्रामीण युवा भी सशक्त हो रहे हैं।

परंपरागत ब्लैक बोर्ड की जगह अब डिजिटल बोर्ड प्रचलन में है। डिजिटलीकरण के युग में विद्यार्थी अब ई-लाइब्रेरी, ई-बुक, ई-स्कूल और टेबलेट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। उच्च शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के (OLAB) ऑनलाइन लैबोरेट्री एक डिजिटल योजना है।

उच्च शिक्षा के विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक विशाल ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOC) शुरू किया गया है। 32 राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से शैक्षिक ई-सामग्री के संचरण के लिए उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से स्वयम प्रभा, डीटीएच टीवी कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (NDL) ई-एजुकेशन को प्रोत्साहन देती है। स्वयं प्रभा के चैनल नंबर 30 पर ज्ञानामृत बधिर विद्यार्थियों के लिए सांकेतिक भाषा के साथ शब्दावली एवं पाठ भी तैयार किए गए हैं। मुक्त विद्यावाणी (Interactive Audio Streaming) के द्वारा समस्त पंजीकृत शिक्षार्थियों तक शिक्षा को पहुंचाने का सफल प्रयास किया गया है। वर्चुअल ओपन स्कूलिंग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक अनूठी पहल है। ऑन डिमांड परीक्षा एक विशेष सुविधा है जिसमें विद्यार्थी जब चाहे अपनी सहूलियत और तैयारी के अनुसार परीक्षा दे सकते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंचार एवं मीडिया की सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम यहाँ जनसंचार माध्यमों के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करेंगे।

जनसंचार माध्यमों का सकारात्मक प्रभाव—जन संचार के साधनों में सबसे लोकप्रिय व सर्वसुलभ साधन टेलीविजन है। टीवी में बहुत सारे मनोरंजन के चैनल होते है पर उसमें सबसे ज्यादा समाचार के चैनल होते हैं, जो लोगों को विश्व तथा देश भर में घटने वाली घटनाओं से परिचित कराते हैं। टीवी व रेडियो प्रोग्राम के द्वारा स्वास्थ्य, स्वच्छता, और दूसरी अन्य जानकारियों को लोग सुन और देख पाते हैं। रेडियो, टेलीविजन, सामाजिक कुरीतियों जैसे छुआ-छूत जातिगत विभेद, पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह पर प्रहार करने वाले कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। जिससे युवाओं में उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न हो रही है।

स्वच्छता पर अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल भारत अभियान और इसकी सफलता एवं जन मानस में व्यापकता जनसंचार माध्यमों द्वारा ही सुनिश्चित हो सकी है। जिससे लोग जागरूक हुए हैं और अपने वातावरण और पर्यावरण को संरक्षित रखने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। इन कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार के कारण ही आज भारत के कई राज्य खुले में शौच से मुक्त बन सके हैं।

भारत में आज भी कृषि, मौसम और जलवायु पर निर्भर है। कृषि ग्रामीण जीवन का आधार है। आज ज्यादातर ग्रामीण किसान व युवा टीवी, रेडियो और मोबाइल पर मौसम संबंधी जानकारी प्रात करते हैं। महिलाओं को उनके संवैधानिक व मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने में जनसंचार माध्यमों द्वारा अत्यंत ही सराहनीय प्रयास किया गया है। आज नारी केवल भोग्या नहीं है बल्कि अपने अधिकारों के प्रति अधिक मुखर हो गई है।

केन्द्र द्वारा चलाए जाने वाला टीवी कार्यक्रम सेटेलाइट के जरिए देशभर में प्रसारित किया जाता है। टीवी पर प्रसारित होने वाले शैक्षिक कार्यक्रम वैसे ही होते हैं जैसे किसी स्कूल या कॉलेज में सामान्यत: पढ़ाया जाता है। प्रत्येक घंटे किसी न किसी वित्तीय या कक्षा से सम्बन्धित प्रसारण चलता रहता है, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती रहती है। विद्यालय में भी नवीन प्रौद्योगिकी के समावेश के कारण विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है, जिससे ड्रॉपआउट की समस्या कम हो रही है। जब शिक्षण पद्धति में नवीन प्रौद्योगिकी का समावेश हो जाता है तो शिक्षण और भी रोचक बन जाता है, जिससे विद्यार्थियों में शिक्षा गृहण करने के प्रति रूचि बढ़ती है।सूचना व संचार प्रौद्यौगिकी द्वारा ऑनलाइन शिक्षा से अध्ययनरत छात्रों, शिक्षकों और विशेषज्ञों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा मिलता है, जिससे क्लास रूम में उपस्थित रहने की बाध्यता कम हुई है।

जनसंचार के माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों का प्रारूप ग्रामीण समाज की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक मूल्यों एवं परंपराओं को केंद्रित कर बनाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण युवा अपनी इन परंपरागत एवं समृद्धशाली, गौरवमयी संस्कृति से परिचित हो रहे हैं।

फिल्म और धारावाहिकों के माध्यम से महिला प्रधान कार्यक्रम एवं दहेज और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों, नारी शिक्षा, कामकाजी महिला की गरिमा से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण समाज में भी महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हो रही है।

मीडिया सिर्फ समस्याओं को उजागर ही नहीं करता है बल्कि समाधान भी प्रस्तुत करता है। पहले परिवार नियोजन के कृत्रिम साधनों का नाम लेने में ही लोग लज्जा का अनुभव करते थे, पर अब जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रसारित विज्ञापनों के कारण न केवल युवा इन कृत्रिम साधनों की आपस में चर्चा करते हैं बल्कि परिवार नियोजन से सम्बन्धित इन साधनों को अपना भी रहे हैं।

जनसंचार माध्यमों के द्वारा प्रसारित प्रगतिशील और मूल्य युक्त शिक्षा से ग्रामीणों की वैचारिकी में भी परिवर्तन आया है, जिससे वे रूढ़िगत मान्यताओं को त्याग रहे हैं। जनसंचार साधनों ने ग्रामीण युवाओं को स्वच्छता के प्रति न केवल जागरूक किया है, बल्कि उनमें स्वच्छता बनाये रखने के प्रति नवीन आदतों का विकास भी हुआ है। युवाओं में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करने में जनसंचार माध्यमों ने अतुलनीय योगदान दिया है, जिससे वे अपने मताधिकारों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग भी कर रहे हैं। जनसंचार माध्यमों द्वारा युवाओं के कैरियर, रोजगार चुनाव व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिससे युवा वर्ग लाभान्वित हो रहा है।

नकारात्मक प्रभाव—जनसंचार माध्यमों के विभिन्न सकारात्मक पक्षों को देखने के बाद यदि इनके नकारात्मक पक्षों की बात की जाए तो संचार प्रौद्योगिकी जितनी लाभदायक सिद्ध हो रही है, उतना ही वह हानिकारक भी है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न माध्यमों से जहां लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज में समरसता भी घटती जा रही है। इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि का ऐसा असर है कि युवाओं के लिए देश दुनिया की सरहदों का मतलब अब समाप्त सा हो गया है। एक ओर जहां इन साधनों ने लोक संपर्क को सुदृढ़ किया है, वहीं इन माध्यमों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों द्वारा युवाओं में दिशाहीनता बढ़ती जा रही है। जिस रफ्तार से सूचना प्रौद्योगिकी बढ़ी है, उसी रफ्तार से बढ़ते हुए साइबर अपराध ने पूरे विश्व की नींद उड़ा रखी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज का ग्रामीण किशोर भी नवीन जनसंचार माध्यमों के माया जाल में फंसता जा रहा है। किशोरों में तेजी से पनप रहे मनोविकारों, दिशाहीनता और कर्तव्य-विमुखता को संचार माध्यमों के दुष्परिणामों से जोड़ कर देखा जा सकता है। इससे ग्रामीण युवाओं की अभिरुचि, मनोवृत्तियों और सामाजिक प्रतिमानों पर नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जिससे उनके रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा और बोलचाल इत्यादि प्रभावित हो रहे हैं। मद्यपान और धूम्रपान उन्हें एक फैशन लगने लगा है, नैतिक मूल्यों के हनन में यह मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। अति आधुनिक संचार माध्यम जिसे हम न्यू-मीडिया के नाम से जानते हैं, वे जहां एक ओर इन युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे एक अभिशाप के रूप में युवाओं की दिशा हीनता को बढ़ा रहे हैं।[8]

टीवी प्रोग्राम में कुछ भी दिखाने के नाम पर ऐसी फूहड़ता परोसी जा रही है कि कई बार फैमिली चैनल में ऐसे कार्यक्रम आते हैं जो परिवार के साथ बैठकर नहीं देखे जा सकते हैं, या असहज महसूस करते हैं। औरतें अपने पसंदीदा टीवी सीरियल देखने के चलते घर का सारा काम-धाम छोड़ देती हैं, जो परिवार में कभी-कभी तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देता है। युवा अधिकतर टाइम सोशल मीडिया पर बिताते हैं जिससे उनका मूल्यवान समय बर्बाद होने के साथ उनका सामाजिक जीवन भी प्रभावित होता है, और वे अपनी पढ़ाई से विमुख होने लगते हैं। लगातार मोबाइल व टीवी पर समय व्यतीत करने से बहुत सारी स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियां जैसे सर-दर्द, सर्वाइकल और पेट से सम्बन्धित समस्या होने लगती है। कई लोग मोबाइल पर गाना सुनने के लिए हेडफोन का प्रयोग करते हैं, और रास्ते में चलते हुए दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ड्राइविंग के समय भी कुछ लोग हैडफोन लगाते हैं, जिससे बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। कई बार सोशल मीडिया और टीवी पर ऐसे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जिससे गलत शिक्षा मिलती है और युवाओं को अपराध करने के नए नए तरीकों का पता चलता है तथा वे अपराधिक कृत्य कर बैठते हैं। कई कार्यक्रमों में सिगरेट व शराब का सेवन खुलेआम दिखाया जाता है युवा फैशनेबल बनने के चक्कर में इन बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। टीवी पर दिखाए जाने वाले स्टंट को युवा अपने घर पर करते हैं, जिससे वे चोटिल हो जाते हैं और कभी-कभी उनकी मौत भी हो जाती है, ऐसा ही कुछ शक्तिमान सीरियल के समय हुआ था। जब यह सीरियल आता था तो बच्चे शक्तिमान की भांति गोल-गोल घूम कर उड़ने का

प्रयास करने लगते थे जिसमें कई बच्चों की जान भी चली गई। ब्लू व्हेल गेम और अन्य ऑनलाइन गेम इसके नवीनतम उदाहरण हैं। मीडिया जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए भी उत्तरदायी है। कई बार चैनल वाले किसी धर्म विशेष के लिए कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे उस धर्म के लोग आहत होते हैं। धर्म विशेष के बारे में दुष्प्रचार और झूठी अफवाहें व्हाट्सएप और फेसबुक द्वारा भी फैलाया जाता हैं, जिससे सांप्रदायिक माहौल खराब होता है। युवा सोशल मीडिया में इतना उलझा रहता है कि उसका अन्य लोगों से सामाजिक संबंध भी समाप्त हो जाता है और बाद में डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है।

निष्कर्ष–जनसंचार माध्यमों के प्रयोग से ग्रामीण युवाओं के जन–जीवन पर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। जनसंचार के आधुनिक साधनों के प्रयोग से न केवल ग्रामीण युवाओं का बल्कि पूरे ग्रामीण समाज में आमूल–चूल परिवर्तन दिखाई देता है। ग्रामीण समाज के लोग पहले की अपेक्षा ज्यादा जागरूक हुए हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रचारित व प्रसारित किया जा रहा है, जिससे नये भारत का निर्माण हो रहा है। अब किसान व किसान का बेटा दोनों आधुनिक संचार माध्यमों से जुड़कर न केवल उत्पादन बढ़ाने के तरीकों को अमल में ला रहे हैं बल्कि उत्पादों की बिक्री हेतु ऑनलाइन बाजार भी तलाश रहे हैं। इससे एक ओर किसानों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो दूसरी ओर उनकी आमदनी भी बढ़ रही है।

आधुनिक जनसंचार माध्यमों से लैश आधुनिक युवा सरकारी योजनाओं का न केवल लाभ उठा रहे हैं बल्कि लोगों को भी इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। जनसंचार माध्यमों ने न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति युवाओं को जागरूक किया है बल्कि समाज में व्याप्त सामाजिक–कुरीतियों जैसे – बाल–विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या आदि के समाधान हेतु सकारात्मक पहल करने हेतु प्रेरित किया है। ग्रामीण युवा न केवल आधुनिक मूल्यों के अपनाने के प्रति ज्यादा सजग दिखायी देते हैं बल्कि ग्रामीण समाज की सांस्कृतिक विरासतों, सामाजिक मूल्यों व परम्पराओं के अनुरक्षण हेतु भी उतना ही सजग दिखाई दे रहे हैं। जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कायक्रमों से युवाओं को न केवल रोजगार प्राप्त करने में सफलता मिल रही है बल्कि खुद के रोजगार सृजन करने की प्रेरणा भी मिल रही है।

संचार माध्यमों के द्वारा लैंगिक समानता सम्बन्धी प्रचार–प्रसार के कारण लोगों की सोच में परिवर्तन स्प'ट दिखाई दे रहा है। कोविड–19 जैसे गंभीर महामारी के समय लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता लाने से लेकर प्रति पल समस्त विश्व को इस महामारी से जुड़ी हुई सारी खबरों को आम जनमानस तक पहुँचाने का काम इन्हीं माध्यमों के द्वारा सम्भव हो पाया है। जन संचार माध्यमों ने ग्रामीण जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करके ग्रामीण परिदृष्य में एक सकारात्मक परिवर्तन को जन्म दिया है। जिससे ग्रामीण पुरूष, महिलाएँ तथा विशेषकर युवाओं के शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार आदि में वृद्धि हो रही है।

संचार प्रौद्योगिकी जितनी लाभप्रद होती है उतनी ही हानिकारक भी। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसका किस रूप में इस्तेमाल करें। आज का ग्रामीण युवा जनसंचार माध्यमों के मायाजाल में इस तरह फँस गया है कि उसे सही व गलत का पता हीं नहीं है। युवा अपना सारा समय सोशल मीडिया पर देने लगा है, जिससे न केवल उसका कीमती समय बर्बाद हो रहा है बल्कि अपनी पढ़ाई से भी विमुख होता जा रहा है। लगातार टी.वी., मोबाइल, लैपटॉप, कम्प्यूटर पर बैठने व देखने से न केवल उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है बल्कि उसकी मनोवृत्ति व अभिरूचि में भी बदलाव आ रहा है। उसकी सांस्कृतिक प्रतिमानों के प्रति विमुखता से अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयाँ पैदा हो रही हैं। साइबर अपराध का शिकार भी युवा वर्ग ही ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि वे ही ज्यादा आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं।

निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि किसी तकनीक या प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। यदि हम उसका सकारात्मक उपयोग करते हैं, तो निश्चित ही वह लाभकारी होगा और यदि उसका नकारात्मक उपभोग करते हैं, तो वह विनाशकारी ही होगा। आधुनिक जनसंचार तकनीकि का सकारात्मक प्रयोग कर उन्हें जीवन की तरक्की में लगाने की जरूरत है, इससे न केवल स्वयं व्यक्ति का विकास होगा बल्कि परिवार, समाज व देश का भी विकास होगा।सूचना प्रौद्योगिकी एक साधन है, साध्य नहीं। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम कितनी क्षमता, कार्यकुशलता व बुद्धिमत्ता से इसका इस्तेमाल करते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. गीतांजलि मिश्रा, टेलीविजन कार्यक्रमों का बच्चों पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव, राधाकमल मुखर्जी : चिन्तन परम्पर, समाज विज्ञान विकास संस्थान चाँदपुर, (बिजनौर) उ.प्र., अंक-1, जनवरी-जून 2012, पृष्ठ 36
2. संजय जोशी, जनसंचार एवं सूचना तकनीकि के साधन तथा ग्रामीण विकास, राधाकमल मुखर्जी : चिंतन परम्परा, समाज विज्ञान विकास संस्था बरेली (उ.प्र.) अंक-1 जनवरी-जून 2016, पृष्ठ 39
3. अनिल सारी, फिल्म और सामाजिक सिनेमा, योजना प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, अगस्त 2012, पृष्ठ 11
4. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग : यूथ इन इण्डिया 2017 पृष्ठ 13
5. केवल कुमार, 'मॉस कम्यूनिकेशन इन इण्डिया, जिको पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2007, पृष्ठ 97
6. सी. कथिरेसन, ग्रामीण विकास में सूचना प्रबन्धन, कुरूक्षेत्र, अंक-2, दिसम्बर 2018, पृष्ठ 23
7. उमा नरूला, मास कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी : न्यू पर्सपेक्टिव, हर आनन्द पब्लिकोन, नई दिल्ली, 2004 पृष्ठ 53
8. जसराज कौल, इन्फ्लूयेंस ऑफ टी.वी. ऑन सोशल लाइफ, कुरूक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, जनवरी-मार्च, 2008 पृष्ठ 32

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की समस्याऐं आर्थिक एवं सामाजिक नियोग्यताएँ

• वसुधा कुलश्रेष्ठ

सारांश- अनुसूचित जातियों और जनजातियों को भारत के कमजोर और पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत गिना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या 20.13 करोड़ एवं अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10.42 करोड़ है। स्वतन्त्र भारत के संविधान निर्माताओं ने देश के कमजोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विशेष ध्यान रखा और उनके विकास एवं उत्थान के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किये। अनुसूचित जातियों को अस्पृश्य जातियाँ भी कहा जाता है। साधारणतयः अनुसूचित जाति का अर्थ उन जातियों से लगाया जाता है। जिन्हें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सुविधाएँ दिलाने के लिए जिनका उल्लेख संविधान की अनूसूची में किया गया है। इन्हें अछूत जातियाँ दलित वर्ग बाहारी जातियाँ और हरिजन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अनुसूचित जातियों को ऐसी जातियों के आधार पर परिभाषित किया गया है जो घृणित पेशों के द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करती है। अस्पृश्यता का सम्बन्ध प्रमुखतः पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा से है हिन्दू समाज में कुछ व्यवसायों या कार्यों को पवित्र एवं कुछ को अपवित्र समझा जाता है यहाँ मनुष्य या पशु-पक्षी के शरीर से निकले हुए पदार्थों को अपवित्र माना गया।

मुख्य शब्द - कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अस्पृश्य जाति

प्रस्तावना- अस्पृश्यता का तात्पर्य है "जो छूने योग्य नहीं है" अस्पृश्यता एक ऐसी धारणा है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने देखने और छाया पड़ने मात्र से अपवित्र हो जाता है। भारत की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007-08 में देश में अनुसूचित जाति 19.99 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 8.6 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 42.3 प्रतिशत तथा अन्य जातियाँ 29.2 प्रतिशत थीं। पंजाब में 36.7 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 29.2 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 28.4 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 25.8 प्रतिशत, हरियाणा में 25 प्रतिशत, उत्तराखण्ड में 20.7 प्रतिशत, बिहार में 20.2 प्रतिशत, राजस्थान में 19.2 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश में 17.6 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है।

देश की अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का लगभग 79 प्रतिशत केवल 10 राज्यों में निवास करता है- पंजाब में 31.9 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 25.2 प्रतिशत,

• **असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, जे.एस. यूनीवर्सिटी शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)**

पश्चिम बंगाल में 23.5 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 20.7 प्रतिशत, हरियाणा में 20.2 प्रतिशत, तमिलनाडु में 20 प्रतिशत, उत्तराखण्ड में 18.8 प्रतिशत, राजस्थान में 17.8 प्रतिशत, त्रिपुरा में 17.8 प्रतिशत तथा ओड़िसा में 17.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (SC ST Act) भाग : 8 अधिनियम के अन्तर्गत विशेष न्यायालय क्या है ? (धारा-14) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत अधिनियम से सम्बन्धित अपराध धारा 3 में उल्लेखित किये गये हैं। उनके विचारण के लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था इस अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत दी गयी है। इस आलेख के अन्तर्गत विशेष न्यायालय पर न्याय निर्णय सहित टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है जैसा कि इस अधिनियम को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों के निवारण के उद्देश्य से बनाया गया है। इस अधिनियम में वे सभी व्यवस्थाएँ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं। जिनके अभाव में इन जातियों के लोगों को सम्पूर्ण न्याय प्राप्त नहीं हो पाता है। किसी मामले का विचारण किसी विशेष न्यायालय द्वारा किया जाता है। तब विचारण में न्यायालय को सुविधा रहती है तथा न्यायालय के समक्ष कार्यभार भी कम होता है। जनजाति के व्यक्ति जिन प्रमुख समस्याओं का सामना करते हैं वे हैं-

- उनके पास अलाभकर जमींने होती हैं, जिससे उनकी पैदावार कम होती है और इस कारण वे सदैव कर्जे में डूबे रहते हैं।
- अधिकांश आदिवासी बहुत कम जनसंख्या वाली पहाड़ियों पर रहते हैं और आदिवासी क्षेत्रों में संचार और यातायात बहुत कठिन होते हैं। इसीलिए आदिवासियों को कस्बों और शहरों से दूर एकाकी जीवन जीने से रोकने के लिए नई सड़कों का जाल बनाना चाहिए।
- आदिवासियों को प्रमुखतया साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। आदिवासियों की इसलिए यह मांग है कि कृषि ऋण राहत कानून बनाये जायें, जिससे कि उनकी गिरवी रखी हुई जमीन वापस मिल सके।

जनजातियों के बीच साक्षरता में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है, तथापि यह सामान्य जनसंख्या की तुलना में अभी भी बहुत ही कम बनी हुई है। वर्ष 2009-10 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) (66वें चक्र) की 15 वर्ष एवं उससे अधिक की आयु वाली आबादी के लिए प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 47 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 21.8 प्रतिशत लोग निरक्षर थे। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में जहाँ 24.2 प्रतिशत लोग प्राथमिक स्तर तक शिक्षित थे, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इसका समरूपी आँकड़ा 17.1 प्रतिशत का था। इसी प्रकार से जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 1.6 प्रतिशत जनजातीय लोग स्नातक तथा उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, वही शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशत तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक ऊँचा 12.6 प्रतिशत का था। इस प्रकार से जनजातीय लोगों के बीच निम्न साक्षरता की पहचान विकास सम्बन्धी एक बड़ी समस्या के रूप में की गई है।

जनजाति विकास कार्यक्रमों ने आदिवासियों के आर्थिक स्तर को उठाने में अधिक सहायता नहीं की अंग्रेजों की नीतियों ने आदिवासियों का कई प्रकार से भीषण शोषण किया, क्योंकि उसने जमींदारों, भूस्वामियों, साहूकारों, जंगल के ठेकेदारों और आबकारी, राजस्व और पुलिस अधिकारियों का पक्ष लिया। आदिवासियों में से 90 प्रतिशत खेती करते हैं और उनमें से अधिकांश भूमिहीन हैं और स्थान बदल-बदल कर स्थानान्तरित कृषि करते हैं। उन्हें खेती के नये तरीके अपनाने में मद्द करनी चाहिए। बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले व्यक्तियों की आय के अनुपूरक स्रोतों का पता लगाने में सहायता की आवश्यकता है, जैसे- पशुपालन, मुर्गी पालन, हथकरधा, बुनाई और दस्तकारी क्षेत्र का विकास।

देश के 31 राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों में कुल मिलाकर ऐसे 1,241 जातीय समूह इत्यादि हैं, जिन्हें अनुसूचित जातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार उनकी कुल आबादी 20.14 करोड़ की है तथा वे देश की कुल आबादी के 16.60 प्रतिशत भाग का गठन करते हैं। वर्ष 2001-2011 की अवधि में अनुसूचित जाति की आबादी में 20.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि कुल आबादी के द्वारा 121 करोड़ का आँकड़ा स्पर्श किये जाने के लिए दशकीय आधार पर 17.64 प्रतिशत की वृद्धि को दर्ज किया गया।

अनुसूचित जनजातियों के समान ही अनुसूचित जातियाँ भी पूरे देश में फैली हुई हैं। सन् 2011 में अनुसूचित जातियों का राज्यवार विवरण इस प्रकार था। उत्तर प्रदेश 20.50 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल 16.70 प्रतिशत, बिहार 8.20 प्रतिशत, तमिलनाडू 7.20 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश 6.90 प्रतिशत, महाराष्ट्र 6.60 प्रतिशत, राजस्थान 6.10 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 5.20 प्रतिशत, पंजाब 4.40 प्रतिशत, ओडिशा 3.60 प्रतिशत तथा शेष 15 प्रतिशत हैं। अनुसूचित जातियों के अनुपात के मामले में शीर्ष पर निम्न पाँच राज्य हैं-

1.	पंजाब	31.90 प्रतिशत
2.	हिमाचल प्रदेश	25.20 प्रतिशत
3.	पश्चिम बंगाल	23.50 प्रतिशत
4.	उत्तर प्रदेश	20.70 प्रतिशत
5.	हरियाणा	20.20 प्रतिशत

अनुसूचित जातियों के अनुपात के मामले में नीचे के निम्न पाँच राज्य हैं-

1.	मिजोरम	0.10 प्रतिशत
2.	मेघालय	0.60 प्रतिशत
3.	गोवा	1.70 प्रतिशत
4.	दादर एवं नगर हवेली	1.80 प्रतिशत
5.	दमन एवं द्वीप	2.50 प्रतिशत

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की निर्योग्यताएँ

आर्थिक निर्योग्यताऐं निम्न हैं -

- अपने परम्परागत पेशों को छोड़कर हरिजनों को यह अधिकार नहीं था कि वह ऊँची जातियों के पेशों को स्वतन्त्रतापूर्वक चुन सकें। अस्पृश्यता की धारणा के कारण अभी हाल तक उन्हें सब तरह के पेशों को करने की छूट नहीं थी जैसे- एक भंगी के लिए मिठाई की दुकान खोलना असम्भव था। इस निर्योग्यता के कारण हरिजनों की आर्थिक स्थिति आज बहुत दयनीय है।
- हरिजनों को खेती करने का अधिकार नहीं था वे अधिकतर भूमिहीन श्रमिक थे। जमींदारी प्रथा के समाप्त होने से पूर्व इनमें गुलामों की तरह बेगार ली जाती थी।
- गाँधी जी के शब्दों में, डॉक्टर यदि डॉक्टरी छोड़ दे तो उसके रोगी का सर्वनाश हो जाये किन्तु यदि अछूत अपना काम बन्द कर दे तो जगत का ही विनाश हो जाये।
- अस्पृश्यता की धारणा के कारण मिल फैक्ट्री आदि में अनेकों अच्छे पदों पर काम करने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। उन्हें केवल वे काम ही मिलते हैं जो कोई नहीं करता है। योग्यता होने पर भी उचित काम न मिलने से उत्पादन को काफी धक्का पहुँचता है। और उनकी आर्थिक स्थिति गिर जाती है।

सामाजिक निर्योग्यताएँ- अस्पृश्यता की धारणा ने हरिजनों को समाज में निम्नतम स्थिति प्रदान की है। इसी कारण ऊँची जातियों के सभी व्यक्ति उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उनके स्पर्श से ही न केवल बचा जाता है। बल्कि उनके दर्शन और छाया तक भी उन्हें अपवित्र करती है। एक मानव का दूसरे मानव के द्वारा ही इतना अपमान उनकी निर्योग्यता का चरम कटु रूप है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले तक हरिजनों के लड़के-लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में भर्ती होने से रोका जाता था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की स्वतन्त्रता नहीं थी। यही कारण था कि शत प्रतिशत लोग अशिक्षित थे।

अनेक स्थानों में हरिजन उन सड़कों पर चल नहीं सकते थे जिन पर ऊँची जाति के लोग चलते थे उनके लिए अलग सड़क थी। उसी प्रकार वे उन कुओं से पानी नही भर सकते थे या उन तालाबों को व्यवहार में नही ला सकते थे जिन्हें उच्च जाति के लोग व्यवहार में लाते थे। छात्रवासों में रहने, होटल, जलपान गृह आदि में घुसने के सम्बन्ध में अनेक नियोग्यतायें उन पर लाद दी गईं थीं।

जिस प्रकार हरिजनों को बाल बनवाना साफ कपड़े पहनना, सोने के जेबर आदि व्यवहार करने और गाँव में रहने की आज्ञा नहीं थी उसी प्रकार ऊँची जातियों के किसी भी व्यक्ति के निकट आने पर सम्मानपूर्वक खड़े हो जाना उनके लिए अनिवार्य था। हरिजनों को शहरों में भी उन मोहल्लों में रहने नहीं दिया जाता है, जिनमें ऊँची जाति के लोग रहते हैं। उनके लिए अलग बस्तियाँ होती हैं। अछूतों का भी अपना एक संगठन है और हिन्दुओं की भाँति उनमें भी असंख्य उपजातियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक अपनेको श्रेष्ठ प्रमाणित करने का प्रयत्न करती है। एक मोची एक धोबी एक मेहतर को कभी नहीं छूता है। भारत में ऐसे भी स्थान हैं जहाँ न केवल ब्राह्मण लोग ही हरिजनों के स्पर्श से बचने की कोशिश करते हैं

बल्कि हरिजन लोग भी ब्राह्णों के पास जाना या उन्हें देखना अच्छा नहीं समझते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक संगठन पर और फिर उनके फलस्वरूप पैदा होने वाली समस्याओं पर विचार करें।

अधिकतर जन जातियाँ अनपढ़ खेती करती रही हैं इसे ''झूम कृषि'' या अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। ''झूम कृषि'' में बहुत कम मेहनत या देखभाल करनी पड़ी है, किसी महत्वपूर्ण वस्तु या बल की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें वर्षा ऋतु के पहले कुदाल या कुल्हाड़ी से वन भूमि पर लगे पेड़ व झाड़ काट डाले जाते हैं। फिर उनमें आग लगाकर उन्हें भस्म में बदल दिया जाता है। इसके बाद उस भूमि पर मनमाफिक बीजों को छितरा दिया जाता है और सब कुछ प्रकृति के जिम्मे छोड़कर फसल की प्रतीक्षा की जाती है। भोजन की कमी की पूर्ति के लिए वे लोग जंगल से सभी प्रकार के खाने योग्य कन्दमूल और फल एकत्र करते या फिर अपने प्रिय जानवरों का शिकार करते हैं।

जनजातीय समुदाय मद्यपान के आदी हैं। पहले वे अपने स्थान पर ही चावल, महुआ के फूल तथा अन्य अनेक वस्तुओं की शराब बनाते और पीते थे बाद में वे हर तरह की खींची हुई शराब पीने लगे। जौन सारी, भील, गोड़ तथा अन्य बहुत सी जनजातियों में सामूहिक मदिरापान का चलन है। यहाँ तक कि बच्चे भी आजादी के साथ शराब का सेवन करते हैं बहुत हद तक स्थानीय परिस्थितियाँ और परिवेश इसके लिए जिम्मेदार है। मदिरा उनके धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक कर्मकाण्ड का भी एक आवश्यक अंश है।

जनजातियों की पारम्परिक आध्यात्मिक दुनिया को नष्ट भ्रष्ट करके उन्हें विभ्रम में डाल दिया अपने देवी-देवताओं में उनकी जो आस्था थी वह डगमगा गयी, जनजातीय मान्यताओं की सभी बातों को ईश्वर विरोधी बताया गया। स्वाभाविक है कि जनजातियों के लोग निरक्षर रहे हैं जब उनके शैक्षिक उत्थान के लिए विभिन्न योजना अपनायी गयी तब-तब उनकी अपनी मातृ भाषाओं में उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा देने का कोई खास ख्याल नहीं रखा गया।

संवैधानिक संरक्षण- स्वतन्त्र भारत के संविधान में उनकी अनेक निर्योग्यताओं को दूर करने के निम्न नियम हैं।

अनुच्छेद-15

- राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
- केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक-(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश(ख) साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थानों के उपभोग के बारे में किसी भी निर्योग्यता प्रतिबन्ध या शर्त के अधीन न होगा।

अनुच्छेद 16- राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में समस्त नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग जन्म स्थान निवास

या इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायेगा। **अनुच्छेद 17-** अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है। और इसका किसी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्ता से उत्पन्न किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो कानून के अनुसार दण्डनीय होगा। **अनुच्छेद 29-** राज्य निधि द्वारा घोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित न किया जायेगा।

अनुच्छेद 38- राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कार्य साघन रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें।

अनुच्छेद 46- राज्य जनता के दुर्बलतम विभागों की विशेषता अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय व सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।

संवैधानिक संरक्षण अनुसूचित जनजातियों- संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 की व्यवस्थाओं के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश में अनुसूचित जनजातियों का विवरण दिया गया है।

अनुच्छेद 29 (2)- सरकार द्वारा संचालित या सरकारी कोष से सहायता पाने वाले शिक्षालयों में उनके प्रवेश पर कोई रूकावट न रखी जायें।

अनुच्छेद 15, 2- दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का उपयोग करने पर लगी रूकावट हटाई जायें जिनका पूरा या कुछ व्यय सरकार उठाती है या जनसाधारण के निर्मित समर्पित है।

अनुच्छेद 25 ख- हिन्दुओं के सार्वजनिक स्थानों के द्वारा कानूनन समस्त हिन्दुओं के लिए खोल दिये जायें।

अनुच्छेद 324, 330, 334- लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए जनसंख्या के आधार पर 25 जनवरी सन् 2015 तक के लिए निश्चित सीटें सुरक्षित कर दी जायें।

अनुच्छेद 16 और 335- यदि सार्वजनिक सेवाओं या सरकारी नौकरियों में जनजातीय लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो सरकार को उनके लिए स्थान सुरक्षित रखने का अधिकार देना और सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करना।

अनुच्छेद 164, 338 तथा पाँचवीं अनुसूची- जनजातियों के कल्याण तथा हितों के प्रयोजन से राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषद् तथा पृथक् विभागों की स्थापना की जाये और केन्द्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाये।

अनुच्छेद 224 और पाँचवीं तथा छठी अनुसूची- अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की जाये।

अनुच्छेद 244 (2)- असम की जनजातियों के लिए जिला और प्रादेशिक परिषद्

स्थापित करने का विधान है। संविधान के भाग 6, अनुच्छेद 164 में असम के अतिरिक्त बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय मंत्रालय स्थापित करने का विधान है।

अनुच्छेद 19, 5- अनुसूचित जनजातियों के हित में भारत में स्वतन्त्रतापूर्वक आने-जाने, रहने और बसने तथा सम्पत्ति खरीदने, रखने और बेचने के आम अधिकारों पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबन्ध लगा सकने की कानूनी व्यवस्था।

अनुच्छेद 25- मनुष्य के देह व्यापार और जबरन मजबूरी पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989- इन जातियों को अत्याचार से पूरी तरह बचाने के लिए सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 बनाया है जो 30 जनवरी 1990 से लागू हो गया है। इसमें बताया गया है कि किन अपराधों को अत्याचार माना जायेगा इनके लिए कड़े दण्ड की व्यवस्था की गई है। राज्यों को भी कहा गया है कि अत्याचार पीड़ितों के आर्थिक व सामाजिक पुनर्वास के उपाय करें। ऐसे मामलों में इस कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के लिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैण्ड को छोड़कर सभी केन्द्रशासित प्रदेशों में विशेष अदालतें हैं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की समस्याओं के हल करने के लिए सुझाव

- जाति प्रथा अभिशाप है परन्तु जाति प्रथा को समाप्त करना कोई आसान नहीं है। इसे कानून द्वारा न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही उचित होगा।
- शिक्षा और प्रचार के द्वारा जाति प्रथा के संरचनात्मक स्वरूप में जो दोष आ गये हैं। उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना होगा।
- सामुदायिक योजना, शिक्षा प्रौढ़ और सामाजिक शिक्षा के विस्तार के द्वारा ग्रामीण जनता के विचारों और अन्धविश्वासों का बदलना सबसे अधिक आवश्यक है।
- अनुसूचित जातियों के पेशों की गन्दगी को मशीनों की सहायता से दूर करने का प्रयास होना चाहिए।
- शारीरिक श्रम को ऊँची जातियाँ घृणा की दृष्टि से देखती है। जिससे ऊँच-नीच की भावना और कटु होती है। मनोभाव को जनमत और प्रचार के द्वारा दूर करना चाहिए।
- अनुसूचित जनजाति की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक समस्याओं का प्रभाव सामाजिक जीवन के और सामाजिक जीवन का प्रभाव धर्म के क्षेत्र में भी है। विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए जो विभिन्न योजनाएँ बनाई जायें। उसमें आपस में ताल-मेल अवश्य बना रहे।
- सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जो भी अनुसूचित जाति और जनजातियों से सम्बन्धित समस्याओं, परम्पराओं को संस्थाओं द्वारा दोष मुक्त करने की आवश्यकता है। शिक्षा का प्रसार होना चाहिए पर वह भी

जनजातीय मनोवृत्ति, पाचन शक्ति को ध्यान में रखते हुए।

- जनजातीय कल्याण के लिए योजनाओं को बनाने में समाजशास्त्रीय तथा मानवशास्त्रियों की सेवाओं का अधिकाधिक सदुपयोग किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. एम. एल. गुप्ता, डी.डी. शर्मा, समाजशास्त्र, पेज 423
2. राम आहूजा, सामाजिक समस्यायें, पेज 155
3. नदीम हसनैन, समकालीन भारतीय समाज, पेज 265
4. धर्मवीर महाजन, डॉ. कमलेश महाजन, भारतीय समाज, पेज 235, 239

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

समाज में स्वास्थ्य एवं पोषण की अवधारणाः एक विश्लेषण

• शुचि मित्तल

सारांश- स्वास्थ्य उन कठिन परिभाषिक शब्दों में से एक है जिसका अधिकतर लोग पूरी तरह अर्थ जानते हुए भी उसकी परिभाषा पूर्ण रूप से नहीं दे पाते। निरोगी अथवा दर्द रहित शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की उचित अवस्था ही स्वास्थ्य है। शरीर या मसितष्क का स्वस्थ होना, उस व्यवस्था का नाम है जिसमें इसके कार्य पूर्णतया एवं कुशलतापूर्वक हो रहे हों। मानव शरीरतन्त्र की वह स्थिति अथवा गुण जो वंशगत और परिवेशगत प्रदत्त परिस्थितियों में शरीर तन्त्र की उचित कार्य प्रणाली को अभिव्यक्त करता है। आहार जीवन का आधार है। प्रत्येक प्राणी के जीवन के लिए आहार आवश्यक है। अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बृहत्काय जंतुओं, मनुष्यों, वृक्षों तथा अन्य वनस्पतियों को आहार ग्रहण करना पड़ता है। वनस्पतियाँ अपना आहार पृथ्वी और वायु से क्रमशः अकार्बनिक लवण और कार्बन डाईआक्साइड के रूप में ग्रहण करती हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधे इन्हीं से अपने भीतर उपयुक्त कार्बोहाइड्रेड, वसा और अन्य पदार्थ तैयार कर लेते हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में विभिन्न अवस्थाओं में आहार एवं पोषण के बारे में सम्यक विवेचन विश्लेणण किया गया है तथा यथोचित सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं।

मुख्य शब्द - स्वास्थ्य, पोषण, आत्मा, शरीरतन्त्र

प्रस्तावना- शरीर को आयुर्वेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधक बताया गया है। हमारा शरीर एक बड़ा कारखाना है, जिसमें बहुत सी मशीने प्रतिक्षण गति में रहती है और अपना-अपना काम पूरा करती है। उनके हर समय गति करने से शरीर का कुछ न कुछ भाग खर्च होते रहता है, जब यह खर्च अधिक बढ़ जाता है तो शरीर में इस खर्च को पूरा करने के लिए आमद की आवश्यकता होती है, जिसका नाम "भूख" है। विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अपनी भूख को शान्त करने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार भोजन को ग्रहण किया जाता है, लेकिन आहार विज्ञान की भाषा में यह भूख शान्त करना मात्र है, भोजन नहीं है, क्योंकि भोजन के हमारे शरीर में कुछ कार्य होते हैं जो इन कार्यों को पूरा करता है, यह संतुलित भोजन होता है। संतुलित भोजन केवल मनुष्य की भूख शान्त नहीं करता बल्कि मानव के शारीरिक मानसिक व सांवेगिक स्वास्थ्य को भी बनायें रखता है। यह वह भोजन है, जो समस्त पौष्टिक तत्वों से उचित मात्रा से युक्त होता है एवं

• सह प्राध्यापक, एस.डी.(पी जी) महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश

तीन प्रमुख कार्य क्रमशः शरीर निर्माण का कार्य, शरीर को उर्जा देना एवं बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण अवधि मानी जाती है। इस दौरान संपूर्ण विकास के लिए सही पोषक तत्वों की अहम भूमिका होती है। एनसीबीआई (नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफार्मेशन) की वेबसाइट पर प्रकाशित शोध के अनुसार, किशोरावस्था में विकास के लिए कैलोरी और प्रोटीन आवश्यक होते हैं। शोध में आगे बताया गया है कि किशोरियों को प्रतिदिन लगभग 2200 कैलोरी और किशोरों को 2500-3000 कैलोरी की जरूरत होती है। साथ ही इस दौरान शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए फैट, कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन और फाइबर जैसे पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है।

आहार के शारीरिक कार्य- आहार के शारीरिक कार्यों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-

1. ऊर्जा प्रदान करना,
2. शरीर की वृद्धि एवं तन्तुओं की मरम्मत करना
3. शरीर की रोगों से रक्षा एवं नियंत्रण करना

इन आवश्यकताओं की पूर्ति कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों से होती है, जिन्हें भोज्य तत्व कहते हैं जिसमें कार्बोज, वसा, प्रोटीन खनिज लवण विटामिन एवं पानी शामिल होते हैं।

ऊर्जा उत्पादन तत्व- कार्बोज एवं वसा ऊर्जा उत्पादक तत्व है। ये शरीर के ताप को संतुलित रखने के लिए कार्य करने के लिए हृदय को गति देने व्यर्थ पदार्थों के निष्कासन मांस-पेशियों का संकुचन आदि के लिए अति आवश्यक है। स्टार्च, शक्कर, सेल्यूलोज आदि में कार्बोज होता है तथा तेल, घी, वनस्पति मक्खन मेवे आदि में वसा अत्यधिक होती है।

वृद्धिकारक तत्व- प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है, क्योंकि यह कोशिका का मुख्य भाग है। मांसपेशिया, रक्त, बाल, तन्तु एवं आंतरिक अंग प्रोटीन की सहायता से ही बनते हैं। यह दूध, मांस, मछली, अण्डा एवं दाल में भरपूर मात्रा में मिलती है।

शरीर के भरण-पोषण के लिए खनिज लवण व पानी का महत्व बहुत अधिक है। हडिड्यों एवं दांतों की संरचना में खनिज लवण सर्वप्रमुख है, जिसमें कैल्सियम, लोहा, एवं आयोडीन प्रमुख है। दूध कैल्सियम का उत्तम स्त्रोत है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ तथा दक्षिण भारतीय अनाज तिल, रागी भी कैल्सियम युक्त होते हैं। दाल, मांस, अण्डे एवं हरी पत्तेदार सब्जी में लौह अंश की अधिकता होती है। जल शरीर के तरल पदार्थों के निर्माण के लिए अनिवार्य घटक है जैसे-रक्त, आंतरिक स्त्राव, एन्जाइम हार्मोन्स आदि। लवणों के द्वारा पानी का संतुलन एवं रक्त के जमने का कार्य होता है।

रक्षात्मक तथा नियंत्रक तत्व- आवश्यक वसीय, अम्ल, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन व पानी कुछेक रक्षात्मक कार्यों जैसे-तरल पदार्थों के परिवहन अम्ल-क्षार के संतुलन, रक्त के जमने, इन्जाइम को क्रियाशील करके तथा शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के अनुसार 2011 में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 15.88 करोड़ थी जो कि भारतीय जनगणना 2011 के इसी आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या से 50 लाख कम है। सकल जनसंख्या में इस आयु वर्ग का अनुपात 13.1 (2011 के अनुसार) तथा 15.9 प्रतिशत (2001 के अनुसार) दर्ज किया गया। यानी 2.8 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। जबकि जन्म के समय शिशु मृत्यु दर एवं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु दर में कमी आई है, ऐसा एसोचैम और ईवाई की एक अध्ययन में उभर कर सामने आई है। जिसे 2001 से 2015 के बीच किया गया था, लेकिन रिर्पोट में दावा किया गया कि इस दौरान भारत में कुपोषण की स्थिति बिगड रही है। रिर्पोट के अनुसार 40 प्रतिशत बच्चे अंडरन्यूट्रीशन के शिकार थे। 37 प्रतिशत बच्चों का वजन औसत से कम था। 21 प्रतिशत की ऊँचाई सही नहीं थी तथा 8 प्रतिशत की हालत तो अतिदयनीय थी। वजन सामान्य से काफी कम वाले राज्यों में झारखण्ड 42 प्रतिशत, बिहार 37 प्रतिशत, मध्यप्रदेश 36 प्रतिशत उत्तरप्रदेश 34 प्रतिशत तथा मणिपुर 14 प्रतिशत प्रमुख थे। ग्रामीण भारत के उत्तर भारत के शहरों में एक अलग तस्वीर विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनीसेफ की एक रिर्पोट के अनुसार U.S.A तथा चीन के बाद भारत मोटापे के मामले में तीसरे स्थान पर है। इस आयु वर्ग के बच्चों में ग्रामीण इलाकों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर तथा मरास्मस प्रमुख विकार है। जबकि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स तथा आयोडीन की कमी से घेघा (ग्वाइटर) रोग प्रमुख है। भारत में बाल निमोनिया एक गंभीर (बीमारी) जो कि 5 वर्ष तक की आयु में कभी भी हो सकती है। बुखार, खांसी और सांस तेजी से चलना इसके लक्षण है। इसके साथ ही मौसम के साथ बच्चों में दस्त एवं निर्जलीकरण की समस्या भी देखी जाती है।

ऐसे कुपोषण से निपटने के लिए सरकार को नीतियां बनाकर सामजिक भेद को कम करना होगा, साथ ही ये बातें भी सुनिश्चित करनी होगी कि स्वास्थ्य सुविधाएँ सभी तक एक समान रूप से पहुँचे। ग्रामीण इलाकों में अधिकांश स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता और निजी चिकित्साकर्मी बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित नहीं है। खास बच्चों की देखभाल के लिए चलाये गये आंगनवाड़ी कार्यक्रम भी पूरक पोषण और टीकाकरण तक ही सीमित है।

6-12 आयु वर्ग (विद्यालयी) के बालकों/बालिकाओं के लिए आहार एवं पोषण व्यवस्था- भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार 6 से 12 आयुवर्ग के बालक/बालिकाओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16.9 प्रतिशत है। 6-12 आयुवर्ग के बालकों की लंबाई प्रतिवर्ष लगभग 4 से 7.7 से.मी. बढ़ती है, वही बालिकाओं की लंबाई 4.9 से 7.2 से.मी. बढ़ती है जबकि भार में 2.3 से 5.2 कि. ग्रा. का परिवर्तन होता है। 14 वर्ष के वाद इसके भार में मंदगति से परिवर्तन होता है। अतः स्कूल जाने वाले इस आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं को उर्जा की अत्याधिक आवश्यकता रहती है। यदि उनकी उर्जा आवश्यकता पूर्ण न होगी तो वह इतना क्रियाशील नहीं रह पाएगा। अतएव इस अवस्था में कैलोरी की दैनिक आवश्यकता 2000 कैलोरी है जिसके लिए उचित भाग में कार्वोहाइड्रेट तथा वसायुक्त पदार्थ होने चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों के आहार में प्रोटीन का होना अति आवश्यक है वर्ना

उसके विकास एवं वृद्धि की दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आई सी. एम. आर. न्यूट्रीशन ग्रुप के अनुसार इस वर्ग के बालकों को प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता 20-60 ग्राम है। जिसके लिए इनके आहार में अण्डा, मांस, मछली तथा दूध को सम्मिलित करना अति आवश्यक है। खनिज लवण में विशेषकर कैल्शियम व फास्फोरस दांतों व अस्थियों के निर्माण सह इनको सुदृढ़ रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूध व इसके अन्य उत्पाद मेवे आदि इसके उत्तम स्त्रोत है।

लौह तत्व-हीमोग्लोबिन के संश्लेशण के लिए आवश्यक है, इसकी कमी बच्चे को कमजोर कर देता है तथा इसका चेहरा पीला पड़ जाता है। इण्डियन काउन्सिल और मेडिकल रिसर्च केन्यूट्रीशन एक्सपर्ट ग्रुप ने इस वर्ग के लिए 20-35 मिलीग्राम लौह तत्व प्रतिदिन निर्धारित किया है। बालकों की विभिन्न विटामिनों की आवश्यकता को पूर्ण करना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी जानते है कि बच्चे एक साथ ज्यादा मात्रा में भोजन नहीं कर सकते अतः उन्हें छोटे-छोटे अन्तराल से भोजन देना चाहिए जिससे कि पोषण आवश्यकता पूर्ण होती रही। लेकिन अनेक कारणों से कुपोषण की समस्या इस आयु समूह में कमोवेश पाई जाती रही है। जिसके मूल कारणों की खोज के बाद M.D.M को समस्या का सबसे अच्छा समाधान महसूस किया गया। मध्यान भोजन योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके अन्तर्गत पूरे देश के प्रारंभिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों के पोषण स्तर को उन्नत करना है। मिड डे मिल योजना की शुरूआत 15 अगस्त 1995 को किया गया। यह योजना निर्धन बच्चों की शिक्षा एवं पौष्टिक आहार की उपलब्धता की दृष्टि से सोने पे सुहागा के रूप में साबित हुई है।

किशोरावस्था में आहार एवं पोषण- किशोरावस्था को तूफानी अवस्था/संक्रमण की अवस्था आदि नाम से भी पुकारा जाता है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन अतितीव्र गति से होते हैं। इस आयु में यह कथन सही बैठता है कि स्वस्थ किशोर, किशोरियाँ ही भविष्य के स्वस्थ माता पिता होते हैं जो कि अपने बच्चों का उचित पोषण करने में समर्थ होते हैं। इस अवस्था में एफ. एन. बी. के अनुसार 2400 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता निर्धारित की गई है। किशोरावस्था में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि आहार विशेष रूप से प्रोटीन युक्त हो जिसमें दूध, पनीर, मांस, अण्डे को सम्मिलित करना चाहिए। इस आयु में कैल्शियम की कमी होने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि हड्डियों को सुदृढ़ता इसी अवस्था में मिलती है। जिसके लिए दूध का सेवन अच्छा विकल्प है। इस आयु में लड़कियों में प्रतिमास रक्त के प्रवाह से लोहे की हानि होने लगती है। अतः भोजन का विशेष महत्व होता है। महिलाओं एवं बच्चों में एनीमिया भारत के आधी सदी से एक बड़ी समस्या बनी हुई है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाएँ की कम मात्रा होती है। इसमें खून के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक आक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है और कई स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा होती है। भारत में 20 प्रतिशत मातृ मृत्यु का कारण प्रकारान्तर से यही है क्योंकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार 53.1 प्रतिशत महिलाएँ

58.4 प्रतिशत बच्चे तथा 22.7 प्रतिशत युवा एनीमिया से ग्रसित है। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2017 के अनुसार प्रजनन उम्र (15-49 वर्ष) की 51 प्रतिशत स्त्रियाँ एनीमिया से पीड़ित है। इंडिया स्पेंड के अक्टूबर 2016 के एक रिपोर्ट के अनुसार 2005 के बाद से लोहे की कमी से एनीमिया भारत में विकलांगता का प्रमुख कारण है। हलाँकि इसके लिए B9 एवं B12 की अपर्याप्त भी प्रमुख कारण हैं। सरकारी स्तर पर बच्चों को मुफ्त फोलिक एसिड की गोली का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2013 में राष्ट्रीय आयरन प्लस कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिसके तहत सरकार विपरीत हीमोग्लोबीन स्तर और गर्भावस्था की स्थिति के सभी प्रजनन उम्र की महिलाओं को पूरक प्रदान करती है। शोधकर्त्ताओं के अनुसार इस आयु में लड़के व लड़कियों को विटामिन सी एवं डी की विशेष आवश्यकता होती है जो कि दूध एवं साइट्रिक फलों से पूरी की जा सकती है। किशोरावस्था में संतुलित आहार का कितना महत्व होता है। किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है, इसलिए संतुलित पोषण का होना जरूरी है।

किशोरावस्था में संतुलित आहार (ग्राम/दिन)

खाद्य पदार्थ	युवक 16-18 वर्ष		युवतियां 13-18 वर्ष	
	शाकाहारी	मांसहारी	शाकाहारी	मांसाहारी
खाधान	420	420	320	320
दालें	70	50	75	50
हरी सब्जी	100	100	50	150
स्कंद व मूल	30	30	30	30
दूध	250	150	250	150
तेल व घी	30	30	25	25
चीनी/गुड़	30	30	30	30
मुंगफली	60	40	50	40
मांस, मछली, अण्डा	....	15	....	15

प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में आहार एवं पोषण - प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में आहार संबंधी आवश्यकताओं में विशेष अंतर नहीं आता लेकिन वृद्धावस्था में क्रियाशीलता घटने के कारण कैलोरी एवं थाइमिन की आवश्यकता अवश्य कुछ कम हो जाती है। प्रोढ़ावस्था एंव वृद्धावस्था में आहार को नियोजित करते समय विटामिन 'सी' विटामिन डी, विटामिन बी 1 तथा बी 2 की उचित मात्रा का ध्यान रखना चाहिए तथा भोजन में इसके प्रमुख स्त्रोतों का प्रयोग करना चाहिए ताकि शरीर की पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता भली भांति पूर्ण हो सके। प्रोढ़ावस्था कार्यशील अवस्था है अत: उर्जा की आवश्यकता को देखते हुए भोजन के अधिक वसा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वृद्धावस्था में कम वसा प्रयोग होना चाहिए क्योंकि इसका पाचन अधिक नहीं हो पाता है। वृद्धावस्था में अस्थियों की कमजोरी के कारण 500 मि.ग्रा. कैल्शियम प्रतिदिन आहार में मिलना

चाहिए जिसे दूध, दूध से बने पदार्थ, सूखे मेवे व हरी सब्जियों से प्राप्त किया जा सकता है। 15-49 आयु वर्ग की स्त्रियों में रजोधर्म, गर्भधारण तथा स्तनपान के कारण लौल तत्वों की कमी हो जाती है तथा वे एनीमिया के शिकार हो जाते हैं अतः उनके आहार में हरी पत्तेदार सब्जियाँ सूखे, मेवे, मांस आदि लौहयुक्त खाद्य पदार्थ अवश्य होने चाहिए भारत में 40 प्रतिशत लोग एनीमिया से ग्रसित हैं अतः पुरूषों को 20 मि. ग्रा. तथा स्त्रियों को 30 मि. ग्रा. तक प्रतिदिन लौह तत्व की आवश्यकता होती है। वृद्ध व्यक्तियों को प्रोढ़ों की अपेक्षा भोजन कम मात्रा में किन्तु अधिक बार देना उचित होता है।

निष्कर्ष- भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन जल तथा खनिज लवण शरीर की आवश्यकतानुसार हो तभी वह व्यक्ति विशेष के लिए संतुलित आहार होता है। इस दिशा में पोषण वैज्ञानिकों ने अनेक सर्वे किये तथा उन्हीं के आधार पर विभिन्न पोषण संस्थानों ने भिन्न-भिन्न लोगों के लिए भिन्न-भिन्न पोष्टिक तत्वों की मात्रा का निर्धारण किया है। वयस्कों की अपेक्षा शिशु तथा तरूण बालकों को अत्यधिक मात्रा में पोष्टिक तत्वों की जरूरत होती है जिसका मुख्य कारण उसका शारीरिक विकास है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. भारत की जनगणना, भारत सरकार नई दिल्ली, 2011, पृ. सं.-23-33
2. वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे, भारत सरकार नई दिल्ली-2011-16, पृ. सं. 9
3. राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण, भारत सरकार नई दिल्ली-2016, पृ. सं. 33 से 35
4. सैम्पल रजिस्ट्रेशन प्रणाली बुलेटिन, भारत सांख्यिकी विभाग नई दिल्ली, 2015
5. योजना, योजना भवन नई दिल्ली-2019 पृ. सं.-26 से 29
6. आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार नई दिल्ली नवम्बर 2019, पी.-25, पृ. सं. 26

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

पर्यावरण और मानवाधिकार : 21वीं सदी के ज्वलंत मुद्दे और चुनौतियाँ

• दीपक कुमार दिनकर

सारांश- आज पूरी दुनिया भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के दौर से गुजर रही है। दरअसल भूमंडलीकरण की पूरी प्रक्रिया ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विकास को विकास के नाम पर प्रकृति- पर्यावरण को नष्ट- भ्रष्ट करने का लाईसेन्स दे दिया है। इस काम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी साम्राज्यवादी ताकतों का खिलौना बनी हुई है। वस्तुतः, पर्यावरण और मानवाधिकार समकालीन जगत का एक जरुरी विमर्श है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकार में काफी गहरा रिश्ता भी है; क्योंकि स्वच्छ प्रकृति-पर्यावरण की उपलब्धता मानवाधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। साथ ही मानवाधिकार और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक भी हैं। जल, जमीन, जंगल, जानवर एवं जन में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है प इनका समुचित संतुलन ही पर्यावरण की उत्त्कृष्टता को दर्शाता है। आधुनिक विकास नीति आम लोगों को प्रकृति प्रदत संसाधनों से वंचित कर उनके जीवन को दुभर बना रही है। इसमें कहीं न कहीं राजसत्ता की भी भागीदारी है जो आज प्रकृति- पर्यावरण को येन- केन- प्रकारेण पूंजीपतियों को सौपनें में लगी है। राजसत्ता यह भूल गई है की प्राकृतिक संसधानों पर उनके आश्रितों का अधिकार है, वह किसी पूंजीपति के लोभ- लालच एवं ऐयाशी की चीज नहीं है। यदि शासन- सत्ता आम लोगों के अधिकारों की रक्षा हेतु संवेदनशील नहीं हुई तो जगह- जगह चल रहा जनसंघर्ष विकराल रूप धरण करेगा क्योंकि सभ्य एवं शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए पर्यावरण और मानवाधिकार दोनों का संरक्षण आवश्यक है।

मुख्य शब्द - पर्यावरण, मानवाधिकार, भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, प्राकृतिक संसाधन, राजसत्ता

प्रस्तावना- 'पर्यावरण और मानवाधिकार' समकालीन जगत का एक जरुरी विमर्श है साथ ही पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकार में काफी गहरा रिश्ता भी है; क्योंकि स्वच्छ प्रकृति पर्यावरण की उपलब्धता मानवाधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है प वास्तव में भोजन, वस्त्र, आवास एवं शिक्षा आदि सभी मूलभूत जरूरतों की उपलब्धता भी तभी सार्थक साबित हो सकती है जब प्रकृति-पर्यावरण संतुलित एवं संरक्षित रहे।

• सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, एस.एम. कॉलेज, भागलपुर, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार

इतना ही नहीं, जीवन–रक्षा का मौलिक अधिकार भी बगैर अनुकूल प्रकृति–पर्यावरण के किसी काम का नही है

जाहिर है की मानव जीवन की रक्षा हेतु प्रकृति–पर्यावरण के सभी अवयवों के बीच समुचित सामंजस्य व समन्वय का होना अनिवार्य है। इसके विपरीत, प्रकृति–पर्यावरण का असंतुलन जीव–जन्तुओं सहित मानव जीवन के लिए भी खतरनाक है। यदि सभी प्रकृति के प्रकोप से कुछ लोगों को बचा भी लिया जाता है तो भी मानवीय आवास, भोज्य पदार्थ और अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं को तो क्षति पहुँचती ही है साथ ही इसकी वजह से बड़े पैमाने पर बीमारियाँ भी फैलती है और बहुसंख्य आबादी को 'विस्थान' का दंश झेलना पड़ता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है की आज राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जोर–शोर से पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा वैश्विक स्तर पर उछाला जा रहा है। लेकिन, ऐसे प्रयासों में मुख्यतः प्रभु–वर्ग के हित संरक्षण की बात ही सामने आती है। ऐसे में ये प्रयास मात्र 'दिखावा' और 'छलावा' भर है।

वहीं जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। इसका समुचित संतुलन ही पर्यावरण की उत्कृष्टता को दर्शाता है। अविवेकपूर्ण विकास नीति इन तमाम अवयवों को छिन्न–भिन्न करती है और इससे बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का भी हनन होता है। आधुनिक विकास नीति आम लोगों को प्रकृति प्रदत संसाधनों से वंचित कर उनके जीवन को दूभर बना रही है। इसमें कहीं न कहीं राजसत्ता की भी भागीदारी है जो आज प्रकृति पर्यावरण को येन–केन–प्रकारेण पूंजीपतियों को सौपने में लगी है। राजसत्ता यह भूल गई है की प्राकृतिक संसाधनों पर उनके आश्रितों का अधिकार है। वह किसी पूंजीपति के लोभ–लालच एवं अय्याशी की चीज नहीं है। यदि शासन–सत्ता आम लोगों के अधिकारों की रक्षा हेतु संवेदनशील और सजग नही हुई तो जगह–जगह चल रहा जनसंघर्ष विकराल रूप धारण कर लेगा क्योंकि सभ्य एवं शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए पर्यावरण और मानवाधिकार दोनों का संरक्षण आवश्यक है।

साथ ही मानवाधिकार और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। मानवाधिकार का तात्पर्य मानव अधिकारों से है। ये ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को जन्मजात मिले हैं। ये मनुष्य की प्रकृति में ही निहित है। मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में सम्मान व गरिमा पूर्वक सुरक्षित जीवन–यापन मानव जाति के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तापमान के बढ़ते पारे और जलवायु परिवर्तन ने जिस तरह से पूरे धमक के साथ पर्यावरण के बढ़ते संकट जा आगाज किया है, उसमें मानव की सुरक्षित जीवन यात्रा तभी संपन्न हो सकती है, जब समस्त नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण युक्त मानवाधिकार संरक्षण का अधिकार प्राप्त हो, जिसमे मानव के साथ–साथ सम्पूर्ण जीव–जगत की स्थिति सामान्य बनी रहे। वैसे भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना मानवाधिकारों की तीसरी पीढ़ी के दायरे में आता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित अन्तर्राष्ट्रीय पैनल आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में भविष्य की भयावह तस्वीर पेश की है, जिसके अनुसार यदि निकट भविष्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई उल्लेखनीय और सार्थक प्रयास नही किया गया तो करोड़ों लोग गरीबी, भुखमरी व कुपोषण के कारण काल के गाल में समाने के लिए बाध्य होते चले जाएँगे। पिछले कई

दशकों से तीव्र औद्योगिकीकरण तथा मानव की उपभोक्तावादी नीतियों के चलते पर्यावरण असंतुलन बढ़ गया है।

मानवाधिकार एवं पर्यावरण प्रबंधन पर एक साथ विचार करने से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है की मानवाधिकार का केंद्र बिंदु मनुष्य है तथा जीवन उसका मूलभूत अधिकार है जो पर्यावरणीय दशाओं और तत्वों के पारिस्थितिकीय प्रबंधन पर आधारित है। पर्यावरण प्रबंधन के माध्यम से मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का तरीका बदलना होगा और जीवन को प्रमुख मानते हुए पर्यावरणीय तथ्यों के संरक्षण और विकास के लिए सरकारों के साथ-साथ स्वंय भी जिम्मेवार बनना होगा क्योंकि मानवाधिकार में जहाँ मानव अपने मूलभूत अधिकारों के लिए सरकार एवं प्रशासन तंत्र को जिम्मेदार मानता है वही पर्यावरण प्रबंधन में स्वंय भी उतना ही जिम्मेदार बन जाता है। इसलिए आज आवश्यकता एक ऐसे पर्यावरण प्रबंधन की है जिससे व्यक्तियों के मानवाधिकार भी सुरक्षित रहे। साथ ही आज 'पर्यावरण और मानवाधिकार' पर होने वाले विमर्शों के केन्द्र में आम लोगों को लाना होगा, तभी पर्यावरण के साथ-साथ मानव के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। दुनिया आज एक ध्रुवीय हो गई है। यहाँ सब कुछ अमेरिका के द्वारा एवं अमेरिका के लिए संचालित हो रहा है। यह बात पर्यावरण पर भी हुबहू लागू होती है, दीगर है की अमेरिका ही दुनिया के पर्यावरणीय असंतुलन के लिए सर्वाधिक जिम्मेवार है और वही पर्यावरणीय संकट के समाधान हेतु हो रहे तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय अभियानों का नेतृत्व भी कर रहा है। ऐसे में क्यूटो से लेकर कोपेनहेगन तक के सभी प्रयासों का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाना स्वाभाविक ही है। मगर कोपेनहेगन में जिस तरह से अमेरिका अपनी बातों पर अड़ा रहा और उसने किसी भी सूरत में अपने 'विकास' पर ब्रेक लगाने से इनकार कर दिया इससे तो यही पता लगता है कि आने वाले दिनों में 'पर्यावरण संकट' और भी गंभीर रूप लेने वाला है। इस आशंका को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि कोपेनहेगन में भारत आदि विकासशील देश भी अमेरिका पर दबाब बनाने में नाकामयाब भी रहे और अंततः अमेरिका के पिछलग्गू ही साबित हुए। आज पूरी दुनिया भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के दौर से गुजर रही है। दरअसल भूमंडलीकरण कि पूरी प्रक्रिया ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विकास को विकास के नाम पर प्रकृति- पर्यावरण को नष्ट- भ्रष्ट करने का 'लाईसेन्स' दे दिया है। इस काम में विज्ञान और प्रौधोगिकी भी साम्राज्यवादी ताकतों का खिलौना बनी हुई है। पटनायक के शब्दों में, आधुनिक विज्ञान का पूंजीवाद तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ गठबंधन हो चुका है। इसलिए आधुनिक विज्ञान एवं प्रोधोगिकी प्रकृति- पर्यावरण के साथ एक अनिवार्य हिंसा का रिश्ता रखती है।

अतः आज हमें विकास का मॉडल बदलते हुए विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी के प्रति अपने बढ़ते हुए 'क्रेज' कि भी हद बांधनी होगी, नहीं तो मानव के अधिकारों का घोर उल्लंघन होगा। दरअसल भूमंडलीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। भूमंडलीकरण कि अवधारणा ने जहाँ एक ओर पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोया है और विकास कि एक नयी उम्मीद जगी है वहीं, दूसरी ओर भूमंडलीकरण से सामाजिक असमानता भी बढ़ी है। भूमंडलीकरण की नीतियों के कारण विश्व में भयावह विषमता और बेकारी- बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इससे मानवाधिकारों का घोर

उल्लंघन हो रहा है, एक तरफ मुट्ठी भर आबादी के पास दुनिया के उपलब्ध संसाधनों का अधिकांश हिस्सा है तो दूसरी तरफ बहुसंख्यक जनता को रोजी-रोटी, शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाएँ भी मयस्सर नहीं है। दुनिया की लगभग इक्कासी करोड़ आबादी को दो जून का भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। छोटे- मोटे उद्योग-धंधे की तबाही और अंधाधुंध औधोगिकीकरण- मशीनीकरण के कारण आदिवासी एवं गरीब आबादी के विस्थापन का संकट पैदा हुआ है। देश-दुनिया के समक्ष उत्पन्न ये परिस्थितियां मानवाधिकार के लिए अत्यंत ही खतरनाक है।

आज हमारी सभ्यता और संस्कृति काफी आगे बढ़ चुकी है फिर भी हम मानवों के अधिकारों को सुरक्षित रख पाने में विफल हो रहे हैं इसके पीछे कहीं न कहीं मानव खुद दोषी है। उपभोक्तावादी संस्कृति के हावी रहने से मानव के अधिकारों का उल्लंघन भी तेजी से हो रहा है।

पर्यावरण और मानवाधिकार में गहरा सम्बन्ध है। विचारकों ने मानवाधिकारों के तीन पीढ़ियों का जिक्र किया है। मानवाधिकारों कि तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों को मुहैया कराने का एक माध्यम है। मानवाधिकारों कि तीसरी पीढ़ी (Third Generation of Human Right) एक आधुनिक अवधारणा है और वर्तमान समय का गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों को 'सामूहिक अधिकार' भी कहा गया है जबकि पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में रखे गए हैं।

Third Generation of Human Rights के तहत न केवल राज्य कि सत्ता के बढ़ते हुए निरंकुशतावाद से बचने के उपाय किए गए हैं बल्कि राज्य कि सीमाओं से बढ़कर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को एक मंच पर लाते हुए एक ऐसी जागृति लायी गई है जिससे सम्पूर्ण मानवता का कल्याण जुड़ा हुआ है। Right to Clean Environment को मानवाधिकारों कि तीसरी पीढ़ी के दायरे में रखा जा सकता है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के तहत न केवल राज्य की जिम्मेवारी रह जाती है बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत की जिम्मेदारी हो जाती है। अतः हमें यह समझना होगा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि प्रकृति- पर्यावरण संतुलित नहीं रहा तो हम विकास के लक्ष्यों को कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि पर्यावरण असंतुलित होगा तो हमें सारे विकास कार्यों को बंद करके उसे ठीक करने को मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि तब हमारे जीवन – मरण का प्रश्न बन चुका होगा। लेकिन अच्छा होगा कि हम वैसी स्थिति आने ही नहीं दें, क्योंकि असंतुलित पर्यावरण को पुनः संतुलित करना आसान नहीं है। हमें पहले से ही पर्यावरण हितैषी विकास नीति बनानी चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि, 'इलाज से परहेज अच्छा है'। इसी बात को समझते हुए हमारे पुरखो ने 'सादगी' एवं 'संतोष' का आदर्श प्रस्तुत किया है। इसे ही राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने दूसरे शब्दों में कहा है कि- ' यह प्रकृति हम सबों कि आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है प मगर इसमें हममें से किसी एक के भी असीमित लोभ- लालच को पूरा करने में सामर्थ्य नहीं है।

निष्कर्ष – आज 'पर्यावरण और मानवाधिकार' पर गहन विचार करने की जरुरत है। क्योंकि, पर्यावरण संरक्षण का प्रश्न पूरब- पश्चिम एवं उत्तर- दक्षिण सबों के समान

हित का प्रश्न है। यह कोई एक देश का मसला नहीं है अपितु सम्पूर्ण विश्व समुदाय के लिए एक गंभीर चुनौती है। अब अमेरिका या किसी भी देश को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है की वह विकास के नाम पर प्रकृति- पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। यही कारण है की आज दुनिया के अधिकांश चिन्तक और वैज्ञानिक इस बात की चेतावनी दे रहे हैं की विकास का वर्त्तमान रास्ता विनाश की ओर ले जाना वाला है। भूमंडलीकरण के समर्थक भी प्रकृति परिवेश के संरक्षण और पर्यावरण – संतुलन की बात करने लगे हैं भले ही उनकी नीतियां एवं आचरण इस भावना के विपरीत पड़ते हों। इतना तो तय है की जहाँ बीसवीं सदी के प्रारंभ में अधिकांश लोग विज्ञान एवं विकास के आकर्षण में बौराए हुए थे, वहीं 21 वीं सदी के पूर्वार्द्ध में अब लोग प्रकृति- पर्यावरण के प्रति चिंतित नजर आ रहे हैं।

दरअसल मानवाधिकार समकालीन जगत का एक जरुरी विमर्श है। जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र एवं राष्ट्र की संकीर्णताओं से परे प्रत्येक मनुष्य को उसका हक, हकूक और अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन यह काम केवल राज- सत्ता के भरोसे नहीं हो सकता है। राज्य सत्ता की मौजूदा अवधारणा ही मानव विरोधी है। इसके तंत्र- यंत्र एवं मंत्र में कहीं भी मनुष्य के लिए कोई जगह नहीं है। यह मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता, बंधुता एवं न्याय का हनन करती है। जल, जमीन, जंगल, जानवर एवं जन में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। इनका समुचित संतुलन ही पर्यावरण की उत्त्कृष्टता को दर्शाता है। अविवेकपूर्ण विकास नीति इन तमाम अवयवों को क्षीण-भिन्न करती है और इससे मानवाधिकारों का भी हनन होता है। आधुनिक विकास नीति आम लोगों को प्रकृति प्रदत संसाधनों से वंचित कर उनके जीवन को दुभर बना रही है, इसमें कहीं न कहीं राजसत्ता की भी भागीदारी है जो आज प्रकृति-पर्यावरण को येन-केन-प्रकारेण पूंजीपतियों को सौपनें में लगी है। राजसत्ता यह भूल गई है की प्राकृतिक संसधानों पर उनके आश्रितों का अधिकार है, वह किसी पूंजीपति के लोभ-लालच एवं ऐयाशी की चीज नहीं है। यदि शासन-सत्ता आम लोगों के अधिकारों की रक्षा हेतु संवेदनशील नहीं हुई तो जगह-जगह चल रहा जनसंघर्ष विकराल रूप धारण करेगा क्योंकि सभ्य एवं शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए पर्यावरण और मानवाधिकार दोनों का संरक्षण आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. गौतम, रमेश प्रसाद एवं सिंह, पृथ्वीपाल; भारत में मानव अधिकार, विश्वविद्यालय प्रकाशन, सागर, मध्य प्रदेश, 2001, पृष्ठ- 14.
2. वही, पृष्ठ- 255-267.
3. लाल, राजेश्वर; मानवाधिकार, पुस्तक भवन, नयी दिल्ली, 2009, पृष्ठ- 81.
4. पटनायक, किशन ; विकल्पहीन नहीं है दुनिया, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2001, पृष्ठ- 38-39.
5. वही, पृष्ठ- 67-89.
6. आचार्य, नन्द किशोर; सभ्यता का विकल्प, वाग्देवी प्रकाशन, बीकानेर, 1995, पृष्ठ- 43.

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

वर्षा जल संग्रहण प्रबंधन

• मंजरी अवस्थी

सारांश- रेनवाटर हारवेस्टिंग सिस्टम के तहत प्रकृति प्रदत्त वर्षा का जल खोदे गये गढ्डों में हार्वेस्टिंग के माध्यम से एकत्र कर भूगर्भ जल रिचार्ज किया जाता है। पहले यह प्रणाली राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी के चलते कैचमैंट ऐरिया को संचित करने के लिये प्रयोग की जाती थी।

मुख्य शब्द - कैचमैंट एरिया, एक्टिवेटेड कार्बन, सिक्योरिटी मनी, फाउंडेशन

प्रस्तावना- यह अत्यंत आसान तकनीक है इसके अन्तर्गत वर्षा के जल को व्यर्थ बहने से रोककर इसे नालियों/पाइप लाइनों के माध्यम से इस प्रकार संग्रहित किया जाता है। ताकि इसका उपयोग फिर से किया जा सके। भू जल भण्डारों में वर्षा जल के द्वारा भण्डारण बढ़ाया जा सकता है वर्तमान जल संकट में यह न केवल जरूरी है बल्कि बेहद सस्ता व फायदेमंद भी है।

रूफ टॉप रेनवाटर हावेस्टिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है- बारिश के पानी को हम यहॉ से भी ज्यादा से ज्यादा इकट्टा कर सकते है। रेनवॉटर हार्वेस्टिंग वहीं होनी चाहिए। छत इसके लिये सबसे मुफीद जगह होती है। सोसायटी और खुद की जमीन पर अपने हिसाब से घर बनाने वालों के लिये वाटर हार्वेस्टिंग आसान है और इसे अनिवार्य भी बनाया जा रहा है।

रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करने का तरीका

1. ऊपर बताये हुये छत के क्षेत्रफल के हिसाब से गढ्ढा करा देंगे।
2. सबसे नीचे का हिस्सा कच्ची मिट्टी का होगा।
3. कुछ जगहों पर कच्ची मिट्टी से एक पाइप 50 फीट डाला जाता है। ताकि पानी धरती के नीचे आसानी से पहुंच सके।
4. उसके उपर लगी 40c.m तक पकी हुई ईंट 40/50/63/ मिली मीटर साइज की लगेगी।

वर्षा जल संचयन के लाभ -

- ग्रामीण परिवेश में वर्षा जल संचयन
- वर्षा जल प्रवाह नाली और सीवर के माध्यम से बहता है और बर्बाद हो सकता है। उनका संग्रह और उपयोग किया जा सकता है।
- शहरी क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या में कमी

• सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय, इटारसी (म.प्र.)

- भू जल की गुणवत्ता में सुधार
- सरल किफायती और पर्यावरण अनुकूल संरचनाओं की आवश्यकता। वर्षा जल को बचाकर संचय करने से साल भर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है वर्तमान परिस्थिति में वर्षा जल संचयन अत्यंत उपयोगी हो सकता है। इससे पेड़ पौधों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी। बड़े शहरों में पानी की समस्या बहुत हद तक कमी आ सकती है। इससे सप्लाई वाटर या अंडर ग्राउंड वाटर इस्तेमाल कम होगा और उसकी बचत होगी।

कैसे करें रेनवॉटर हार्वेस्टिंग - सबसे पहले इसे सही तरीके से समझने की जरूरत है। बारिश के पानी को हम जहॉ से भी ज्यादा से ज्यादा इकठ्ठा कर सकते हैं। रेनवॉटर हार्वेस्टिंग वहीं होनी चाहिए छत इसके लिये सबसे मुफीद जगह होती है। सोसायटी और खुद की जमीन पर अपने हिसाब से घर बनाने वालों के लिये वाटर हार्वेस्टिंग आसान है। और इसे अनिवार्य भी बनाया जा रहा है। थोड़ी सी जानकारी लेकर आप खुद भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनावा सकते हैं। यहॉ हम इसकी मोटी जानकारी दे रहें है।

रेन वाटर होर्वेस्टिंग मॉडल - वॉटर होर्वेस्टिंग के लिये गढ्ढे का साइज कितना होगा इसके लिये एक सामान्य फार्म्युला है - छत का एरिया 0/8/0/025 लंबाई और चौड़ाई 1-1 मीटर होगी इस गढ्ढे की क्षमता लगभग 2000 लीटर पानी स्टोर करने की होती है। 1 फिट पानी गढ्ढे खुदवाने के बाद उसमें नीचे की ओर फिल्टर मिडिया लगवाया जाता है। यह ईंट, चारकोल या एक्टिवेटेड कार्बन बालू आदि से मिलकर बनता है।

- इसके ऊपर लगभग 50c.m तक पकी हुयी ईंट 40/50/63 m.m साइज होगी।
- ईंट के उपर लगभग 1.5 -2 m m ऊंचाई तक चारकोल डाला जाता है।
- चारकोल के ऊपर 20 cm ऊंचाई तक रेत भरते हैं।
- रेत के ऊपर जियो टेक्सटाइल में ब्रेन (एक तरफ का वाटर फिल्टर करने वाला कपड़ा जो हार्डवेयर शाप में मिलता जाता है। लगाते है। इसकी कीमत 60 वर्गमीटर है।
- पिट के चारों तरफ त्बब पेनल के साथ ईंट से बाउंड्री बना लेना बेहतर है। पिट को ढकने के लिये लोहे की ग्रिल या प्रीकास्ट स्लेब का उपयोग कर सकते हैं।

ध्यान रखने योग्य बातें - वाटर हार्वेस्टिंग के लिये गढ्ढे का साइज कितना होगा इसके लिये एक सामान्य फाम्युला है। छत का एरिया 0/8/0/025 मान लें कि आपकी छत का एरिया 100 मीटर है। तो 100/0/8X 0.25 = 2 क्यूबिक मीटर आयतन वाला गढ्ढा बनेगा। इस पिट की गहराई 2 मीटर होगी लंबाई और चौड़ाई 1 -1 मीटर होगी। इस गढ्ढे की क्षमता लगभग 200 लीटर पानी स्टोर करने की होती है। पिट यानी गढ्ढे खुदवाने के बाद उसमें नीचे की और फिल्टर मीडिया लगवाया जाता है। यह ईंट चारकोल या एक्टिवेटेड कार्बन बालू से मिलकर बनता है।

- ऊपर बताये हुये छत के क्षेत्रफल के हिसाब से गढ्ढा करवायें।
- सबसे नीचे का हिस्सा कच्ची मिट्टी का होगा।
- कुछ जगहों पर कच्ची मिट्टी से एक पाइप 50 फिट तक डाला जाता है। ताकि धरती के नीचे आसानी से पहुंच सके।

- उसके ऊपर लगभग 50 सेटीमीटर तक पकी उई ईंट लगेगी।

हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने की तैयारी - मानसून आने वाला है। इसे देखते हुये नगर निगम को शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सख्ती से लागू करने की योजना बनाने में लगाया है। निगम ने इसके लिये मॉडल हार्वेस्टिंग सिस्टम का डिजाइन तैयार कराया गया।

चड्ढा एंड एसोसियेट के प्रोपराइटर राजीव चढ्ढ़ा ने मॉडल हार्वेस्टिंग सिस्टम का डिजाइन तैयार कर निगम को सौंपा है। डियाइन के तहत छत का कैचमेंट एरिया जितना होगा उसी के अनुरूप जमीन में होर्वेस्टिंग सिस्टम बनाना होगा। ताकि छत पर जमा होने वाला वर्षा जल सीधे जमीन में जायेगा। निगम ने इसे सख्ती से लागू करने के लिये मकान का परमिशन देने के समय ही हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू करने के लिये सिक्योरिटी मनी जमा करने का निर्णय किया है। मकान के साथ हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने वालों को सिक्योरिटी मनी वापस कर दी जायेगी। लगातार गिर रहे भूगर्भ जल स्तर को देखते हुये वर्षा जल संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। शहरों में छोटे प्लाट पर मकान बन रहे हैं इनमें रेन वाटर होर्वेस्टिंग सिस्टम बनाना संभव नही है। इनमें कम खर्च का डिजाईन बनवाया गया है।

ऐसे रिसर्च पिट इमारत की फाउंडेशन या बेसमें से कम से कम 5 मीटर पर हो।

- ऊपर लिखे फिल्टर मीडिया की जगह पर मल्टीपल लेयर में जूट मैट का भी इस्तेमाल कर सकते है।
- किसी भी तरह का वेस्ट वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर के अन्दर नही पहुंचे।
- रिचार्ज स्ट्रक्चर की गहराई। मीटर तक हो।
- छत से किसी भी तरह के केमिकल से पेंट नही होना चहिए।
- ,छत पर किसी तरह का केमिकल जंग लगा हुआ लोहा, खाद आदि नही होना चाहिये।
- ऐसे किसी भी एरिया में रेनवाटर हार्वेस्टिंग करने की जरूरत नहीं जहॉ मानसून के बाद अंडर ग्राउंड वॉटर का स्तर 5 मीटर या इससे कम हो इससे ज्यादा गहराई पर पानी हो तभी इस की जरूरत है।

कितना खर्च आयेगा

- 15 हजार रूपये छोटे भवन में सिस्टम लगाने पर
- 30 हजार बहुमंजिली इमारत में रिसर्ज पर बनाने पर इतना खर्च आयेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

इंटरनेट और समाचार पत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

मानवता की संरक्षा और संत मत की प्रासंगिकता

• विश्वदीपक उपाध्याय

सारांश- आज मनुष्य के सामने सबसे बड़ा संकट है उसके मानवीय मूल्यों का ह्रास। नैतिकता जैसे बीते युग की बात हो गयी है। नैतिक मूल्यों और चरित्र पर मनन करने के लिए वर्तमान मानव के पास समय ही नहीं है। भौतिकता की ऐसी आँधी चल रही है जिसने सभी मानवीय मूल्यों-दया, प्रेम, परोपकार, करुणा पर दुःखकातरा, त्याग, बलिदान, क्षमा, धैर्य, विनम्रता, सदाचरण, सात्विकता, पवित्रता आदि को उखाड़ फेंका है। वर्तमान व्यक्ति की मानसिकता में अतिशय व्यक्तिवादिता, कामुकता, धनलोलुपता, परोपकार की जगह अहंकार और अतिशय भोगवादी प्रवृत्ति ने घर कर लिया है। अब उसके जीने-मरने का यही मूलाधर बन गया है। 'कनक और कामिनी' का जितना अधिक दुष्प्रभाव समाज में आज है, कदाचित संतों के मध्य युगीन समाज में भी न रहा होगा। संतों ने उस दुष्प्रभाव का काफी हद तक सीमित करने में सफलता भी प्राप्त की है।

मुख्य शब्द - मानवता, मानवीय मूल्य, प्रेम, परोपकार, करुणा

प्रस्तावना- किन्तु आज 'कनक कामिनी' जैसे भौतिक सुखों को पाने की ऐसी अंधी दौड़ का दौर भारतीय इतिहास में इससे पहले शायद कभी नहीं दिखायी दिया। खगोलीकरण के नाम पर पूंजीवादी व्यवस्था धन को सर्वश्रेष्ठ नैतिक मूल्य के रूप में स्थापित कर रही है जिसकी परिणति आर्थिक घोटालों एवं धन की छीना-झपटी के रूप में रही हैं। हर चीज का बाजारीकरण एवं व्यावसायीकरण हो गया है जिसने अपराधीकरण की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। पहले अपराधी तत्व अपनी सुरक्षा के लिए नेताओं को पैसा देते थे किन्तु अब नेता अपनी सुरक्षा के लिए उन्हीं अपराधी-तत्वों पर निर्भर रहने लगे हैं। सुभाष काश्यप लिखते हैं, हम सबके चरित्र गिरे हैं। जीवन में मूल्यों ह्रास हुआ है, स्वार्थपरता, थोथा उपभोक्तावाद बढ़े हैं, देश का संकट केवल राजनीतिक व्यवस्था का नहीं, राष्ट्रीय चरित्र का संकट है। आध्यात्मिक संकट है। आज 'वैष्णव जन तो तेणे कहिये जे पीर परायी जाणे रे' सोचने कहने वाला कहीं नहीं मिलता। लेने की, लूटने की होड़ लगी है। देना कोई नहीं चाहता, सेवा नहीं, सत्ता के लिए ही राजनीति रह गयी है। आगे वे लिखते हैं आज पैसा, कुर्सी, सत्ता, पद और अधिकारियों की लड़ाई ही सब कुछ हो गयी हैं। पढ़े-लिखे लोग, बुद्धिजीवी, राजनेता, प्रशासक, व्यापारी, उद्योगपति, डाक्टर, अध्यापक, विद्यार्थी किसी के लिए कोई आचार संहिता, नहीं है। कोई मूल्य नहीं रह गये हैं।

• शोधार्थी हिन्दी, बी.एन.के.बी. (पी.जी.) कालेज, अकबरपुर, अंबेडकरनगर (उ.प्र.)

जो इन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाता है उसके साथ वही आज भी होता है, जो संतो के समय में होता था; बल्कि आज तो इसे खत्म करने के नये नये हथकंडे अपना लिये गये हैं। संत कबीर इस बात से दु:खी थे कि कोई उनके अनुभूत सच को सुनना नहीं चाहता। लोग सच सुनकर मारने दौड़ते हैं और झूठ पर विश्वास करते हैं–

साधो देखों जग बौराना
सांची कहौं तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना।

मैनेजर पाण्डेय ने इस सम्बंध में लिखा है कि ऐसा दु:ख उसे ही होता है जो अपने समय और समाज के बारे में सजग होता है। उसी सजगता से उपजी है कबीर की कविता जो कालजीवी है और कालजयी भी। वह अपने समय में जितनी सार्थक थी उतनी आज भी है। रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने ऐसी कविता को 'चिर आधुनिक' ठीक ही कहा है। आज भी, कबीर की कविता जो कालजीवी है और कालजयी भी। वह अपने समय में जितनी सार्थक थी उतनी आज भी है। रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने ऐसी कविता को 'चिर आधुनिक' ठीक ही कहा है। आज भी, कबीर का 'पढ़ाई–लिखाई' पर किया गया दो टूक भाष्य कितना सही बैठता है –

पढ़ि–पढ़ि के पत्थर भया, लिखि–लिखि भया जू ईट।
कहै कबीरा प्रेम की लागी न एकौ छीट।

आज पढ़े लिखे लोग क्या ऐसे नहीं हैं? प्रेम की जगह वे जाति–पाति, धर्म–सम्प्रदाय, अगड़ा–पिछड़ा के समुद्र में नौका विहार कर रहे हैं। इस संदर्भ में संतमत आज अत्यंत प्रासंगिक हो गया है जिसके उपयोग से मानवीय मूल्यों की पुन: स्थापना हो सकती है। कबीर ने न तो किसी धर्म को अपनी पहचान का आधार माना और न जाति को। उन्होंने केवल मनुष्य के रूप में अपनी पहचान समाज के सामने रखते हुए कहा था–

"हिन्दू कहों तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाहिं।
पांच तत्व का पूतला गैवी खेलै माहिं।"

साथ ही वे यह भी घोषणा करते हैं, 'हम बासी उस देश के जहाँ जाति बरन कुल नाहीं।' वास्तव में संत कवि केवल अपने युग की चिन्ता के कवि नहीं हैं, वे भारत के अतीत की तेजस्वी ज्ञानधारा और भविष्य की संभावनाओं के कवि हैं।

शरीर की भूख मिटाने वाले व्यक्तियों के बारे में संत कवयित्री सहजोबाई ने जो कहा था, वह आज भी प्रासंगिक है।

कामी अति भिष्टल सदा, चलै चाल विपरीत।
सील नहीं सहजो कहै, नैनन मांहि अनीत।।

आज स्त्रियों से ज्यादा 'कामिनियाँ' समाज में दिखायी पड़ रही हैं। शील का तो नाम ही नहीं है। खगोलीकरण के साथ आये पूंजीवादी मूल्य सरे आम पैसे के बल पर शील का शील तोड़ रहे हैं। आयातित अपभ्रष्ट सांस्कृतिक मूल्य हमारी सुंदर एवं वैज्ञानिक मान्यताओं को भी निगले जा रहे हैं। काम–वासना और लोभ–लालच, स्त्री–पुरुष, पाण्डे–पुजारी, मुल्ला–मौलवी, नेता–अधिकारी सभी पर शासन करने लगे हैं। संत का कामुक स्त्रियों के लिए पातिव्रत्य का संदेश आज अत्यंत प्रासंगिक बन पड़ा है और उसकी उपयोगिता पारिवारिक विघटन को रोकने के लिए आज और भी अधिक बढ़ गयी है।

कनक और कामिनी के सम्बंध में कबीर की वाणी आज भी नर को सचेत करती है-

कबीर एक कनक अरू कांमनी, विषफल कीये उपाय।
देखै ही थैं विष चढ़ै, खाये सूं मरि जाइ।।
कबीर एक कनक अरु कांमनी, दोऊ अगनि की झाल।
देखे तन प्रजलै, परस्यां है पैमाल।।

आज लोभ रूपी मदिरा के सभी दीवाने हैं। हर कोई धन-वैभव के लिए पागल हो रहा है। सभी को घर जोड़ने की ही नहीं, घर भरने की लालसा एवं तत्कृते होड़ लगी हुई है। लोभ-लालच में आकर ही सारे बुरे काम स्त्री-पुरुष कर रहे हैं। लोभी व्यक्ति सारे मूल्यों का विनाशक होता है क्योंकि लोभ महापाप की खान है। चरणदास की वाणी देखी जा सकती है-

लोभ नीच बर्नन करूं महापाप की खानि।
मंत्री जाका झूठ है, बहुत अधर्मी जानि।

संतो ने सारी आसक्तियों का विरोध करते हुए हृदय में सच्चाई एवं पवित्रता को सबसे बड़ा तप बताया। सच्चे दिल इंसान को भगवान समझिये -

सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
जाकै हिरदे साच है, ता हिरदे गुरु आप।

जो संतो की वाणी जा तो कांटा बुवै, ताहि बोव तू फूल । आज हिंसा प्रतिहिंसा की आग में जल रहे समाज को दिशा दे सकती है। कबीर के ये प्रश्न आज भी अपनी प्रासंगिकता रखते हैं-

"कब नारद बन्दूक चलावा।
व्यासदेव कब बंब बजावा।"
"दिन भर रोजा धरत हैं, रात हनत हो गाय।
यह तो खून वह वंदगी, क्यों कर खुशी खुदाय।"

हिंसा और आतंकवाद से जूझ रही दुनिया में संतों की वाणी बहुत उपयोगी है। विश्व मानवतावाद, 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना संतमत में व्याप्त है- 'साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोय' (कबीर), 'हमतौ एक-एक करि जानां' (कबीर) 'सबका लौहू एक है साहब फरमाया (नानक), 'दादू समकरि देखिये' (दादू)।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि संतों ने अपने समय के समाज के कल्याण के लिये जो कुछ कहा, वह आज के पतन की ओर प्रवृत्त समाज के लिये भी उपयोगी हो सकता है। उनकी वाणियों की जितनी उपादेयता और प्रासंगिकता तब थी, उससे कहीं ज्यादा वर्तमान समय में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति संत मत द्वारा निर्दिष्ट सत्य का आचरण करे तो हमारी अनेक समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है।

जन मानस के संताप को दूर करने वाली संतो की पीयूषवर्षी वाणी का मध्यकालीन समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपनी बानियों से आने वाली पीढ़ियों को अजस्त्र प्रेरणा प्रदान की। संतों की वाणियाँ धार्मिक एवं जातीय पाखण्ड तथा शासकों के दमनचक्र के विरोध के परिणामस्वरूप कही गयी थी। आज भी यह भेदभाव एवं शोषण तथा शासकीय दमन चक्र खत्म नहीं हुआ है। वर्तमान शोषण एवं आतंक पर

टिकी व्यवस्था का हर विरोधी संत कवियों की वाणियों एवं विचारों से ऊर्जा एवं प्रकाश ग्रहण करता है। आधुनिक युग के अनेक विचारक, नेता, समाज सुधारक और साहित्यकार संतमत से प्रभावित हुए और प्रेरणा लेते रहे। ऐसे ही महान व्यक्तियों में गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम उल्लेखनीय है। रवीन्द्र नाथ टैगोर मध्यकालीन संतो से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्हें मध्यकालीन संत-कवियों के द्रष्टा के रूप में स्मरण किया जाता है। संतमत का राम गुरुदेव के यहाँ 'सुन्दर' के रूप में चित्रित है। उनमें भी अपने सुन्दर के लिये वहीं छटपटाहट और उसकी झलक मात्र के लिये बेचैनी है। वह भी प्रिय की वंशी ध्वनि सुनकर जैसे-जैसे 'सुन्दर' की ओर बढ़ता है, उसकी दूरी बढ़ती जाती है और अन्तरात्मा की बेचैनी बढ़ती जाती हैं। संत कवि ब्रह्म को मनुष्य के अन्दर ही मानते हैं। टैगोर और भी आगे बढ़कर उसका निवास खेतो खलिहानों में श्रमरत किसानों, धूप में पत्तर तोड़ते हुए मजदूरों मानते हैं-

भजन पूजन साधन आराधना समस्त थाक पड़े।
रुद्ध द्वारे देबालयेर कोणेकेन आछिस ओरे।
अंधकारे लुकिये आपन मने काह रे लुइपुजिस सगोपने।
पाथर भेगे काटछे जेथाय पक्ष खाटध बारोमास।

संत-मत की मानवतावादी चेतना ने रवीन्द्र-साहित्य को प्रभावित किया। संत कवियों के समान टैगोर की भी सहानुभूति दुःखी एवं शोषित व्यक्ति के साथ है। सभी के साथ सम व्यवहार अपनाने वाले टैगोर भी प्रभु का निवास दीन-दुखियों में ही मानते हैं। इसी प्रकार टैगोर की सहानुभूति भी संतो से काफी मिलती है।

महात्मा गाँधी संतों की विचारधारा से सर्वाधिक प्रभावित हैं। संतों के समान ही गाँधी जी ने समाज की विडम्बनाओं एवं क्रूरताओं के विरुद्ध संघर्ष किया। संतों की ब्रह्म विषयक धारणा ने गाँधी जी को भी प्रभावित किया। गाँधी का ईश्वर तुलसी का दशरथ सुत न होकर संतों का निर्गुण 'रघुपति राम' है। उनका भी 'ईश्वर अल्ला' एक ही हैं उनकी रामधुनि की रट में 'गीता' के साथ-साथ 'कुरान' और और 'बाइबिल' का समावेश है। ईश्वर के बारे में वे कहते हैं- "वह हममें व्याप्त है और फिर भी हमसे परे है। वह बड़ा सहनशील है लेकिन वह भयंकर भी है। उसका व्यक्तित्व इस दुनिया में और भविष्य की दुनियों में, सबमें काम करने की ताकत रखता है।" हिन्दू मुस्लिम एकता की जो राह संतों ने दिखायी गाँधी जी उसी पर चले और इस दिशा में वे और भी आगे बढ़े। गाँधी जी, "इस समय आवश्यकता इस बात की नहीं है कि सबका धर्म एक बना दिया जाय, बल्कि इस बात में है कि भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुयायी और प्रेमी परस्पर आदरभाव और सहिष्णुता रखें।" गाँधी जी की भाषा-शैली, रहन-सहन, खान-पान किसी संत से कम नहीं था और वे भी जीवन भर श्रम करते रहे, चरखा चलाते रहे। सत्य और अहिंसा के सभी संत पुजारी थे और गाँधी ने इसकी प्रासंगिकता सिद्ध कर दी कि देश आजादी दिलाकर सत्य अहिंसा के बल पर।

आजादी के बाद राममनोहर लोहिया ने सरकारी भ्रष्टाचार का भण्डाफोड़ जिस प्रखरता-निर्भीकता से संसद और उसके बाहर किया, उससे पहले ऐसे तीखे विरोध का

अन्य उदाहरण नहीं मिलता। समाज और राष्ट्र के लिए उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया। सामाजिक न्याय के वे सबसे प्रखर वक्ता थे। पिछड़ी और दलित जातियों के हित के लिये वे जीवन भर लड़ते रहे। कबीर उनके सबसे प्रिय कवि थे। लोहिया जी कबीर के 'ठगिनिया रे तू काहे नैना इमकावे' और 'माया महा ठगिनी हम जानी' जैसे पदों का प्रयोग तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी की विलासिता-पूर्ण जीवन-शैली के संदर्भ में अक्सर किया करते थे। गरीबों के मशीहा थे और गरीब पिछड़ी जातियाँ आज भी उन्हें वैसा ही स्नेह एवं आदर दिया करती हैं जैसा कबीर को देती हैं।

निष्कर्षतः संत मत की प्रासंगिकता तब भी थी, आज भी है और मानवता के कल्याणार्थरत व्यक्तियों के लिये भविष्य में भी बनी रहेंगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. मैनेजर पाण्डेय - वही, लेख, पृष्ठ 279
2. मैनेजर पाण्डेय - वही, लेख, पृष्ठ 279
3. मैनेजर पाण्डेय - कबीर और आज का समय, पृष्ठ 276
4. संत बानी संग्रह, भाग 1, पृष्ठ 159
5. डॉ. माता प्रसाद गुप्त - कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ 67
6. चरणदास - संतबानी संग्रह, भाग 1, पृष्ठ 149
7. कबीर - संतबानी संग्रह, भाग 1, पृष्ठ 46
8. कबीर - संतबानी संग्रह, भाग 2, पृष्ठ 236
9. कबीर - वचनावली (मिथ्याचार 179), पृष्ठ 236
10. गीतांजली, पृष्ठ 137
11. हिन्दी नवजीवन, 5-3-1925, पृष्ठ 238
12. हिन्दी नवजीवन, 5-3-1925, पृष्ठ 33

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का विकास

• निशा राठौर

•• जितेन्द्र सिंह

सारांश- शिक्षा की नीव स्वतंत्रता से पूर्व ही पड़ चुकी थी। उस समय प्रदेश में 05 विश्वविद्यालयों तथा 16 महाविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी तथा उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रमुख रूप से प्रशासनिक सेवाओं के लिए महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को तैयार कराना था। स्वतंत्रता के पश्चात् उच्च शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया। प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न व्यवसायों, उद्योगों तथा सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। विकास योजनाओं के कार्य में कुशल प्रशासन देना, अनुसंधान के द्वारा वर्तमान समस्याओं का समाधान करना, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध कराना, आज उच्च शिक्षा द्वारा ही संभव हो सका है। इस प्रकार से उच्च शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होता गया अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के पश्चात् उच्च शिक्षा का विकास अति तीव्रगति से हुआ हैं।

मुख्य शब्द - शिक्षा, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, केंद्रीय, राज्य, सम, निजी।

प्रस्तावना- स्वतंन्त्र भारत की निरंतर बदलती सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता थी जो नवयुवकों को एक नई दिशा प्रदान कर सके। जिससे वे भारत को विश्व में एक निश्चित स्थान दिला सकें।[1] इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 4 नवंबर 1948 कों डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। आयोग का मुख्य उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उन सुधारों तथा विस्तारों के विषय में सुझाव देना था जो देश की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वांछनीय था। वर्ष 1949 में कमीशन ने अपने सुझाव दिए जो निम्न थे-[2]

- माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष की हो।
- परीक्षा के दिनों को पृथक कर विश्वविद्यालयों में कम से कम 180 दिन की कक्षाएं होनी चाहिए।
- उच्च शिक्षा तीन श्रेणी की हो सामान्य शिक्षा, उदार शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा।
- कृषि, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, कॉमर्स आदि की शिक्षा को अधिक

• एसोसिएट प्रोफेसर, आगरा कॉलेज आगरा

•• शोधार्थी, आगरा कॉलेज आगरा

महत्व दिया जाना चाहिए।

- प्रशासकीय सेवाओं के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य नहीं होनी चाहिए।
- स्नातक डिग्री की शिक्षा 3 वर्ष की हो उसकी परीक्षा अंतिम वर्ष में ना करा कर प्रत्येक वर्ष कराई जानी चाहिए।
- शिक्षा के स्तर में वृद्धि की जानी चाहिए और उसे समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लेना चाहिए।
- अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए।
- शिक्षा व्यवस्था की देखभाल के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।

रिपोर्ट के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। 1956 में पार्लियामेंट के एक कानून के द्वारा उसे एक स्वतंत्र संस्था का रूप प्रदान किया गया। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था अब इसी आयोग की देखरेख में है। आयोग के सुझाव वर्तमान में उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिलते हैं।[3]

वर्ष 1947 में भी उच्च शिक्षा की दृष्टि से यह प्रदेश अपना विशेष स्थान रखता है और उस समय भी देश के 20 विश्वविद्यालयों में से पांच विश्वविद्यालय इसी प्रदेश में स्थित थे। वर्ष 1960 तक 13 वर्षों की अवधि में प्रदेश में केवल 3 नए विश्वविद्यालय ही स्थापित हो सके थे। इस अवधि में स्थापित टॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग परिवर्तित स्वरूप रुड़की विश्वविद्यालय देश में इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली विशिष्ट संस्थाओं में से एक है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के ना होने के फलस्वरूप क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। इस कमी को दूर करने के लिए वर्ष 1957 में गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वर्ष 1958 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव पड़ी यह विश्वविद्यालय वर्ष 1755 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित संस्कृत पाठशाला का परिवर्तित स्वरूप है। इस संस्था में आधुनिक शिक्षा के सभी वेद, वेदांग, दर्शन एवं विधाओं के अध्यापन तथा अनुसंधान की सुविधा भी है। यहां प्राचीन पांडुलिपियों का विशाल संग्रह है तथा संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी किया जाता है।[4]

वर्ष 1960 और 70 के दशक में चार विश्वविद्यालय स्थापित किए गए इनमें गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रदेश का मुख्य व्यवसाय कृषि है और प्रदेश शासन कृषि की उन्नति के लिए विशेष रुप से प्रयत्नशील भी है। इस दृष्टि से इस विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रदेश में कृषि शिक्षा के अभाव की आंशिक रूप से पूर्ति हुई साथ ही इस विश्वविद्यालय ने प्रदेश में कृषि शिक्षा देने वाले प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव भी प्राप्त किया है। लखनऊ, इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय मूलतः आवासीय विश्वविद्यालय थे। यह विश्वविद्यालय जिन क्षेत्रों में थे उनके निकटवर्ती महाविद्यालय भी इनके अंतर्गत आते थे। प्रदेश के अधिकांश महाविद्यालय "आगरा विश्वविद्यालय" से संबद्ध थे और इस विश्वविद्यालय का क्षेत्र बहुत व्यापक था। वर्ष 1965 में दो

विश्वविद्यालयों कानपुर विश्वविद्यालय तथा मेरठ विश्वविद्यालय स्थापित हुए और संबंधित क्षेत्रों के महाविद्यालय इन्हीं विश्वविद्यालयों से संबद्ध कर दिए गए।[5]

वर्ष 1970-75 के बीच विश्वविद्यालयों का तेजी से विस्तार हुआ और 8 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई काफी समय से इस प्रदेश में पर्वतीय अंचलों में उच्च शिक्षा की पर्याप्त सुविधा नहीं थी और वहां के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मैदानी क्षेत्र में जाना पड़ता था। उनकी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए वर्ष 1973 में कुमायूं तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया।[6]

वर्ष 1974 में कृषि शिक्षा की विकास श्रृंखला में फैजाबाद में नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई तथा राजकीय कृषि महाविद्यालय कानपुर को "चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय" कानपुर में परिवर्तित कर दिया गया। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के फलस्वरुप पूर्वी एवं केंद्रीय उत्तर प्रदेश में कृषि शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो गई। इसी के 1 वर्ष पश्चात् 1975 में अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी तथा रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की स्थापना से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सुविधा उपलब्ध हो गई। वर्ष 1975 के पश्चात् वर्ष 1980-81 तक प्रदेश में किसी नए विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई।[7]

परंतु वर्ष 1981-82 में दयालबाग शिक्षा संस्थान आगरा को विश्वविद्यालय के समान संस्था की मान्यता प्रदान किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम था। इस संस्थान का आरंभ वर्ष 1915 में राधा स्वामी सत्संग सभा द्वारा एक मिडिल स्कूल के रूप में हुआ था। कालांतर में अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई जिन सब को सुव्यवस्थित प्रशासन संचालन की दृष्टि से वर्ष 1973 में दयालबाग शिक्षा संस्थान के अंतर्गत लाया गया। इस संस्थान के अंतर्गत तीन उच्च शिक्षा संस्थाएं डी.ई.आई महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय आर.ई.आई महाविद्यालय तथा डी.ई.आई इंजीनियरिंग कॉलेज है। इस संस्थान के मुख्य विशेषता परंपरागत पाठ्यक्रम के अतिरिक्त व्यावहारिक ज्ञान, सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास तथा श्रम की महत्ता पर जोर दिया जाना है।[8]

प्रदेश में उच्च शिक्षा के महत्व को देखते हुए इसके कार्यों के समुचित संपादन तथा गुणात्मक सुधार लाने हेतु शासन ने वर्ष 1972 में उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना इलाहाबाद में की इससे पूर्व संपूर्ण उच्च शिक्षा के कार्य का संपादन सम्मिलित शिक्षा निदेशालय में ही हुआ करता था। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र गति से हो रहे विकास के फलस्वरुप उच्च शिक्षा निदेशालय अलग किए जाने में महाविद्यालयों का सुनियोजित विकास तथा उच्च शिक्षा की समस्याएं को सुलझाना अधिक सुगम हो गया है। इस निदेशालय का संचालन शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्रशासन तथा नियोजन का कार्य सीधे इसके द्वारा संपादित होता है। सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में शासकीय व्यवस्था के माध्यम से वेतन तथा पेंशन वितरण सुनिश्चित करने तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों का संपादन भी अब उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के साथ

समन्वय करते हुए उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विकास योजना के कार्यान्वयन का दायित्व भी शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा पर है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान करने का कार्य भी इसी निदेशालय द्वारा संपन्न होता है।[9]

उच्च शिक्षा के प्रसार तथा उसकी जटिल एवं गंभीर समस्याओं के निराकरण हेतु छठीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा निदेशालय में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना नामक एक परियोजना वर्ष 1979-80 में प्रारंम्भ की गईं। इस योजना के कार्यान्वयन के संबंम्ध में पूरे प्रदेश के महाविद्यालय में उच्च शिक्षा को सही दिशा में व्यवस्थित एवं विकसित करने के लिए एक सूचना प्रणाली निदेशालय में स्थापित की गई। इस परियोजना के फलस्वरुप एक सम्बध कार्यक्रम के अनुसार महाविद्यालय शिक्षा का सांख्यिकी अध्ययन कर उच्च शिक्षा को सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित ढंग से विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।[10]

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 विश्वविद्यालय है जिसमें से 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 30 राज्य विश्वविद्यालय, 29 निजी विश्वविद्यालय तथा 9 सम विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12 'ख' के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालयों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में 18 है 3 निजी और 1 सम है यह आंकड़े 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार वि'वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 24 'च' के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के है।[11]

ऐसे रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पूरे देश में अव्वल है। इस रिपोर्ट में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दो ऐसे बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन अच्छा है। पहला छात्रों की संख्या के अनुसार। दूसरा शैक्षणिक संस्थानों की संख्या के अनुसार। इस सर्वे के द्वारा देश में उच्च शिक्षा के लगभग हर संस्थान में छात्रों की संख्या छात्राओं से ज्यादा है लेकिन दो राज्य ऐसे हैं यहां यह आंकड़ा उल्टा है यह दो राज्य हैं। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक यहां छात्राओं की संख्या छात्रों से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों में पंजीकृत छात्रों की संख्या 49.30 फीसदी है वही छात्राएं 50 फीसदी हैं। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा में छात्र-छात्राओं की कुल संख्या के मामले में देशभर में पहले स्थान पर है।यहां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। शैक्षणिक संस्थानों की संख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश के अन्य सभी राज्यों से आगे हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा 8077 शैक्षिक संस्थान है। इसके बाद शीर्ष राज्य है महाराष्ट्र 6662, कर्नाटक 5028, राजस्थान 3723, आंध्र प्रदेश 3540, तमिलनाडु 3443, ऐसे रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि इन 6 राज्य में ही देश की कुल जनसंख्या के करीब 54.30 फीसदी छात्र-छात्राएं है।[12]

वर्तमान समय में शिक्षा का पूरा तंत्र बदल चुका है। हम 12वीं कक्षा के बाद दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (डिस्टेंस एजूकेशन) के माध्यम से नौकरी के साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम आसानी से किसी भी बड़े और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में बहुत कम शुल्क में प्रवेश ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में दूरस्थ शिक्षा की सुविधा के लिए नवीन मोबाइल ऐप "टॉप पैरेंट ऐप" लॉन्च किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा

पर राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रम के माध्यम से देश में डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहा है। स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, स्पोकन ट्यूटोरियल, वर्चुअल लैब, ई-यंत्र आदि ऑनलाइन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के माध्यम हैं।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यह प्राचीन काल से आधुनिक काल तक हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों में वृद्धि हुई है लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या में हमेशा से कमी रही है। वर्तमान में प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट संस्थान ज्यादा स्थापित हुए है, जिसके कारण उच्च शिक्षा प्रभावित हो रही है। प्राइवेट संस्थानों के स्थापित होने से राज्य का हर बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इन संस्थानों की फीस इतनी महंगी होती है इसे परिवार वाले बहन नहीं कर पाते हैं। अतः सरकार को प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए। ताकि प्रदेश का हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा प्रशासनिक अधिकारी आदि बन सके और देश व विदेशों में अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सके। साथ ही प्रदेश में सरकार को शोध केंद्र बनाने चाहिए शोध के लिए ज्यादा बजट देना चाहिए। सभीं शोधार्थियों को राज्य सरकार की तरफ से फेलोशिप दिया जाना चाहिए जिससे प्रदेश में नए-नए अविष्कार हो सके और उच्च शिक्षा चरम पर पहुंच सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. प्रो.गुप्ता एस.पी, "भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं", शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृष्ठ 60
2. त्रिवेदी राकेश, "भारतीय शिक्षा का इतिहास,स्वतंत्रता पश्चात्", ओमेगा पब्लिकेशन्स, दरियागंज नई दिल्ली 2013, पृष्ठ 105
3. वहीं, पृष्ठ 110
4. "उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा", उच्च शिक्षा प्रकाशन, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद-1982, पृष्ठ 50
5. वहीं, पृष्ठ 52
6. वहीं, पृष्ठ 54
7. वहीं। पृष्ठ 70
8. वहीं। पृष्ठ 90
9. सरदिंदु आर. एस. त्यागी, "उत्तर प्रदेश में शैक्षिक प्रशासन", वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली-2015, पृष्ठ 166
10. त्रिवेदी राकेश, "भारतीय शिक्षा का इतिहास, स्वतंत्रता पश्चात्", ओमेगा पब्लिकेशन्स,दरियागंज, नई दिल्ली 2013, पृष्ठ 30
11. "वार्षिक रिपोर्ट" विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 2018-19, पृष्ठ 205
12. "ऐसे रिपोर्ट" 2018-19, पृष्ठ 02

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

गांधी जी के सामाजिक एवं आर्थिक विचारों की उपादेयता

• रेखा शर्मा

सारांश- आज गांधी जी का आर्थिक एवं सामाजिक विचार उन बहुत से विचारकों के लिए शोध का विषय है जो किसी विशेष लक्ष्य पर नया प्रकाश डालना चाहते हैं। गांधी जी के विचारों की नये संदर्भ में व्याख्या करने से दबी हुई सामाजिक-आर्थिक सोच योजना और कार्यों के समाधान में मदद मिलती है जो अपने देश की ही नहीं बल्कि संसार के सभी देशों की समस्याओं के प्रति भी वही दृष्टिकोण रखती है। इसके अतिरिक्त किसी को भी इस तथ्य को अनदेखा नहीं करना चाहिए कि गांधी जी अर्थशास्त्री नहीं थे। उन्होंने कभी भी गहराई से आर्थिक व्यवस्था और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन नहीं किया और न ही पूर्णतया पूंजिवाद की गतिशीलता को समझ सके। यहाँ चर्चा का मुख्य विषय ही है कि हम गांधी जी के व्यक्तित्व और विचारों का आदर करें और सामाजिक एवं आर्थिक विचारों का उद्देश्य जानें।

मुख्य शब्द -आर्थिक, सामाजिक, विचार, समस्या, आर्थिक व्यवस्था

प्रस्तावना- वर्तमान समसामयिक समाज के अस्थिरता के दौर में जहां कोविड-19 जैसी महामारी ने लोगों को हताहत किया है वहीं दूसरी ओर इसके आर्थिक परिणाम भी लोगों को भविष्य के प्रति आशंकित किये हुए हैं। कभी हाथरस जैसे कांड लोगों को मानवीय मूल्यों पर चिंतन हेतु विवश करते हैं तो कभी ड्रग्स जैसे मामले समाज को झकझोरते हैं। आज संपूर्ण विश्व बाजारवाद के दौड़ में शामिल हो चुका है। लालच की परिणति युद्ध की सीमा तक चली जाती है। ऐसी स्थिति में एक सामान्य नागरिक को क्या करना चाहिए यह एक मूलभूत प्रश्न है आवश्यकता उसे गांधीवाद को अपनाने के लिए टोपिया धोती पहनने की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक समरसता को कायम रखते हुए अपने कर्तव्यों की हर व्यक्ति अगर प्रतिपूर्ति करता है तो निश्चित रूप से रामराज्य को लाया जा सकता है गांधी के विचार हमेशा सत्य रहे हैं और रहेंगे, उनकी उपयोगिता हमेशा रही है और आगामी आने वाले समाज में भी रहेगी। ऐसे में गांधीवाद की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक हो जाती है।

अब प्रश्न यह उठता है कि यह गांधीवाद है क्या? किसी भी शोषण का अहिंसक प्रतिरोध, सबसे पहले दूसरों की सेवा, संचय से पहले त्याग, झूठ के स्थान पर सच,

• जवाहरलाल नीति शोध केंद्र, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश

अपने बजाय देश और समाज की चिंता करना आदि विचारों को समग्र रूप से गांधीवाद की संज्ञा दी जाती है। गांधीवादी विचार व्यापक रूप से प्राचीन भारतीय दर्शन से प्रेरणा पाते है और इन विचारों की प्रासंगिकता अभी भी बरकरार है। आज के दौर में जब समाज में कल्याणकारी आदर्शों का स्थान असत्य, अवसरवाद, धोखा, चालाकी, लालच व स्वार्थपरता जैसे संकीर्ण विचारों द्वारा लिया जा रहा है तो समाज सहिष्णुता, प्रेम, मानवता, भाईचारे जैसे उच्च आदर्शों को विस्तृत करता जा रहा है। विश्व शक्तियाँ शस्त्र एकत्र करने की स्पर्धा में लगी हुई है लेकिन एक छोटे से वायरस को हरा पाने में असमर्थ और लाचार साबित हो रही है। ऐसे में विश्व शांति की पुनर्स्थापना के लिये, मानवीय मूलों को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिये आज गांधीवाद नए स्वरूप में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो उठा है।

गांधी जी धर्म व नैतिकता में अटूट विश्वास रखते थे। उनके लिये धर्म, प्रथाओं व आंडबरों की सीमा में बंधा हुआ नहीं वरन् आचरण की एक विधि थी। गांधी जी के अनुसार, धर्मविहीन राजनीति मृत्युजाल है, धर्म व राजनीति का यह अस्तित्व ही समाज की बेहतरी के लिये नींव तैयार करता है। गांधी जी साधन व साध्य दोनों की शुद्धता पर बल देते थे। उनके अनुसार साधन व साध्य के मध्य बीज व पेड़ के जैसा संबंध है एवं दूषित बीज होने की दशा में स्वस्थ पेड़ की उम्मीद करना अकल्पनीय है।

गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा अपनाई और विकसित की गई उन धार्मिक-सामाजिक विचारों का समूह है जो उन्होंने पहली बार वर्ष 1983 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में तथा उसके बाद फिर भारत में अपनाई गई थी।

गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है, बल्कि पारंपरिक और आधुनिक तथा सरल एवं जटिल भी है। यह कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक है, जिनको गांधीजी ने उजागर किया था, लेकिन यह प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित है तथा सार्वभौमिक नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है। गांधीजी ने इन विचारधाराओं को विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों जैसे, भगवतगीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबिल, गोपाल कृष्ण गोखले, टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन आदि से विकसित किया। टॉलस्टॉय, की पुस्तक 'द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू' का महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव था। गांधीजी ने रस्किन की पुस्तक 'अंटू दिस लास्ट' से 'सर्वोदय' के सिद्धांत को ग्रहण किया और उसे जीवन में उतारा।

गांधीजी ने आजादी की लड़ाई के साथ-साथ छुआछूत उन्मूलन, हिन्दू-मुस्लिम एकता, चरखा और खादी को बढ़ावा, ग्राम स्वराज का प्रसार, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा और परंपरागत चिकित्सीय ज्ञान के उपयोग सहित तमाम दूसरे उद्देश्यों पर कार्य करना निरंतर जारी रखा। सत्य के साथ गांधीजी के प्रयोगों ने उनके इस विश्वास को पक्का कर दिया था कि सत्य की सदा विजय होती है और सही रास्ता सत्य का रास्ता ही है। आज मानवता की मुक्ति सत्य का रास्ता अपनाने से ही है। गांधी जी सत्य को ईश्वर का पर्याय मानते थे। गांधीजी का मत था कि सत्य सदैव विजयी होता है। अगर मनुष्य का संघर्ष सत्य के लिये है तो हिंसा का लेशमात्र उपयोग किये बिना भी वह अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकता है।

सत्य- गांधी जी ने कहा, सत्य केवल शब्दों की सत्यता ही नहीं बल्कि विचारों की सत्यता भी है और हमारी अवधारणा का सापेक्षिक सत्य ही नहीं है बल्कि निरपेक्ष सत्य भी है, जो ईश्वर ही है। गांधी जी सत्य को निरपेक्ष सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। सत्य को ईश्वर का पर्यायवाची मानते हैं, इसी सत्य के प्रति निष्ठा है। गांधीजी सत्य के बड़े आग्रही थे। वे सत्य को ईश्वर मानते थे। सत्य उनके लिये सर्वोपरि सिद्धांत था। वे वचन और चिंतन में सत्य की स्थापना का प्रयत्न करते थे। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो राजनीतिज्ञ, मंत्रीगण अपने पद की शपथ ईश्वर को साक्षी मानकर करने के बावजूद गलत काम करने से पीछे नहीं हटते। अपने कर्मों के पालन के समय वे सत्य को भी नकार देते हैं। अगर गांधीवादी सिद्धांतों का सही तरह से पालन किया जाए तो देश नवनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ चलेगा।

अहिंसा- गांधीजी के अनुसार मन, वचन और शरीर से किसी को भी दुख न पहुँचाना ही अहिंसा है। गांधीजी के विचारों का मूल लक्ष्य सत्य एवं अहिंसा के माध्यम से विरोधियों का ह्दय परिवर्तन करना है। अहिंसा का अर्थ ही होता है प्रेम और उदारता की पराकाष्ठा। गांधी जी व्यक्तिगत जीवन से लेकर वैश्विक स्तर पर 'मनसा वाचा कर्मणा' अहिंसा के सिद्धांत का पालन करने पर बल देते थे। आज के संघर्षरत विश्व में अहिंसा जैसा आदर्श अति आवश्यक है। गांधी जी बुद्ध के सिद्धांतों का अनुगमन कर इच्छाओं की न्यूनता पर भी बल देते थे। यदि इस सिद्धांत का पालन किया जाए तो आज क्षुद्र राजनीतिक व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये व्याकुल समाज व विश्व अपनी कई समस्याओं का निदान खोज सकता है। आज संपूर्ण विश्व अपनी समस्याओं का हल हिंसा के माध्यम से ढूंढना चाहता है। वैश्वीकरण के इस दौर में 'वसुधैव कुटुम्बकम' की अवधारणा ही खत्म होती जा रही है। अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान जैसे देश हिंसा के माध्यम से प्रमुख शक्ति बनने की होड़ एवं दूसरों पर वर्चस्व के इरादे से हिंसा का सहारा लेते हैं। इस हेतु वैश्विक रूप से शस्त्रों की होड़ लग गई है। यह अंधी दौड़ दुनिया को अंततरू विनाश की ओर ले जाता है। आज अहिंसा जैसे सिद्धांतों का पालन करते हुए विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है जिसकी आज पूरे विश्व को आवश्यकता है।

सत्याग्रह- महात्मा गाँधी ने अन्याय और बुराई का अहिंसक ढंग से विरोध करने तथा न्याय की माँग करने के लिये जिस नये तरीके का अविष्कार किया उसे ही उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। गांधी वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य, अहिंसा और आत्मशक्ति के बीच एक अद्‌भुत समन्वय स्थापित किया। सत्याग्रह का अर्थ है सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग करना। यह व्यक्तिगत पीड़ा सहन कर अधिकारों को सुरक्षित करने और दूसरों को चोट न पहुँचाने की एक विधि है। सत्याग्रह की उत्पत्ति उपनिषद, बुद्ध–महावीर की शिक्षा, टॉलस्टॉय और रस्किन सहित कई अन्य महान दर्शनों में मिलती है। गांधीजी का मत था कि निष्क्रिय प्रतिरोध कठोर-से-कठोर ह्दय को भी पिघला सकता है। वे इसे दुर्बल मनुष्य का शस्त्र नहीं मानते थे। उनके अनुसार शारीरिक प्रतिरोध करने वाले की अपेक्षा निष्क्रिय प्रतिरोध करने वाले में कहीं ज्यादा साहस होना चाहिये।

आज के समय में सत्याग्रह का प्रयोग विभिन्न स्थानों एवं परिस्थितियों पर सुसंगत एवं तार्किक प्रतीत होता है। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी नीतियों, आदेशों से मतभेद की स्थिति में विरोध हेतु सत्याग्रह का प्रयोग कहीं श्रेयस्कर है। आत्मबल शारीरिक बल से अधिक श्रेष्ठ होता है। बुराई के प्रतिकार के लिये यदि आत्मबल का सहारा लिया जाए तो मौजूदा परेशानियाँ दूर की जा सकती हैं।

सर्वोदय- सर्वोदय शब्द का अर्थ है 'सार्वभौमिक उत्थान' या सभी की प्रगति। यह शब्द पहली बार गांधीजी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक 'अंटू दिस लास्ट' में पढ़ा था। सर्वोदय ऐसे वर्ग विहीन, जातिविहीन और शोषण-मुक्त समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास का साधन और अवसर मिले। ऐसे समाज में वर्ण, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी समुदाय का न तो संहार हो और न ही बहिष्कार। सर्वोदय शब्द गांधीजी द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा विचार है जिसमें 'सर्वभूतहितं रतारू' की भारतीय कल्पना, सुकरात की 'सत्य साधना' और रस्किन की 'अंत्योदय' की अवधारणा सब कुछ सम्मिलित है। गांधीजी ने कहा था "मैं अपने पीछे कोई पंथ या संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता हूँ।" यही कारण है कि सर्वोदय आज एक समर्थ जीवन, समग्र जीवन और संपूर्ण जीवन का पयार्य बन चुका है। आज के दौर में पूरा विश्व एक ऐसे ही समाज की खोज में है जहाँ शोषण, वर्ग, जाति आदि की कोई जगह न हो। कहीं रोहिंग्या तो कहीं शिया और सुन्नी के नाम पर हिंसा हो रही है तो कहीं आतंक फैलाया जा रहा है। एक वर्ग दूसरे का शोषण कर रहा है जिससे समाज में अव्यवस्था फैल रही है। अगर गांधीजी के सर्वोदय की संकल्पना साकार होती है तो संपूर्ण विश्व एक परिवार का रूप ले सकता है।

स्वराज- हालाँकि स्वराज शब्द का अर्थ स्व-शासन है, लेकिन गांधीजी ने इसे एक ऐसी अभिन्न क्रांति की संज्ञा दी जो कि जीवन के सभी क्षेत्रों को समाहित करती है। गांधी जी के लिये स्वराज का अर्थ व्यक्तियों के स्वराज (स्व-शासन) से था और इसलिये उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिये स्वराज का मतलब अपने देशवासियों हेतु स्वतंत्रता है और अपने संपूर्ण अर्थों में स्वराज स्वतंत्रता से कहीं अधिक है। आत्मनिर्भर व स्वायत्त ग्राम पंचायतों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण समाज के अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्ति तक शासन की पहुँच सुनिश्चित करना ही गांधी जी का ग्राम स्वराज सिद्धांत था। आर्थिक मामलों में भी गांधीजी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के माध्यम से लघु, सूक्ष्म व कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल देते थे। उनका मत था कि भारी उद्योगों की स्थापना के पश्चात् इनसे निकलने वाली जहरीली गैसें व धुंआ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, साथ ही बहुत बड़े उद्योगों का अस्तित्व श्रमिक वर्ग के शोषण का भी मार्ग तैयार करता है। आज इस महामारी के दौर में जब पूरे विश्व को एक बार फिर आर्थिक मंदी की ओर जाने का खतरा दिखाई दे रहा है ऐसे में इन कुटीर उद्योगों की स्थापना गरीब श्रमिकों के लिये आशा की किरण साबित होगी।

ट्रस्टीशिप- ट्रस्टीशिप एक सामाजिक-आर्थिक दर्शन है जिसे गांधीजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह अमीर लोगों को एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा वे गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सकें। यह सिद्धांत गांधीजी के आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है, जो कि थियोसोफिकल लिटरेचर और भगवतगीता के अध्ययन से उनमें

विकसित हुआ था। वर्तमान समय में गांधीजी की यह विचारधारा काफी प्रासंगिक है जब विश्व में गरीबी और भूखमरी चारों तरफ अपना साया फैलाये खड़ी है। गांधीजी का यह विचार कि धन व उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की स्थापना हेतु न्यास जैसी व्यवस्था स्थापित की जाए, काफी मायने रखती है।

स्वदेशी- स्वदेशी शब्द संस्कृत से लिया गया है और यह संस्कृत के दो शब्दों का एक संयोजन है। 'स्व' का अर्थ है स्वयं और देश का अर्थ देश ही है अर्थात् अपना देश। स्वदेशी का शाब्दिक अर्थ अपने देश से लिया जाता है परंतु अधिकांश संदर्भों में इसका अर्थ आत्मनिर्भरता के रूप में लिया जा सकता है। स्वदेशी राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से अपने समुदाय के भीतर ध्यान केंद्रित करता है। यह समुदाय और आत्मनिर्भरता की अन्योन्याश्रिता है। गांधीजी का मानना था कि इससे स्वतंत्रता (स्वराज) को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत का ब्रिटिश नियंत्रण उनके स्वदेशी उद्योगों के नियंत्रण में निहित था। स्वदेशी अभियान भारत की स्वतंत्रता की कुंजी थी और महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में चरखे द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। आज जब अमेरिका एवं चीन जैसे देश व्यापार-युद्ध के माध्यम से अपने देश को सशक्त और दूसरे देशों की आर्थिक व्यवस्था को कमज़ोर करने पर तुले हैं। ऐसी स्थिति में स्वदेशी की यह संकल्पना देश के घरेलू उद्योगों और कारीगरों हेतु एक वरदान की भांति सिद्ध होगा।

गांधीजी शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन व जीविका कमाने का कार्य एक साथ करने पर बल देते थे। आज जब बेरोजगारी देश की इतनी बड़ी समस्या है तब गांधीजी के इस विचार को ध्यान में रखकर शिक्षा नीतियाँ बनाना लाभप्रद होगा। गांधीजी का राष्ट्र का विचार भी अत्यंत प्रगतिशील था। उनका राष्ट्रवाद 'वसुधैव कुटुम्बकम' के विस्तार से प्रेरित था। वे राष्ट्रवाद की अंतिम परिणति केवल एक राष्ट्र के हितों तक सीमित न मानते हुए उसे विश्व कल्याण की दिशा में विस्तृत करने पर बल देते थे। आजकल राष्ट्रवाद का अतिवादी स्वरूप होता देखकर गांधीवादी राष्ट्रवाद सटीक लगता है। हम पाते हैं कि गांधीजी के विचार शाश्वत है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने जमीनी तौर पर अपने विचारों का परीक्षण किया और जीवन में सफलता अर्जित की जो न सिर्फ स्वयं के लिये अपितु पूरे विश्व के लिये थी। आज दुनिया गांधी के मार्ग को सबसे स्थायी रूप में देखती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एम के गाँधी
2. रोलेट बिल्स और मेरी दुविधा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एम् के गाँधी
3. द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ -एक आत्मकथा
4. सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय, खंड-21, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, संस्करण-1967, पृष्ठ-489.
5. सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय, खंड-39 (आत्मकथा), प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, संस्करण-1996, पृष्ठ-109.
6. सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय, खंड-57, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, संस्करण-1974,

पृष्ठ-48,50.
7. सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय, खंड-57, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, संस्करण-1974, पृष्ठ-56.
8. महात्मा और कवि, सव्यसाचि भट्टाचार्य, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, संस्करण-2005, पृष्ठ-158-159.
9. सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय, खंड-57, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, संस्करण-1974, पृष्ठ-179.

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

ग्रामीण क्षेत्रों में एल.आई.सी. : सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू

• सुनील कुमार

सारांश- भारतीय जीवन बीमा निगम का सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बहुत ही सकारात्मक भूमिका नहीं है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से एकत्रित किये गये समंकों का विश्लेषण करने के उपरान्त सत्यता की परख/जांच/परीक्षण करने के लिए टी-परीक्षण एवं काई-वर्ग परीक्षण का उपयोग किया गया है, जिनका मूल्यांकन करने पर स्पष्ट होता है कि सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, निम्न वर्ग के लोगों पर प्रभाव, बड़े एवं समाज के प्रभावशील व्यक्तियों पर अनुकूल प्रभाव तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मध्यम वर्ग के व्यक्तियों पर अपना सकारात्मक प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं डाल पा रही है, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पाय एवं अल्प बचत दोनों ही सक्रिय रूप से भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। जिले के मध्यम व निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों का जीवन एल.आई.सी. के जोखिमों को झेलने हेतु उन्हें तैयार कर पाने में सक्षम नहीं बना पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जोखिम व अनिश्चितता कम लेना चाहते हैं। अत: भारतीय जीवन बीमा निगम को व्यापक स्तर पर निम्न एवं मध्यम आय वर्ग को दृष्टिगत रहते हुए योजनाओं का संचालन कर प्रचार-प्रसार किये जाने का अत्यन्त ही आवश्यकता है, ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग बेझिझक भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी लेने को तैयार हो सके, इससे समाज के विकास के साथ-साथ क्षेत्र, राज्य एवं देश के विकास की गति तीव्र होगी और इससे वह दिन दूर नहीं होगा कि जब भारत विश्व पटल पर अपना नाम विकसित देशों की श्रेणी में दर्ज करा सकेगा।

मुख्य शब्द - भारतीय जीवन बीमा निगम, विकास, भूमिका, निम्न वर्ग, प्रभावशील व्यक्ति

प्रस्तावना- भारतीय जीवन बीमा निगम का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों/कृषकों द्वारा बचत के औपचारिक गतिविधियों में बदलाव लाना रहा है। देश में विमुद्रीकरण दिनांक 08.11.2016 की गतिविधियों के दौरान और पश्चात् भी समयावधियों में बचत प्रवाह का निष्पक्षता तथा ऋण से सम्बद्ध विकासोन्मुखी म्युचुअल फण्डों व बीमा नीतियों में आशा से अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी।

• अतिथि विद्वान, व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

इसके अतिरिक्त ऐसा जान पड़ता है कि गैर बैंकिंग वत्तीय संस्थाओं पर संग्रहण एवं संवितरण की गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुए हैं और साथ ही आगे आने वाली चुनौती इन वित्तीय संस्थाओं को भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में क्रमबद्ध करना होगा। देश में विमुद्रीकरण के पश्चात् बैंक की जमा राशियों में सर्वाधिक वृद्धि 3-4.7 रूपये ट्रिलियन के मध्य बनी रही। सामान्य मामलों में इन आकलनों का आशय जमा राशियों में आधिक्य से लगाया जाता है, जो नोट बंदी के कारण बैंक प्रणाली में 2.8-4.3 रूपये ट्रिलियन के बीच में बनी रही थी। विशेष प्रकार के खातों जो प्रायः निम्न स्तर की क्रियाओं से सम्बद्ध होते हैं, में नकद धनराशियों में साधारण वृद्धि के सूक्ष्म स्रीय व्याख्या भी उपसंहार में मदद करता है। बैंक धनराशियों में बदलाव से सम्बद्ध ऐसे लाभ, यदि निरन्तर अधिक समय तक बने रहे, तो इन सभी का बचतों के वित्तीयकरण के परिप्रेक्ष्य में लाभदायक प्रभाव हो सकता है।

देश के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के समेकित रूप से तुलनीय प्रपत्रों में नोटबंदी के बाद की समयावधि में अत्यधिक रूप में जमा वृद्धि दर्ज की गयी। देश की गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ संस्थायें यथा निष्पकक्षता ऋण विकासोन्मुखी म्युचुअल फण्डों तथा बीमा निगमों को भी अत्यधिक लाभ गैर वित्तीय संस्थाओं के सम्पूर्ण क्षेत्रों का तुलनीय प्रपत्र में सत्र 2016-17 के मध्य 14.5 प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी थी। देश में यह नोटबंदी तीन गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ इकाईयों जैसे- बीमा निगमों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थायें और म्युचुअल फण्डों में बचतों के वित्तीयन का व्यापक स्तर पर विवरण प्रस्तुत करते हैं। देश में नोटबंदी के पश्चात् बैंक जमा राशियों पर ब्याज की दरों में ह्रास/कमी एवं स्वर्ण मुद्रा की कीमतों में गिरावट/कमी ने निष्पक्षता व ऋण विकासोन्मुखी म्युचुअल फण्डों का तुलनात्मक रूप में लोगों के आकर्षक को बढ़ा दिया था। इसे लक्ष्य करते हुए म्युचुअल फण्डों के प्रबन्धकीय क्षेत्रों में कार्यरत लोगों ने मार्च 2017 में 17.5 रूपये ट्रिलियन से अत्यधिक उच्च स्तर को छू लिया था, बतलाया एवं जुलाई 2017 के अंतिम सप्ताह तक 20 ट्रिलियन रूपये पर आसंजित हो गया। इससे ऊपर नीचे वाले इक्विटी बाजार में भी इक्विटी विकासोन्मुखी म्युचुअल फण्डों ने लोगों को आकर्षित करने हेतु गतिविधियों में सुधार किये। देश में इक्विटी योजनाओं के तहत संसाधनों को एकत्रित करना इस काल के दौरान दो गुना से भी अधिक हो गया, देश में नवम्बर 2015 से जून 2016 में हुए निवल स्रावों के विपक्ष में नवम्बर 2016 से जून 2017 के मध्म में ऋण एवं आय योजनाओं में भी निवल अन्तरवाह की प्रक्रिया बनी रही। जो पूर्ण के वर्ष की इस समयावधि के परिप्रेक्ष्य में नवम्बर 2016 से जून 2017 के मध्य म्युचुअल फण्डों के माध्यम से एकत्रित किये गये सम्पूर्ण संसाधनों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गयी।

उद्देश्य- सामाजिक शोध के अंतर्गत किसी भी इकाई या संस्था या फर्म या समुदाय का अध्ययन किसी विशेष उद्देश्य से अभिभूत होकर किया जाता है, जिससे उस चयनित विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की जा सके और उसकी खामियों व खूबियों से मानव समाज को अवगत कराया जा सके, ताकि मानव उसी के अनुरूप अनुकूलतम व्यवहार करे। इन्हीं धारणाओं से प्रेरित होकर शोधार्थी ने अपने शोध कार्य का

शीर्षक ''ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भारतीय जीवन बीमा निगम की भूमिका (मध्यप्रदेश के सतना जले के विशेष संदर्भ में)'' को अपने शोध का विषय निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रेरित होकर बनाया है-

- ग्रामीण कृषकों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना जिससे दुर्घटना होने पर परिवार के पास आय का स्त्रोत बंद हो जाता है।
- ग्रामीण कृषकों के उत्थान में भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रतिपादन करना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसीधारकों का विकास हो सके।
- देश के नीति निर्धारकों का ग्रामीण बीमा धारकों के विकास में बीमा के महत्व को उद्घाटित करना।

परिकल्पना- सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास का मूल्यांकन भारतीय जीवन बीमा निगम के संदर्भ में करने हेतु शोधार्थी ने दैव निदर्शन की विधि सविचार प्रविधि का चयन कर जिले में 100 लोगों का साक्षात्कार किया है, जिनमें सर्वाधिक एल. आई.सी. के बीमाधारी हैं। प्राथमिक स्तर पर जिले के 100 बीमाधारियों से सम्पर्क कर साक्षात्कार के माध्यम से समंकों का संकलन कर तालिका में प्रस्तुत किया गया है, जो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के निम्न वर्ग के बीमाधारियों पर भारतीय जीवन बीमा निगम के पड़ने वाले अनुकूल प्रभाव से संबंधित है।

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों पर एल.आई.सी. के अनुकूल/प्रतिकूल प्रभाव की सत्यता की परख हेतु उक्त तालिका में प्रस्तुत प्राथमिक स्तर पर संकलित मूल समंकों में हाँ को x_1 तथा नहीं को x_2 मानकर टी-परीक्षण किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर एल.आई.सी. की भूमिका कैसी है। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भारतीय जीवन बीमा निगम के सकारात्मक/नकारात्मक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्राथमिक स्तर पर संग्रहित आंकड़ों के मूल समंकों को आधार बनाया गया है, जिसकी वास्तविकता का मूल्यांकन करने हेतु टी-परीक्षण सांख्यिकीय प्रविधि का प्रयोग किया गया है, जो निम्नानुसार है-

- H_0:(शून्य परिकल्पना)- इस परिप्रेक्ष्य में हमारी परिकल्पना यह है कि भारतीय जीवन बीमा निगम गतिविधियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में कोई संबंध नहीं है, अतः दोनों एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं। 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 18 d.f. के लिए t का परिकल्पित मूल्य 0 (शून्य) है, जो ज के सारणी मूल्य 2. 10 से बहुत कम अर्थात् शून्य है। अतः मारी शून्य परिकल्पना सत्य है अर्थात् सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं भारतीय जीवन बीमा निगम का आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं।
- H_0: हमारी शून्य परिकल्पना यह है कि सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे मध्यम वर्ग के व्यक्तियों द्वारा प्राप्त प्राथमिक समंकों में हाँ एवं नहीं में कोई संबंध नहीं है, वे एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं। 4 d.f. के लिए 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर ^{2} का परिकलित मूल्य 4.6462 है, जो ^{2} के सारणी मूल्य 9.49 से कम है। अतः हमारी शून्य परिकल्पना असत्य है अर्थात् दोनों चरों में कोई

सार्थक अन्तर नहीं है। उक्त दोनों चर आपस में एक-दूसरे से संबंधित है। सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के मध्यम वर्ग के व्यक्तियों पर भारतीय जीवन बीमा निगम की गतिविधियों का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे है। अतः उनके जीवन स्तर में बदलाव परिलक्षित हो रहे हैं।

- H_0: शून्य परिकल्पना यह है कि एल.आई.सी. का ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े एवं प्रभावशाली व्यक्तियों पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 4 d.f. के लिए ^{2} का परिकलित मूल्य 5.9337 है, जो ^{2} के सारणी मूल्य 9.49 से कम है। अतः हमारी शून्य परिकल्पना सत्य है अर्थात् भारतीय जीवन बीमा निगम का सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े एवं प्रभावशाली लोगों पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि बीमाधारियों द्वारा बतलाये गये प्रत्युत्तरों में आपस में संबंध है अर्थात् हमारी वैकल्पिक परिकल्पना सत्य मानी जावेगी।
- H_0: इस परिप्रेक्ष्य में हमारी शून्य परिकल्पना यह है कि भारतीय जीवन बीमा निगम और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में कोई संबंध नहीं है। वे एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 9 d.f. के लिए ^{2} का परिकल्पित मूल्य 1.5956 है, जो ^{2} के सारणी मूल्य 16.92 से बहुत कम है। अर्थात् इस संबंध में बनायी गयी हमारी शून्य परिकल्पना सत्य है और वैकल्पिक परिकल्पना असत्य होगी। अतः स्पष्ट होता है कि सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भारतीय जीवन बीमा निगम की दशा बहुत अच्छी नहीं है अर्थात् अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों तक एल.आई.सी. अपनी पूर्णतः पहुंच बनाने में विफल रही है, जिससे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों के बीच अपनी छवि अच्छी नहीं बना सकी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में एल.आई. सी. की भूमिका बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक विकास की उपलब्धियाँ - ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्व-रोजगार व मजदूरी रोजगार का सृजन करना, समाज के निराश्रि व्यक्तियों को सामाजिक सहायता, ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन परिवारों हेतु आवास एवं सिंचाई परिसम्पत्ति के प्रावधान करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करने के साथ ही ग्रामीण विकास विभाग डी.आर.डी. ए. शासन को मजबूत करने के लिए मदद, प्रशिक्षण व अनुसंधान, पंचायती राज व्यवस्था, स्वैच्छिक गतिविधियों का विकास एवं मानव संसाधन विकास इत्यादि कार्य भी करता है।

ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण आवास व्यवस्था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। भारत में 2 अक्टूबर 1980 से 6वीं योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास योजना का शुभारंभ गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने की दशा में सबसे पहली महत्वपूर्ण योजना रही है जिसकी वजह से प्रथमबार गरीब पर सीधी प्रहार की नीति बनायी गयी थी, जो गरीबी दूर करने से सम्बद्ध योजना रही है।

देश में मनरेगा क ऐसी मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जिसका प्रमुख उद्देश्य शारीरिक श्रम करने वाले अकुशल व्यक्तियों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की मजदूरी रोजगार दिलाकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवंटन एवं क्षेत्र कवर करने की दृष्टिकोण से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रशासन का दूसरा सबसे बड़ी योजना है। जिसका उद्देश्य 2021-22 तक देश के लगभग 8-10 करोड़ गरीब ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को स्वसहायता समूहों, ग्रामीणों एवं इससे उच्च स्तर के संघों में संगठित कर लाभ उपलब्ध कराना है।

इसी तरह कौशल विकास योजना, भारतीय ग्रामीण आजीविका फाउन्डेशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन्दिरा आवास योजना, महिला सशक्तिकरण योजना, ग्रामीण भूमहीन रोजगार गारंटी योजना, रोजगार आश्वासन योजना इत्यादि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित की गयी है जिससे सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि आज सिंचाई योजना के तहत बोरवेल, कूप इत्यादि का निर्माण कराया जा रहा है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि व्यवस्था में काफी सुधार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना से बहुत से घरविहीन परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध हो पायी है। शासन एवं प्रशासन की उपरोक्त आर्थिक विकास की गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुये शोधार्थी ने सतना जिले के कुल 8 तहसीलों में से 100 गांवों का सविचार निदर्शन के माध्यम से चयन कर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के 100 बीमाधारियों से भारतीय जीवन बीमा निगम का ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान, सहयोग एवं उनकी उपलब्धियों से संबंधित समंकों का संग्रहण प्राथमिक स्तर पर तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में समंकों को तालिकाबद्ध कर निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमश: इस प्रकार हैं-

तालिका क्रमांक - 01

ग्रामीण क्षेत्रों के निम्न वर्ग पर एल.आई.सी. के अनुकूल प्रभाव से सम्बद्ध

वर्गान्तर	ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से प्राप्त प्रत्युत्तर			
	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
0.10	6	12	4	8
10.20	8	16	2	4
20.30	7	14	3	6
30.40	6	12	4	8
40.50	5	10	5	10
50.60	4	8	6	12
60.70	3	6	7	14
70.80	2	4	8	16
80.90	4	8	6	12
90.100	5	10	5	10
योग	50	100	50	100

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित।

आरेख क्र.01
ग्रामीण क्षेत्रों के निम्न वर्ग पर
एल.आई.सी. के अनुकूल प्रभाव से सम्बद्ध

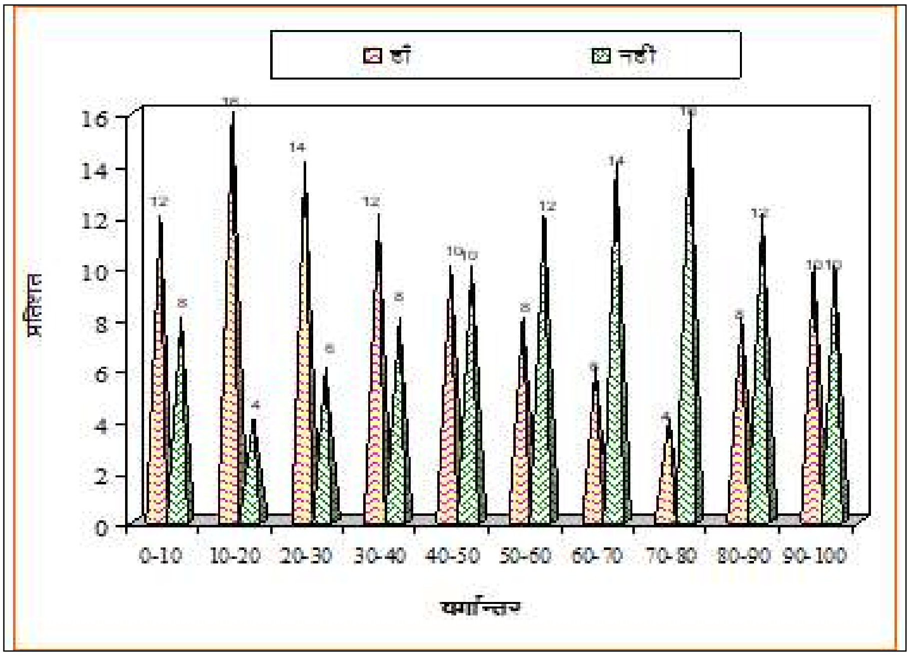

उपरोक्त तालिका एवं आरेख को देखने से स्पष्ट होता है कि यह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के निम्न वर्ग पर एल.आई.सी. के अनुकूल प्रभाव से संबंधित है। जिसमें शोधार्थी द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 100 व्यक्तियों से ग्रामीण क्षेत्रों निम्न वर्ग पर एल.आई. सी. के अनुकूल प्रभाव से संबंधी प्रश्न किये गये। जिनमें वर्गान्तर 0-10 में से 6 हितग्राहियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के निम्न वर्ग पर एल.आई.सी. का अनुकूल प्रभाव पड़ा है, जिनके प्रतिशत 12 है और 4 हितग्राहियों ने बतलाया कि अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, जिनके प्रतिशत 8 है। इसी प्रकार वर्गान्तर 10-20 में से 8 व्यक्तियों ने उत्तर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के निम्न वर्ग पर एल.आई.सी. का अनुकूल प्रभाव देखने को मिला है, जिनके प्रतिशत 16 है एवं 2 व्यक्तियों ने नहीं में उत्तर दिया जिनके प्रतिशत 4 है। इसी अनुक्रम में वर्गान्तर 20-30 में से 7 लागों का ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न वर्ग के लोगों पर एल. आई.सी. का अनुकूल प्रभाव से संबंधित उत्तर हां में प्राप्त हुआ है जिनके प्रतिशत 14 है तथा 3 लोगों का उत्तर नहीं में प्राप्त हुआ, जिनके प्रतिशत 6 है। इसी अनुक्रम में वर्गान्तर 30-40 में से 6 व्यक्तियों ने बतलाया कि ग्रामीण क्षेत्रों के निम्न वर्ग पर एल.आई.सी. का अनुकूल प्रभाव पड़ा है, जिसका प्रतिशत 12 है और 4 व्यक्तियों ने उत्तर नहीं में दिया, जिनका प्रतिशत 8 है। इसी प्रकार वर्गान्तर 40-50 में से ग्रामीण क्षेत्रों के निम्न वर्ग के लोगों पर एल.आई.सी. का अनुकूल प्रभाव से संबंधित 5 लोगों का उत्तर हां में प्रापत हुआ, जिनके प्रतिशत 10 है एवं 5 लोगों का उत्तर नहीं में प्राप्त हुआ, जिनका प्रतिशत 10 है। इसी प्रकार वर्गान्तर 50-60 में से 4 हितग्राहियों ने उत्तर हां में दिया जिनके प्रतिशत 8 है व 6

हितग्राहियों ने नहीं में दिया, जिनके प्रतिशत 12 है। इसी प्रकार वर्गान्तर 60–70 में 3 लोगों का उत्तर हां में प्राप्त हुआ जिनका प्रतिशत 6 है और 7 लोगों का उत्तर नहीं में प्राप्त हुआ, जिसका प्रतिशत 14 है। इसी प्रकार वर्गान्तर 70–80 में 2 हितग्राहियों का उत्तर हां में प्राप्त हुआ जिनका प्रतिशत 4 है तथा 8 हितग्राहियों का उत्तर नहीं में प्राप्त हुआ जिनका प्रतिशत 16 है। इसी प्रकार 80–90 वर्गान्तर में 4 व्यक्तियों ने अपना विचार हां में दिया जिनका प्रतिशत 8 है तथा 6 व्यक्तियों ने अपना विचार नहीं में दिया जिनके प्रतिशत 12 है। इसी अनुक्रम में वर्गान्तर 90–100 में 5 हितग्राहियों का अभिमत हां में मिला जिनका प्रतिशत 10 है एवं 5 हितग्राहियों का अभिमत नहीं में प्राप्त हुआ जिसका प्रतिशत 10 है। अतः इससे सुस्पष्ट होता है कि सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के निम्न वर्ग के लोगों पर एल.आई.सी. का अनुकूल प्रभाव अधिक नहीं पड़ा है। आज भी लोग एल.आई.सी. की योजना से अनभिग्य हैं।

तालिका क्रमांक 02
ग्रामीण क्षेत्रों के मध्यम वर्ग के लोगों
पर एल.आई.सी. के सकारात्मक प्रभाव से सम्बद्ध

वर्गान्तर	हितग्राहियों से प्राप्त प्रत्युत्तर			
	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
0.20	14	26	6	14
20.40	13	22	7	16
40.60	11	20	9	20
60.80	10	18	10	23
80.100	8	14	12	27
योग	56	100	44	100

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित।

आरेख क्र.02
ग्रामीण क्षेत्रों के मध्यम वर्ग के लोगों
पर एल.आई.सी. के सकारात्मक प्रभाव से सम्बद्ध

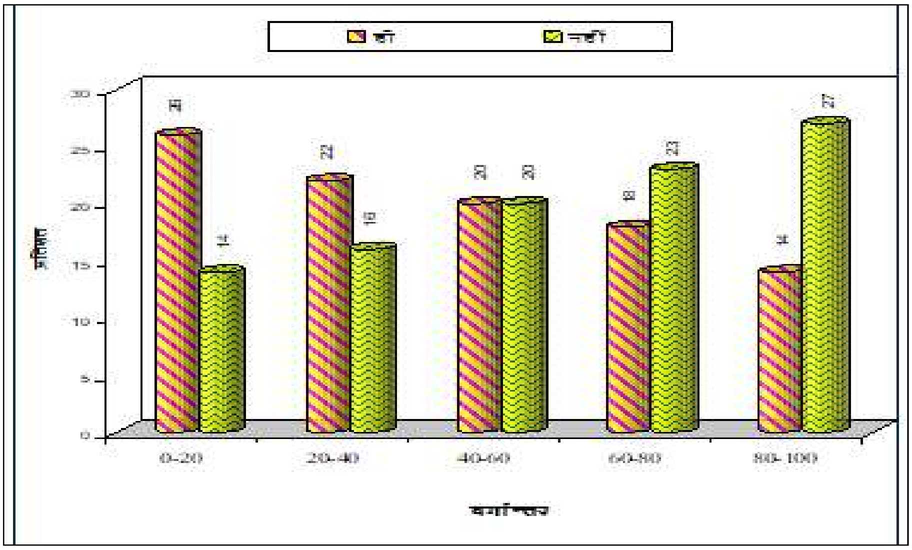

उक्त तालिका एवं आरेख को देखने से सुस्पष्ट होता है कि यह सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के मध्यम वर्ग के लोगों पर एल.आई.सी. के सकारात्मक प्रभाव से संबंधित है। शोधार्थी ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 100 व्यक्तियों से ग्रामीण क्षेत्रों के मध्यम वर्ग के लोगों पर एल.आई.सी. के सकारामक प्रभाव से संबंधित प्रश्न किये। जिनमें वर्गान्तर 0-20 में से 14 हितग्राहियों ने बतलाया कि ग्रामीण क्षेत्रों के मध्यम वर्ग के लगों पर एल. आई.सी. का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिनके प्रतिशत 26 है और 6 हितग्राहियों बतलाया कि सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है जिनके प्रतिशत 14 है। इसी प्रकार वर्गान्तर 20-40 में से 13 व्यक्तियों ने उत्तर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के मध्यम वर्ग के लोगों पर एल. आई.सी. का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिनके प्रतिशत 22 है तथा 7 व्यक्तियों का अभिमत नहीं में प्राप्त हुआ, जिनके प्रतिशत 16 है। इसी अनुक्रम में वर्गान्तर 40-60 में से 11 हितग्राहियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के मध्यम वर्ग के लोगों पर एल.आई.सी. का सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, जिनके प्रतिशत 20 है एवं 9 हितग्राहियों का उत्त नहीं में प्राप्त हुआ जिनके प्रतिशत 20 है। इसी प्रकार 60-80 वर्गान्तर में से 10 व्यक्तियों ने बतलाया कि ग्रामीण क्षेत्रों के मध्यम वर्ग के लोगों पर एल.आई.सी. का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है जिनके प्रतिशत 18 है और 10 व्यक्तियों ने उत्तर नहीं में दिया जिनके प्रतिशत 23 है। ठीक इसी प्रकार वर्गान्तर 80-100 में से 8 हितग्राहियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के मध्यम वर्ग के लोगों पर एल.आई.सी. का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिनके प्रतिशत 14 है एवं 12 हितग्राहियों ने बताया कि सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, जिनके प्रतिशत 27 है। अत: इससे स्पष्ट हो जाता है कि सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांशत: मध्यम परिवार के लोगों पर एल.आई.सी. का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जिले के मध्यम लोग भी एल.आई.सी. में निवेश कर रहे हैं जिससे भविष्य में उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बन सके।

तालिका क्रमांक - 03
ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े प्रभावशाली
लोगों पर एल.आई.सी. के अनुकूल प्रभाव से सम्बद्ध

वर्गान्तर	हितग्राहियों से प्राप्त प्रत्युत्तर			
	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
0.20	15	23.44	5	13.89
20.40	10	15.63	10	27.78
40.60	10	15.62	10	27.77
60.80	14	21.88	6	16.68
80.100	15	23.43	5	13.88
योग	64	100	36	100

स्त्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित।

आरेख क्र.03
ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े प्रभावशाली
लोगों पर एल.आई.सी. के अनुकूल प्रभाव से सम्बद्ध

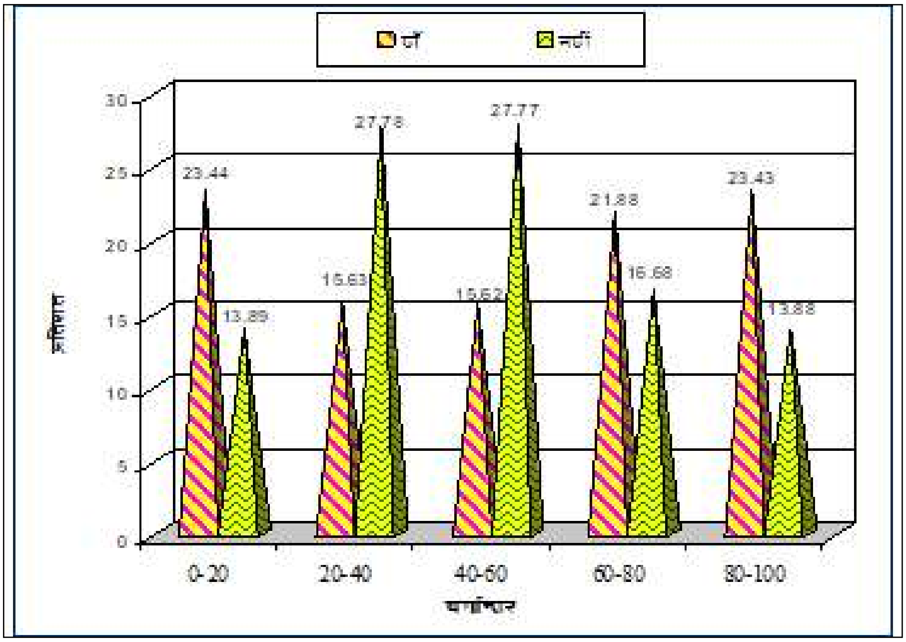

उपरोक्त तालिका एवं आरेख को देखने से प्रतीत होता है कि यह सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े एवं प्रभावशाली व्यक्तियों पर एल.आई.सी. के अनुकूल प्रभाव से संबंधित है। जिसमें शोधार्थी ने अनुसूची के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 100 व्यक्तियों से प्रश्न पूछा है। जिसमें वर्गान्तर 0–20 में से 15 व्यक्तियों ने बतलाया कि ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े एवं प्रभावशाली लोगों पर एल.आई.सी. का अनुकूल प्रभाव पड़ा है, जिनका प्रतिशत 23.44 है ताा 5 व्यक्तियों ने बतलाया कि ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े एवं प्रभावशाली लोगों पर एल.आई.सी. का प्रभाव नहीं पड़ा है, जिनका प्रतिशत 13.89 है। इसी अनुक्रम में वर्गान्तर 20–40 में से 10 ने बतलाया कि ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े व प्रभावशाली लोगों पर एल.आई.सी. का अनुकूल प्रभाव दिखायी देता है जिनका प्रतिशत 16.63 है और 10 व्यक्तियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े व प्रभावशाली लोगों पर एल.आई.सी. का अनुकूल प्रभाव दिखायी नहीं देता है जिनका प्रतिशत 27.78 है। इसी प्रकार वर्गान्तर 40–60 से 10 हितग्राहियों ने उत्तर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े व प्रभावशाली व्यक्तियों पर एल.आई.सी. का अनुकूल प्रभाव परिलक्षित हुआ है, जिनका प्रतिशत 15.62 है एवं 10 हितग्राहियों ने अपना उत्तर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े व प्रभावशाली व्यक्तियों पर एल.आई.सी. का अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, जिनका प्रतिशत 27.77 है। ठीक इसी प्रकार 60–80 वर्गान्तर में से 14 लोगों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े व प्रभावशाली व्यक्तियों पर एल.आई.सी. का अनुकूल प्रभाव पड़ा है, जिनके प्रतिशत 21.88 है तथा 6 लोगों ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े व प्रभावशाली व्यक्तियों पर एल.आई.सी. का अनुकूल प्रभाव दिखायी नहीं देता है जिनके प्रतिशत 16.

68 है। इसी अनुक्रम में वर्गान्तर 60-80 में से 15 हितग्राहियों ने अपना विचार दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े एवं प्रभावशाली व्यक्तियों पर एल.आई.सी. का अनुकूल प्रभाव परिलक्षित हुआ है जिनके प्रतिशत 23.43 है तथा 5 हितग्राहियों ने अपना अभिमत दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े व प्रभावशाली लोगों पर एल.आई.सी. का अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, जिनके प्रतिशत 13.88 है। अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एल.आई.सी. का सर्वाधिक अनुकूल प्रभाव पड़ा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े एवं सम्पन्न व्यक्ति एल.आई.सी. में अपने आय का कुछ भाग निवेश किया है ताक उनका और उनके परिवार का भविष्य समुन्नत बन सके। ग्रामीण क्षेत्रों के समृद्धिशाली व्यक्तियों ने एल.आई.सी. की योजना को अच्छा माना है। एल.आई.सी. के द्वारा व्यक्तियों के आकस्मिक परेशानियों को कुछ कम किया जा सकता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अपने आय का कुछ हिस्सा एल.आई.सी. में निवेश कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों रोजगार की संभावना का सृजन- सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में उच्च आर्थिक संमृद्धि दर और जी.डी.पी. का बहुत बड़ा स्वरूप गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता एवं अनेक प्रकार की सामाजिक व आर्थिक असुरक्षाओं की आवश्यक दशा अनिवार्य है, लेकिन मात्र इसके माध्यम से सामाजिक क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का पूर्णतः समाधान कदापि संभव नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में यह स्वीकार कर लेना अत्यन्त ही महत्वाकांक्षी होगा कि जले/देश की उच्च आर्थिक संमृद्धि दर की प्राप्ति गरीबी, बेरोजगारी और साथ ही आर्थिक विषमता को भी दूर कर पाने में सक्षम होगी। वास्तव में देश/जिले विशेष की ट्रिकिल डाउन की परिकल्पना की सफलता इस घटक/तथ्य पर निर्भर करेगी कि विनियोग का रोजगार गुणांक एवं उत्पादन की रोजगार लोच उच्च स्तर पर है। क्योंकि राष्ट्र/जिले स्तर पर रोजगार ही ट्रिकिल डाउन का तरीका मात्र है। इनका मूल्य जितना ही उच्च स्तर पर होगा, उतना ही विकास की प्रक्रिया से उत्पन्न लाभार्थ का न्यून स्तर की ओर ढलान अत्यधिक होगा। देश की अर्थव्यवस्था में जहां पर विनियोग का रोजगार गुणांक बहुत ही न्यून स्तर पर हो और रोजगार की दर तीव्रता के साथ नीचे को गिर रही हो, वहां पर गरीबी व बेरोजगारी की भयावह समस्या के हल हेतु शासन स्तर पर पहल एवं प्रयास अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। यह अनिवार्य है कि शासन स्तर पर शासकीय बजट के माध्यम से निम्न वर्ग के लोगों हेतु मेरिट वस्तुओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के शुभारंभ में प्रमुख रूप से पांचवी पंचवर्षीय योजना से केन्द्र एवं राज्य सरकार और निगमीय इकाईयों ने इस दिशा में विभिन्न सराहनीय कार्य किये हैं। शासन स्तर पर विभिन्न योजनायें, कार्यक्रम और नीतियों को संचालित किया गया है, लेकिन गरीबी, कल्याण, आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा और समावेशी विकास के कम परस्पर एक-दूसरे से इस प्रकार सम्बद्ध/जुड़े हुए हैं कि इनसे संबंधित स्कीमों व कार्यक्रमों को भिन्न-भिन्न कठोर वर्गों में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी जिले के विकास को क्रमबद्ध रूप से करने हेतु नगरीय निकाय द्वारा सार्थक पहल की गयी है।

वास्तव में शोधार्थी ने ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जीवन बीमा निगम की भूमिका अध्ययन करने के दौरान अवलोकन कर साक्षात्कार करते समय यह पाया कि एल. आई.सी. भी ग्रामीण क्षेत्रों के कृषकों व खेतिहर मजदूरों को बचत करने हेतु प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बचत कर अपने स्वयं के व्यवसाय एवं अपने पाल्यों को शिक्षित करने में मदद मिलेगी, साथ ही जिले की बेरोजगारी में भी एल.आई.सी. की चतुर्दिक गतिविधियों की वजह से कमी आ रही है। जिले के लोगों में एल.आई.सी. के प्रति चेतना जागृत हो रही है, क्योंकि सतना जिले के कोटर, मझगवां, रामनगर, नागौद, मैहर, सतना, रामपुर बाघेलान, अमरपाटन, उचेहरा एवं सोहावल इत्यादि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में एल.आई.सी. की गतिविधियों से सर्वाधिक लोग सन्तुष्ट है और बतलाये कि भारतीय जीवन बीमा निगम वर्तमान समय में सभी लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। एल.आई.सी. की पॉलिसियों का सहारा लेकर ग्रामीण क्षेत्र का प्रत्येक व्यवसायी/उद्यमी/खेतिहर मजदूर निर्भीक होकर अपने कार्यों का सम्पादन कर रहे हैं।

सतना जिले के उपरोक्त ग्रामीण क्षेत्रों के पॉलिसीधारकों का अवलोकन क्षेत्रों में उपस्थित होकर शोधार्थी स्वयं किया है और यह स्पष्ट करने में मदद मिला कि ग्रामीण क्षेत्रों के कृषकों खेतिहर मजदूरों एवं निम्न वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक सामाजिक वकास करने में एल.आई.सी. सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर रही है जिसका अवलोकन के दौरान साक्षात्कार करते समय स्पष्ट हुआ है कि जिले में एल.आई.सी. का प्रचार-प्रसार इत्यधिक होने से लोग निर्भीक होकर स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं जो जिले के बेरोजगारी कम करने में सराहनीय योगदान प्रदान कर रहा है।

निष्कर्ष-अतः उपरोक्त घटकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के पश्चात् हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम का सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बहुत ही सकारात्मक भूमिका नहीं है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से एकत्रित किये गये समंकों का विश्लेषण करने के उपरान्त सत्यता की परख/जांच/परीक्षण करने के लिए टी-परीक्षण एवं काई-वर्ग परीक्षण का उपयोग किया गया है, जिनका मूल्यांकन करने पर स्पष्ट होता है कि सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, निम्न वर्ग के लोगों पर प्रभाव, बड़े एवं समाज के प्रभावशील व्यक्तियों पर अनुकूल प्रभाव तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मध्यम वर्ग के व्यक्तियों पर अपना सकारात्मक प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं डाल पा रही है, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पाय एवं अल्प बचत दोनों ही सक्रिय रूप से भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। जिले के मध्यम व निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों का जीवन एल.आई.सी. के जोखिमों को झेलने हेतु उन्हें तैयार कर पाने में सक्षम नहीं बना पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जोखिम व अनिश्चितता कम लेना चाहते हैं। अतः भारतीय जीवन बीमा निगम को व्यापक स्तर पर निम्न एवं मध्यम आय वर्ग को दृष्टिगत रहते हुए योजनाओं का संचालन कर प्रचार-प्रसार किये जाने का अत्यन्त ही आवश्यकता है, ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग बेझिझक भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी लेने को तैयार हो सके, इससे समाज के विकास के साथ-साथ क्षेत्र, राज्य एवं देश के विकास की गति तीव्र होगी और इससे

वह दिन दूर नहीं होगा कि जब भारत विश्व पटल पर अपना नाम विकसित देशों की श्रेणी में दर्ज करा सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. वर्मा, नरेश कुमार, जीवन बीमा का वैधानिक पक्ष, यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग सर फिरोज शाह मेहता रोड मुम्बई, आई.सी. 24, 1999
2. वर्मा, नरेश कुमार, जीवन बीमा प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस युनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग सर फिरोजशाह मेहता रोड़ मुम्बई, आई.सी. 23, 1999
3. भारद्वाज, नरेश चन्द्र, बीमा के सिद्धांत, यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग सर फिरोज शाह मेहता रोड मुम्बई, आई.सी. 01, 2000
4. श्री शशिकान्त, जीवन बीमा व्यवसाय रूपरेखा, यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग सर फिरोज शाह मेहता रोड मुम्बई, आई.सी. 33, 2000
5. श्री शशिकान्त, जीवन बीमा के सिद्धांत एवं व्यवहार, यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग सर फिरोज शाह मेहता रोड मुम्बई, आई.सी. 30, 2001
6. पाठक, उमेश चन्द्र, जीवन बीमा संस्करण, यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग सर फिरोज शाह मेहता रोड मुम्बई, 2016
7. सारस्वत, महेश, बीमा प्रेरणा शक्ति उपकार, उपकार प्रकाशन 2/11 ए स्वदेशी बीमा नगर आगरा, 2000

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

रीवा जिले में सौर ऊर्जा : मूल्यांकन एवं प्रभाव

• मंजुला शर्मा
•• आर.पी. गुप्ता

सारांश- रीवा जिले में स्थापित सौर ऊर्जा पावर प्लांट जिले के समाजार्थिक विकास हेतु एक वरदान साबित हो रहा है। इतना ही नहीं इस प्लांट की स्थापना से जिले के विकास को केवल गति नहीं मिली है अपितु सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को द्रुत गति मिली है क्योंकि इस प्लांट की स्थापना से जहाँ राज्य की बिजली आपूर्ति को न्यूनतम लागत पर उत्पादित कर उपभोग हेतु सहजता मिली है, वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों को बिजली विक्रय करने से राजस्व की प्राप्ति हो रही है, जिससे जिले के समाजार्थिक विकास को गति मिल रही है। इस शोध आलेख के निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस प्लांट को और अधिक नवीन तकनीकों के माध्यम से विकसित किया जाय ताकि रीवा जिला धीरे-धीरे विकास कर सके और इसके साथ ही मध्य प्रदेश भी अपना विकास कर देश का अग्रणी राज्य बन सके।

मुख्य शब्द - सौर ऊर्जा, आर्थिक विकास, विक्रय, तकनीक

प्रस्तावना- सौर ऊर्जा प्रणाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और हमेशा उपलब्ध रहने वाली है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का एकल स्रोत है जो सौर प्रणाली के मध्य बिन्दु पर बैठता है और एक बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसका दुनिया के सभी क्षेत्रों में दोहन किया जा सकता है और प्रतिदिन उपलब्ध रहने वाली है। जब तक हमारे पास सूर्य है तब तक सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सुलभ रहेगा, सूरज की रोशनी कम से कम 05 बिलियिन वर्षों तक हमारे लिए उपलब्ध रहेगी। सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन होगा और सौर ऊर्जा का उत्पादन लागत अन्य ऊर्जा की अपेक्षा कम होता है, सौर ऊर्जा का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ये बिजली फोटोबोल्टिक या गर्मी सौर तापीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा ग्रिड तक पहुंच के बिना क्षेत्रों में बिजली का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है, सीमित स्वच्छ पानी की आपूर्ति वाले क्षेत्रों में पानी को आसूत करने और अंतरिक्ष में उपग्रहों को बिजली देने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। सौर ऊर्जा को भवनों के लिए उपयोग किये जाने वाले सामग्रियों हेतु एकीकृत किया जा सकता है। सौर ऊर्जा प्रणालियों को आमतौर पर बहुत अधिक रख-रखाव की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें केवल स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। सौर पैनल का

• शोधार्थी (वाणिज्य), शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य), शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

निर्माण करने वाले निर्माता इसे लगवाने वाले उपयोगकर्ताओं को 20-25 साल की वारन्टी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें कोई हिलने वाला भाग नहीं होता है, केवल इन्वर्टर को 5-10 वर्षों के पश्चात् बदलने की आवश्यकता पड़ती है तथा इसके अलावा सौर ऊर्जा प्रणाली को अत्यधिक दक्षता पर चलाने हेतु केबलों के रख-रखाव की आवश्यकता होती है, सौर ऊर्जा व्यवसाय में प्रौद्योगिकी लागत आगे बढ़ रही है तथा भविष्य में इसमें तेजी से सुधार होने की संभावना है। क्वार्टम भौतिकी एवं नेनोटेक्लॉजी में नवाचार प्राय: सौर पैनलों एवं दोहरे यंत्रों तक के ट्रिपल सौर ऊर्जा प्रणालियों के विद्युत इनपुट की प्रभावशीलता में अत्यधिक वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय सौर मिशाल का उद्देश्य सम्पूर्ण देश में अति शीघ्र नीतियों एवं स्थितियों का निर्माण कर भारत को विश्व को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उच्च स्थान दिलाना रहा है। वाणिज्यिक ऊर्जा से वंचित लोगों तक सौर ऊर्जा की पहुंच बनाने हेतु गृह प्रणाली को बढ़ावा देना तथा इसकी क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हेतु सहयोग करना है। सौर ऊर्जा की लागत को अत्यन्त न्यून कर अन्य दूसरे ऊर्जा की तुलना में अधिक सुलभ बनाना है।

इस दृष्टि से रीवा जिले में सौर ऊर्जा के विकास की संभावना सर्वाधिक है। आज जिले के गुढ़ क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। इस पावर प्लांट में 750 मेगावाट क्षमता की 250 मेगावाट की तीन इकाईयां स्थापित की गयी है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने रीवा सोलर पावर प्लांट को 10 जुलाई 2020 को राष्ट्र हित के लिए समपर्ति कर दिया है जो ऐशिया महाद्वीप ही सबसे बड़ी परियोजना है। वर्तमान दशक में रीवा जिला सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा केन्द्र बन गया है। रीवा सोलर पावर परियोजना में एक सौर पर्क के अन्दर 300 हेक्टेयर भूखण्ड पर 250 मेगावाट की तीन सोलर एनर्जी यूनिट स्थापित की गयी है। रीवा जिले में स्थापित सौर पावर प्लांट देश के वार्षिक लगभग 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी, रीवा सोलर पावर प्लांट से कुल उत्पादित बिजली का 24 प्रतिशत दिल्ली मैट्रो ट्रेन को और शेष 76 प्रतिशत बिजली मध्य प्रदेश राज्य के बिजली वितरण कम्पनियों को आपूर्ति किये जाने का प्रावधान किया गया है।

जिले में स्थापित यह परियोजना 100 मेगावाट क्षमता की है, इसे वर्ष 2022 के अंत तक 175 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता वाली परियोजना के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले की यह परियोजना ग्रीड अवरोध को तोड़ने वाली देश की पहली सौर परियोजनना के रूप में स्थापित हो गयी है। मौजूदा सौर परियोजना 15 वर्षों तक 2.97 रूपये प्रति यूनिट का लक्ष्य हासिल कर चुका है। आगामी 25 वर्षों की अवधि हेतु 3.30 रूपये यूनिट दर की ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। इस परियोजना को उत्कृष्टता हेतु वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है और इसे प्रधानमंत्री बुक ऑफ इनोवेसन : न्यू बिंगनिंस किताब में भी स्थान दिया जा चुका है। जिले में अल्ट्रामेगा सोलर लिमिटेड ने सौर पार्क को विकसित किया। आज जिले की इस परियोजना की भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी इसकी ठोस परियोजना संरचना एवं नवाचार हेतु जाना जाता है। यह पावर प्लांट केवल रीवा जिले के लिए ही नहीं अपितु भारत व मध्यप्रदेश हेतु गुढ़ सोलर पावर प्लांट गर्व की बात है। आज इस पावर प्लांट की वजह से जिले का नाम सौर ऊर्जा के

क्षेत्र में एशिया में अग्रणी स्थान पर है। उद्देश्य- शोध आलेख के माध्यम से यह निष्कर्ष निकालने का सार्थक प्रयास किया गया है कि जिले में सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना से आर्थिक दशा का क्या प्रभाव पड़ा है। इसके लिये प्रस्तुत शोध आलेख से संबंधित कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं-

1. जिले में स्थापित सौर ऊर्जा पावर प्लांट से जिले का आर्थिक विकास हो रहा है अथवा नहीं, का मूल्यांकन करना।
2. इस परिप्रेक्ष्य में संग्रहित समंकों का औसत माध्य ज्ञात करने के बाद स्पष्ट होता है कि जिले के आर्थिक विकास में सौर ऊर्जा पावर प्लांट अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर संग्रहित समंकों का मूल्यांकन करने से इस तथ्य पर पूरा प्रकाश पड़ रहा है कि जिल के विकास में सौर ऊर्जा प्लांट का सराहनीय योगदान है।
3. जिले में संचालित सौर ऊर्जा पावर प्लांट से समाजार्थिक विकास हो रहा है अथवा नहीं, का आकलन करना भी इस शोध कार्य का प्रमुख उद्देश्य है।
4. इस परिप्रेक्ष्य में एकत्रित किये गये प्राथमिक समंकों का औसत माध्य निकालने से पूर्णतः सुस्पष्ट होता है कि रीवा जिले समाजार्थिक विकास में सौर ऊर्जा पावर प्लांट महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, क्योंकि जिले में इस प्लांट के स्थापित हो जाने से सम्पूर्ण जिले में बिजली की आपूर्ति 24 घण्टे हो रही है, जिससे जिले की कृषि, व्यवसाय एवं अन्य संगठनों को प्रफुल्लित होने का अच्छा अवसर उपलब्ध हो रहा है।
5. जिले में सौर ऊर्जा पावर प्लांट की स्थापना से जिले की बेरोजगारी में कमी आयी है अथवा नहीं, का अनुमान लगाना भी इस शोधकार्य का प्रमुख उद्देश्य है।
6. अतएव जिले में सौर ऊर्जा पावर प्लांट की स्थापना हो जाने से जिले की बेरोजगारी में कुछ कमी आयी है, जिसकी सत्यता प्राथमिक स्तर पर एकत्रित किये गये समंकों के विश्लेषण से प्राप्त होता है।

अतः प्रस्तुत शोध आलेख उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण किया गया है।

परिकल्पना- चूंकि परिकल्पना कोरी कल्पना मात्र होती है इनकी सत्यता की जांच किये बिना इन्हें सत्य नहीं माना जा सकता। इस दृष्टि से शोधकर्ता ने कुछ परिकल्पनाओं का निर्माण किया है, जो इस प्रकार है-

- जिले में सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना एवं जिले के आर्थिक विकास में कोई संबंध नहीं है?
- इस संबंध में की गयी हमारी शून्य परिकल्पना असत्य है अर्थात् दोनों चरों में आपसी संबंध है, अतः इस संबंध में संकलित संकलित समंकों के विश्लेषण व औसत माध्य के परीक्षण के आधार पर चयनित 300 उत्तरदाताओं में से 69.33 प्रतिशत ने सकारात्मक एवं 30.67 उत्तरदाताओं के नकारात्मक प्रतिशत मूल्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि इस प्लांट ने जिले के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान किया है।

- जिले में सौर ऊर्जा प्लांट के क्रियान्वयन एवं समाजार्थिक विकास में कोई संबंध नहीं है?
- इस परिप्रेक्ष्य में संग्रहित समंकों का परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि हमारी शून्य परिकल्पना असत्य है अर्थात् दोनों चर एक-दूसरे से संबंधित हैं। अत: जिले में इस प्लांट के क्रियान्वयन से समाजार्थिक विकास संभव हुआ है, क्योंकि इस संबंध में एकत्रित समंकों के औसत माध्यम में 72.67 प्रतिशत लोगों ने नहीं स्वीकार किया है।
- जिले की बेरोजगारी में कमी आने एवं सौर ऊर्जा के प्लांट के संचालन में कोई संबंध नहीं है।

इस संबंध में की गयी हमारी शून्य परिकल्पना असत्य है अर्थात् दोनों चर एक-दूसरे से संबंधित हैं, अत: चयनित व्यक्तियों के आंकड़ों का औसत माध्य से परीक्षण करने पर सुस्पष्ट होता है कि 56.00 प्रतिशत लोगों ने बेरोजगारी में कमी आयी है, को स्वीकार किया है तथा 42 प्रतिशत लोगों ने बेरोजगारी में कमी नहीं आयी है को स्वीकार किया है। अत: उपरोक्त परिकल्पनाओं को आधार बनाकर शोध आलेख को प्रस्तुत किया गया है।

शोध प्रविधि- प्रस्तावित शोध आलेख को पूर्ण करने हेतु सामाजिक शोध की समस्त प्रविधियों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रणालियों का यथासंभव उपयोग किया गया है। प्रस्तावित शोध आलेख की व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध सम्पादन हेतु समंकों के संग्रहण की प्राथमिक व द्वितीयक दोनों विधियों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा समंकों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण भी किया गया है। अध्ययन के उपकरणों एवं प्रविधियों को निर्धारित साक्षात्कार, अवलोकन एवं अनुसूची इत्यादि के माध्यम से एकत्रित किया गया है। प्रस्तुत शोध आलेख में वर्णान्तात्मक विधि का भी प्रयोग किया गया है। वास्तविकता की पुष्टि के लिए सांख्यिकी प्रविधियों में औसत माध्य का प्रयोग कर निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं।

मूल्यांकन- प्रस्तुत शोध आलेख से आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता सौर ऊर्जा संयंत्र को अधिक से अधिक विकसित कर ऊर्जा को न्यूनतम लागत पर उत्पादन को सम्भव/सफल बनाने के प्रयास कर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। सोलर पावर प्लांट के विकास के मार्ग में आने वाली कठिनाईयों व समस्याओं को उद्घटित किया जायेगा और इस शोध आलेख के माध्यम से सुझाये गये सुझाव पर अमल करने पर सौर ऊर्जा शक्ति का पर्याप्त विकास किये जाने में सफलता मिलेगी, जिसका परिणाम आर्थिक विकास, समाजार्थिक विकास, रोजगार, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं अन्य दूसरे क्षेत्रों पर सकारात्मक रूप में देखने को मिलेगा। जिसे दृष्टिगत रखते हुए शोधकर्ता ने समंकों का संग्रहण साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया है, जो क्रमश: निम्नानुसार है-

सौर ऊर्जा प्लांट से जिले का आर्थिक विकास- जिले के आर्थिक विकास में सौर ऊर्जा प्लांट की भूमिका का मूल्यांकन करने हेतु शोधकर्ता ने प्राथमिक स्तर पर स्वयं साक्षात्कार कर अनुसूची के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण कर तालिका क्रमांक-01 में

प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है–

तालिका क्रमांक 01

जिले के आर्थिक विकास में सौर ऊर्जा प्लांट का योगदान

क्रमांक	उत्तरदाताओं का वर्गीकरण	उत्तरदाताओं से प्राप्त अभिमत			
		हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
1.	0.50	32	10.67	18	6.00
2.	50.100	30	10.00	20	6.67
3.	100.150	35	11.67	15	5.00
4.	150.200	38	12.66	12	4.00
5.	200.250	36	12.00	14	4.67
6.	250.300	37	12.33	13	4.33
	योग	208	69.33	92	30.67

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित।

आरेख क्र. 01

जिले के आर्थिक विकास में सौर ऊर्जा प्लांट का योगदान

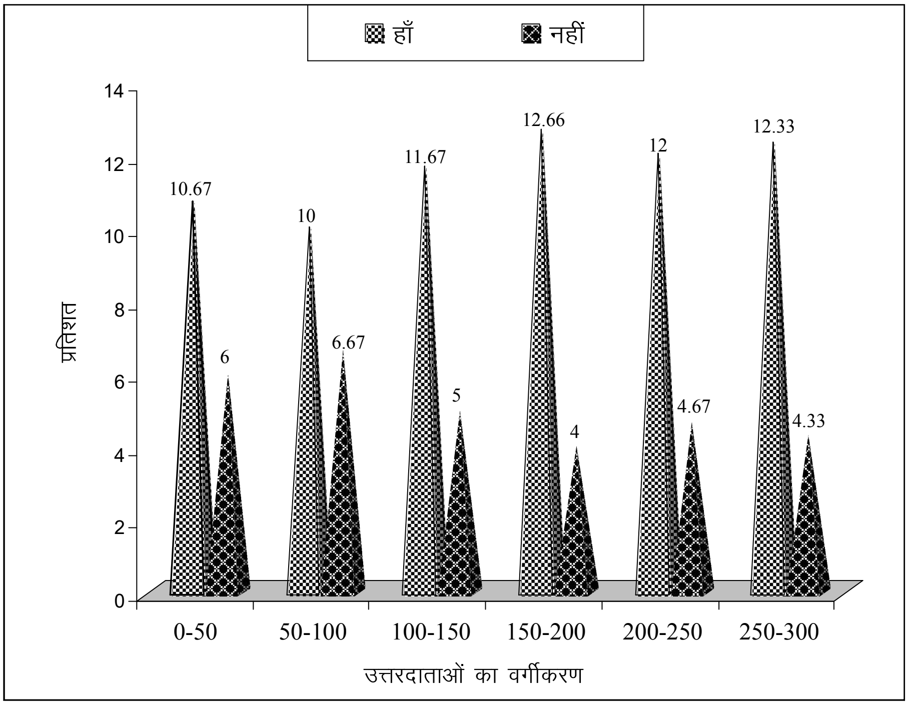

तालिका क्रमांक-01 एवं आरेख से सुस्पष्ट होता है कि जिले के आर्थिक विकास में सौर ऊर्जा प्लांट के योगदान से संबंधित है। शोधकर्ता ने जिले के कुल 300 उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा सौर ऊर्जा प्लांट जिले के आर्थिक विकास में भूमिका अदा कर रहा है से संबंधित प्रश्न का प्रत्युत्तर प्राप्त किये हैं। जिसमें वर्गीकरण 0–50 में 32 हितग्राहियों ने बतलाया की आर्थिक विकास में भूमिका अदा कर रहा है और 18 हितग्राहियों ने बतलाया भूमिका नहीं अदा कर रहा है, जिनके प्रतिशत 10.67 व 6.00

है। इसी प्रकार वर्गीकरण 50-100 में 30 लोगों ने बताया आर्थिक विकास में योगदान दे रहा है और 20 लोगों ने बताया कि योगदान नहीं दे रहा है, जिनके प्रतिशत 10.00 व 6.67 है। इसी अनुक्रम में वर्गीकरण 100-150 में से 35 व्यक्तियों ने बताया कि जिले के आर्थिक विकास में योगदान अदा कर रहा है और 15 व्यक्तियों ने बतलाया कि योगदान नहीं अदा कर रहा है जिनके प्रतिशत 11.67 एवं 5.00 है। इसी अनुक्रम में वर्गीकरण 150-200 में 38 लोगों का उत्तर हाँ और 12 लोगों का उत्तर नहीं में प्राप्त हुआ जिनके प्रतिशत 12.66 व 4.00 है। इसी प्रकार वर्गीकरण 200-250 में 36 व्यक्तियों ने अपना अभिमत हाँ और 14 व्यक्तियों ने अपना अभिमत नहीं में दिये, जिनके प्रतिशत 12.00 व 4.67 है। इसी प्रकार वर्गीकरण 250-300 में से 37 लोगों ने हाँ और 13 लोगों ने नहीं में अपना अभिमत दिया, जिनका प्रतिशत 12.33 व 4.33 है। अतः स्पष्ट होता है कि जिले में सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना हो जाने से जिले के आर्थिक विकास को गति मिली है। जिसके परिप्रेक्ष्य में 69.33 प्रतिशत लोगों ने आर्थिक विकास को स्वीकारा है तथा 30.67 प्रतिशत लोगों ने आर्थिक विकास नहीं हुआ है, को स्वीकार किया है।

सौर ऊर्जा प्लांट का जिले के समाजार्थिक विकास में योगदान- प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से शोधकर्ता ने यह विश्लेषित करने का सार्थक प्रयास किया है कि जिले में स्थापित सौर ऊर्जा प्लांट के संचालन से जिले का समाजार्थिक विकास हो रहा है अथवा नहीं, इसके मूल्यांकन के लिए प्राथमिक स्तर पर एकत्रित समंकों को तालिका क्रमांक-02 में प्रस्तुत कर विश्लेषित किया गया है-

तालिका क्रमांक 02

सौर ऊर्जा प्लांट से जिले के समाजार्थिक विकास का मूल्यांकन

क्रमांक	उत्तरदाताओं का वर्गीकरण	उत्तरदाताओं से प्राप्त अभिमत			
		हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
1ण	0.50	42	14.00	8	2.67
2ण	50.100	37	12.33	13	4.33
3ण	100.150	30	10.33	20	6.66
4ण	150.200	35	11.67	15	5.00
5ण	200.250	38	12.67	12	4.00
6ण	250.300	36	12.00	14	4.67
	योग	218	72.67	82	27.33

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित।

आरेख क्र. 02
सौर ऊर्जा प्लांट से जिले के समाजार्थिक विकास का मूल्यांकन

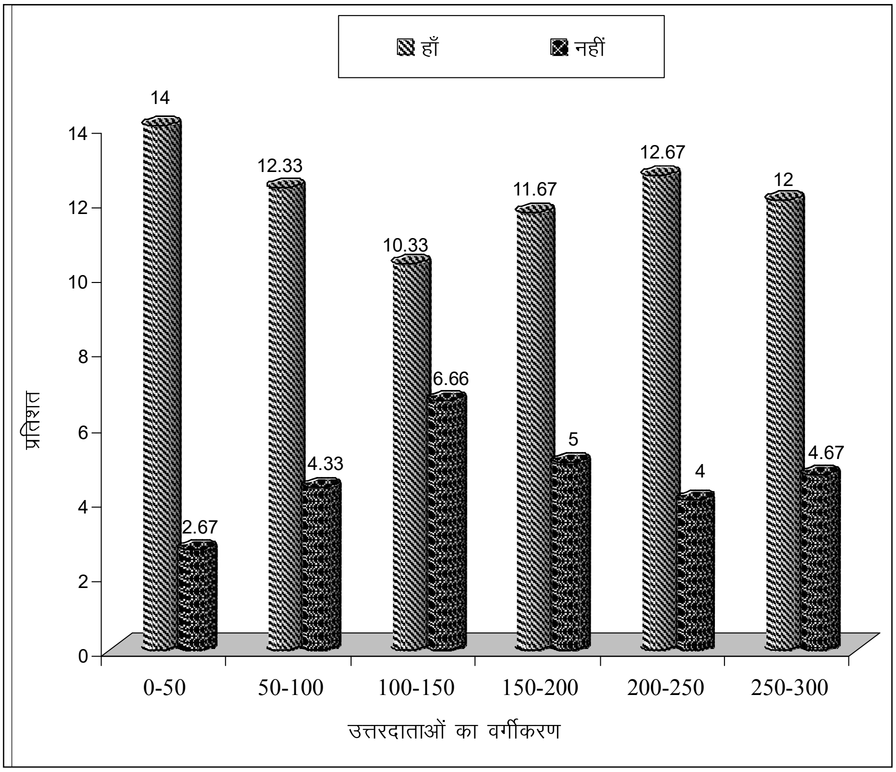

उपर्युक्त तालिका क्रमांक 02 को देखने से स्पष्ट होता है कि यह जिले के सौर ऊर्जा प्लांट से समाजार्थिक विकास के मूल्यांकन से संबंधित है। जिले के कुल 300 हितग्राहियों से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्रश्न सौर ऊर्जा प्लांट से जिले के समाजार्थिक विकास से संबंधित प्रत्युत्तर प्राप्त किये। जिसमें वर्गीकरण 0-50 में 42 व्यक्तियों ने बतलाया कि जिले में समाजार्थिक विकास हो रहा है और 8 व्यक्तियों ने बतलाया नहीं हो रहा है, जिनके प्रतिशत 14.00 व 2.67 है। इसी प्रकार वर्गीकरण 50-100 में 37 लोगों ने बतलाया कि सौर ऊर्जा प्लांट से जिले में समाजार्थिक विकास हो रहा है तथा 13 लोगों ने बतलाया नहीं हो रहा है, जिनके प्रतिशत 12.33 एवं 4.33 है। इसी अनुक्रम में वर्गीकरण 100-150 में 30 हितग्राहियों ने उत्तर दिया कि समाजार्थिक विकास हो रहा है और 20 लोगों ने बताया विकास नहीं हो रहा है, जिनके प्रतिशत 10.00 व 6.66 है। इसी प्रकार वर्गीकरण 150-200 में 35 हितग्राहियों ने बतलाया विकास हो रहा है तथा 15 हितग्राहियों ने बतलाया विकास नहीं हो रहा है, जिनके प्रतिशत 11.67 व 5.00 है। इसी अनुक्रम में वर्गीकरण 200-250 में 38 लोगों ने बताया विकास हो रहा है और 12 लोगों ने बताया विकास नहीं हो रहा है, जिनके प्रतिशत 12.67 एवं 4.00 है। इसी अनुक्रम में वर्गीकरण 250-300 में 36 व्यक्तियों ने बतलाया कि विकास हो रहा है और 14 व्यक्तियों ने बतलाया विकास नहीं हो रहा है, जिनके प्रतिशत क्रमशः 12.00 व 4.67 है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है जिले में सौर ऊर्जा पावर प्लांट की स्थापना से जिले का समाजार्थिक विकास सुनिश्चित हो रहा है, क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में संग्रहित समंकों में 72.67 प्रतिशत लोगों ने समाजार्थिक विकास को स्वीकार किया है।

सौर ऊर्जा प्लांट का जिले की बेरोजगारी पर प्रभाव- प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से यह विश्लेषित करने का अकादमिक प्रयास किया गया है कि जिले में सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना से जिले की बेरोजगारी पर सकारात्मक/नकारात्मक प्रभाव पडा है। इसके वास्तविक मूल्यांकन हेतु प्राथमिक स्तर पर एकत्रित किये गये आंकड़ों को तालिका क्रमांक-03 में प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार है-

तालिका क्रमांक 03

सौर ऊर्जा प्लांट से जिले की बेरोजगारी का मूल्यांकन

क्रमांक	उत्तरदाताओं का वर्गीकरण	उत्तरदाताओं से प्राप्त अभिमत			
		हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
1.	0.50	32	10.67	18	6.00
2.	50.100	30	10.00	20	6.67
3.	100.150	28	9.33	22	7.33
4.	150.200	25	8.33	25	8.33
5.	200.250	26	8.67	24	8.00
6.	250.300	33	11.00	17	5.67
	योग	174	56.00	126	42.00

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित।

आरेख क्र. 03

सौर ऊर्जा प्लांट से जिले की बेरोजगारी का मूल्यांकन

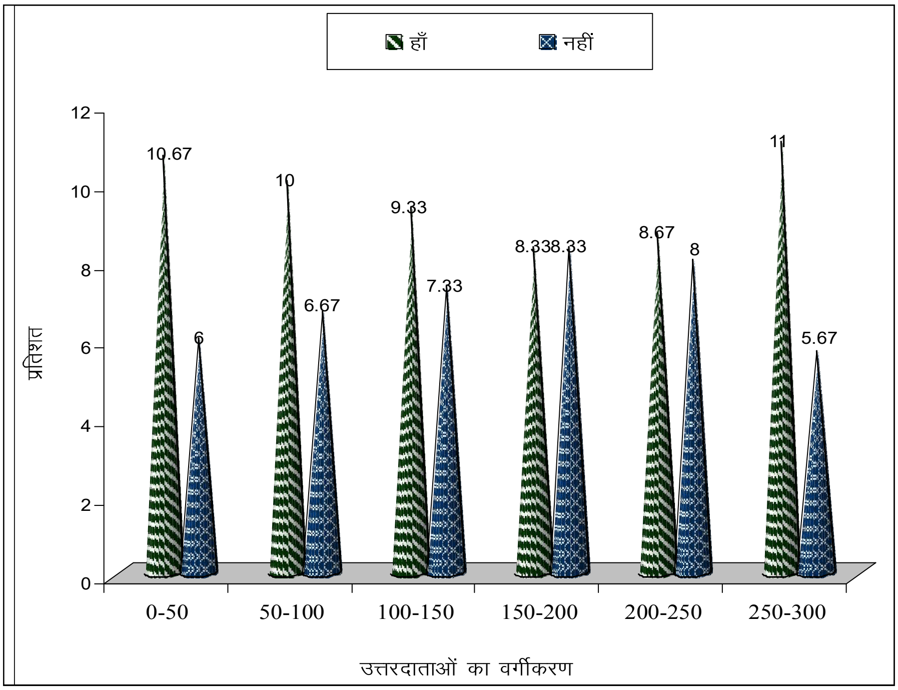

तालिका क्रमांक-03 को देखने से स्पष्ट होता है कि सौर ऊर्जा प्लांट से जिले के बेरोजगारी से संबंधित है। शोधकर्ता ने जिले के कुल 300 लोगों से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सौर ऊर्जा प्लांट से जिले की बेरोजगारी के मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न का प्रत्युत्तर प्राप्त किये, जिसमें वर्गीकरण 0-50 में 32 व्यक्तियों ने बतलाया कि बेरोजगारी में कमी आयी है और 18 व्यक्तियों ने बतलाया कि कमी नहीं आयी है, जिनके प्रतिशत 10.67 व 6.00 है। इसी प्रकार वर्गीकरण 50-100 में 30 हितग्राहियों का उत्तर हाँ और 20 हितग्राहियों का उत्तर नहीं में प्राप्त हुआ, जिनके प्रतिशत 10.00 और 6.67 है। इसी अनुक्रम में वर्गीकरण 100-150 में 28 व्यक्तियों ने अपना अभिमत हाँ और 22 व्यक्तियों ने अपना अभिमत नहीं में दिया, जिनके प्रतिशत 9.33 एवं 7.33 है। इसी प्रकार वर्गीकरण 150-200 में 25 उत्तरदाताओं का उत्तर हाँ और 25 उत्तरदाताओं का उत्तर नहीं में प्राप्त हुआ, जिनके प्रतिशत 8.33 व 8.33 है। इसी प्रकार वर्गीकरण 200-250 में 26 लोगों का उत्तर हाँ और 24 लोगों का उत्तर नहीं में दिये, जिनके प्रतिशत 8.67 एवं 8.00 है। इसी प्रकार वर्गीकरण 250-300 में 33 व्यक्तियों ने हाँ और 17 व्यक्तियों में नहीं में उत्तर दिये, जिनके प्रतिशत 1.00 व 5.67 है। अतः स्पष्ट होता है कि जिले में सौर ऊर्जा पावर प्लांट की स्थापना से बेरोजगारी के दर में कमी आयी है।

उपसंहार- प्रस्तुत शोध आलेख की पूर्णता के बाद निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि रीवा जिले में स्थापित सौर ऊर्जा पावर प्लांट जिले के समाजार्थिक विकास हेतु एक वरदान साबित हो रहा है। इतना ही नहीं इस प्लांट की स्थापना से जिले के विकास को केवल गति नहीं मिली है अपितु सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को द्रुत गति मिली है क्योंकि इस प्लांट की स्थापना से जहाँ राज्य की बिजली आपूर्ति को न्यूनतम लागत पर उत्पादित कर उपभोग हेतु सहजता मिली है, वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों को बिजली विक्रय करने से राजस्व की प्राप्ति हो रही है, जिससे जिले के समाजार्थिक विकास को गति मिल रही है। इस शोध आलेख के निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस प्लांट को और अधिक नवीन तकनीकों के माध्यम से विकसित किया जाय ताकि रीवा जिला धीरे-धीरे विकास कर सके और इसके साथ ही मध्य प्रदेश भी अपना विकास कर देश का अग्रणी राज्य बन सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. अखिलेश, डॉ. एस., रीवा दर्शन, गायत्री पब्लिकेशन, रीवा (म.प्र.), वर्ष 2012
2. शर्मा, टी.आर., अंकेक्षण, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, वर्ष 2010
3. शर्मा, डॉ. एम.एल., केजरीवाल, डॉ. बी.के. एवं अग्रवाल, डॉ. अनुपम, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, वर्ष 2012
4. जैन, डॉ. एस.सी., ग्रामीण एवं कृषि विपणन, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, वर्ष 2014
5. जैन, डॉ. एस.सी., अंतर्राष्ट्रीय विपणनन प्रबंध, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, वर्ष 2015
6. शुक्ल, प्रो. त्रिभुवन नाथ, उद्यमिता विकास, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, वर्ष 2009
7. शुक्ल,डॉ. एस.एम. एवं गुप्ता, एस.पी., वित्तीय लेखापन्न, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, वर्ष 2010
8. मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (RUMSL)

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

सीएनजी- संपीड़ित प्राकृतिक गैस

• **मंजरी अवस्थी**

सारांश- सीएनजी पेट्रोल डीजल और घरेलू गैसों की तुलना में कम खर्चीली होती है। इस गैस के उपयोग से प्रदूषण कम होता है। यह अन्य गैसों की तुलना में कम हानिकारक होती है। यह गैस वायुमंण्डल के अनुकूल होती है। सीएनजी सभी प्रकार के इंजनों के लिये अच्छा होता है। यह सीएनजी की तुलना में वाहनों के इंजनों का कम नुसाना पहुंचाता है।

मुख्य शब्द - सीएनजी, प्रदूषण, प्राकृतिक गैस

प्रस्तावना- संपीड़ित प्राकृतिक गैस Compressed Natural Gas संक्षेप में सीएनजी प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिये 200 से 250 केजी प्रति वर्ग से.मी. तक दबाया जाता है। प्राकृतिक गैस को दबाकर कम करने का प्रमुख उद्'य यह है कि यह आयतन कम घेरे और इंजन के दहन प्रकोष्ठ में उपयुक्त दबाव के साथ प्रवेश करे। चूंकि यह प्राकृतिक गैस का ही संपीड़ित रूप है। इसलिये सीएनजी का रसायनिक संगठन भी वही होता है जो बगैर दबाई गई गैस का होता है। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी के भी अवयव हैं। मीथेन, ईथेन और प्रोपेन। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी रंगहीन, गंधहीन और विषहीन होती है। सीएनजी गैस अत्यंत ज्वलनशील होने के साथ-साथ कम जहरीली और कम हानि कारक गैसे - CO2ए CO, NO2 उत्पन्न करता है। जो हमारे पर्यावरण और वातावरण के लिये बहुत उपयोगी होते हैं। ''

सीएनजी क्या है - सीएनजी प्राकृतिक गैस का संकुचित Compressed रूप है जो मुख्य रूप से मीथेन गैस CH4 से बना है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी है क्योंकि यह अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में कम अवांछनीय गैसों का उत्पादन करता है। इसलिये यह अन्य ईंधन उत्पादों की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल है। यह अपने अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक सुरक्षित है। कयोंकि सी.एन.जी हवा की तुलना में हल्का है और रिलीज होने पर जल्दी फैलता है। यह हवा से मामूली हल्की होती है। इसका प्रयोग ईंधन की तरह कई देशों में वाहनों को चलाने के लिये ऊर्जा स्त्रोतों के रूप में किया जाता है। इसका प्रमुख संघटक मीथेन गैस होती है। जो सामान्यत: 97 से 98: की मात्रा में रहती है। इसकों प्राय: 200 से 220 बार 20 से 22 मेगापास्कल के सिलीडरों में भंडारित किया जाता है।

• **सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय,इटारसी (म.प्र.)**

सी.एन.जी. के गुण- यह गैस बेस्वाद, बैरंग, बिनागंध, गैरविषाक्त, गैर संक्षारक हवा की तुलना में 4ः उच्च प्रज्ज्वलन तापमान वाली होती है।

सी.एन.जी.का अविष्कार कहां से हुआ- अमेरिका में सन् 1800 के समय में इसका अविष्कार हुआ। जिसके बाद इटली और अन्य यूरोप के देशों में इसे ईंधन के रूप में स्वीकार किया। और इसके इस्तेमाल पर जोर देने लगे। ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। यह गैस हवा से भी हल्की होती है। जिसे 200 से लेकर 250 किलो प्रति वर्ग से.मी. तक दबाया जाता है। ये आसानी से किसी बेलना कार पात्र में फिट हो जाती है।

सीएनजी में कौन से पदार्थ होते है- सीएनजी में लेड, सल्फर, नही होने के कारण इस में रियेक्टिव हाइड्रोकार्बन 70ः जबकि नाइट्रोजन आक्साइड 85ः होता है। जबकि इसमें सबसे ज्यादा मीथेन गैस पाया जाता है। जिसकी वजह से ये रंगहीन, गंधहीन, विष रहित होता है। इसके इस्तेमाल करने पर प्रकृति को ज्यादा नुकसान नही होता है।

स्वच्छ और कुशल इंजन- सीएनजी का उपयोग करने से इंजन साफ और अधिक कुशल बनता है। गैसोलीन के विपरीत सीएनजी दहन के समय हानिकारक कार्बन जमा नहीं होने देता है। यह एक क्लीनर और अधिक कुशल ईंजन के साथ साथ लंबे समय तक चलने वाली स्पार्क प्लग का परिणाम है। तेल के बदलाव को भी कम किया जाता है। क्योंकि कार्बन जमा होने से तेल दूषित होता है।

- सस्ता- यह अपने अन्य विकल्पों की तुलना में सस्ता है। उदाहरण के लिये पेट्रोल और डीजल जो बसों और डीजल पर चलने वाले वाहनों की तुलना में सीएनजी पर चलने वाले वाहनों की Maintenance के रखरखाव लागत भी कम होती है।
- पर्यावरण के अनुकूल- यह गैस पर्यावरण के अधिक अनुकूल है क्योंकि यह अन्य विकल्प यानी डीजल और पेट्रोल की तुलना में कम अवांछनीय और हानि कारक गैसों का उत्सर्जन करता है।

सीएनजी का प्रयोग कहॉ होता है- सीएनजी के उपयोग से ऊर्जा की बचत होती है। इसका प्रयोग ज्यादातर बड़े वाहन जैसे बस में किया जाता है। इस के अलावा कार थ्री व्हीलर और टैक्सी में भी किया जाता है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की खपत से चलने वाले वाहन सीएनजी के मुकाबले अधिक प्रदूषण फैलाते है जिससे हमारे पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

इसलिये हमारे देश में सीएनजी के प्रयोग को अधिक से अधिक प्रमोट किया जा रहा है ताकि लोगों को एक अच्छा पर्यावरण मिल सके अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस प्रकार दिल्ली के पूरे शहर में धुंध जम गई और इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी इसलिये दिल्ली जैसे शहर के अलावा वाराणसी सरकार जोर दे रही है क्योंकि द्रव्य वाले पदार्थो को जलाने से नाइट्रोजन आक्साइड गैस निकलती है। जो वायु में मिलकर उसे दूषित कर देते है। ये गैस पर्यावरण के अनुकूल है। जो पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम हानिकारक गैस उत्पन्न करती है।

सीएनजी के फायदे-

1. इसका सबसे बड़ा फायदा सस्ता होना है यह दूसरे ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल की तुलना में सस्ती होती है।
2. इस गैस से मिलने वाला माइलेज डीजल की तुलना में अधिक होता है।
3. इससे निकलने वाले धुंये से पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नही पहुंचता है।
4. यह वाहन की इंजन की क्षमता को बढ़ता है। इसके साथ इंजन को साफ रखता है।
5. शुरूआत में इसको फिट करवाने का खर्च अधिक आयेगा लेकिन बाद में खर्च बहुत कम होता हो जाता है।
6. इस गैस के उपयोग करने से इंजन की आवाज बहुत कम हो जाती है।

सीएनजी से नुकसान-

1. सीएनजी के सर्विस स्टेशन बहुत कम हैं।
2. कार के पेट्रोल या डीजल इंजन से सीएनजी इंजन बनाने में खर्च काफी होता है।
3. इस गैस के प्रयोग से गाड़ी का एक्सॉस्ट बॉल्व जल्दी खराब हो सकता है।
4. सीएनजी के सलेंडर कॉफी भारी होते हे।
5. सीएनजी गैस का उपयोग करते समय इंजन का आयल और एयर फिल्टर समय समय पर चेक रना पड़ता है।
6. इस गैस को स्टोर करने के लिये बहुत बड़े गैस की आवश्यकता होती है, इसलिये इसके रखरखाव में समस्या होती है।
7. यह गैस सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है।

सीएनजी भविष्य का ईंधन

- प्राकृतिक गैस वाहनों में अन्य हाइड्रो कार्बन ईंधन से चलने वाले वाहनों की तुलना में रखरखाव कम आता है।
- सीएनजी ईंधन प्रणालियों को सील कर दिया जाता है जिससे ईंधन के रिसाव या वाष्पीकरण से होने वाले नुकसानों को रोका जाता है।
- लुब्रिकेटिंग तेलों का जीवनकाल बढ़ जाता है। क्योंकि सीएनजी तेल को दूषित और गाढ़ा नही करता है।
- गैसीय ईंधन होने के कारण सीएनजी के प्रज्जवलित होने की संभावना कम होती है क्योंकि इसमें उच्च आटो इग्निशन तापमान 540 डिग्री सेल्सियस और ज्वलनशीलता की एक संकीर्ण सीमा 5 से 157 तक होती है।
- सीएनजी से चलने वाले वाहनों को पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है।
- दहन होने पर सीएनजी पेट्रोल या तेल की तुलना में काफी कम प्रदूषण उत्सर्जित करता है।
- भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कमी के कारण, सीएनजी ही सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है

निष्कर्ष- यह पेट्रोल डीजल और घरेलू गैसों की तुलना में कम खर्चीली होती है। इस गैस के उपयोग से प्रदूषण कम होता है। यह अन्य गैसों की तुलना में कम हानिकारक होती है। यह गैस वायुमंण्डल के अनुकूल होती है। ब्छळ सभी प्रकार के इंजनों के लिये अच्छा होता है। यह सीएनजी की तुलना में वाहनों के इंजनों का कम नुसाना पहुंचाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

इंटरनेट और समाचार पत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

मध्यप्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में सूचना संसाधनों के प्रकार एवं शैक्षणिक कार्य की उपयोगिता के संदर्भ में

• पुष्पेन्द्र पाठक

सारांश- म.प्र. के कृषि विश्वविद्यालयों के सूचना संसाधन एवं उनके शैक्षणिक कार्य का उपयोगकर्ता के अध्ययन में पाया गया कि सबसे अधिक पुस्तकों का उपयोग 79.82 प्रतिशत, इन्टरनेट 64.74 प्रतिशत, पत्रिकाऐं/समाचार पत्र 63. 60 प्रतिशत, ई.जनरल 54.39 प्रतिशत उपयोगकर्ता उपयोग करते है। उपयोगकर्ता कम कृषि ब्लॉक 13.60 प्रतिशत, वार्षिक रिपोर्ट 14.91 प्रतिशत उपयोग करते है। अध्ययन में यह भी देखा गया है कि 1.75 प्रतिशत पुस्तकों, 3.07 प्रतिशत इन्टरनेट, ई.जनरल 21.05 प्रतिशत, पत्रिकायें/समाचार पत्र 7.46 प्रतिशत, संदर्भश्रोत 9.65 प्रतिशत अन्य संसाधनों का उपयोग करते नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि उपयोगकर्ता सिर्फ इलेक्ट्रानिक संसाधनों का अधिक उपयोग पुस्तकालय जाये बगैर ही प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य शब्द - विभिन्न सूचना संसाधनों, शैक्षणिक उपयोग

प्रस्तावना- पुस्तकालय किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। आज पुस्तकालय ग्रन्थों का संग्रहण केन्द्र न होकर सूचना संग्रहण एवं सम्प्रेषण के रूप में जाने जाते है, इसलिये सूचना की उपयोगिता एवं अनुप्रयोगों की दृष्टि से पुस्तकालय का महत्व उपयोगकर्ताओं के प्रति और अधिक बढ जाता है। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में नये शोध एवं अनुसंधान की गतिविधियों के फलस्वरूप समस्त सूचना को संग्रहित कर पाना किसी भी ग्रंथालय के लिए अत्यंत कठिन है। प्रत्येक परिस्थिति में पुस्तकालय में संग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुस्तकालय की समग्र सेवा संग्रह विकास पर ही निर्भर करती है। पुस्तकालय संग्रह का अभिप्राय पुस्तकालय के अंदर रखी समस्त पुस्तकीय, अपुस्तकीय एवं इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य समाग्री से है। किसी वि'ाय पर पुस्तकों का लिखा जाना तथा उसके प्रकाशन में लगने वाला समय में पुस्तकों में निहित ज्ञान पुराना पड़ जाता है, अतप्रतिशत यह कहा जा सकता है कि पुस्तकों के अतिरिक्त ऐसा कोई माध्यम भी होना चाहिए जो उपयोगर्ताओं को उनकी सूचना आवश्यकता की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सके। पाठकों की सूचना आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए पुस्तकों के अतिरिक्त अपुस्तकीय एवं

• अतिथि विद्वान ग्रंथालय शासकीय महाविद्यालय, मकरोनिया सागर

ई-डॉयूमेंन्ट का भी उपयोग किया जाता है। पुस्तकालय में उपलब्ध अपुस्तकीय एवं ई-प्रलेख द्वारा उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। ई-प्रलेखो स्त्रोतो में माइक्रोफार्म, दृश्य-श्रृव्य सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक आरूप के सूचना साधन आदि सम्मिलित होते है अर्थात ई-प्रलेख सूचना के सम्प्रेषण हेतु वे प्रलेख होते है जो इलेक्ट्रानिक माध्यम के द्वारा सूचना का सम्प्रेषण करते है। इलेक्ट्रानिक माध्यमों के क्षेत्र में हुए दो विकासों में सूचना के संग्रहण एवम् पुर्नप्राप्ति की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से परिवर्तित करके रख दिया है, दो विकास उनमें प्रथम मशीन पठनीय डेटाबेस, द्वितीय सी.डी.रोम। इलेक्ट्रॉनिक सूचना स्रोतों में सूचनायें इलेट्रॉनिक प्रारूप में होती है। इन सूचना स्रोतों से सूचनायें पुस्तकालय जाये बगैर ही प्राप्त की जा सकती है। इनसे सूचना प्राप्त करने के लिये समय का बंधन भी नहीं रहता। अधिकतर शैक्षणिक पुस्तकालय इन सूचना स्रोतों को अपने उपयोगकर्ताओं को सप्ताह के सातो दिवस 24 घंटे उपलब्ध करा रहे है।

शोध विधि - प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है। अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रश्नावली का उपयोग किया गया। एवं साक्षात्कार का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

परिणाम- उपरोक्त तालिका विभिन्न प्रकार के सूचना संसाधनों के उपयोगकर्ता द्वारा प्रयोग को दर्शाती है। यह तालिका 228 उपयोगकर्ता द्वारा प्राप्त प्रश्नावली के आधार पर आधारित है।

पुस्तकें- उपरोक्त तालिका उपयोगकर्ता द्वारा पुस्तकों का उपयोग को दर्शाती है, जिसमें सबसे अधिक संख्या में 182 (79.82 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा पुस्तकों का सबसे अधिक प्रयोग के लिए वे पुस्तकालय जाते हैं, 20 (8.77 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा पुस्तकों का बार-बार प्रयोग जबकि 07 (3.07 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा पुस्तकों का कम बार प्रयोग, 15 (6.58 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा पुस्तकों का अनिश्चित प्रयोग को दर्शाती है और बहुत कम संख्या अर्थात 04 (1.75 प्रतिशत) उपयोगकर्ता ने कहा कि वे पुस्तकों का उपयोग नहीं करते हैं।

ई-बुक्स - इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों में सूचनायें इलेक्टॉनिक फार्मेट में होती है। इनको पढ़ने के लिये किसी कम्पयूटरीकृत उपकरण की आवश्यकता होती है। इनको मोबाईल फोन, टेबलेट, लेपटाप इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से पढ़ा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। 228 उपयोगकर्ता द्वारा प्राप्त प्रश्नावली के आधार पर उपरोक्त तालिका ई-बुक्स के उपयोग को दर्शाती है 79 (34.65 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा ई-बुक्स का सबसे अधिक प्रयोग, 17 (7.46 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा ई-पुस्तकों का कम बार उपयोग, 32 (14.04 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा ई-बुक्स का बार-बार प्रयोग तथा 55 (24.12 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा अनिश्चित रूप से ई-बुक्स का उपयोग करते हैं, जबकि 45 (19.74 प्रतिशत) उपयोगकर्ता ने कहा कि वे ई- बुक्स का उपयोग नहीं करते हैं।

संदर्भ स्त्रोत- अनेक प्रकार के संदर्भ स्त्रोत जैसे शब्दकोष, विश्वकोष, निद्रेशिकायें, भौगोलिक सूचना स्त्रोत, इत्यादि को ई-स्वरूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इनसे संदर्भ सूचना सहजता एवं तीव्रता से प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त तालिका उपयोगकर्ता द्वारा

संदर्भ स्त्रोत का उपयोग को दर्शाती है जिसमें सबसे अधिक संख्या में 96 (42.11 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा संदर्भ श्रोत का सबसे अधिक प्रयोग के लिए वे पुस्तकालय जाते हैं, 54 (23.68 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा संदर्भ श्रोत का बार-बार प्रयोग जबकि 27 (11.84 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा संदर्भ श्रोत का कम बार प्रयोग, 29 (12.72 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा संदर्भ श्रोत का अनिश्चित प्रयोग को दर्शाती है और बहुत कम संख्या अर्थात 22 (9.65 प्रतिशत) उपयोगकर्ता ने कहा कि वे संदर्भ श्रोत का उपयोग नहीं करते हैं।

पत्रिकाएं/समाचार पत्र- प्रत्येक शैक्षणिक पुस्तकालयों में पत्रिकाएँ संग्रह का मुख्य अंश होती है। पत्रिकाओं के मुद्रित अंकों को रखने हेतु अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, परन्तु ई-पत्रिकाओं से स्थान संबंध समस्या नहीं होती। उपरोक्त तालिका पत्रिकाएं/समाचार पत्र के उपयोग को दर्शाती है 145 (63.60 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा पत्रिकाएं का सबसे अधिक प्रयोग, 12 (5.26 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा पत्रिकाएं/समाचार पत्र का कम बार उपयोग, 26 (11.40 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा पत्रिकाएं/समाचार पत्र का बार-बार प्रयोग तथा 28 (12.28 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा अनिश्चित रूप से पत्रिकाएं/समाचार पत्र का उपयोग करते हैं जबकि 17 (7.46 प्रतिशत) उपयोगकर्ता ने कहा कि वे पत्रिकाएं/समाचार पत्र का उपयोग नहीं करते हैं।

ई-जर्नलस- वर्तमान में प्राय: प्रत्येक विषय की अनेक मुद्रित पत्रिकाएं ई जनरल के रूप में ऑनलाइन उपलब्ध है। आजकल कुछ प्रकाशक मुद्रक सामग्री के साथ ऑनलाइन संस्करण भी निशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। अत: मूल पाठ ई जनरल के प्रकाशन ने ग्रंथालय के कम बजट में अधिक सूचना प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है। जैसे टेलर एंड फ्रांसिस, वायल, इंडियन जनरल कॉम आदि ई जनरल का प्रकाशन कर रहे हैं। सबसे अधिक संख्या में 124 (54.39 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा ई-जर्नल्स का सबसे अधिक प्रयोग के लिए वे पुस्तकालय जाते हैं, 24 (10.53 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा ई-जर्नल्स का बार-बार प्रयोग जबकि 15 (6.58 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा ई-जर्नल्स का कम बार प्रयोग, 37 (16.23 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा ई-जर्नल्स का अनिश्चित प्रयोग को दर्शाती है और 28 (12.28 प्रतिशत) उपयोगकर्ता ने कहा कि वे ई-जर्नल्स का उपयोग नहीं करते हैं।

डेटाबेस- ऑनलाइन डेटाबेस एक विषय से संबंधित अनेक पत्रिकाओं का समूह होते हैं, जिनमें ऑनलाइन परिवर्धन/प्रकाशक, विक्रेता एवं कंसोटियम के माध्यम से पुस्तकालय में प्राप्त किया जाता है उपरोक्त तालिका डेटाबेस के उपयोग की आवृत्ति को दर्शाती है। 228 उत्तरदाताओं में से 85 (37.28 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा डेटाबेस का सबसे अधिक प्रयोग के लिए वे पुस्तकालय जाते हैं, 45 (19.74 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा डेटाबेस का बार-बार प्रयोग जबकि 22 (9.65 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा डेटाबेस का कम बार प्रयोग, 28 (12.28 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा डेटाबेस का अनिश्चित प्रयोग को दर्शाती है और 48 (21.05 प्रतिशत) उपयोगकर्ता ने कहा कि वे डेटाबेस का उपयोग नहीं करते हैं।

इंटरनेट- इंटरनेट हमारे देश के लिए ज्यादा पुराना नहीं है, इसका संबंध सूचनाओं के

भंडारण से है व्यापक अर्थ में इंटरनेट एक वृहद सूचना प्रणाली है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण सूचना को खोजा जा सकता है यह कंप्यूटर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और अपनी सेवा एक दूसरे को उपलब्ध कराते हैं इसके द्वारा लोग एक दूसरे से दूरस्थ डेटाबेस की सहायता से जुड़े हैं इंटरनेट के प्रमुख संसाधन निम्न है (i) ऑनलाइन सूची (ii) डेटाबेस - किसी विषय की विस्तृत व गहन सूचना इंटरनेट के डेटाबेस में उपस्थित मिलती है। (iii) चार्ट समूह किसी भी आवश्यक अथवा इच्छित विषय पर इंटरनेट द्वारा चर्चा की जा सकती है। उपरोक्त तालिका उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट का उपयोग को दर्शाती है जिसमें सबसे अधिक संख्या में 147 (64.47 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट का सबसे अधिक प्रयोग के लिए वे पुस्तकालय जाते हैं, 28 (12.28 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट का बार-बार प्रयोग जबकि 14 (6.14 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट का कम बार प्रयोग, 32 (14.04 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट का अनिश्चित प्रयोग को दर्शाती है और बहुत कम संख्या अर्थात 07 (3.07 प्रतिशत) उपयोगकर्ता ने कहा कि वे इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं।

कृषि ब्लॉग- उपरोक्त तालिका विभिन्न प्रकार की सूचना स्रोतों में से कृषि ब्लॉग के उपयोग की आवृत्ति को दर्शाती है। जिसमें 31 (13.60 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा कृषि ब्लॉग का सबसे अधिक प्रयोग के लिए वे पुस्तकालय जाते हैं, 87 (38.16 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा कृषि ब्लॉग का बार-बार प्रयोग जबकि 28 (12.28 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा कृषि ब्लॉग का कम बार प्रयोग, 34 (14.91 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा कृषि ब्लॉग का अनिश्चित प्रयोग को दर्शाती है और 48 (21.05 प्रतिशत) उपयोगकर्ता ने कहा कि वे कृषि ब्लॉग का उपयोग नहीं करते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट- ई रिपोर्ट की विषय सूची के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शोध योजनाएं, समिति एवं आयोग के प्रतिवेदन के रिपोर्ट इत्यादि शामिल हैं जिनको पीडीएफ बनाकर संग्रहित किया जाता है यह वैज्ञानिक, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सूचना के स्रोत हैं उपरोक्त तालिका वार्षिक रिपोर्ट के उपयोग की आवृत्ति को दर्शाती है। 228 उत्तरदाताओं में से सबसे अधिक संख्या में 83 (21.05 प्रतिशत) उपयोगकर्ता ने कहा कि वे वार्षिक रिपोर्ट का उपयोग नहीं करते हैं। 28 (12.28 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा वार्षिक रिपोर्ट का बार-बार प्रयोग जबकि 38 (16.67 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा वार्षिक रिपोर्ट का कम बार प्रयोग, 45 (19.74 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा वार्षिक रिपोर्ट का अनिश्चित प्रयोग को दर्शाती है।

कृषि सम्मेलन की कार्यवाही- उपरोक्त तालिका विभिन्न प्रकार की सूचना श्रोतों में से कृषि सम्मेलन की कार्यवाही के उपयोग की आवृत्ति को दर्शाती है। जिसमें 86 (37. 72 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा कृषि सम्मेलन की कार्यवाही का सबसे अधिक प्रयोग के लिए वे पुस्तकालय जाते हैं, 45 (19.74 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा कृषि सम्मेलन की कार्यवाही का बार-बार प्रयोग जबकि 27 (11.84 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा कृषि ब्लॉग का अनिश्चित प्रयोग को दर्शाती है और 25 (10.96 प्रतिशत) उपयोगकर्ता ने कहा कि वे कृषि सम्मेलन की कार्यवाही का उपयोग नहीं करते हैं।

कृषि विज्ञान थीसिस- उपरोक्त तालिका विभिन्न प्रकार की सूचना स्रोतो में से कृषि

विज्ञान थीसिस के उपयोग की आवृत्ति को दर्शाती है। जिसमें सबसे अधिक संख्या में 88 (38.60 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा कृषि विज्ञान थीसिस का सबसे अधिक प्रयोग के लिए वे पुस्तकालय जाते हैं, 56 (24.56 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा कृषि विज्ञान थीसिस का बार-बार प्रयोग जबकि 29 (12.72 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा कृषि विज्ञान थीसिस का कम बार प्रयोग, 05 (5.26 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा कृषि विज्ञान थीसिस का अनिश्चित प्रयोग को दर्शाती है और 43 (18.86 प्रतिशत) उपयोगकर्ता ने कहा कि वे कृषि विज्ञान थीसिस का उपयोग नहीं करते हैं।

पेटेंट- उपरोक्त तालिका पेटेंट के उपयोग की आवृत्ति को दर्शाती है। 228 उत्तरदाताओं में से सबसे अधिक संख्या में 80 (35.09 प्रतिशत) उपयोगकर्ता ने कहा कि वे पेटेंट का उपयोग नहीं करते हैं। 24 (10.53 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा पेटेंट का बार-बार प्रयोग जबकि 19 (8.33 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा पेटेंट का कम बार प्रयोग, 26 (11.40 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा पेटेंट का अनिश्चित प्रयोग को दर्शाती है।

तकनीकी रिपोर्ट- उपरोक्त तालिका विभिन्न प्रकार की सूचना स्त्रोतों में से तकनीकी रिपोर्ट के उपयोग की आवृत्ति को दर्शाती है। 228 उत्तरदाताओं में से सबसे अधिक संख्या में 73 (32.02 प्रतिशत) उपयोगकर्ता ने कहा कि वे तकनीकी रिपोर्ट का उपयोग नहीं करते हैं। 52 (22.81 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा तकनीकी रिपोर्ट का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। 27 (11.84 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा तकनीकी रिपोर्ट का बार-बार प्रयोग जबकि 25 (10.96 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा तकनीकी रिपोर्ट का कम बार प्रयोग, 51 (22.37 प्रतिशत) उपयोगकर्ता द्वारा तकनीकी रिपोर्ट का अनिश्चित प्रयोग को दर्शाती है।

निष्कर्ष- सूचना प्रोद्योगिकी के विकास से पुस्तकालय परिवेश में एक प्रशंसनीय परिवर्तन आया है। विगत कई वर्षों में उपयोगर्ताओं का रूझान एवं मांग इलेक्ट्रानिकों संसाधनों की ओर काफी बढ़ा है। जिससे पुस्तकालयों को इलेक्ट्रानिक संसाधनों के संग्रहण के लिए मजबूर कर दिया है। म.प्र. के कृषि विश्वविद्यालयों के सूचना संसाधन एवं उनके शैक्षणिक कार्य का उपयोगकर्ता सबसे अधिक पुस्तकों का उपयोग 79.82 प्रतिशत, इन्टरनेट 64.74 प्रतिशत, पत्रिकाऐं/समाचार पत्र 63.60 प्रतिशत, ई.जनरल 54.39 प्रतिशत उपयोगकर्ता उपयोग करते है। और पुस्तकालयों में इलेक्ट्रानिक मुद्रित सामग्री में वृद्धि हुई है। परन्तु पुस्तकालयों की अधोरचना का अभाव है क्योंकि पुस्तकालयों के कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकी का ज्ञान नहीं, बजट की कमी, इत्यादि कारणों से पुस्तकालयो में जिसने इलेक्टॉनिक संसाधन उपलब्ध होने है उनका उपयोग अधिक नहीं हो पा रहा है इसलिए पुस्तकालय अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाना चाहिये जिसमें उपयोगकर्ताओं को ज्यादा लाभ मिल सकें। के सुरेंद्र बाबू और मंजूनाथ एन. (2018) अधिकांश उपयोगकर्ता (32.3 प्रतिशत) अध्ययन के उद्देश्य से इन्टरनेट का उपयोग करते है। अधिकांश उपयोगकर्ता (98.5 प्रतिशत) ई-मेल के लिये इन्टरनेट सेवाओं का उपयोग करना पसन्द करते है। अधिकांश उपयोगकर्ता (91.5 प्रतिशत) गूगल सर्च इंजन का उपयोग करते है। अधिकांश उपयोगकर्ता (90.8 प्रतिशत) इलैक्ट्रॉनिक सूचना स्रोतो से जागरूक है। गुरिकर और गुरिकर, (2015-16) अध्ययन

से पता चलता है कि 71.06 प्रतिशत शोधकर्ता संदर्भ सेवाओं और ग्रंथ सूची सेवाओं का अधिक बार उपयोग करते हैं, (78.35 प्रतिशत), शोधकर्ता अलमारियों के माध्यम से ब्रउज करने की रणनीति का उपयोग करते हैं। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि लगभग सभी शोधकर्ता अपने शोध के लिए पुस्तकों निर्गमन और परामर्श करने के लिए पुस्तकालय का दौरा करते हैं। डबस और सुरेंद्र (2014) इस अध्ययन के निष्कर्ष में यह पाया कि अधिकांश शिक्षकों को वर्तमान घटनों के बारे में जागरूकता से संबंधित सूचना की आवश्यकता होती है शिक्षकों द्वारा इंटरनेट और किताबें का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है।

आभार- मैं डॉ. विशाल चॉवला बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, डॉ. दीपा कुशवाहा शोध निर्देशक एस के यू छतरपुर के मार्गदर्शन में एवं एवं डॉ. विनीता पांडे ग्रंथपाल ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, डॉ. रामनिवास शर्मा आरवीएसकेवीवी ग्वालियर, डॉ. तोरण साहू एस के यू छतरपुर के सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ मैं ह्रदय से आभारी हूं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. K. Surendra Babu and Manjunath N. (2018): Information Needs and Information Seeking Behavior of Research Scholar in Bangalore University: A Survey International Journal of Library and Information Studies Vol.8 (1) Jan-March, 2018 ISSN: 2231-4911
2. Dubus, KC and Surendra Kumar (2014) Information Seeking Behavior of Senior Secondary School Teacher: A Case Study of Gurgaon and Mahendragarh Distt. 59th ILA International Conference on Managing Library in the Changing Information World: From Surviving to Thriving, Conference Proceedings, Roorkee. pp. 944-950.
3. Gurikar, R., & Gurikar, R. (2015). Use of Library Resources and Services by Karnataka University Research Scholars: A Case Study. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 35(5), 361-367

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

मनुस्मृति की प्रासंगिकता (वर्तमान संस्कृति के परिदृश्य में)

• मधु

सारांश- संस्कृति का अर्थ वह शिक्षा दीक्षा है जिससे मनुष्य अपनी प्रकृति से परिमार्जित होकर उन्नति की ओर अग्रसर हो तथा विकृति से बचा रह सके। समयक् क्रियते इति संस्कारा: और इन्ही से तथा सोलह संस्कारों से युक्त है हमारी संस्कृति। मनन का विषय है कि आधुनिक भारत की संस्कृति व्यक्तिगत संस्कृति बनती जा रही है, जिसका मुख्य लक्षण सांसारिक सुख, वैभव का आनन्द उठाना तथा इंद्रिय संयम को तिरस्कृत कर स्त्री, सुरा और सम्पत्ति में खोये रहना ही बन गया है। आधुनिक शिक्षण पद्धति धनपरक बनती जा रही है, जहाँ आध्यात्मिक उत्थान के लिए कोई स्थान शेष दृष्टिगत नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की सत्ता को हड़पने में लगा है, और इसके लिए वह रिश्वत, कर चोरी, कृतघ्नता जैसे कार्यों को अपनाने से भी नहीं चूकता।

मुख्य शब्द - संस्कृति, शिक्षा दीक्षा, इंद्रिय संयम, आध्यात्मिक उत्थान

प्रस्तावना- स्वार्थयुक्त मानव के लिए कार्यनिष्ठा, राष्ट्रीयता, स्वाभिमान, आदि अनर्थक सिद्ध हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति का मूल 'वसुधैव कुटुम्बकम' का भाव स्वप्न सा प्रतीत होता है। आज के समय जब मनुष्य मूल को ही जानने की इच्छा नहीं रखता है, तो उसके लिए तो कर्तव्य परायणता तो बड़ी दूर की बात है। इसके विपरीत प्रकृति प्रदत्त ऊर्जाओं का दुष्प्रयोग करता जा रहा है। ऐसी स्थिति में मनुस्मृति में वर्णित मूल विषय वस्तु को समझना और भी आवश्यक हो जाता है।

संस्कृति का अर्थ वह शिक्षा दीक्षा है जिससे मनुष्य अपनी प्रकृति से परिमार्जित होकर उन्नति की ओर अग्रसर हो तथा विकृति से बचा रह सके । 'समयक् क्रियते इति संस्कारा:'और इन्ही से तथा सोलह संस्कारों से युक्त है हमारी संस्कृति। मनन का विषय है कि आधुनिक भारत की संस्कृति व्यक्तिगत संस्कृति बनती जा रही है, जिसका मुख्य लक्षण सांसारिक सुख, वैभव का आनन्द उठाना तथा इंद्रिय संयम को तिरस्कृत कर स्त्री, सुरा और सम्पत्ति में खोये रहना ही बन गया है। आधुनिक शिक्षण पद्धति धनपरक बनती जा रही है, जहाँ अध्यात्मिक उत्थान के लिए कोई स्थान शेष दृष्टिगत नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की सत्ता को हड़पने में लगा है, और इसके लिए वह रिश्वत, कर चोरी,

• **असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, श्री रामेश्वरदास अग्रवाल कन्या स्नात्कोत्तर महाविद्यालय हाथरस**

कृतघ्नता जैसे कार्यों को अपनाने से भी नहीं चूकता। स्वार्थयुक्त मानव के लिए कार्यनिष्ठा, राष्ट्रीयता, स्वाभिमान, आदि अनर्थक सिद्ध हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति का मूल 'वसुधैव कुटुम्बकम' का भाव स्वप्न सा प्रतीत होता है। आज के समय जब मनुष्य मूल को ही जानने की इच्छा नहीं रखता है, तो उसके लिए तो कर्तव्य परायणता तो बड़ी दूर की बात है। इसके विपरीत प्रकृति प्रदत्त ऊर्जाओं का दुष्प्रयोग करता जा रहा है। ऐसी स्थिति में मनुस्मृति में वर्णित मूल विषय वस्तु को समझना और भी आवश्यक हो जाता है।

मनुस्मृति में वर्णित धर्म व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था तथा अर्थ व्यवस्था पर तिरस्कार पूर्ण ढंग से उंगली उठाना कोई कठिन कार्य नहीं है परंतु मनु के प्रशंसकों को मनुवादी कहने वाली पुण्य आत्माएं कम से कम यह तो समझने का प्रयत्न करें कि मनुस्मृति एक विशेष काल तथा विशेष परिस्थितियों में लिखा गया धर्म शास्त्र है जिसका प्रत्येक नियम बदलते हुए समय में अनुसरणीय नहीं है। हमें तो मनुशास्त्र अथवा किसी भी धर्मशास्त्र से ग्राह्य ही गृहण करना है सर्वस्व नहीं । जरा सोचिए, क्या सन् 1950 ईसवी में बने संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ? यदि 72 वर्ष के इस अल्पकाल में संविधान में संशोधन हुए हैं तो उसे 200 ई. पू. में रचित मनुस्मृति को ज्यों का त्यों अपनाने का विचार मन को कैसे जँच सकता है ? मनु ने जो भी मनुस्मृति में लिखा उन सब स्थितियों में वेदों को आधाररूप रखा है –

"यः कश्चित् कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः।
स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः।।"[1]

मनुस्मृति में धर्म के चार लक्षण बताये गये हैं, वे हैं वेद, स्मृति
सदाचार तथा आत्मतुष्टि ।

"वेदः स्मृतिः सदाचाररू, स्वस्य च प्रियमात्मनः।
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ।।"[2]

मनु द्वारा उक्त ये धर्मलक्षण तो सभी गुणों से मान्य है। आज भी यदि इनको अपनाया जाये तो विश्व की अनेक समस्यायें स्वयं ही सुलझ जाएँगी। वर्तमान काल में हमारा जीवन संस्कार विहीन है। पैदा होने , विवाह होने पर और मरने पर तो संस्कार किये जाते जाते हैं। परन्तु संस्कारों का स्वरूप यहां भी दयनीय ही है। समयाभाव का कारण देकर प्रत्येक संस्कार की शुद्धता को दूषित कर दिया गया है। न तो विवाह संस्कार में पूरा समय बैठने के लिए वर के पास समय है और न ही मरण संस्कार में तेरह दिन की शुद्धि के लिए मृत व्यक्ति के सम्बन्धी के पास धैर्य। ऐसी स्थिति में संस्कार से अर्जित फल के रूप में पुण्य प्राप्ति की आशा क्यों ?

मृत्युकाल में सूतक काल को आज व्यक्ति मानता ही नहीं है इस प्रकार दिन प्रतिदिन संस्कारों के विधि–विधान में हो रही अवनति प्रदूषण का एक मुख्य कारण बन रही है, जिसे मनुष्य आज समझ नहीं पा रहा है।

आज के समय का सबसे घातक प्रहार शिक्षा पद्धति पर हो रहा है। प्रत्येक पद्धति में गुण–दोष तो हुआ ही करते हैं परन्तु शिक्षा पद्धति से पाठक को असन्तुष्ट छोड़ देने का दोष तो अक्षम्य है और सम्पूर्ण विश्व के लिए घातक है। किसी भी देश की संस्कृति के पतन का मुख्य कारण होता है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा का अपमान तथा राष्ट्रीय भावना का अभाव द्य

ऐसी स्थिति में चारित्रिक मूल्यों के ह्रास को रोकना कहाँ तक सम्भव है।

मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है कि गुरु-शिष्य की रूचि का ध्यान रखता था यही कारण है कि शिष्य किसी न किसी तरीके से उसे गुरु को व्यक्त भी करता था। आज बालक की रूचि पर ध्यान न देना भी हमारी संस्कृति के अध:पतन का कारण है । मनुस्मृति के अनुसार पिता को बालक के पाँच से आठ वर्ष तक उसकी रुचि का ध्यान रखना चाहिए परन्तु आज पिता के पास समय का अभाव रहता है। धन में अन्धा होकर वह शिक्षा को भी धन से ही खरीदना चाहता है।

वैदिक काल में शिक्षा प्राप्ति एक कठोर तप था। उसमें इच्छाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। भिक्षा में लाए गये भोजन को वह गुरु को अर्पन करने के उपरान्त ही खाता था। दीर्घायु का इच्छुक ब्रह्मचारी पूर्व की ओर मुख करके भोजन करें, यश का इच्छुक दक्षिण की ओर, लक्ष्मी का इच्छुक पश्चिम की ओर और ऋत् का इच्छुक उत्तर की ओर मुख करके भोजन करे ऐसा निर्देश मनुस्मृति के इस मन्त्र में दिया गया है

"आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्य दक्षिणामुखं ।
श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते ऋतं भुङ्क्ते ह्युदङ्मुख:।।"[3]

आज का बालक तो भोजन की आलोचना करने में गर्व महसूस करता है। यह भोजन से पूर्व हाथ धोने की पद्धति को प्राचीन समझकर उसे तिरस्कृत करता है। आधुनिक विद्वान, गुरुकुल पद्धति को प्राचीन कहकर उसे पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं। परन्तु आधुनिक शिक्षा में नवीनतम से नवीनतम तरीकों के प्रयोग क्या हमें संयमित रहने के लिए मना करते हैं?

धर्मग्रंथों में निहित नियमों को आज के परिदृष्य में हमें इस तरह रखना होगा कि जनमानस उसके मूल्य को समझ पाये। तब वह नियम, अनुशासन तथा प्रायश्चितों की पृष्ठभूमि को समझ पायेगा। मनु के द्वारा वर्णित आश्रम व्यवस्था अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, आज अधिकांशत: गृहस्थ जीवन जो अशान्त हैं, उसके प्रमुख कारण है-

- संयुक्त परिवारों का अभाव
- विवाह के लिए माता-पिता को प्राथमिकता न देना
- विदेशी सभ्यता का अनुसरण करना।

संस्कृति और सभ्यता में बिखराव न आये इस दृष्टि से मनु,ने सवर्ण के साथ विवाह करने पर बल दिया परन्तु श्स्त्रीरत्नश के साथ कदाचित् विवाह का निषेध नहीं है, चाहे यह स्त्रीरत्न किसी वर्ण से सम्बद्ध क्यों न हो। दूसरे शब्दों में गृहस्थ जीवन का सुख स्त्री गुणों पर निर्भर करता है। विवाह काल में धन लेने देने का सर्वथा निषेध है। स्त्री की प्रसन्नता में गृहस्थ जीवन की सफलता है, अत: स्त्री की रक्षा और उसकी प्रसन्नता पर ध्यान देना प्रत्येक सम्बन्धी का कर्त्तव्य है।

"पिता रक्षति कौमार्य, भर्ता रक्षति यौवने।
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा: न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति।।"[4]

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रफला: क्रिया:।।"[5]

वानप्रस्थ तथा सन्यास आश्रमों के भी अपने विशेष लाभ हैं। ये दोनों आश्रम वैकल्पिक थे। पुरुष अकेले भी इन दोनों आश्रमों में रह सकता था। इन आश्रमों का मुख्य प्रयोजन था - आध्यात्मिक चेतना। गृहस्थ के भार को अपने पुत्रों को सौंपकर वह आत्मचिन्तन करना चाहता था। यदि वह भी गृहस्थी बनकर रहे और उसका पुत्र भी और पुनः पुत्र का पुत्र भी तो अव्यवस्था दोष आएगा हीऔर फिर कलह आदि का जन्म और असन्तोष का साम्राज्य। ऐसी स्थिति में एकाग्रचित्त होकर आत्म चिन्तन अथवा इंद्रियसंयम कैसे सम्भव हो सकता है।मनुस्मृति के अध्ययन से एक बात स्पष्ट होती है कि मनुने चार की संख्या पर विशेष बल दिया है। सृष्टि सृजन की प्रक्रिया से लेकर सृष्टि संचालन में चार की कड़ी को देखकर लगा कि आखिर कुछ तो इसका कारण रहा ही होगा। सर्वप्रथम चार की कड़ी से अभिप्राय क्या है?

1. प्रथम श्रेणी पूर्ण संस्कृत, इन्द्रियदमन तथा यम नियमों से युक्त, इच्छाओं पर संयम्। सत्यमेव पूर्ण तप तथा समस्त सृष्टि को शिक्षा देने में संलग्न।

2. द्वितीय श्रेणी में उपर्युक्त गुणों के एक अंश की कमी। विश्व में सक्त-असक्त की भूमिका निभाता है यह द्वितीय वर्ग। क्रियान्वयन में रूचि परंतु निःस्पह भाव से।

3. तृतीय श्रेणी में ऊपर बताये गये गुणों में दो अंश की न्यूनता रहती है, क्योंकि व्यक्ति अपेक्षाकृत विश्व में आसक्त रहता है। क्रियान्वयन भी उसका प्रमुख कर्त्तव्य बन जाता है। स्वयं और पर का बोध होते हुए भी स्वयं पर अधिक केन्द्रित रहता है।

4. चौथी श्रेणी में ऊपर वर्णित गुणों का एक अंश ही शेष रहता है क्योंकि ज्ञान का अभाव होता है। पादवत् सुश्रुषा से जीवन को पढ़ाने का प्रयत्न है। यह शिक्षण की स्थिति है जिसमें पारंगत व्यक्ति अग्रिम श्रेणी के लिए तैयार होता हैं तथा सृष्टि के प्रति कर्त्तव्य का बोध कराता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि समस्त विश्व का पास पारस्परिक सम्बन्ध है, जिसके कारण सर्वस्व जुड़ा हुआ है। सामाजिक सन्तुलन के लिए चार की श्रृंखला को जीवित रखना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मनुस्मृति में हर पक्ष को लेकर विचार-विमर्श किया गया है। यह पक्ष राज्य सम्बन्धी भी हो सकता है तथा परलोक सम्बन्धी भी।कहने का अभिप्राय यह है कि हम अपने धर्मग्रंथों को भुलाकर कभी भी विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। अपेक्षित परिवर्तन तो सर्वदा मान्य होते हैं और इन्हीं परिवर्तनों से संजोकर हमें अपने धर्मग्रन्थों में से श्रेष्ठ को ग्रहण करना होगा और इसी में आधुनिक मानव जाति का कल्याण निहित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. मनुस्मृति - 12/7
2 मनुस्मृति - 12/12
3. मनुस्मृति- 2/52
4. मनुस्मृति - 9/31
5ण मनुस्मृति - 3/56

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

भारतीय संस्कृति के निर्माता महर्षि वेदव्यास

• बृजेश द्विवेदी

सारांश- शोधाध्ययन में यह पाया गया कि भारतीय संस्कृति के पोषक एवं निर्माता महर्षि वेदव्यास ही है। इन्होने भारतीय संस्कृति की अवधारणा तथा इसकी रूपरेखा सुनिश्चित करते हुए वर्णाश्रम धर्मादि के साथ समाज के विभिन्न स्वरूपों को बताया गया है। अ्ठारह महापुराणों के अतिरिक्त उपपुराण भी अठारण होते है। व्यास जी ने न केवल पुराणों की रचना कि है, अपितु धर्म की रक्षा हेतु व्यास स्मृति की रचना चार अध्यायों में की है। व्यास स्मृति में वर्णाश्रम धर्म का विस्तृत वर्णन किया गया है।

मुख्य शब्द - भारतीय संस्कृति, वर्णाश्रम, पुराण, आश्रम

प्रस्तावना- वीर्यं तेजो बलं आयुष मनुष्याणाम् वेश्य च।
हिताय सर्वभूतानां वेदमंत्रात् करोति सः।।[1]

सम्पूर्ण जगत में ज्ञान विज्ञान दर्शन भूगोल खगोल वास्तु शिल्प विद्यायों से प्रकाशित संस्कृत साहित्य का मान सम्मान देने वाले एवं मानव जीवन को सत्मार्ग का दर्शन कराने वाले लोक परलोक के सुगम मार्ग दिखाने का कार्य व्यास रचित पुराण करते हैं। द्वापर के अन्त में व्यास परम्परा में उत्पन्न श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का जन्म वशिष्ठ के पुत्र शक्ति उनके पुत्र पराशर के यहां पाराशर जी का जन्म हुआ।

व्यासं वशिष्ठ नप्तारं शक्तेः पौत्रम्कल्मषम्।
पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् ।।[2]

वशिष्ठ जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं इन्हीं के यहाँ प्रपौत्र के रूप में व्यास जी का जन्म हुआ इनके जन्म की कथा प्रायः पुराणों में पाई जाती है। पराशर और सत्यवती के यहाँ आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्यास जी का जन्म हुआ तभी से आषाढ़ पूर्णिमा को गुरू पूर्णिमा का स्थान प्राप्त हुआ और उसी दिन अपने - अपने गुरूजनों की पूजा करने की परम्परा प्रारम्भ हुई, 5000 (पॉच हजार वर्ष) पूर्व महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ भारत देश के ही नही अपितु विश्व के कई देशों के मानव जीवन को प्रकाशित किया है। भगवान वेदव्यास भारतीय संस्कृति के निर्माता है, भारतीय संस्कृति के स्वरूप पुराण, दर्शन महाभारत, उपनिषाद् आदि ग्रन्थ है। व्यासके साहित्य के बिना भारतीय संस्कृति प्राणहीन है। इनके साहित्य में देश की आत्मा है भारत देश में मानव को एक सूत्र से जोडने का कार्य किया है। इसीलिए देश में व्यासजी के अनेक आश्रम एवं अनुयायी है। भारतीय

• **कैलाशपुरी रीवा (म.प्र.)**

परम्परानुसार प्रत्येक द्वापर के अन्त में है। व्यास जन्म लेते है और वही वेद पुराणों के व्यवस्थानुसार मानवजाति को शिक्षा देते है।

द्वापरे द्वापरे विष्णु व्यास रूपी महामुनेः।
वेदमेकं सुबहुधा कुरूते जगतो हित :।।
पुराण संहितां पुण्यां कुरूतेसौ युगे युगे।[3]

महाभारत काल के पूर्व ही व्यास जी का जन्म हुआ था, और पुराणों की रचना की है। उसका उदाहरण युधिष्ठिर के राज्यारोहण के पूर्व महाभारत युद्व के समय व्यास की विवाद शमन हेतु गये थे, 5000 (पॉच हजार वर्ष) पूर्व महाभारत हुआ इसके पहले व्यास भी किया है, जैसे कुमारिल भट्ट ने पुराण का उल्लेख चक्र में, वाण भट्ट ने कादम्बरी में जी पुराणों की रचना की इसका प्रमाण शंकराचार्य अपने ग्रन्थो में दिया है, और कवियों ने वायु पुराण का उल्लेख किया है। पुराणों का भारतीय साहित्य में विशेष महत्व है। पुराणों को ईश्वरीय ज्ञान कहा है वेद के समान पुराणों की परम्परा है। मूलतः पुराण एक ही था अध्ययन परम्परा को सरल करने हेतु वेदव्यास जी ने विभाजित किया "अष्टादश पुराणानां वक्ता सत्यवती सुताः" अर्थात् अठारह पुराणों का वक्ता सत्यवती नन्दन व्यास जी है। पुराण शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से ही गई है–

यथा "पुरा नवं भवति इति पुराणं" अर्थात् जो प्राचीन होकर भी नित्यनवीन प्रतीत हो वह पुराण है।

प्द्म पुराण के अनुसार, "पुराण परम्परां वष्टि कामयते इति पुराणम् " जो प्राचीन परम्परा की कामना करते है, वह पुराण है।

ब्रहाण्ड पुराणानुसार, "पुरा एतत् अभूत् इति पुराणम्" अर्थात् प्राचीन काल में ऐसा हुआ था। वायु पुराण के अनुसार, "पुरा अनति इति पुराण" अर्थात् प्राचीन काल समय तक जो जीवित रहे, वह पुराण है।

वैदिक वांड्मय में, "प्राचीनः वृत्तान्तः " प्राचीन वृत्तान्त एवं कथा कहा गया है।

पाणिनि व्याकरण के अनुसार– पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा पुरा शब्द का अर्थ है अनागत एवं अतीत् अण शब्द का अर्थ है कहना । वेदों में भी पुराणों का परिचय मिलता है, अथर्व वेद के अनुसार "ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह" अर्थात पुराणों का उद्‌गम चारों वेदों के कृष्ट अर्थ को जानने के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है।

अठारह पुराणों के नाम इस प्रकार से जाने जाते है। पुराणों में प्राप्त है।

मद्वयं भद्वयं चैत वृत्रयं वचतुष्टयम्।
अनापलिंगकूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते।।[3]

1.मत्स्य पुराण 2. मार्कण्डेय पुराण 3. भविष्य पुराण 4. भागवत पुराण 5. ब्रम्ह पुराण 6. ब्रम्हाण्ड पुराण 7. ब्रह्मवैवर्त 8. वराह पुराण 9. वायु पुराण 10. वामन पुराण 11. विष्णुपुराण 12. अग्निपुराण 13. नारद पुराण 14. पद्यपुराण 15. लिंगपुराण 16. गरूण पुराण 17. कूर्म पुराण, 18. स्कन्द पुराण इन अठारह पुराणों के नाम हैं। अमर कोष के अनुसार पुराण के पॉच लक्षण बताये गये है।

सर्गश्च प्रति सर्गश्च वंशामन्वतराणि च।

वंशानुचरितं चैव पुराणं पंच लक्षणम्।।[4]

भागवत और महापुराणों में दश लक्षण इस प्रकार से कहे गये है।

अत्रसर्गो विसर्गाश्च, स्थानं पोषण मूर्तयः।

मन्वन्तरेशानुकथा, निरोधो मुक्तिराश्रयः।।[5]

उक्तानुसार पुराणों के लक्षणों के बाद पुराणों को सात्विक राजस् तामस् तीन गुणों में विभाजित किया गया है। सात्विक गुण के पुराणों में भगवान विष्णु के चरित्रों का वर्णन है। राजस् गुण के पुराणों में ब्रम्हा के गुणों का वर्णन मिलता है। तामस् गुण के पुराणों में शिव और अग्नि देव के चरित्रों का वर्णन किया गया है।

" सात्विकेषु पुराणेषु, माहात्म्यमधिकं हरेः।

राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रम्हणो विदुः"।।[6]

तद्वदग्नेश्च माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च।। ब्र.पु.।।

अठारह महापुराणों के अतिरिक्त उपपुराण भी अठारण होते है। व्यास जी ने न केवल पुराणों की रचना कि है, अपितु धर्म की रक्षा हेतु व्यास स्मृति की रचना चार अध्यायों में की है। व्यास स्मृति में वर्णाश्रम धर्म का विस्तृत वर्णन किया गया है।

उक्त समीक्षात्मक शोधाध्ययन में यह पाया गया कि भारतीय संस्कृति के पोषक एवं निर्माता महर्षि वेदव्यास ही है। इन्होने भारतीय संस्कृति की अवधारणा तथा इसकी रूपरेखा सुनिश्चित करते हुए वर्णाश्रम धर्मादि के साथ समाज के विभिन्न स्वरूपों को बताया गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. विष्णु पु. -3-3-6
2. महाभा.शा.प. 324-9-10
3. विष्णु पु. 3-3-5
4. देवी भा.
5. अमर कोष
6. श्रीमद् भा. 2 -1

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

खेल संस्कृति, नृत्य व कला

• ममता

सारांश- इतिहास के किसी विशिष्ट युग से अपनी संस्कृति की पहचान करवाना उस देश के प्रगति समृद्धिशाली परम्परा को दर्शाती है। खेलों से सम्बन्धित चित्रों में संस्कृति की सजावट निश्चित ही प्राप्त होती है। देश की उन्नति और प्रगति के दरम्यान मानव को सौन्दर्य दृष्टि पायी है यह कहना कठिन है किन्तु कुछ साक्ष्यों के आधार से जो प्राचीनतम मानव ने अपनी क्रीड़ा और कला का परिचय तकनीकी ज्ञान से दिया है जैसे गुफाओं की दीवारों पर आखेटो के दृश्यों पर, घुड़सवारी, तीरंदाज, भाला प्रक्षेपक अपने शस्त्रों को लेकर जानवरों पर हमला करने के कई दृश्यों को आज भी हम कई तकनीकों के माध्यम से दर्शाते हैं। संस्कृति में वह सब कुछ निहित है, जिसके अन्तर्गत लोग वैश्विक, सामाजिक एवं विरासत के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को सम्बन्धित करते है। संस्कृति में सभी बातें समाहित है जिनका अस्तित्व है और था। साथ ही साथ उनका भी अस्तित्व रहेगा जो मानव के लिए अर्थपूर्ण है।

मुख्य शब्द - नृत्य, खेल, संगीत के साथ लयबद्ध क्रियाएँ, भाषा, संगीत, चलचित्र, रीति-रिवाज, शिल्प कौशल, वैज्ञानिक ज्ञान

प्रस्तावना- आज के व्यवसायिक जगत में स्वास्थ्य को अग्रसारित करने का सबसे उपयोगी माध्यम शारीरिक क्रियाओं के रूप में नृत्य या संगीत के साथ लयबद्ध क्रियाओं को शामिल करना है। नृत्य एक सरल क्रिया है जो आम व्यक्ति को आकर्षित करती है और व्यवहारिकता को बढ़ाने का एक सरल उपाय है। नृत्य और खेल सामाजिकता की ऐजेन्सी है। नृत्य एक कला है तथा संस्कृति को बढ़ाने का माध्यम भी है जो राज्य सहायता भी है। नृत्य और स्वास्थ्य का आपसी गहरा संबंध है जो विषयात्मक और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाता है। नृत्य एक विशाल कार्य है।

आज के वर्तमान युग में खेल-नृत्य प्रत्येक स्तर पर मनुष्य की जीवन शैली में सम्मिलित है, भविष्य में आधुनिक युग में जनता का सबसे रोचक खेल नृत्य है। खेल नृत्य शारीरिक क्षमता के घटकों को विकसित करता है। भारतीयों में नृत्य को खेल मनोरंजन और संस्कृति को विकसित करने का आयाम माना गया है। खेल नृत्य कलात्मक नृत्य को विभाजित करता है और नृत्यकला को दर्शाता है (1) नृत्य (2) भावभित्यजक गति/बल (3) संस्कृति के संकेतार्थ उत्खन्न करें। खेल नृत्य शारीरिक

• अध्यक्षा, शारीरिक शिक्षा विभाग, इस्माईल नेशनल महिला पी.जी. कॉलेज, मेरठ

विकास को आगे बढ़ाने का कार्य व्यापक रूप में करता है।

उस देश की संस्कृति परम्परागत खेल कलाओं खेलों की प्रासंगिकता को दर्शाता है। खेल नृत्य को लम्बी समयाविधि की आवश्यकता नहीं है यह सीखने को प्रभावित करता है यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल नृत्य क्षणों आन्दोलनों का परिवर्तन विरोधी बताता है। यह बहुत बड़े अन्तराल को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्साहवर्धक और रूचिपूर्ण बनाकर एक खिलाड़ी को साहसी असीमित स्तर पर कुछ पाने की कोशिश लालसा ललक में परिवर्तन करता है चाहे वह देश के पदक पाने की इच्छा में हो या अच्छा रिकार्ड बनाने की ललक हो।

ग्रीस में नृत्य- 2024 के पेरिस ओलम्पिक में ब्रेक डांस को खेलों में सम्मिलित कर लिया गया है साथ ही साथ स्केटबोर्डिंग स्पोर्टक्लाइम्बिग, साफिंग, ब्रेक डांस को सम्मिलित करना हैरानी भरा है। खेल में नृत्य का उदभव् विकास या उत्पत्ति प्राचीन काल से ग्रीस में हुआ जहां प्रतिस्पर्धा खेल प्रतियोगिताएं बहुत प्रसिद्ध है और खेल नृत्य में बहुत सी विशेषताएं सम्मलित थी जो मुकाबला करने की प्रक्रिया का आधार होती है महान दार्शनिक प्लेटो ने टिप्पणी करते हुए कहा "नृत्य लड़ने की ताकत का सही दर्शाता है ना कि घृणा या विरोध की भावना को ब्लकि शारीरिक शक्ति का अद्वितीय व शानदार लालित्य शिष्टता के अन्तर्गत नृत्य आता है। इसमें लोग प्रतिभाग लेकर उत्कर्ष प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन दिखाकर सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते है इसमें नृत्य के माध्यम से मानवीय मूल्यों को दर्शाया जाता है। खेल नृत्य अन्य खेलों में भी अपना मुकाबला या सामना कर सकते हैं और बेहतर या उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच सकते हैं और शारीरिक शक्ति बिल्कुल सही इस्तेमाल या उपयोग करके अन्त में ताकत या शक्ति को विजयी बनाते हैं। खेल नृत्य एक एथलीट को प्रतियोगिता जीतने के लिए बिल्कुल एक ही दिशा में जीतने के लिए प्रयास करते हैं लेकिन खेल नृत्य में प्रतियोगी अपने मनोभावों और भावों को दर्शाता है अपने कौशल्य स्तर में वह शुद्ध शारीरिक निष्पादन कसौटी होती है। वह दर्शकों के समक्ष सौन्दर्यात्मक भावों को दर्शाता है वह शारीरिक भावभंगिमा और कौशल्यों को नृत्य के द्वारा दर्शाती है सौन्दर्यात्मक तरीकों से कुछ प्राप्त या पाने की लालसा रखता है।

जब हम नृत्य की ओर आते हैं तो दार्शनिक बन जाते हैं और हम कलात्मक की तरफ सोचते हैं। नृत्य और संगीत को सौन्दर्यात्मक मूल्यों के अन्तर्गत में रखते हैं तो ज्ञान की अनुभूति से कलात्मक मूलभूत एक दम सही जीवन की ओर अग्रसरित होते हैं। सौन्दर्यात्मक प्रक्रिया को हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हम अपने अस्तित्व में नृत्य को शामिल करते हैं वह नये स्तर से जीवन को उन्नति की ओर ले जाते हैं। खेल नृत्य मुख्यतः नृत्य कलात्मक गतियों का संवेगात्मकता को व्यक्त करती है। यह अलग तरह की कला है इसमें भिन्न-भिन्न तरीके से कलाओं का वर्गीकरण करती है जो मुख्यतः मानवीय सौन्दर्यात्मक चेतना को प्रतिबिम्बित करती है। सभी खेल नृत्य स्वतन्त्र कला के अन्तर्गत कुछ निश्चित कठिनाईयों के अन्तर्गत आते हैं लेकिन खेल नृत्य को सौन्दर्यात्मक चेतना में शामिल किया गया है। सौन्दर्यात्मक मूल्य जो कि उच्चस्तरीय और सौन्दर्यातमकता और आध्यात्मिकता को आन्नदित करती है। खेल नृत्य संगीत की अलग ढंग से संस्करण है जो संगीत को लय के साथ बांधता है। खेल नृत्य में अधिक प्रसिद्ध होती

है। खेल कलात्मक नृत्य बहुत व्यापक है जो किसी अन्य का स्थान नहीं ले सकता है।

सांस्कृतिक तत्व- नृत्य मानव की परिश्रमिक कार्यशैली प्रक्रिया में भी शामिल है। सामाजिक जीवन में भी नृत्य प्रतिबिम्बित होता है जिसका प्रभावपूर्ण राष्ट्रीयता का अलग तरीके से संसार के समक्ष प्रतिबिम्बित करते है। जिसमें उनका ऐतिहासिक उदभव् और श्रम के उत्पादन की क्षमता, रीतिरिवाज्, धर्म, रहन-सहन का वातावरण और सांस्कृतिक प्रभावी कारक अलग तरीके से नृत्य संचय गतिविधियों में नृत्य की भिन्न तरह की शैली जो राष्ट्रीय कला होती है।

खेल नृत्य दो प्रकार से विभाजित है प्रत्येक राष्ट्रीय विशेषता का प्रतीक होता है और प्रत्येक प्रजाति और उनका जन्म स्थान और रहन सहन की आदतें, सौन्दर्यात्मक अवधारणा अपना सम्बन्धित मानक और उनकी मौलिकता, लोक नृत्यों को उत्पन्न करती हुई कलाओं की व्यापक अवधारणा है। ये नृत्य खेल नृत्य लैटिन नृत्य की पहचान करवाती है। यूरोपीयन संस्कृति और भारतीय संस्कृति और दक्षिणी यूरोपीय संस्कृति, पश्चिमी व्यक्तिवाद, रचनात्मक संस्कृति की विशेषताओं का गहराई से खेलो में नृत्यों के माध्यम से ज्यादा प्रभावी और विकसित प्रक्रिया है और इसी श्रृंखला में अनेको विशेषताएं और आधुनिक खेल नृत्य और श्रृंखला सामाजिक साहित्य सामग्री और आध्यात्मिक लगाव का एक अच्छा नृत्य पेश करता है वह सिर्फ एक कौशल्य खेल नृत्य को नहीं दिखाता अपितु वह गहन गम्भीर संस्कृति के संकेतार्थ सान्धिय और सौन्दर्यात्मक रूझान को व्यक्त करते हुए संगीत के सहवादन, नृत्य की गतिविधियों के वातावरण और सांस्कृतिक कलात्मक परिणामों को नया आयाम देती है।

खेल नृत्य एक कला है- सांस्कृतिक नृत्य में सामाजिक संघर्ष की प्रक्रिया का आभास और जड़त्व होता है। जर्मनी के संगीतकार वैज्ञानिक कुर्ट सचि ने सराहना करते हुए कहा "नृत्य कला की जननी है"। नृत्य संस्कृति का संक्षिप्त विवरण देती है और राष्ट्र को केन्द्रित करता है नृत्य कौशल्यों गति और नृत्य आयामों तीव्रता और शारीरिक कोणों की गति एवं खिलाड़ी के संवंगों और सौन्दर्यात्मक क्रिया समय के उत्साह और प्रदर्शन कला को प्रदर्शित करता है। आन्तरिक संवेगों और लोगों व्यक्तिगत संगीतात्मक अर्थपूर्ण भावनाओं को प्रदर्शित करता है वह सीधा प्रतिबिम्बित करता है चरित्र के अनेकों टुकड़ों को वह मुख्यत: संवंगो के आयाम का दर्पण है।

नृत्य सौन्दर्यात्मक- शारीरिक गति की सुन्दरता खेल नृत्य का महत्वपूर्ण आयाम है। खेल और संस्कृति का आपस में घनिष्ट संबंध है। नृत्य प्रत्यक्ष भावनाओं को अभिव्यक्ति करता है इसे कही अधिक कलात्मक मानवीय कला भी है। एक ही समय पर कला और नृत्य का सबसे घनिष्ठ संबंध खेल से है।

अमेरिकन नृत्यकार क्रिटिक जॉन मार्टिन ने एक बार कहा था कि नृत्य आमतौर पर बहुत मुश्किल कला है लेकिन जो शारीरिक सामग्री या उपकरणो के माध्यमों गतिविधियों के प्रतिबिम्बित दूरी और उसके चारो ओर जीवन के अनुभवों को इंगित करता है। यह मानवीय शरीर के बेहद करीबी कला है शरीर की वो कला है जो अपने आप पर निर्भर है यह पूर्णत: कला है नृत्य एक कलात्मक मनोभाव है जिसका आधार सौन्दर्यात्मक शारीरिक माध्यम है।

नृत्य शारीरिक सुन्दरता की गति- नृत्य का सार ओर नृत्य सौन्दर्यात्मक गतिशील प्रवृति है। यह गतिशीलता कला की सौम्यता का सुन्दर अदभुत माध्यम है। नृत्य एक शारीरिक बनावट का प्रकार है जो क्रियाओं का आकार देती है शरीर के विचारों और मनोभावों मनोवेगों का लयात्मक, ज्ञान के समक्ष खिलाड़ी या कलाकार पेश करता है या इन सबका कम समय में प्रबंध करता है। नृत्य जीवन की धारिता है जो श्वसन के माध्यम से व्यायाम के द्वारा अधिक सांस निरन्तरता का शुद्ध जीवन धारिता को प्राप्त करती है जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। नृत्य में सांस्कृतिक संवेग शारीरिक मनोवेग और मन मस्तिष्क सम्मिलित होते है इसलिए नृत्य से अच्छा स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता और मांसपेशियों के कार्यो तथा शरीर क्रियाशीलता को मजबूत बनाती है।

नृतक सौन्दर्य जादूगरी मोहकता- नृत्य के द्वारा शारीरिक गतिविधियों और विभिन्न अंगों के बीच दूरी अलग-अलग बल के साथ और शरीर की सीमाओं के अनुसार ओर लचीलेपन के अनुसार होती है। नृत्य की शक्ति बहुत उलझी हुई होती है क्योंकि नृत्यक अपनी मनोभावों को आमतौर पर रंगीन व आंतरिक गहराई से पेश करते हैं क्योंकि शरीर अनन्त सीमाओं पर नियंत्रण करके बल के साथ शारीरिक हलचल नियंत्रित होती है व

उत्साह, जोश और बहादुरी के साथ करते हुए और जो अवास्तविक लगे वह महसूस कराते है और मनोवेगों सज्जन कृतज्ञता और भावाभेश पूर्ण में शामिल होते है। नृत्य वह है जो विचित्र एक स्वप्न जैसा और मुश्किल भाषा को इंगित करता है। जर्मनी के आध्यात्मिक संस्थापक विगमैन ने कहा था "भाषा हमेशा कमजोर हो जाती है जब नृत्यक के मनोभाव चेहरे पर व्यक्त होते है और उस भाषा की जरूरत नहीं होती।"

यूरोपीय खेल चार्टर के अनुसार, "खेल सामान्य रूप से, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र या यूरोप परिषद द्वारा उनकी खेल संबंधी नीतियों को स्थापित के उद्देश्य से परिभाषित किया जाता है। खेल का मतलब शारीरिक गतिविधियों के सभी रूपों से है, जो आकस्मिक या संगठित भागीदारी के माध्यम से, शारीरिक दक्षता और मानसिक, कल्याण को बेहतर बनाने सामाजिक संबंधों को बनाने या सभी स्तरों पर प्रतिस्पर्धा में परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से है।"

नृत्य खेल- वह गतिविधि है जो खेल और नृत्य को जोड़ती है और यह प्रतिभागियों को शारीरिक दक्षता और मानसिक स्वास्थ्य व कल्याण में सुधार करने, सामाजिक संबंधों को बनाने और सभी स्तरों पर प्रतिस्पर्धा में परिणाम में प्राप्त और संगठित प्रतियोगिता संरचना के भीतर विभिन्न प्रकार की नृत्य शैलियों और रूपों में प्रतिस्पर्धा की नैतिकता का अभ्यास किया जाता है।

हर कोई संगीत की ओर बढ़ने में अपनी सदस्यता की रोचकता दर्शाता है। नृत्य में आयु, लिंग और संस्कृति, धर्म, रीति-रिवाज की बाधाएं दूर होती है। नृत्य हर समय उत्साह, साहस, उमंग क्रियाशीलता के ताने-बाने का हिस्सा है। दुनिया भर में लाखों अपनी पंसंद के लय और ताल में निपूण होते हैं। वे सबसे सार्वभौमिक खेल इशारों में से एक ही करते है।

निष्कर्ष- खेल नृत्य स्वास्थ्य सुन्दरता का एक संयोजक या मेल है। आज के आधुनिक युग में लोग इस सुन्दरता के मेलजोल, समन्वय का आनन्द उठाते हैं। खेल नृत्य, एक कला का मुख्य भाग है और संगीत के साथ लम्बे ऐतिहासिक कला का मुख्य सांस्कृतिक आकर्षक भी है। आज भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हो राष्ट्रीय स्तर पर या फिर किसी भी स्तर के खेलों के आयोजन या समापन से पूर्व संस्कृति विरासत का अनूठा मेल होता है। अगर हम गम्भीरता या गहराई के साथ खेलों का विश्लेषण करें तो हमारी पुरानी सभ्यता के विकास के द्वयोतक होते है जो संस्कृति के विकास और सभ्यता के प्रासंगिकता में खेल की गरिमाएं छिपी होती है। जिस तरह समय का प्रारूप बदलता है उसी प्रकार खेलों की गरिमा भी सारगर्भित होती है तथा शारीरिक मूल्यों के साथ चारित्रिक मूल्यों का संचय होता है। शारीरिक सुन्दरता के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन का सबसे अच्छा उपाय खेल कलाओं का सांस्कृतिक विश्लेषण खोजना है। नृत्य एक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली शारीरिक गतिविधि है। जिसे दुनियाभर में विभिन्न लोग अपनी जीवन शैली में शामिल करते है। यह शारीरिक गतिविधि कुछ लोगों को अपील करती है जो शारीरिक दक्षता में अत्यधिक सक्रिय नहीं हो सकते और व्यायाम का दूसरा विकल्प हो सकता है नृत्य एक कला है जिसे कई संस्कृति के बीच सीखा और साझा किया जाता है। नृत्य शरीर के आन्दोलनों अभिव्यक्ति और सहयोग को आकर्षित करती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. Macbeth Kristina. Invitation to the Dance Magzine 2004
2. George Gollin. The Physics of Dance Journal of Women Health, 2001
3. IDSF International Dance sport Federation statutes. Journal of women health, 2001

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

भारत में नारीवाद : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

• सुधा गुप्ता

सारांश- महिला समाज का अभिन्न अंग है। किसी भी देश का सामाजिक एंव आर्थिक विकास महिलाओं के योगदान के बिना अधूरा है। नारीवाद मुख्य रूप से महिलाओं के लिए समान अधिकारों का समर्थन एक आन्दोलन के रूप में करता है। यह न्याय संगत, लिंग समानता पर आधारित समाज में महिलाओं को सशक्त एवं प्रगतिशील बनाने के लिए एक संघर्ष है। भारत में नारीवाद के इतिहास को तीन लहरों में बांटा जा सकता है। पहली नारीवादी लहर 1850 से 1915 तक मानी जाती है। इस काल में पुरुष सुधारवादी विचारको द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास किए गये। समाज में व्याप्त अन्धविश्वासों एवं कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल-विवाह, देवदासी आदि को दूर करने के लिए राजा राममोहन राम, दयानन्द सरस्वती, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, विवेकानन्द, सर सैयद अहमद खान जैसे समाज सुधारकों के प्रशंसनीय प्रयास किए।

मुख्य शब्द - नारीवाद, समाज, आर्थिक विकास, अधिकार

प्रस्तावना- नारीवाद की दूसरी लहर 1915 से 1947 तक मानी जाती है। एक ओर इस लहर के द्वारा विभिन्न राष्ट्रवादी और समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन किए गए, दूसरी ओर अनेक महिला संगठन बने, इस कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई कानून बने। कई प्रसिद्ध महिला सुधारकों ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर अपना सहयोग दिया। कुछ प्रसिद्ध महिलाओं जैसे- सावित्री ज्योतिबा फुले, सिस्टर निवेदिता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेन्ट, अरुणा आसफ अली, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, विजय लक्ष्मी पण्डित आदि ने महिलाओं की प्रगति हेतु सराहनीय कार्य किए।

तीसरी लहर 1947 से वर्तमान समय तक मानी गई है। इस लहर में देश के हर हिस्से से महिलाओं ने सक्रिय होकर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। 1976 में कामकाजी महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा महिला संगठन बना। 1972 में इला भट्ट के नेतृत्व में संगठन बना। इसी प्रकार महिलाओं की उन्नति एवं विकास के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे संगठन कार्य कर रहे हैं।

• **प्राध्यापक, राजनीतिक शास्त्र, महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय (शासकीय स्वशासी उत्कृष्ट महाविद्यालय), ग्वालियर (म.प्र.)**

भारत में महिला आन्दोलनों की एक प्रमुख विशेषता यह रही कि महिलाओं ने देश के अन्य आन्दोलनों जैसे श्रमिक आन्दोलन, पर्यावरण आन्दोलन, किसान आन्दोलन आदि के द्वारा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई।

परन्तु इन सभी प्रयासों के बावजूद आज भी महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न आदि हो रहा है वे आज भी अनेक समस्याओं से जूझ रही है। अतः आज भी महिलाओं का आन्दोलन जारी है। महिलाओं को सम्मान दिलाने, उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए परिवार एवं समाज को अपनी रुढ़िवादी सोच बदलनी होगी एवं सरकारी स्तर पर ठोस प्रयास कार्यान्वित करने होंगे। तभी महिलाओं को आत्मसम्मान एवं समान अधिकार प्राप्त होगा।

मुक्त करो नारी को, मानव, चिर वन्दिनी नारी को।
युग-युग की निर्मम कारा से, जननी, सखी प्यारी को।[1]

– कवि 'दिनकर'

किसी भी देश के विकास में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण है। महिलाएँ समाज का अभिन्न अंग है। किसी भी देश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास महिलाओं के योगदान के बिना अधूरा है। मलिहाओं के योगदान के बिना अधूरा है। महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में समानता का अधिकार दिलाने के प्रयास एवं उनके स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन के लिए किए गए प्रयत्न को नारीवाद के रूप में जाना जाता है। फेमिनिज्म शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय 1837 में काल्पनिक समाजवादी फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ल्स फूरियर को दिया जाता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार नारीवाद महिलाओं के लिए समान अधिकारों का समर्थन एक आन्दोलन के रूप में करता है। यह प्राकृतिक रूप से महिलाओं की परतंत्रता की अवधारणा और पुरुषवादी विचारधाराओ और मानसिकता को खारिज करता है। यह न्यायसंगत लिंग समानता पर आधारित समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए संघर्ष है।"[2]

वास्तव में नारीवाद एक सामाजिक आन्दोलन के रूप में परिवार, समाज और कार्यस्थल पर महिलाओं की अधीनता शोषण, उत्पीड़न, को समाप्त करने के लिए एक निरन्तर संघर्ष की प्रक्रिया है। इसमें महिलाएँ लिंग-विषमता, असमानता और पुरुष अधीनता जैसी मानसिकता को बदलने के लिए महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण पर बल देती है।"[3]

महिलाएँ पूरे विश्व में जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही है, लेकिन पुरुष वादी मानसिकता के कारण दुनिया में महिलाओं के योगदान की प्रायः कोई कीमत नहीं आंकी जाती। महिलाओं की इस वैचारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, अधीनता को जड़मूल से समाप्त करना ही नारीवादी आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य है।

भारत में नारीवाद- भारत में नारीवादी विचारधारा नारीवाद के कई सदियों के इतिहास का वर्णन करती है। यह भारत में महिलाओं के साथ हो रहे हिंसा, अन्याय, आन्दोलन, अनुभव, कार्यशैली एवं समस्याओं के समाधान खोजने तथा एक बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने हेतु एक प्रयास है।

वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति उच्च स्तर की बताई गई है। ऋग्वेद में सरस्वती को 'वाक्-शक्ति' कहा गया है, जो उस समय की नारी की वक्तृत्व कला एवं विद्वत्ता की परिचायक है। इससे यह सिद्ध होता है कि महिलाएँ उच्च शिक्षा की अधिकारिणी थी। लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में अर्थसत्ता की स्वामिनी भी थी। अर्द्धनारीश्वर की कल्पना भी उनके समानाधिकार की पुष्टि करती है। वैदिक युग की नारी धार्मिक जीवन में पति की सहयोगिनी थी। पति-पत्नी दोनों के लिए प्रचलित 'दम्पत्ति' शब्द से सिद्ध होता है कि परिवार के सभी कार्यों एवं निर्णयों में पत्नी को समान अधिकार प्राप्त था।"[4] उपनिषद् काल में भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। परन्तु उत्तर वैदिक काल में तथा उनके बाद रामायण, महाभारत काल में स्त्रियों के अधिकारों एवं स्थिति में गिरावट आने लगी। स्मृति काल में तो स्त्रियों की स्थिति और अधिक खराब हो गई। वह केवल माता के रूप में आदर की पात्र रह गई। एक स्त्री और पत्नी के रूप में उसकी कोई प्रतिष्ठा न रही। मध्य युग में विशेष रूप से भारत पर मुसलमानों के आक्रमण तथा मुगलों के राज्य स्थापन के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति और अधिक खराब हो गई। स्त्री का जीवन घर की चारदीवारी तक सीमित हो गया। सती-प्रथा, बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा, विधवा-पुनर्विवाह पर रोक, राजस्थान में राजपूतों में महिलाओं की जौहर प्रथा, देवदासी प्रथा आदि के द्वारा महिलाओं का जीवन निम्न स्तर का हो गया। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ से महिलाओं की समस्याओं ने समाज सुधारकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। भारत में नारीवाद के इतिहास को तीन महत्वपूर्ण लहरों में विभाजित कर सकते हैं-

1. भारत में पहली नारीवादी लहर 1850 से 1915 तक- भारत में पहली नारीवादी लहर पुरुष सुधारवादी विचारकों द्वारा महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन सम्बन्धी चेतना से प्रारम्भ होती है। इस लहर के द्वारा समाज में व्याप्त अन्धविश्वासों, पौराणिक परम्पराओं, सती-प्रथा, बाल-विवाह, देवदासी प्रथा, जैसी कुप्रथाओं को समापत करने के लिए प्रयत्न किए गए। राजा राम-मोहन राय, दयानन्द सरस्वती, ईश्वरचन्द विद्यासागर, महर्षि कर्वे, स्वामी विवेकानन्द, सैयद अहमद खान, बद्द्दीन तैयबजी आदि समाज सुधारकों ने स्त्रियों की उन्नति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए और उन्हें अपने प्रयासों में काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई।

1887 में इण्डियन नेशनल सोशल काँग्रेस तथा बाद में आई अन्य संस्थाओं ने भी महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किए। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो सका। 1857 में महर्षि दयानन्द ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रयास किया, पर्दा प्रथा एवं बाल-विवाह पर प्रतिबन्ध लगाया।

1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय शासन वर्ग की महिलाएँ एक स्वतंत्र भारत की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पुरुषों के साथ-साथ आगे बढ़ी। उनमें महत्वपूर्ण है- महारानी अहिल्याबाई होल्कर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध की बेगम हजरत महल। डॉ. घोड़ो केशव कर्वे ने महिलाओं की शिक्षा और उनके विकास के लिए महात्मा फुले और सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर काम किया। 1907 में उन्होंने महिला-विद्यालय की शुरुआत की। स्वामी विवेकानन्द 1897 में रामकृष्ण मठ

और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने भारत की शिक्षा योजना में महिलाओं और आम जनता के उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि न केवल समग्र राष्ट्र में वरन् विश्व के उत्थान में शिक्षित भारतीय महिलाएँ निश्चित ही अपना सहयोग दे सकेगी।

मुस्लिम समाज सुधारकों में सर सैयद अहमद खान ने महिलाओं को शिक्षित करने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त बदरुद्दीन तैयब जी ने पर्दा प्रथा समाप्त करने का समर्थन किया। सैयद इमाम ने जनाना मदर्सों को स्थापित करने में मदद की और इस बात पर जोर दिया कि जब तक महिलाओं की प्रगति नहीं होगी, तब तक भारत की जनता अन्य देशों की जनता के समकक्ष नहीं हो सकेगी।

इससे स्पष्ट होता है कि 1910 के दशक के अन्त एवं 1920 के दशक के आन्दोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की शुरुआत होती है। इस समय में महिलाएँ राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख मुद्दों के साथ अपने लिए भी स्थान बना रही थी। इस काल में भारत की पृष्ठभूमि में दो विचार-धाराएँ देखने को मिलती हैं।"[5]

समाज में एक ओर घरेलू नारी के रूप में उसकी भूमिका के दर्शन होते हैं और दूसरी ओर वह व्यक्तिगत रूप से इच्छाओं, आकांक्षाओं और क्षमता के प्रश्न के आधार पर पुरुषों के साथ बराबरी का हक एवं स्थान की माँग कर रही थी। 1920 के दशक के अन्त तक श्रमिक आन्दोलन में भी महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरु की। श्रमिक महिलाओं ने ट्रेड यूनियनों एवं स्वयं संगठित समूहों में भाग लेना आरम्भ कर दिया। लाहौर के एक सम्मेलन से महिला श्रमिकों ने कई नए प्रस्तावों जैसे- फैक्टरियों में जहाँ महिला श्रमिकों की संख्या ज्यादा हो वहाँ पालना घर, नर्सरी, प्रसूति गृह इत्यादि का प्रस्ताव रखा जो बाद में पारित भी किया गया। अन्य रोजगारों में भी जैसे नर्स, शिक्षिका, भोजन बनाने वाली, सफाई करने वाली, खाद्य पदार्थ एवं हस्तकला उद्योग आदि में भी महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा दिया जाने लगा।"[6]

भारत में नारी विकास की इस लहर को काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हुईं। महान सुधारकों के दृढ़ निश्चय, तत्परता एवं कोशिशों के कारण महिलाओं के लिए उन्नत जीवन का सपना काफी हद तक पूरा हो पाया।

2. दूसरी नारी लहर 1915 से 1947 तक- नारीवाद की दूसरी लहर अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसी लहर के द्वारा भारतीय महिलाएँ जागृति एवं राष्ट्रवाद जैसी स्वतंत्रता, आन्दोलन की विशेषताओं को समझ पाई। एक तरफ इस लहर के द्वारा विभिन्न राष्ट्रवादी और समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन किए गए, वहीं दूसरी ओर अनेक महिला संगठन बने। 1917 में भारतीय महिला संघ, 1925 में भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद् और 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन उल्लेखनीय है। प्रगतिशील महिला संगठन ने 1929 में कुछ राष्ट्रीय नेताओं के सहयोग से शारदा एक्ट (बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम) पास करवाया और बाल विवाह के विरुद्ध कानून पास कराने में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1930 के दशक में विवाह एवं सम्पत्ति से सम्बन्धित हिन्दू महिलाओं के लिए सम्पत्ति एवं अन्य हिन्दू कानून पास किए गए। इसके अतिरिक्त महिलाओं के समर्थन में से जो अन्य

कानून पास किए गए, उनके प्रमुख हैं- मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत), विनियोग अधिनियम (1937) और मुस्लिम-विवाह विच्छेद अधिनियम (1939) आदि।[7]

इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय महिला समूह भी सक्रिय थे, जैसे 1906 में मद्रास की तमिल माथार संगम, 1908 में अहमदाबाद में गुजराती स्त्री मण्डल, 1909 में बंग महिला समाज, 1910 में सरला देवी चौधरानी का भारत का स्त्री महामण्डल आदि। अनेक महिलाओं ने जैसे- राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, सुशीला नायर, अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पण्डित, स्वर्ण कुमारी घोषाल, सरोजिनी नायडू आदि ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर राजनीतिक क्षेत्र में इतिहास रचा।

नारीवाद की दूसरी लहर में भारत की प्रबुद्ध, बुद्धिजीवी, मेधावी महिलाओं ने बड़े-बड़े समाज सुधारकों एवं महापुरुषों के सान्निध्य में रहकर देश की प्रगति , विकास, एवं सुधार कार्यों में अपना सहयोग दिया। इस युग में महिला नेता स्थानीय स्तर पर महिलाओं की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने वाली साबित हुई। स्थानीय महिलाओं के जुड़ाव से महिला शिक्षा कामगार महिलाओं के लिए बेहतर जीविकोपार्जन नीतियों के निर्माण पर जोर दिया गया, इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, आन्दोलनों की संगठनात्मक गतिविधियाँ में भी भाग लेती रही है। हैं। गांधी जी के नेतृत्व में ऑल इण्डिया वूमेन काँग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस से जुड़ी। इस लहर के द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन ने महिलाओं को घर की चहारदीवारी से निकालकर सार्वजनिक सरोकार से जोड़ा। कई प्रसिद्ध महिला सुधारकों ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर अपना सहयोग दिया और भारत की हर महिला को आन्दोलन में शामिल करने के लिए प्रेरित भी किया।"[8] कुछ प्रमुख महिलाओं जैसे- सावित्री ज्योतिबा फुले, ताराबाई शिन्दे, पण्डिता रमाबाई, स्वर्ण कुमारी देवी, सिस्टर, निवेदिता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेन्ट, रोकया सखावत हुसैन, डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी, दीदी सुब्बुलक्ष्मी, अरुणा आसफ अली, कमला देवी, विजय लक्ष्मी पण्डित आदि ने महिलाओं की प्रगति हेतु सराहनीय कार्य किए। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं की प्रगति हेतु अनेक सराहनीय प्रयास किए। उनका कहना था कि मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमति इस बात से लगाता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। उनके विचार में किसी समाज के उन्नत होने का मापदण्ड उस समाज के पुरुष न होकर स्त्रियाँ हुआ करती हैं।"[9] डॉ. साहब के प्रयासों से ही महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की व्यस्था की गई। हिन्दू कोड बिल को पारित करवाने में भी डॉ. अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

3. तीसरी नारीवादी लहर 1947 से आज तक- 1948 में तेलंगाना में महिलाओं ने मारपीट, जमींदारों, महाजनों और निजामों द्वारा किए गए शोषण का आक्रमामक रूप से विरोध किया। इस आन्दोलन में मुख्य रूप से कामरेड स्वराज्यम, अखला-कमाला देवी सरोजिनी, चकली, इलामा प्रमिला, जुमालुन्निसा बेगम आदि के नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने मुख्य रूप से विभिन्न महिला संगठनों जैसे आन्ध्र महिला सभा, आन्ध्र युवती मण्डल, महिला संघम का निर्माण भी किया। वह प्रमुख रूप से सैन्य शक्ति के विरोध में, लिंग समानता, घरेलू हिंसा रोकने, बाल विवाह और बहुविवाह रोकने हेतु सक्रिय हुईं।

1950 के दशक में गाँधी जी द्वारा चलाए गए भू-दान आन्दोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1970 में महिलाओं ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि के खिलाफ आन्दोलन में "यूनाईटेड वीमेन्स एन्टी प्राइस राइज फ्रन्ट" की स्थापना की। इसी प्रकार 1975 में कामकाजी महिलाओं ओर परिवारों को सक्रिय करने के लिए बम्बई में "अन्नूपूर्णा महिला मण्डल का उदय हुआ। अन्नपूर्णा से तात्पर्य ऐसी महिलाओं से है, जो गृहणियों की सुरक्षा का बीड़ा उठाए। अन्नपूर्णा महिला मण्डल ने खनन करने वाली महिलाओं को एक कोष संग्रह स्थापित करने में मदद की, जिसके द्वारा वे निजी साहूकारों से ऊँचे ब्याज पर ऋण की अपेक्षा कम ब्याज पर ऋण लेने में समर्थ हुईं। इस संगठन का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक सुरक्षा प्रदान करना था।[10]

इसी क्रम में इला रमेश भट्ट भारत की स्वकार्यरत महिला एसोसिएशन (Self Employed Women's Association SEWA) की संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हुई है। उन्होंने मात्र 600 महिलाओं के साथ 1972 में SEWA की स्थापना की। आज लगभग 17 लाख से अधिक महिलाएँ इसका हिस्सा हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगार देना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय लोकतांत्रिक (जनवादी) महिला संगठन (एडवा) The All India Democratic Women's Association (AIDWA) एक महिला उन्मुख संगठन है। यह समाज से वर्ग, जाति, समुदाय के भेदभाव के बिना समाज के सभी वर्गों से सम्बन्धित हैं। एडवा महिलाओं के जनसंगठन के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर 1981 में स्थापित किया गया था। यह संगठन भारत की मुक्ति के लिए रुढ़िगत, रिवाजों को नकारता है, जो महिलाओं के विकास में बाधक हैं।[11] यह संगठन महिलाओं के अधिकारों, उनकी शिक्षा, रोजगार को सशक्त बनाने के लिए कार्य करता है।

इन सभी विकासों के अतिरिक्त 1939 में कम्युनिस्ट महिलाओं के एक समूह ने महिला आत्मरक्षा समिति का गठन किया। अरुणा आसिफ अली सहित महिला आत्म रक्षा समिति के कई नेताओं के साथ मिलकर 1954 में राष्ट्रीय भारतीय महिला संघ (National Federation of India Women) की स्थापना की गई।

इसी प्रकार महिलाओं के शोषण, उत्पीड़न एवं उसके विरुद्ध अत्याचारों के खिलाफ महिलाओं को संगठित करने के लिए 1990 में नारी मुक्ति संघ गठित किया गया। वर्तमान में इसके सदस्य बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पश्चिमी बंगाल तक दिल्ली तक फैले हैं। यह संगठन मार्क्सवादी लेनिनवादी और माओवादी विचारधारा से प्रभावित है और राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए स्वतंत्रता, समानता मुक्ति, समाजवाद जैसे सिद्धान्तों को अपनाता है। यह संगठन महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, क्षेत्रों की गतिविधियों और प्रक्रियाओं का हिस्सा बनाना चाहता है। पुरुष एवं महिलाओं के बीच समान कार्य वेतन, बेहतर वेतन स्वास्थ्य सेवाएँ आदि उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है।[12]

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बहुत से महिला संगठन बनाए गए, जिनमें प्रमुख हैं, सेवा, नर्मदा बचाओ आन्दोलन, 1975 में बनाया गया, पुरोगामी महिला संगठन, जिसमें मुख्य रूप से दलित महिलाओं एवं देवदासियों को प्राथमिकता दी गई। 1979 में महिला

दक्षता समिति का गठन, 1980 में बना गुलाबी गैंग संगठन आदि। यह संगठन सम्पत पाल और अन्य महिलाओं और हिंसा से बचाने के लिए मदद स्वरूप शुरु किया गया था। यह समूह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गरीब बुन्देलखण्ड में प्रमुख रूप से सक्रिय हैं इन दोनों राज्यों में 27,000 से भी अधिक महिलाएँ इसकी सदस्य बनीं।[13]

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय- महिलाओं की उन्नति एवं चहुमुखी विकास के लिए 1985 में महिला एवं बाल विकास की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाग के रूप में की गई। इस विभाग को 30 जनवरी 2006 से मंत्रालय के रूप में शुरु किया गया। इस मंत्रालय का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं और बच्चों का समग्र विकास करना है। नोडल मंत्रालय होने के नाते इसका मुख्य कार्य योजनाएँ, नीतियाँ, कार्यक्रम और अधिनियम बनाना तथा विधानों में संशोधन करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों संगठनों का मार्ग दर्शन करता है। इस मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम सहायता सेवाएँ, रोजगार, आय के सृजन के साधन, जागरूकता, अभियान, जेण्डर संवेदनशीलता आदि विषयों से सम्बन्धित है। इस मंत्रालय में 6 स्वायत्त संगठन शामिल है।

1. राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान
2. राष्ट्रीय महिला आयोग
3. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
4. केन्द्रीय दत्तक संसाधन एजेन्सी
5. केन्द्रीय समाज कलाप बोर्ड
6. राष्ट्रीय महिला कोष"[14]

राष्ट्रीय महिला आयोग- इस आयोग का गठन 1992 में भारत सरकार महिला आयोग अधिनियम 1990 के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया। आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए संवैधानिक ओर कानूनी सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना, महिलाओं के नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना और मुख्य रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या को रोकना इत्यादि हैं।[15] इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी विभिन्न नीतियों के द्वारा महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरु किए हैं। वास्तव में राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के जीवन के कष्टों को कम करना है। उसके लिए नीति निर्णयों, दिशा-निर्देशों एवं आदेशों के गैर अनुपालन से सम्बन्धित मामलों को देखना और कल्याण को सुनिश्चित करना है। महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार एवं भेदभाव से उत्पन्न स्थिति अथवा विशिष्ट अध्ययन अथवा जाँच की माँग करना तथा समस्याओं का पता लगा कर उनकी समाप्ति के लिए रणनीतियाँ प्रस्तावित करना है। महिला आयोग के पास मामले की छानबीन के लिए वे सभी शक्तियाँ हैं, जो जन न्यायालय के पास होती है।[16]

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपने विभिन्न स्वायत्त संगठनों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके विकास के

लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएँ कार्यान्वित की है, जिनमें घरेलू हिंसा के विरुद्ध, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 लाया गया। अप्रैल 2011 में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सबला योजना शुरु की गई। 30 अगस्त 2013 को अहिंसा मैसेंजर योजना लागू की गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना है एवं लैंगिक मुद्दों पर देश भर में जागरूकता निर्माण कार्यक्रम की श्रृंखला शुरु करना है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर ने उचित ही कहा है कि इंसानियत बचाने, हर इंसान को शान्तिपूर्ण, बुनियादी जरुरतों की पूर्ति के साथ-साथ इंसानी रिश्ते नातों के साथ जीने का अधिकार मिले। इसलिए चल रहे सघर्षों में नारी शक्ति का योगदान एवं आधार स्तम्भ बनता है। नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। इस नारे के साथ जब वह धरातल पर उतरती है जब सत्य एवं अहिंसा के पथ पर चलने वाली जनशक्ति में जीवटता का उभार लाती है।[17]

निष्कर्ष- उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत के इतिहास में महिलाओं की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। भारत में महिला आन्दोलन विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न मुद्दों, पड़ावों एवं चुनौतियों से गुजरा एक ओर तो महिलाओं ने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया, तो दूसरी ओर अपने विकास के लिए महिला संगठनों का निर्माण किया। सभी परिस्थितियों में भारतीय महिलाओं ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या लैंगिक समानता का, स्वतंत्रता संग्राम हो या गान्धीवादी राष्ट्रीय आन्दोलन। भारतीय महिलाओं ने रैलियों द्वारा हड़तालों में भाग लेकर प्रदर्शन करके, सामूहिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर हरसम्भव कोशिशों में कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके विकास के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर भी बहुत से प्रयास किए गए हैं। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने कार्य स्थल पर यौन शोषण पर अहम् फैसला सुनाया जो विशाखा जजमेन्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्तर तरह 16 दिसम्बर 2012 को हुए निर्भया काण्ड के बाद बनी जे.एस. वर्मा समिति ने महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, उत्पीड़न, बाल यौन शोषण, चिकित्सा, जांच, शैक्षिक सुधारों एवं बलात्कार से सम्बन्धित मामलों पर महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत कीं। परन्तु इन सबके बावजूद आज भी महिलाओं का शोषण जारी है। वे घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो रहा है। उन्हें विभिन्न समस्याओं से जुड़ना पड़ रहा है, जैसे स्वच्छता, कुपोषण, बीमारी, आर्थिक, संकट एवं सामाजिक सुरक्षा आदि।

महिलाओं का आन्दोलन आज भी जारी है, परन्तु इसे पूर्णतः सफल बनाने के लिए परिवार एवं समाज को अपनी पितृसत्तात्मक प्रभुता को बनाए रखने वाले सोच बदलनी होगी एवं सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को पूर्ण ईमानदारी एंव निष्ठा से महिला सुरक्षा एवं उनकी चहुमुखी विकास के कार्यक्रम एवं नीतियाँ संचालित करनी होगी। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर का कहना है कि- देश की या राज्य की नीतियाँ और कानूनों में मनमाने तरीके से बदलाव न हो इसलिए भी हर तबके की महिलाओं को हर राजनीतिक मंच पर परिपूर्ण यानी 50 प्रशितात स्थान चाहिए।[18] इसके साथ ही महिलाओं को भी अपने विकास के लिए स्वयं भी प्रयासरत होना पड़ेगा और तभी

फ्रांसीसी लेखिका 'सिमोन द वुआ' की प्रसिद्ध पंक्ति– 'औरत जन्म से ही औरत नहीं होती बल्कि बाद में वह औरत हो जाती है'। Woman is not born but rather becomes a women" का सही समाधान सम्भव हो सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. डॉ. हरीदास रामजी शेण्डे 'सुदर्शन', नारी सशक्तिकरण, ग्रन्थ विकास, जयपुर, संस्करण, 2005, पृ.सं. 15
2. Mahajan Sneh, Issues on Twentieth Century World History Macmillain Publishers Ltd. new Delhi p. 221
3. वही, पृ.सं. 222
4. आशारानी व्होरा, औरत : कल आज और कल, कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2005, पृ.सं. 12
5. शुभ्रा परमार, नारीवादी सिद्धान्त और व्यवहार, ओरियंट ब्लैक स्वान, प्राइवेट लिमिटेड, पुनर्मुद्रित संस्करण, 2017, पृ.सं. 90
6. सत्या, एम. राय (सम्पादक), भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, चतुर्थ संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन, निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत 2009, पृ. 626
7. शुभ्रा परमार, नारीवादी सिद्धान्त एवं व्यवहार, पृ. 94
8. वही, ट्. 95
9. वही, ट्. 101
10. वही, ट्. 107, 108
11. वही, ट्. 109
12. वही, ट्. 111
13. वही, ट्. 116
14. www.women and Child development.nic.in
15. www.national commission for women.ni.in
16. www.national commission for women.nin.in
17. दैनिक भास्कर, अभिव्यक्ति, मेधा पाटकर का लेख, 4 मार्च 2022
18. दैनिक भास्कर, अभिव्यक्ति, मेधा पाटकर का लेख, 4 मार्च 2022

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

आधुनिक हिन्दी साहित्य और संतमत

• विश्वदीपक उपाध्याय

सारांश- जब तक जातिभेद, धार्मिक संघर्ष, आर्थिक शोषण, हिंसा और गैर-बराबरी समाप्त नहीं हो जाती, तब तक संत-मत की प्रासंगिकता और उपयोगिता बनी रहेगी। मानवता के कल्याण के लिए संतों द्वारा किया गया संघर्ष वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक है और भविष्य में भी बना रहेगा।

मुख्य शब्द - जातिभेद, धार्मिक संघर्ष, आर्थिक शोषण, हिंसा

प्रस्तावना- वर्तमान हिन्दी साहित्य जिस आधुनिक परम्परा से विकसित होकर आज अपनी पहचान बनाये हुए है उस आधुनिक हिन्दी साहित्य पर संतों का व्यापक प्रभाव रहा है। यह सही है कि दोनों साहित्य परम्पराएँ अपने युग को प्रतिबिम्बित करती हैं। मध्यकालीन सामन्ती जीवन मूल्यों, मान्यताओं और संत कवियों के मानवतावादी मूल्यों के टकराव की प्रतिक्रिया लोकोन्मुखी भावनाओं के रूप में प्रखरता से व्यक्त हो रही थी। छायावादी युग में सामन्ती मूल्य मृतप्राय तो नहीं हुए थे, किन्तु पराधीनता से स्वाधीनता का संघर्ष अपनी चरमावस्था को पहुंच रहा था, जिसके अन्तर्गत रूढ़ियों के खिलाफ विद्रोह, अन्याय का प्रतिरोध, धार्मिक बाह्य आडम्बर के प्रति संघर्ष, वैयक्तिक प्रतिष्ठा, समानाधिकार, नारी-स्वातंत्र्य, मानवतावाद, सहिष्णुता आदि लोकोन्मुखी सांस्कृतिक चेतना का विकास हो रहा था। ''छायावादी कविता का भावपक्ष जहाँ संतों के तमाम तेवर एवं व्यंजना के सारे तत्व दृष्टिगोचर होते हैं।''[1]

प्रसाद का 'बिजयिनी मानवता हो जाय', पंत का 'यह तो मानव लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित', निराला का 'दलित जन पर करो करुणा', महादेवी का 'तुम मुझमें फिर अंतर क्या', आदि संतों के मानवतावाद, जातिवाद-विरोध, अद्वैतवाद आदि से साम्य रखते हैं। इस प्रकार छायावाद में किसी कवि को संतों की निराकार समरसता ने प्रभावित किया तो किसी को उनकी रहस्यानुभूति ने और किसी को घर-फूंक मस्ती और फक्कड़ाना अन्दाज ने प्रभावित किया। संतों के मानवतावाद से वे गहरे प्रभावित हैं।

इसी प्रकार प्रगतिवादी काव्य और संतमत के विद्रोही तेवर, क्रांतिभावना, शोषण का विरोध समतामूलक समाज की स्थापनार्थ जाति, वर्ण, धर्म, सम्प्रदाय का विरोध, आदि में काफी साम्य है। वैभव, शक्ति एवं शोषण की सत्ता को संतों ने भी नकारा और प्रगतिवादी तो इसके परम शत्रु हैं।

''समाजव्यापी मिथ्याडम्बर, शोषण एवं अत्याचार के बीच उत्पन्न द्वन्द्व एवं

• **शोधार्थी हिन्दी, बी.एन.के.बी. (पी.जी.) कालेज, अकबरपुर, अंबेडकरनगर (उ.प्र.)**

तनाव दोनों खेमों की कविताओं में उभरा है। दोनों तरह की कविताओं की यही निकटता है। शायद इसीलिए आज का रचनाकार अपने को कबीर के अधिक निकट खड़ा महसूस करता है।''[2]

धार्मिक विकृति और सामाजिक विद्रूपता के विरुद्ध जिन बिन्दुओं पर संतों ने अपने समय में चुनौती दी थी, सामाजिक संदर्भों में प्रगतिवादी भी चुनौती देते रहे हैं। वस्तुतः दोनों के मूल में सम्पूर्ण मानवतावादी दृष्टि ही प्रमुख रही हैं। दोनों अनुभूति की प्रामाणिकता पर जोर देते हैं, अभिव्यक्ति पक्ष पर नहीं, क्योंकि दोनों को अपनी बात जनसाधारण तक पहुंचानी थी, परम्परागत काव्यशास्त्रीय चश्में से न तो संत काव्य को और न ही प्रगतिवादी काव्य को परखा जा सकता है। इस तरह दोनों ने काव्य शास्त्र की आरोपित जकड़बन्दी से मुक्ति प्रदान की कविता को।

निराला ने कहा है, "मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिए अनर्थकारी नहीं होता, प्रत्युत उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फैलती है जो साहित्य के कल्याण का ही मूल होती है।''[3]

ओम प्रकाश त्रिपाठी, ''कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रयोगवादी कविता का आविर्भाव जिस अनुभूति की प्रामाणिकता और व्यक्ति की उससे जुड़ी संलग्नता या अद्वैत को लेकर हुआ उसका संकेत संत कवियों की कथनी और करनी के अद्वैत से बहुत मेल खाता है।''[4]

नयी कविता तो कथ्य और कथन प्रकार, दोनों धरातल पर संतकाव्य से प्रभावित है। लघु मानव और उसकी प्रामाणिक अनुभूति में जनकल्याण की चेतना स्वतः समाहित है। मानवीय पीड़ा के सबब उपजी जन-जन के कल्याण की इस परिवर्तित दृष्टि एवं भावना का मूल स्रोत सीधे-सीधे संतों को छोड़कर पूरे हिन्दी साहित्य में इससे पहले नहीं दिखायी देता। सबसे पहले संतों ने ही उस पीड़ा को अपनी वाणियों में अभिव्यक्ति दी, जो नयी कविता के रचनाकारों के यहाँ लघु मानव है। संत ऐसी कोई बात नहीं कहते जिसे उन्होंने अपने अनुभव से प्रमाणित न पाया हो।''[5]

संतों के यहाँ सीधी सादी शैली में बात कही गयी है तो नयी कविता में भी सपाट बयानी है। संत काव्य में उलटवासियाँ और रूपक थे तो नयी कविता में बिम्ब और फैटेसी हैं। वस्तुतः दोनों में समानता का बिन्दु है अनुभूति की विश्वसनीयता एवं प्रभाव क्षमता। मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष हो, या अज्ञेय का साधारणीकरण, मुख्य दिक्कत है अनुभव को प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करने की और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में तो व्यंग्य की 'कबीर मुद्रा' मिलती है। नयी कविता जिस आन्दोलन के जिस दौर से गुजरी है, उसमें अकविता, युयुत्स कविता, भूखी पीढ़ी की कविता, कबीरी कविता आदि किसिम-किसिम की कविताएँ सामने आयी। इन सभी का अध्ययन बताता है कि अपने यथार्थ की विसंगतियों से जूझ रहा कवि अपनी एक नयी पहचान बनाने के साथ-साथ उस आधुनिक मानवतावादी विचारधारा को अभिव्यक्त करना चाहता है जिसमें ''धर्मों, सम्प्रदायों और ईश्वर एवं देवताओं की परिधि में बंधकर व्यक्त होने वाली मानवहित-चेतना को यथाशक्ति बंधनमुक्त करके विज्ञान की वस्तुपरक उपलब्धियों से सम्बद्ध करके सामाजिक स्तर पर प्रसतुत करना, आज का प्रमुख ध्येय है।''[6]

यह सही है कि संत काव्य में वर्तमान जीवन-सापेक्ष कविता की वैज्ञानिक दृष्टि नहीं थी, परन्तु समाज की विसंगतियों एवं धार्मिक विद्रूपताओं का खण्डन जिस भी प्रकार संत काव्य में हुआ, वह वर्तमान नये काव्य का प्रमुख प्रेरणा स्त्रोत रहा है। यही कारण है कि नयी कविता के व्याख्याता अपनी पृष्ठभूमि की तलाश में अनायास कबीर, निराला आदि से अपने को जुड़ा हुआ पाते हैं। इसी तरह धूमिल, जगूड़ी, अरुण, कमल, असद जैदी प्रभृति कवियों की आक्रोश भरी व्यंग्य परक कविताओं में संत कवियों की व्यंग्योक्तियों का प्रभाव देखा जा सकता है।

आज का दलित साहित्य भी संत मत से कम प्रभावित नहीं है। वैसे हिन्दी में यह दलित साहित्य-आन्दोलन मराठी साहित्य के प्रभाव से उत्पन्न हुआ। दलित साहित्य और चिन्तन से जुड़े अधिकांश विचारकों तथा लेखकों का मानना है कि वास्तविक दलित साहित्य वही है जो दलितों द्वारा लिखा गया है। चाहे दलित लेखकों में ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉ. धर्मवीर, मोहनदास, नैमिशराम, तुलसीराम, जय प्रकाश कर्दम, श्यौराज सिंह बचैन आदि हो अथवा गैर दलित लेखकों में राजेन्द्र यादव, मैनेजर पाण्डेय आदि। यदि हम दलितों के जीवन के वास्तविक अनुभव और उनकी अभिव्यक्ति के प्रसंग में मैनेजर पाण्डेय को एक साक्षात्कार में उद्धृत जोतिबा फूले के उस कथन को ध्यान में रखें कि ''गुलामी की यातना को जो सहता है, वही जानता है और जो जानता है वही पूरा सच कह सकता है। सचमुच राख ही जानती है जलने का अनुभव, कोई और नहीं, तो साफ पता चलता है कि दलित जीवन की वास्तविक पीड़ा को वही व्यक्त कर सकता है जो स्वयं दलित है।''[7]

वर्ण-व्यवस्था एवं जातिवाद से उपजी घोर अमानवीय पशुओं से भी बदतर जिन्दगी जीने वाले इन दलितों ने समय-समय पर अपनी भावनाओं को मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया, वह निश्चय ही त्रासदपूर्ण और दिल दहला देने वाली है। चाहे वह संत कवि रैदास की वाणी हो या हीरा डोम की शिकायत। संत रैदास की आत्म स्वीकृति, दलित जाति और जीवन से जुड़ी जिस दूसरी पीड़ा की ओर संकेत करती है, उसे वही लोग समझ सकते हैं जो उससे गुजर चुके हैं। उनकी भक्ति भावना भले ही समाज की निगाह में ऊँची हो, मगर उन्हें भी स्वीकार करना पड़ा-

रैदास जन्म के कारणै, होत न कोई नीच।
नर को नीच करि डारि दै, औछे करम को नीच।।[8]

हिन्दी में दलित जीवन से जुड़ी रचनाओं को शुरुआत यद्यपि कबीर, रैदास, हीराडोम, निराला, प्रेमचन्द्र और राहुल सांकृत्यायन जैसे रचनाकारों से होती है लेकिन उनकी रचनाओं की पहचान दलित साहित्य के रूप में कम, शूद्र और निम्नवर्गीय समाज पर केन्द्रित साहित्य के रूप में अधिक होती है।[9]

परन्तु संत काव्य गैर-बराबरी के सामन्ती स्तम्भ जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, ब्राह्णवाद आदि की जो तीखी निन्दा हुई है, वही निन्दा दलित साहित्य का भी प्रधान स्वर है। ओमप्रकाश वाल्मीकि, ''वर्ण व्यवस्था से उपजी घोर अमानवीयता, स्वतंत्रता-समता-विरोधी सामाजिक अलगाव की पक्षधर सोच को परिवर्तित कर बदलाव की प्रक्रिया को तेज करना दलित साहित्य की मूलभूत संवेदना है तथा इसी क्रम

में उनका यह स्वीकारना कि अंबेडकर और ज्योंतिबा फूले की जीवन दृष्टि दलित साहित्य की ऊर्जा है।[10]

जाहिर है कि दोनों विचारक जातिवाद और ब्राह्मणवाद जैसी कृत्रिम गैर-बराबरी के विरोधी थे। मराठा भक्ति आन्दोलन में नामदेव जैसे संतों की प्रमुख भूमिका रही, जिससे फूलें जैसे आधुनिक समाज सुधारकों की पृष्ठभूमि तैयार हुई। ओमप्रकाश बाल्मीकि ने अपनी रचनाओं - 'सदियों का संताप', 'बस्स बहुत हो चुका' (काव्य संग्रह) 'जूठन' (आत्मकथा), 'सलाम (कहानी संग्रह) के द्वारा वर्ण-जाति के प्रतीक ब्राह्मणवाद एवं दलितों के शोषण, दमन और तिरस्कार का मार्मिक चित्रण किया है। उनकी 'जाति-कविता वर्ण-व्यवस्था और धार्मिक मायाजाल को तोड़ने की सार्थक पहल करती है-

स्वीकार्य नहीं मुझे/जाना, मृत्यु के बाद/तुम्हारे स्वर्ग में।
वहाँ भी तुम/ पहचानोगे मुझे/मेरी जाति से ही।

कबीर भी तो ऐसे प्रियतम (परम सत्ता और भेद-भाव रहित) के बिना स्वर्ग नहीं, नर्कपसंद करेंगे जहाँ वह हो-

दो जगतौ हम अंगियां, यहु डर नाहीं मुज्झ।
भिस्ति ने मेरे चाहिए, बांझ पियारे तुज्झ।।[11]

1914 में सरस्वती में छपी हीरा डोम की भोजपुरी कविता जिसे हिन्दी की पहली दलित कविता कहा जाता है, का संक्षेप में हिन्दी अनुवाद देखने पर पता चलता है-भेदभाव, छुआछूत का भयावह दृश्य! ''हम लोग डोम हैं, कुएं के पास नहीं जा सकते। गंदला कीचड़ का पानी हम पीते हैं। जूते से पीट-पीट वे हमारे पैर तोड़ देते हैं। हम लोगों को इतनी यातना क्यों उठानी पड़ती है। जिस हाड़-मांस का हमारा शरीर बना है, उसी का इन ब्राह्मणों का, इन ठाकुरों का बना हुआ है, तो क्या बात है कि जो ये पूजे जाते हैं और हमारी पूजा जूतों से होती है।''[12] यह पीड़ा संतों को भी थी, उन्होंने भी जातीय श्रेष्ठता पर सवाल किये-

एक बूंद एकै मल मूतर, एक चाम एक गूदा।
एक जोति भै सब उत्पन्ना, कौन बाह्न कौन सूदा।। (कबीर)

संत साहित्य का स्वर है मानव को मानव के रूप में प्रतिष्ठित करना और श्रमिक वर्ग को सम्मान देना। जाहिर है कि अधिकांश संत खुद भी दलित एवं श्रमिक वर्ग के थे। मनोज कुमार कैन, ''वर्तमान में लिखा जा रहा दलित साहित्य वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का खण्डन करके मानवतावाद का समर्थन करता है, साथ ही सामाजिक ढांचे में परिवर्तन लाने की मांग भी करता है। दलित साहित्य वर्षों से बने अंधविश्वासों को तोड़कर आम आदमी के सुख-दुख से जुड़ने की प्रेरणा देता है। जैसी स्थिति दलितों को रही, उसी तरह की स्थिति हमारे समाज में स्त्रियों की है। यह साहित्य स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार देने की भी बात करता है। दलित साहित्य श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करता है और उनके महत्व को स्पष्ट करते हुए उनमें चेतना का संचार करता है। इसलिए यह साहित्य कुछ लोगों का साहित्य न होकर जन-जन का साहित्य बन जाता है, क्योंकि यह सत्य, यथार्थवाद और सामाजिक उत्तरदायित्त्व के साथ सम्बद्ध है।''[13]

दलित साहित्य को नकारा नहीं जा सकता, हिन्दी साहित्य के विराटफलक में वह स्थापित होगा ही क्योंकि उसमें अनुभूत सत्य की ऊर्जा है। आरम्भ में निर्गुण संतों को भी बिना पढ़े-लिखे, अनपढ़ भाषा वाले कहकर महत्व नहीं दिया गया, किन्तु एक दिन वह स्थापित हो गया। आज सच्चा सामाजिक चिन्तक अपने को कबीर से जुड़ने पर ऊर्जा एवं सबल पाता है। दलित साहित्य, संत साहित्य की विचारधारा से प्रभावित है और यह धारा आगे न बढ़ सकने का उसे मलाल है।

महीप सिंह : "हिन्दी में दलित साहित्य की आवश्यकता कई सदियों से महसूस की जा रही है। कबीर दास सबसे बड़े प्रमाण हैं इस बात के, परन्तु सवर्ण मानसिकता में ऐसे साहित्य को उभरने का कम अवसर प्राप्त हुआ। मराठी में आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। उससे हिन्दी में लिखने वालों को प्रेरणा मिलने लगी।"[14] दलित साहित्य सामाजिक-सांस्कृतिक मानसिकता में परिवर्तन के साथ-साथ राजनीति में दलितों की आवाज बुलंद करना चाहता है जो संतों से भी आगे की दृष्टि है। जय प्रकाश कर्दम, "दलित साहित्य की संकल्पना में दुनिया में मानव सबसे बड़ी सत्ता है। मनुष्यता से बढ़कर कोई चीज नहीं है। इसलिए दलित साहित्य न वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है, न ईश्वर, आत्मा आदि किसी भी नित्य अथवा शाश्वत सत्ता के अस्तित्त्व को मानता। वह कर्म और कर्मफल को भी मनुष्य में निहित मानता है।"[15]

लेकिन दलित साहित्य में जो अतिशय जातिविरोध है वह एक विशिष्ट जातिवाद की रचना कर सकता है। इस पर राजकुमार सैनी का यह वक्तव्य उचित हो सकता है- ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद अथवा बनियावाद जितना अवांछनीय है, उतना ही अवांछनीय शूद्रवाद भी हो सकता है। कोई भी श्रेष्ठ संस्कृति अथवा कोई भी श्रेष्ठ साहित्य अपने समाज के एक हिस्से, एक वर्ग, एक जाति का पक्षधर होकर सार्थक नहीं हो सकता। अन्ततः उसे पूरे समाज के कल्याण के साथ अपने को जोड़ना ही पड़ता है।

इस प्रकार संत मत के सम्बंध में ओम प्रकाश त्रिपाठी का यह कथन ठीक है कि आज की हिन्दी कविता किसी भी स्तर पर उन संत-कवियों को काटकर नहीं चल सकती जिन्होंने 'जो सिर काटै अपना, चलै हमारे साथ' कहकर लोक मंगल का नेतृत्त्व किया था।"[16]

निष्कर्षतः जब तक जातिभेद, धार्मिक संघर्ष, आर्थिक शोषण, हिंसा और गैर-बराबरी समाप्त नहीं हो जाती, तब तक संत-मत की प्रासंगिकता और उपयोगिता बनी रहेगी। मानवता के कल्याण के लिए संतों द्वारा किया गया संघर्ष वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक है और भविष्य में भी बना रहेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. ओम प्रकाश त्रिपाठी, संत साहित्य और लोकमंगल, पृष्ठ 140
2. ओम प्रकाश त्रिपाठी, संत साहित्य और लोकमंगल, पृष्ठ 145
3. परमानन्द श्रीवास्तव, निराला (भारतीय साहित्य के निर्माता), पृष्ठ 01
4. संत साहित्य और लोकमंगल, पृष्ठ 146
5. वही, पृष्ठ 147

6. जगदीश गुप्त, नयी कविता : स्वरूप और समस्याएँ, पृष्ठ 47
7. देवेन्द्र चौबे, दलित साहित्य की वैचारिक संरचना (आज कल, दिसम्बर, 2000 में प्रकाशित) पृष्ठ 6
8. दलित साहित्य की वैचारिक संरचना (आज कल, दिसम्बर, 2000), पृष्ठ 06

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

21वीं सदी की हिन्दी कविता में पर्यावरण चेतना

• सूरजमुखी

सारांश- 21वीं सदी की कविता में पर्यावरण चेतना के स्वर तो सुनायी पड़ता हैं मगर बहुत ही धीमे सुर में अभी इस समस्या को सतही तौर पर ही लिया जा रहा है मगर यह मामला बहुत ही गंभीर है। महानगर गैस के चैम्बर बन गये हैं और मनुष्य की लालची सोच, सीमित सोच और असंवेदनशीलता ने नयी पीढ़ी के लोगों को असमय ही बीमारियों के चंगुल में धकेल दिया है। प्रदूषित वातावरण में रहकर जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है? जब जीवन ही नहीं रहेगा तब जीवन और जीवन के विविध रंगों की बात करना सही मायने नहीं रखता। 21वीं सदी की समकालीन कविता में पर्यावरण के प्रति कवियों की संवेदनशीलता और पर्यावरण को बचाने की उनकी बेचैनी अवलोकित होती है। मौसम चक्र गड़बड़ाने को लेकर ओजोन परत में छेद होने के हादसे एवं उसके दुष्परिणाम से साहित्यकार चिंतित हैं।

मुख्य शब्द - हिन्दी कविता और पर्यावरण, पर्यावरण और हिन्दी साहित्य

प्रस्तावना- भारत वर्ष का प्राकृतिक वातावरण और सौंदर्य अपने आप में बेजोड़ है। प्रकृति सौंदर्य की जो विविधता भारत में मिलती है, वैसी विश्व के अन्य देशों में नहीं देखी जाती। भारत की विलक्षणता और उसकी भारतीयता इसकी प्राकृतिक विविधता में ही है। इसलिए प्राचीन ऋषि-महर्षि प्रकृति के साथ मानव को एक-दूसरे से जोड़कर रखने का प्रयास किये थे। उन्होंने मानवों के सहज, सात्विक और अपने परिसर की प्रकृति और जीवों के साथ जीवन का विधान किया।

प्रकृति के परिरक्षण के साथ अपने जीवन को भी संरक्षित करता आया। प्रकृति वह हो गई और वह प्रकृति हो गया था। पशु- पक्षियों को अपने जीवन का अंग बनाया। नदी-समुद्र में स्नानों को पवित्र बताया है। विशेष ऋतुओं के विशेष पर्वों में नदी-समुद्र स्नान को एक पुण्य कार्य कहकर जीवन में उनके महत्व को प्रतिपादित किया गया।

पहाड़ों में देवी-देवताओं के मंदिरों को प्रतिष्ठित कर पत्थर-पहाड़ों को संरक्षित करने का उपाय निकाला। वन भोजन की परिकल्पना के द्वारा वनों का परिक्षण और प्रकृति की गोद में आह्लाजनक वातावरण का आनंद उठाने की संकल्पना उसकी रही है। वन के प्रत्येक प्राणी चाहे वह पेड़-पौधे हों या पशु-पक्षी सब उसकी दृष्टि में वन देवताएँ ही रहीं। इसलिए प्राचीन कवि ने प्रकृति की इस शोभा को अपने मनोनेत्रों से कल्पना कर अपनी कविता में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की।[1]

• अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, बी.वी.आर.आई. बिचपुरी, आगरा

प्रकृति के प्रति यह कवि-प्रेम अनादि काल से अनवरत जारी है। यह वर्णन कभी स्वतंत्र आलंबन रूप में, कभी हृदयगत भावों को उद्दीप्त करने अथवा आगे की घटनाओं की पृष्ठभूमि के रूप में होता है। कई बार यह वर्णन बिम्ब-प्रतिबिम्ब, उपदेश, रहस्य या मानवीकरण रूप में दृष्टिगोचर होता है। विशिष्टता यह है कि प्रकृति के स्निग्ध रूप पर कवि मोहित है तो भाव-विह्वल होकर रचना करता है और यदि उस पर संकट है तो वह आभास ही नहीं देता, वरन् उसकी संरक्षा के लिए अपने रचनाकर्म को समर्पित कर देता है। आदिकालीन हिन्दी-काव्य में रासो-काव्यों में प्रकृति का आलम्बन व उद्दीपन रूप में अतिशय वर्णन हुआ है। इसी काल में मैथिल-कोकिल विद्यापति रचित 'पदावली' प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय है। ऋतुराज वसन्त का स्वागत किसी राजा के आगमन पर उल्लसित वातावरण के समान प्रदर्शित किया गया है, यह प्रकृति के प्रति ममत्व का निदर्शन है-

आएल रितुपति राज बसंत, धाओल अलिकुल माधवि-पंथ।
दिनकर किरन भेल पौगंड, केसर कुसुम धएल हेमदंड।
नृप-आसन नव पीठल पात, काँचन कुसुम छत्र धरू माथ।
मौलि रसाल-मुकुल भेल ताब, समुखहि कोकिल पंचम गाय।।[2]

भक्तिकालीन कवियों की साधना में आध्यात्मिक तन्मयता व एकनिष्ठता का भाव विद्यमान रहा है। कबीर, तुलसी, सूर, जायसी की रचनाओं में प्रकृति का कई स्थलों पर रहस्यात्मक वर्णन हुआ है। कहीं-कहीं वन, पर्वत, नदी, पशु-पक्षी, उपवन का स्वाभाविक व उल्लासमयी भंगिमाओं के साथ वर्णन भी है। तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' में लक्ष्मण और सीता को वृक्षारोपण करते हुए दिखाया है, यथा-

"तुलसी तरुवर विविध सुहाए।
कहुँ-कहुँ सिय, कहुँ लखन लगाए।"[3]

इसी प्रकार सूर, मीरा, रसखान आदि भक्त कवियों ने प्रकृति के अपार व मोहक चित्र खीचें हैं। रीतिकालीन कवियों ने यद्यपि प्रकृति की छटा को आलंकारिक रूप में अधिक प्रकट किया, किंतु बिहारी, पद्‌माकर, देव, सेनापति ने उसके सौंदर्य को अपनत्व भी दिया। मलयानिल की शीतलता, सुगंधि का वर्णन करते हुए बिहारी ने बिम्बात्मक वर्णन किया है-

"चुवत स्वेद मकरंद कन, तरु तरु तर बिरमाय।
आवंत दच्छिन देश ते थक्यौ बटोही बाय।"[4]

आधुनिक हिन्दी काव्य का जन्म यूरोप के औद्योगिकीरण के समानान्तर होता है, जहाँ प्रकृति मात्र सौंदर्य का उपादान रहकर क्रूर दृष्टि का शिकार होना आरंभ हो जाती है। श्रीधर पाठक 'कश्मीर-सुषमा' में प्रकृति की मनोमुग्धकारी छटा बिखेरते हैं, तो 'हरिऔध' रचित प्रिय-प्रवास में राधिका की हृदय-व्यथा में प्रकृति के उपादानों में व्यंजित होती है, तो कृष्ण भी अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति में प्राकृतिक प्रतीकों का आश्रय लेते हैं-

"उत्कंठा के विवष नभ को, भूमि को पादपों को।
ताराओं को मनुज मुख को प्रायषः देखता हूँ।
प्यारी ! ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती।

जो चिंता से चलित-चित की शान्ति का हेतु होवें।''[5]

प्रकृति की छआ का सुंदर रूप मैथिलीशरण गुप्त के 'साकेत', 'पंचवटी', 'यशोधरा', 'सिद्धराज' आदि ग्रंथों में सुन्दर रूप में अभिव्यंजित होता है। चन्द्र-ज्योत्स्ना में रात्रिकालीन वेला की प्राकृतिक छटा का मुग्धकारी वर्णन द्रष्टव्य है-

''चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में,
स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है अवनि और अम्बरतल में।''[6]

छायावादी काव्य शैली में प्रकृति का सूक्ष्म और उत्कृट रूप दिखाई देता है। प्रकृति की भव्यता 'पंत', 'प्रसाद' और निराला' की कविताओं में यत्र-तत्र पाई जाती है। ये कवि प्रकृति की रमणीयता में इतने मुग्ध हो जाते हैं कि प्रेयसी का प्यार भी उन्हें तुच्छ लगता है। पंत कहते हैं-

''छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया,
बाले, तेरे बाल-जाल में, कैसे उलझा दूँ लोचन,
भूल अभी से इस जग को।''[7]

इसी तरह संध्या की छटा निराला को सुन्दरी के रूप में आभासित होती है-

''दिवसावसान का समय
मेघमय आसमान से उतर रही है।
वह संध्या सुन्दरी परी-सी,
धीरे, धीरे, धीरे।''[8]

'कामायानी' इस काल का उत्कृष्ट काव्य है। जिसके आरंभ में प्रकृति के भयानक रूप का वर्णन है, जिसमें जल-प्रलय के पश्चात् सर्वस्व नष्ट हो जाता है। संभवतः 'प्रसाद' का यह संकेत उद्दाम लालसाओं से ग्रसित उन लोंगो के लिए भी है, जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, परिणाम स्पष्ट है-

''हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर
बैठ शिला की भीतल छाँह।
एक पुरुष भीगे नयनों से,
देख रहा था प्रलय-प्रवाह।''[9]

मनुष्य का प्रकृति के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण ने जीवन को खतरे में डाल दिया है। परिणामतः अकाल, बाढ़, आदि प्राकृतिक त्रासदियों से हमें सामना करना पड़ता है। 'बंगाल का अकाल' इस प्राकृतिक विनाश का एक दुखान्तकारी घटनाक्रम है। नागार्जुन ने इस दृश्य का वर्णन किया है-

''कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास।
कई दिनों तक कानी कुतिया, सोई उनके पास।
कई दिनों तक लगी भीत पर, छिपकलियों की गश्त।
कई दिनों तक चूहों की भी, हालत रही शिकस्त।''[10]

वर्तमान समय अनेक चुनौतियों और संघर्षों का समय है। आज प्राकृतिक वातावरण अनेक कारणों से दूषित हो गया है। प्राकृतिक संपत्ति से खिलवाड़ औद्योगिकरण का बढ़ते जाना, जनसंख्या में बढ़ोतरी, गांव का मिटना, शहरीकरण के

कारण तेजी से कांक्रीट के जंगल बढ़ते जाना आदि इन योजनाओं के तहत पर्यावरण की असुरक्षा बढ़ना जंगलों का विनाश आदि अनेक कारण हैं, जिसने पर्यावरण को अनियंत्रित कर दिया है। आज जापान, अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे देश इस प्राकृतिक संकटों से जूझ रहे हैं, जैसे-

क्या तुमने कभी सुना है
सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की
चीत्कार सुना है कभी
रात के सन्नाटे में अंधेरे में मुंह ढांप
किस कदर रोती हैं नदियां?
हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते
पत्थरों की चीख...?
अगर नहीं तो क्षमा करना
तुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है।[11]

जंगल, पहाड़, पशु-पक्षी, हरी-भरी घाटियां और उनके बीच अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष करते आदिवासी इनकी रचनाओं के केंद्र में हैं। आदिवासी कवियों ने अपनी रचनाओं के जरिये इन परिस्थितियों और समस्याओं को उकेरने का प्रयास किया है। कवि लालासिंह बोयपाई 'सारडा वन' शीर्षक कविता में झारखंड के सौंदर्य उसके वनों के सौष्ठव और समृद्धि का वर्णन करते नहीं अघाते। विदेशी कंपनियां सूंघकर इन खजानों की टोह लगा लेती रही हैं। बुद्धिजीवी व राजनैतिक पढ़े-लिखे दलालों की मिली- भगत आज वे उन्हें लूट रही है। बोयपाईजी ने अपनी कविता की एक-एक पंक्ति में सारंडा वन का सौंदर्य भरा है। उनमें बिखरा है संसाधनों का खजाना जो उनसे छिनता जा रहा है। वह अपने वनों के सौंदर्य का बखान करते हुए कवि कहते हैं-

सात सौ फुट ऊंची चोटी वाली पहाडियों की
शृंखलाएं एक से बढ़कर एक खड़ी हैं
खनिज के ऊपर खनिज लदा है।
हर पहाड़ी में खनिज भरा है
खनिज संपदाओं का
खजाना यह सारंडा वन है।[12]

अंत में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भारतीय साहित्य में जहाँ प्रकृति का प्रत्येक उपादान वृक्ष, नदी, फल, फूल, अनाज आदि को पूजनीय स्थलों का अधिकार बनाया, वहीं आज का यह पदार्थवादी इंसान अपने जीवन-रस को ही लूटने चला है। ऐसी स्थिति में साहित्य-जगत् को मौन रहकर तमाषा देखने के बजाय अपनी रचनाधर्मिता से मानवता को बचाने का सार्थक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से अलगाव मनुष्य के स्वार्थी होने की निशानी है-

"खेतों की मेड़ों की ओस नमी मिट्टी,
जितनी देर मेरे इन पाँवों में लगी रही,
उतनी देर जैसे मेरे सब अपने रहे,

उतनी देर सारी दुनिया सगी रही,
किन्तु मैंने ज्योंही मौजे-जूते पहन लिए
जेब के पर्स का ख्याल आने लगा।"[13]

नई सदी के संधिकाल के कवियों को 'वसुधा का यौवन भार' या 'सघन मेघों का भीमाकाश' अब आमंत्रित नहीं करता, बल्कि उनकी लेखनी से 'अरण्य रोदन' ही व्यक्त होता है। कटते पेड़ों से टपकती रक्त की बूँदों से वह आहत हैं, तो खत्म होती वन्य संपत्ति से बेचैन भी है। बढ़ते शहरीकरण से गांव की प्रकृति नष्ट हो रही है। ऐसे में कवि के पास एक ऐसी संवेदना दृष्टि है जो धरती की दरारों के साथ आसमान की दरारों में छिपी वेदना को महसूस करती है। पर्यावरण की हानि से भविष्य के प्रति वह भयाकुल हैं। यह भय और आकुलता निष्क्रिय नहीं है। वह धरती के क्रंदन को शब्दबद्ध करना चाहता है। इस शब्दबद्धता में एक धार, एक करुणामयी दृष्टि और एक स्पष्ट दिशा है। कवि का उद्घोष है कि हर स्थिति में धरती को बचाना होगा। यह दृष्टि कभी आक्रोश का रूप ले लेती है तो कभी संवेदनात्मक तर्क द्वारा सोचने के लिए विवश करती है। प्रकृति के विनाश में गांवों की निःशेष होती पहचान का दर्द कवि ज्ञानेन्द्रपति की कविता में देखा जा सकता है-

गांव का वह घर
अपना गांव खो चुका है
पंचायतीराज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर।[14]

शहरों की शक्ल में बदलते गांव अपनी अस्मिता खो रहे हैं। जंगलों के कटने और वन्य संपदा के लुटने से गांवों में करुण शोक का वातावरण छा गया है। वहां पहले-सी स्फूर्ति या पेड़-पौधों में रहने वाला चैतन्य शेष नहीं है।

प्रकृति-पर्यावरण से इसी गहरे लगाव के कारण कवि के भीतर गहरी बेचैनी पैदा होती है और प्रतिक्रिया स्वरूप कविता में इस हानि के खिलाफ वह अपनी तीव्र दर्ज करता है क्योंकि प्रकृति, जल-जीव आदि सभी उसके अपने सगे, सहचर हैं कवि की संवेदनशीलता अनायास ही संधिकालीन कविता को एक नई सौन्दर्य दृष्टि प्रदान करती है-

अगर समुद्र में मारे अनगिनत जल-जीव
अगर जल उठे पेड़-पौधे-पत्तियां
अगर हवा में घुले जहर ओर-छोर
और कोई अगर चाहे करना इस धरती को नेस्तनाबूद
मुझे आपत्ति है सख्त आपत्ति।[15]

धरती पर पानी को बचाए रखने की तड़प कवि राजेश जोशी की कविताओं में भी है। धरती पर जलस्रोतों की रक्षा करने के बजाय मनुष्य आज उनसे खिलवाड़ कर रहा है। वृक्षों की बेरहम कटौती के कारण पर्यावरण का संतुलन ही बिगड़ गया है। ऋतु बदल गए हैं। धरती पर ताप बढ़ गया है और पानी के अक्षय स्रोत सूखने लगे हैं। एक ओर मनुष्य पानी के लिए तड़प रहा है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां पानी को 'मिनरल वॉटर' के नाम से बोतल बंद कर बेच रहे हैं। कवि राजेश जोशी 'मिनरल वॉटर' को जल कहते हुए कतराते हैं क्योंकि अपनी संस्कृति में ऐसे पानी से न तो मुंह धोया जा सकता है न ही कुल्ला किया जा सकता है। 'किस्सा उस तालाब का' कविता में कवि ने कहा है-

उससे मुंह धोना संभव था न कुल्ला करना
वह खरीदा हुआ था और महंगा भी
उसका हर घूंट हलक से उतरते हुए
एक सिक्का की तरह बजता था।[16]

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आज का समय एक अनेक चुनौतियां नजर आता है तो दूसरी ओर उदारीकरण और वैश्वीकरण ने हमारा घर, गांव, शहर आदि विदेशी सभ्यता और संस्कृति की चकाचौंध में पड़कर अपनी भाषा और संस्कृति को धीरे-धीरे भूल रहे हैं। 21वीं सदी की कविताओं ने अपनी कविताओं में यथार्थ को पूर्ण अभिव्यक्ति दी है। 21वीं सदी में बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार आदि के कारण आम लोगों का जीना दूभर हो गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. साहित्य में पर्यावरण, चेतना की चेतावनी, डाउन टू अर्थ, 21 अक्टूबर, 2021
2. विद्यापति, पदावली, लोकसभारती प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019, पृ. 295
3. तुलसीदास, रामचरितमानस, गीता प्रेस, गोरखपुर, 2/236/3
4. बिहारी, बिहारी प्रकाश, पृ.-31
5. हरिऔध, प्रिय-प्रवास, उद्धृत आधुनिक काव्य सोपान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ. 5
6. गुप्त, मैथिलीशरण, पंचवटी उद्धृत 'कविताकोश', 2015, पृ. 68
7. कुमार, विमल, सुमित्रानंदन पंत संचयन, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, 2012, पृ. 51
8. गुप्त, सियारामशरण, 'कवि श्री', निराला, पृ 11
9. प्रसाद, जयशंकर, कामायनी : चिंता सर्ग, राजकमल एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 2017, पृ. 5
10. नागार्जुन, अकाल और उसके बाद : उद्धृत कविताकोश, एकलव्य फाउंडेशन, 2016, पृ. 125
11. 21वीं सदी की कविता संवेदना के नये स्तर- सं, डॉ. शैलजा भारद्वाज, पृ. 106-107
12. गुप्ता, रमणिका, युद्धरत आम आदमी, 2015, पृ. 7
13. सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल, बाँस का पुल, 2007, पृ. 30
14. ज्ञानेन्द्रपति, संशयात्मा, पृ. 16
15. मंडलाई, लीलाधर, देखा-अदेखा, पृ. 40
16. जोशी, राजेश, चांद की वर्तनी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019, पृ. 26

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

शेखावाटी लोकगीतों में विरह

• दीनदयाल शर्मा
•• वीणा छंगाणी

सारांश- भारत का राज्य राजस्थान प्राचीनकाल से ही गौरवशाली परम्पराओं से सम्पन्न रहा है। यहाँ की धरती वीर और विरागनाओं के रक्त से सिंचित है परन्तु दुर्भाग्य है कि राजस्थान में जीविकोपार्जन की स्थितियाँ बहुत दुरूह और कठिन थी। पुरूषों को अच्छी कमाई के लिए व्यापार या नौकरी के लिए दूसरे प्रान्तों में बहुत दूर जाना होता था या फिर फौज की नौकरी में जाना होता था। प्राचीनकाल में यातायात व संचार के साधनों की कमी थी। एक प्रवास तत्कालीन समय में कई बार तीन चार वर्ष हो जाता था। कभी कभी प्रवास के समय की लम्बाई सहन शक्ति की सीमाएं पार कर देती थी। तब विरह में तड़पती नारी मन की भावनाएं पार कर देती थी। तब विरह में तड़पती नारी मन की भावनाएँ गीतों के माध्यम से फूट पड़ती थी। पुरूष भी इन गीतों में डूबकर पत्नी की वियोग दशा अनुभव करते थे। इस तरह के राजस्थान में अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। इन्हीं राजस्थानी विरह गीतों में कुरंजा,सुपणा,ओल्यूं, कांगा, सुवटियों, झोरावा, केसरियो बालम आओं की इत्यादि लोकप्रचलित है।

मुख्य शब्द - राजस्थान, राज्य, नारी, गीत, प्रान्त विरह-वेदना, कुरंजा, कुपणा, सुवटियां, ओल्यू , कांगा झोरावा, केसरियाा बालम

प्रस्तावना- राजस्थानी लोकगीत राजस्थान की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। राजस्थान में निवास करने वाली अनेक जातियाँ राजस्थानी लोकगीतों को गाकर-बताकर ही अपना गुजारा करती रही है। कुरंजा, पीपली, रत्नराणों, मूमल, घूघरी, केवड़ आदि लोकगीत जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर आदि क्षेत्रो में गाये जाते है परन्तु अध्ययन से पता चला कि शेखावाटी के लोकगीत जिनमें विरह की मार्मिक दशा का चित्रण हुआ हो स्वरों के उतार चढ़ाव वाले गीत जीवन की वास्तविकता रूप को अंकित करते है। इन गीतों के माध्यम से शेखावाटी क्षेत्र की लोक संस्कृति सामाजिक जीवन और नारी जीवन की सांगों पांग प्रस्तुत की गई है। शोध पत्र का मूल उद्धेश्य वर्तमान महिलाओं का संबंधित जीवन और गौरवशाली प्राचीन काल से नारी आदर्शो को उपस्थित करना रहा है।

लोकगीतों के माध्यम से नारी अपने भावों को कभी पक्षियों के माध्यम से, कभी

• शोधार्थी, अपेक्स विश्वविद्यालय,जयपुर
•• पर्यवेक्षिका, अधिष्ठाता, मानविकी और कला विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय,जयपुर

सपने के माध्यम से हर हाल में अपने पति को सन्देश पहुॅचाने का शानदार चित्रण करती है नारी की तो अन्तरात्मा की आवाज ही ये लोकगीत हैं। अपने राग विराग, प्रेम-घृणा, दुःख की जिन भावनाओं को नारी स्पष्ट नहीं कर पाती उन्हें उसने लोकगीतों के द्वारा गा -गाकर सुना दिया है। लोकगीतों में उसने अपने अन्तस् को खोलकर रख दिया है। जिसमें न कह सकी, न झिझकी और न ही शर्मायी। विरहणी ने अपने विरह-वेदना को पक्षियों से प्रियतम को सन्देश भिजवाना चाहा जिसमें असीम करूणा व मिलन की ललक व्यक्त है।

राजस्थान के मौलिक साहित्य एवं लोकसंगीत की शास्त्रीय सम्मत काव्य धारा ढ़ोला मारू रा दूहां में अभिव्यक्त हुई है और सोरठ छंद को प्रिय छंद मानकर जब इसी सोरठा के नाम से छंद वर्णन अपेक्षित होता है तो कहा जाता है।

सोरठियौ दूहौ भलौ, भल मरवण री बात।
जोबन छाई धण भली, तारां छाई रात।।

तड़पती नारी मन की भावनाएँ शेखावाटी लोकगीतो के बहाने फूट पड़ती है। पुरूष भी इन गीतों मे डूबकर पत्नी की वियोग-व्यथा अनुभव करते है। इस तरह के राजस्थान में अनेक लोकगीत प्रचलित है राजस्थानी विरह लोकगीत 'पीपली' वियोग श्रृंगार के गीत का काव्य सौष्ठव अनूठा है और चुने भावों को प्रकट करने में सक्षम है। यह गीत ''पीपली'' लम्बा मर्म स्पर्शी राजस्थानी विरह गीत है जिसमें पुरूष की धन लिप्सा से आहत नारी मन का करूण क्रन्दन है। यह गीत प्रवासी समाज की भावनाओं के केन्द्र में रहा है। 'पीपली' लोकगीत की अभिव्यक्ति इस प्रकार है-

बाय गया छा भंवरजी पीपली जी, हांजी ढोला हो गई घेर घुमेर।[1]
बैठन की रूत चाल्या चाकरी जी।। परण चढ़या छा भंवरजी गोरड़ीजी,
हांजी ढ़ोला हो गई जोध जुवान, बिलसण री रूत चाल्या चाकरी जी।।
कुण थारा घुड़ला भंवरजी कर दिया जी, हांजी ढ़ोला कुण थानै कस दिया जीन,
कुण्या जीरा हुकमां चाल्या चाकरी।। बड़े बीरै धुड़ला गौरीये कस दिया जीन,
बाबाजी रै कुकमां चाल्या चाकरी जी।। हांजी म्हारी जोड़ी रा भरतार,
मतना सिधारो पूरब की चाकरी जी।। रोक रूपैयों भंवरजी मै बनूं जी,
हांजी ढ़ोला बनजाउॅ पीली म्होर। भीड़ पडै जब मारूजी बरतल्यो जी।।[2]
''केसरिया बालम आओ नी पधारों म्हारै देस,

यह रजवाड़ी विरह गीत है। वह राजस्थान का पर्यटन गीत है, यह राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है जो गणगौर व तीज पर घूमर नृत्य के साथ गाया जाता है। इस गीत में एक विरहणी गायिका अपने अन्तरंग भावों को अभिव्यक्त करती है।

केसरिया बालम आवोनी, पधारो म्हारे देस जी
पियॉ परणी रा ढ़ोला, आवोनी पधारो म्हारे देस।
आवण जावण कह गया, तो कर गया कौल अनेक,
गिणतॉ गिणतॉ घिस गई, म्हारे अगुलियॉ री रेख,
केसरिया बालम आवोनी पधारो म्हारे देस।
साजन साजन मैं करू, तो साजन जीव जड़ी,
साजन फूल गुलाब रौ , सुंधू घड़ी घड़ी,

केसरिया बालम आवोनी, पधारो म्हारे देस जी।
पिया परजी रा ढ़ोला, आवनी पधारो म्हारे देस जी।।[3]

केसरिया बालम यह लोकगीत राजस्थान का बहुत ही विख्यात लोकगीत है। गीत की प्रेरणा ढोला मारू की प्रेम कहानी रही है। ढ़ोला मारू का एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और इनका नाम आज पूरी दुनिया में विख्यात है। यह गीत उनकी प्रेम कहानी की एक छोटी सी झलक है कि कैसे अपने ढोला से दूर हुई मारू अपने ढोला से पुनः मिलन की खुशी में उसके स्वागत में यह गीत गा रही है। इन्ही भावों की अभिव्यक्ति मारू के अवसाद स्मरण करने से अवसाद होता है। भूलने से नही भूलते है ह्रदय भीतर से कह रहा है। तुमने छोड़ दिया है पर मन तो अभी नही करता।

संभरियाँ सँताप बीसरिया न वीसरइ।
कलेजा बिचि, काप , परहर तूँ फापइ नहीं।।[4]

विरहणी नायिका सपने की सच्चाई को स्वीकार करके नीदं में अपने प्रियतम से मिलती है। प्रियतम के केसरिया पगल्या हाथ में प्रेम की प्याला लेकर बैठे हुए चारपाई के दृष्य को इन भावो में व्यक्त करती है।-

सुपनो तो आयो सरब सुलावणों जी,
म्हारी बैयों तलैकर ए जी जाय।
गुठड़ो तो भीजै गोरी रै पांवको जी।
सुपनै में देख्या भँवर जी ने अवतां जी
कोई माथै पचरंग ए जी ए पाग।
हाथां में शीशी प्याला प्रेम का जी।।[5]

लोकगीतों के महिला समाज द्वारा सृजन किये जाने के विषय में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रकाशित क्यूं दीनी परदेस की भूमिका में विजयदान जी देथा ने लिखा है-'लोकगीतों की कलापूर्ण अभिव्यजनाओं का सृजक कौन है और वह सृजन स्वयं को किस प्रकार इतनी सदियों से छिपाये हुए चला आ रहा है लोक गीतों में वर्णित विषयों की महता कल्पनाओं की अनोखी सूझबूझ अंलकारों का सहज ताना-बाना और उनकी अभिव्यक्ति के सामाजिक दायित्व को आत्मसात करते हुए क्या हम सृजक के अस्तित्व का आभास नही लगा सकते? लोकगीतों रूपी भव्य महल के असंख्य गवाक्षों मे से किसी एक गवाक्ष में बैठकर हम अपनी कल्पना से इस महल के वैभवशाली स्वामी का पता नहीं लगा सकते? सच है कि कला में कलाकार अदृश्य है किन्तु अदृश्य होने मात्र से ही कला का कारण अस्तित्व विहीन नही होता। वस्तुतः कलाकार के अनुभूतिमय और संवेदनशील मन में ही कला का जीवन प्रत्यक्ष पाता है और कलाकर अपने को कितना ही छिपाने का प्रयत्न कर ले उसके अस्तिव की झलक निरपेक्षतम कला में भी मिल ही जाती है।'[6]

निष्कर्ष- मेरे पूरे शोध पत्र ब्योरा यह है कि महिलाएं एकदम दयनीय, असहाय, और पराधीन है। आज महिलाओं की दुनिया बदल रही है, नारी चेतना का विकास हुआ है। कई क्षेत्रों के यह पुरूषों के समकक्ष कार्य करती है। शिक्षा साहित्य और समाज में नई ऊचाईयों को छू रही है, पर महिलाओं की दूनिया क्या सचमूच बदली है? आज भी वह वाछित आदर

सम्मान और बराबरी के दर्जे से वंचित है। इसलिए शेखावाटी क्षेत्र में नारी उत्थान, नारी स्वतंत्रता और नारी के अधिकारों के लिए युगकारी परिवर्तन करके विरह- व्यथा को शक्ति और गरिमा से बदलना चाहिए।[7]

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. नानू राम संस्कर्ता, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर-पृष्ठ 37
2. मारवाड़ी गीत संग्रह, सुभाष 'बेघड़क' रूड़मल बुकसेलर, चौमू (जयपुर)-पृष्ठ 360-361
3. केसरिया बालम राजस्थानी लोकगीत, सं. किरण सिंधवी- राजस्थानी ग्रन्थ जोधपुर, पृष्ठ 385
4. ढ़ोला मारू रा दूहा, नरोतमदास स्वामी, सूर्यकरण पारीक, रामसिंह-राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर पृष्ठ 112
5. मारवाड़ी गीत संग्रह, सुभाष बेधड़क-रूड़मल बुकसेलर चौमु राजस्थान पृष्ठ 371
6. राजस्थानी लोक साहित्य, नानूराम संस्कर्ता- राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर पृष्ठ 57
7. स्वयं का सर्वेक्षण और निष्कर्ष।

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' के साहित्य में सांस्कृतिक मूल्य

• साधना सिंह

सारांश- बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' के साहित्य में सांस्कृतिक मूल्य साहित्यिक दृष्टि से प्रभावशाली रहा है। कवि की यह मान्यता रही है कि साहित्य सृजन, कला का निर्माण, नैतिक चिन्तन, दार्शनिक आयोजन, मानवीय, राष्ट्रीय, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य अभिव्यक्ति के मार्ग हैं। बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' बाबू भारतेन्दु युग के अग्रपक्ति के सफल साहित्यकार कहे जा सकते हैं। इस युग में सांस्कृतिक धरातल पर हिन्दी साहित्य में पुर्ननिर्माण की जो प्रक्रिया गतिशील रही थी उस प्रक्रिया में चौधरी प्रेमघन सर्वश्रेष्ठ रचनाकार थे। उनका साहित्यिक कर्म लोक दृष्टि से प्रतिष्ठापरक होने के कारण गरिमामय अवदान के रूप में सदैव स्मरण किया जायेगा। प्रेमघन का योगदान वस्तु जगत को आलोकित करता ही है साथ ही हिन्दी साहित्य जगत के लिए सृजन के क्षेत्र में भी एक अभीष्ट संदेश भी होगा।

मुख्य शब्द - सांस्कृतिक मूल्य, साहित्यिक दृष्टि, कला, नैतिक, धरातल

प्रस्तावना- बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' के साहित्य सृजन की परम्परा में पूरे राष्ट्र में आधुनिक जीवन चेतना का उन्मे'ा हुआ है। रचनागत प्रतिपाद्य की दृष्टि से गद्य का प्रचार-प्रसार देश में व्यापक परिवर्तन क्षण था। साहित्यिक परम्परा की दृष्टि से हिन्दी गद्य की प्रायः सभी विधाओं का श्री गणेश पण्डित बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' के साहित्य सृजन में हुआ है। इस प्रसंग में मेरा अभिमत है कि चौधरी 'प्रेमघन' का साहित्यिक संसार जन-जागरण का संदेश लेकर उपस्थित हुआ था। यही कारण है कि उनके साहित्य के पदार्पण से नागरी भाषा के स्वरूप और विकास में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।

इस लक्ष्य को दृष्टि में रख कर मैंने यह अनुभव किया कि आधुनिक काल की यह सर्वाधिक सशक्त, राष्ट्रोपयोगी और साहित्यिकता की दृष्टि से नव्यतम युग रहा है। इस काल खण्ड के साहित्य में सांस्कृतिक पुर्नजागरण के मूल्यों की प्रधानता विद्यमान थी।

हिन्दी साहित्य के इतिहास का यह काल जिसका प्रतिनिधित्व बाबू भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने किया था वह भारतेन्दु युग के नाम से विख्यात है। हिन्दी साहित्य के अनेक इतिहासकारों ने इस काल खण्ड को अनेक नामों से अभिहित किया है। मिश्र बन्धुओं ने

• शोधार्थी, हिन्दी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, मध्य प्रदेश

इस काल खण्ड को परिवर्तन काल तथा वर्तमान हिन्दी काल का नाम दिया है। आचार्य राम चन्द्र शुक्ल ने गद्य के प्रादुर्भाव की दृष्टि से इसे हिन्दी गद्य साहित्य का प्रर्वतन काल स्वीकार किया है। सांस्कृतिक जनचेतना के पुर्नजागरण के कारण भारतेन्दु युग पुर्नजागरण के नाम से भी ख्यात है। ''प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ सिंह ने इस पुर्नजागरण युग की परिव्याप्ति 'कविवचन सुधा' के प्रकाशन काल सन् 1868 से लेकर सरस्वती के प्रकाशन वर्ष 1900 तक मानी गयी है''।[1]

उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चरण में वाणी के जिन साधकों ने हिन्दी गद्य विधा एवं ब्रज भाषा के पश्चात् खड़ी बोली पद्य को प्राणदान दिया है उनमें 'प्रेमघन' का अन्यतम योगदान रहा है'।[2] हिन्दी साहित्य में आधुनिक काल के प्रथम उत्थान के अन्तर्गत उपाध्याय बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' का हृदय साम्राज्य बहुत व्यापक था। हिन्दी को वे नागरी भाषा के नाम से आख्यायित करते रहे हैं। उनमें नागरी भाषा के प्रति उदारता, भावुकता तथा गम्भीरता की प्रधानता थी। उनका वेशभूषा (पहनावा) सब भारतेन्दु की भाँति था। 'प्रेमघन' भारतेन्दु मण्डल के पुरोधा साहित्यकार थे।

बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' का हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में आत्मसम्मान की भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। आचार्य राम चन्द्र शुक्ल के शब्दों में उपाध्याय जी नागरी को भाषा का नाम मानते थे। उनका कहना था कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा थी, वही नागरी कहलायी। 'बदरी नारायण चौधरी उपाध्याय 'प्रेमघन' के लेखन का युग प्राचीन और नवीन का सन्धि काल था'।[3] भारतीय जन जीवन के विविध रूपों की मार्गमिकता उनके मन में बनी थी। उनका हृदय जनता के हृदय से अभिभिन्न था। 'प्रेमघन' की रचनाओं में यह बात स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है।

बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' का गद्य प्रवर्तन के क्षेत्र में एक विशेष स्थान अंकित है। ऐसे पांडित्यपूर्ण प्रतिभावान के द्वारा हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में 'प्रेमघन सर्वस्व' प्रथम एवं 'प्रेमघन सर्वस्व' द्वितीय भाग की रचना मूल्य सन्निधि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनकी रचना धर्मिता की प्रमुख विशेषता साहित्य उपांगों का श्रीवृद्धि करना रहा है। नाटक, निबन्ध, एकांकी, रूपक, उपन्यास, समालोचना, पत्र-पत्रिका सम्पादन खड़ी बोली में काव्यात्मक मूल्यों का नि'पादन 'आनन्द कादम्बिनी' मासिक पत्रिका तथा 'नागरी नीरद' साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन, आज साहित्यिक उपलब्धियों के कारण ही बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' के साहित्य की प्रयोजनीयता, गुणवत्ता और साहित्यिक मूल्यांकन पाठकों के लिये प्रेरणादायी रहा है।

'प्रेमघन' आधुनिक युग के पुरोधा साहित्यकार थे। उनका साहित्य विपुल है। सन् 1885 ई. गद्य के उन्नायक भारतेन्दु जी के स्वर्गवास होने के पश्चात् देश में राजनीतिक और राष्ट्रीय उत्तेजना का जन्म हो चुका था। सन् 1903 ई. तक के काल खण्ड में 'प्रेमघन' जी ने एक नवीन शिल्प विधि को चुनौती पूर्ण ढंग से स्वीकार कर नया आयाम दिया। उस समय पत्र-पत्रिकाओं में साहित्यकारों के विचार लेखबद्ध हुआ करते थे। हिन्दी साहित्य के इतिहास में 'प्रेमघन' पर हिन्दी इतिहास वेत्ताओं का दृष्टिकोण झलकता है। भारतेन्दु मण्डल की रचनाकारों में पं. बदरी नारायण चौधरी उपाध्याय की लेखन शैली सबसे विलक्षण थी। वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले,

कलम की कारीगरी को समझने वाले लेखक थे। 'प्रेमघन' कभी-कभी ऐसे पेचीदे, मजबून बांधते थे कि पाठक डेढ़-डेढ़ के लम्बे वाक्य में उलझा रह जाता था। अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। समग्रतः इस युग का गद्य साहित्य कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से पर्याप्त वैविध्यपूर्ण एवं समृद्ध रहा है।

पं. बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' के सहयोगी साहित्यकारों में प्रमुख भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, चौधरी 'प्रेमघन', प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, बाबू तोताराम, राधा चरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री, राधाकृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, फ्रेडरिक पिन्काट आदि। हिन्दी गद्य के प्रचार तथा उसमें सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना प्रमुख रही है।

साहित्यिक समालोचना का सूत्रपात 'प्रेमघन' जी ने हिन्दी साहित्य में सर्वप्रथम किया। "समालोचना का सूत्रपात हिन्दी में एक प्रकार से चौधरी साहब ने ही किया। समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उसके गुण, दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्हीं ने चलाई।"

प्रस्तुत शोधसार की दृष्टि से मैं यह कहना उचित समझती हूँ कि 'प्रेमघन' के काव्य में सांस्कृतिक चेतना के मूल में मानव मन की अखण्डता, हृदय का प्रेम और रूप सौन्दर्य उनके सांस्कृतिक मूल्य हैं। कर्म को विशेष महत्व देते हुए चौधरी 'प्रेमघन' ने सांस्कृतिक शक्ति के बल पर साहित्य और राष्ट्र को विजयिनी बनाने का संदेश दिया है। उनका दृष्टिकोण यह रहा है कि सांस्कृतिक संतुलन के बिना सृष्टि का सृजन अधूरा रह जाता है। नागरी भाषा का प्रचार प्रसार, हिन्द, हिन्दू और हिन्दी, बनारस का बुढ़वा मंगल, स्वदेशी स्वीकार, विदेशी बहिष्कार, कांग्रेस की दशा, भारत वर्ष की दरिद्रता 'प्रेमघन' के साहित्य में सांस्कृतिक चेतना की दृष्टि से प्रभावशाली और सक्रिय रही है।

निष्कर्षतः 'प्रेमघन' की सांस्कृतिक धारणा, नैतिक चिन्तन, दार्शनिक आयोजन, साहित्य सृजन तथा कला का निर्माण सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के मार्ग है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरवपूर्ण समृद्धिशाली भव्य रूप के परिचय ने भारतियों में सांस्कृतिक मूल्यों के नवीन भावों को जन्म दिया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. त्रिभुवन सिंह, साहित्यिक निबन्ध, पृष्ठ 59
2. प्रेमघन सर्वस्व, द्वितीय भाग, प्रेमघन भूमिका से उद्धृत अंश, सम्पादक द्वय श्री प्रभारकेश्वर प्रसाद उपाध्याय व श्री दिनेश्श नारायण उपाध्याय, पृष्ठ 07
3. वही , पृष्ठ 07
4. कथन, रामचन्द्र शुक्ल, प्रेमघन सर्वस्व, द्वितीय भाग, प्रेमघन सम्पादक द्वय श्री प्रभारकेश्वर प्रसाद उपाध्याय व श्री दिनेश नारायण उपाध्याय, पृष्ठ 22

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

जनपद पंचायत रीवा में चलने वाली योजनाओं का हिग्राहियों पर प्रभाव

• रविकान्त तिवारी

सारांश- जनपद पंचायत का कार्यकाल सामान्यत: पाँच वर्ष होता है। त्रिस्तरीय ढाँचे मे जनपद पंचायत का अध्यधिक महत्व है। क्षेत्रीय विकास से संबंधित विविध योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में जनपद पंचायत की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विकास खण्ड स्तर पर ग्रामीण जीवन के विविध क्षेत्रों, जैसे कृषि, सहकारिता, पशुपालन, स्वास्थ्य एवं सफाई आदि मे विकास योजनाओं के प्रभावकारी संचालन के लिए कई विस्तार अधिकारी होते है। हालांकि इन अधिकारियों की सेवायें इनके विभागों के द्वारा नियन्त्रित होती है फिर भी ये अधिकारी जनपद पंचायत की देख-रेख मे कार्य करते है। नीति विषयक प्रश्नों मे पंचायत की भूमिका अहम होती है।

मुख्य शब्द - जनपद पंचायत, विकास, सहकारिता, योजना, संचालन

प्रस्तावना- हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है जिसे हम जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के रूप में जानते है। प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होती है जिला पंचायत के अधीन जनपद पंचायते होती जो उस जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में होता है और जनपद के अधीन उस विकासखण्ड की ग्राम पंचायत होती है। जिला पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख मुख्यकार्यपालन अधिकारी होता है, जिसे सी ई.ओ. जिला पंचायत कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है चीफ एक्सिक्यूटिव अफसर इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा आई.ए एस. स्तर के अधिकारी को ही दिया जाता है। राजनीतिक प्रमुख के पद को जिला पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप के सम्बंधित जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने में से करते है। मुख्यत: एक जिला पंचायत में 10 से 20 सदस्य हो सकते है, जो अपने अपने जिला निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते है। वस्तुत: जिले की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतो को जिला निर्वाचन क्षेत्र के रूप में बॉटा जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र में कितने ग्राम पंचायतो को शामिल किया जायेगा, इसका निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है। मूल रूप से इसका आधार जनसख्या होता है। इस प्रकार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का चुनाव सम्बंधित क्षेत्र की जनता करती है। जिला पंचायतो के सदस्यों की बैठक जिसे सामान्य सभा की बैठक कहा जाता है। मुख्यत:

• शोधार्थी, अर्थशास्त्र अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र)

माह में कम से कम एक बार अवश्य होती है। सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक उसी प्रकार जनपद पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, जिसे सी ई.ओ. जनपद पंचायत अर्थात चीफ एक्सिक्यूटिव अफसर जनपद पंचायत कहा जाता है। लेकिन ये आई.ए एस. स्तर के अधिकारी नहीं होते है वरन ग्रेड 2 स्तर के अधिकारी होते है। राजनीतिक प्रमुख के तौर पर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और जनपद सदस्य होते है, जिनका चयन उस जनपद अर्थात विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों को जनपद क्षेत्र में बाटा जाता है, जिसका आधार जनसख्या ही होता है, जिसका निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है। प्रत्येक जनपद क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है। अध्यक्ष एवं अपाध्यक्ष का चुनाव सदस्य अपने में से करते है। ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक गॉव हो सकते है, कितने गॉव होगें, ये जनसख्या पर निर्भर करता है। ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख पंचायत सचिव होता है, जिसे सेक्रेटरी ऑफ पंचायत कहा जाता है, राजनितिक प्रमुख सरपंच होता है, जिसका निर्वाचन सम्बंधित ग्राम पंचायत की जनता के द्वारा किया जाता है। सरपंच के आलावा पंच होते है। विकास कार्यों को गति देने की दृष्टि से प्रत्येक जिला कुछ खण्डों मे विभाजित होता है। प्रत्येक खण्ड के लिए पंचायत का गठन किया जाता है जिसे जनपद पंचायत कहते है।

जनपद पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः पाँच वर्ष होता है। त्रिस्तरीय ढाँचे मे जनपद पंचायत का अध्यधिक महत्व है। क्षेत्रीय विकास से संबंधित विविध योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में जनपद पंचायत की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विकास खण्ड स्तर पर ग्रामीण जीवन के विविध क्षेत्रों, जैसे कृषि, सहकारिता, पशुपालन, स्वास्थ्य एवं सफाई आदि मे विकास योजनाओं के प्रभावकारी संचालन के लिए कई विस्तार अधिकारी होते है। हालांकि इन अधिकारियों की सेवायें इनके विभागों के द्वारा नियन्त्रित होती है फिर भी ये अधिकारी जनपद पंचायत की देख-रेख मे कार्य करते है। नीति विषयक प्रश्नों मे पंचायत की भूमिका अहम होती है।

जनपद पंचायत के कार्य- जनपद पंचायत के निम्न कार्य है-

सामुदायिक विकास- सामुदायिक विकास के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का ग्राम पंचायत, सहकारी संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों तथा जनता के सहयोग से निष्पादन।

कृषि संबंधी कार्य- कृषि उत्पादन मे वृद्धि के लिए कार्य करना, जैसे- सुधरे बीजों का वितरण, सुधरी खाद व उर्वरकों का वितरण एवं उन्हें लोकप्रिय बनाना, कृषि की उन्नत प्राविधियों, प्रणालियों एवं उपकरणों को लोकप्रिय बनाना, फल और सब्जी की खेती को प्रोत्साहन, कृषि प्रयोजन के लिए ऋण की व्यवस्था, पौध-संरक्षण पद्धतियों का प्रचार, सिंचाई हेतु कुओं, तालाबों व छोटे नहरों का निर्माण एवं देखभाल, भूमिगत जल साधनों के उपयोग मे वृद्धि, कृषि कार्य के लिए विद्युत के उपयोग को बढ़ावा, वृक्षारोपण को बढ़ावा, ग्राम वनों को उगाना।

पशुओं एवं मत्स्य कार्य- पशुओं के नस्ल की सुधार की व्यवस्था, भेड़, बकरी, कुक्कुट आदि के पालन को बढ़ावा, पशुओं के लिए सुधरे चारे और खाद्य का उपयोग

आरंभ करना, कृत्रिम रेतन केन्द्रों, प्रथमैमोपचार केन्द्रों छोटे पशु चिकित्सा औषधालयों को आरंभ करना, दुग्ध व्यवसाय और दुग्ध प्रदाय, अंतर्देशीय मत्स्य-कार्य का विकास, दूध के लिए अच्छे पशुओं के महत्व के संबंध मे जनता को शिक्षा देना।

स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी कार्य- चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा को जनता के लिए सुलभ बनाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्रसूति केन्द्रों की व्यवस्था, टीका की सुविधा, महामारियों पर नियंत्रण करना, पीने के पानी की सुविधा तथा गंदे जलों के विकास की व्यवस्था करना, धुआँ रहित चुल्हों के उपयोग को बढ़ावा, शासकीय औषधालयों तथा चिकित्सालयों के काम-काज मे सुधार एवं विकास के लिए कार्य करना।

शिक्षा एवं समाज संबंधी कार्य- प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, देखरेख एवं विस्तार, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र तथा प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों की स्थापना, 6 से 14 वर्ष के बालकों में शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला मण्डल, युवा संगठन तथा कृषक क्लब जैसे संगठनों की स्थापना करना, पुस्तकालयों की व्यवस्था करना, स्वच्छता दलों का गठन, ग्राम सहायकों के लिए प्रशिक्षण एवं उनकी सेवाओं के बेहतर उपयोग के लिए कार्य करना, ग्राम सहायकों के लिए प्रशिक्षण एवं उनकी सेवाओं के बेहतर उपयोग के लिए कार्य करना।

संचार एवं लोक निर्माण कार्य- ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत क्षेत्र के भीतर मार्गों का निर्माण, मरम्मत एवं देखभाल, सहायक सड़कों का निर्माण व देखरेख, जनपद पंचायत भवनों की मरम्मत और चल-अचल संपत्ति की रक्षा।

सहकारिता- आर्थिक विकास को गति देने की दृष्टि से लोकतांत्रिक आधार पर सहकारिता को बढ़ावा देना। सहकारी ऋण समिति, उपभोक्ता, गृह निर्माण, उत्पादक, औद्योगिक कृषि, विपणन तथा बहुउद्देशीय समितियों की स्थापना के माध्यम से अधिक से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करना। मितव्ययिता व अल्प बचत को बढ़ावा देना आदि सहकारिता के क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्य है।

कुटीर उद्योग- कुटीर ग्राम लघु उद्योगों को बढ़ावा देना जनपद पंचायत का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इससे ग्रामीण लोगों को सहायक रोजगार उपलब्ध हो सकेगा और उनका जीवन स्तर उन्नत होगा। लघु एवं कुटीर उद्योग संबंधी उत्पादन, सहित प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था। कारीगरों एवं शिल्पकारों के कौशल में सुधार करना। लघु एवं कुटीर उद्योग संबंधित सुधरे उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना।

महिला एवं शिशु कल्याण कार्य- महिला एवं शिशु कल्याण केन्द्रों, शिल्प, बुनाई एवं सिलाई तथा बने हुए वस्त्रों के निर्माण केन्द्रों की स्थापना करना।

समाज कल्याण कार्य- ग्रामीण गृह निर्माण योजना का क्रियान्वयन। अपंग भिखारियों के भरण-पोषण का कार्य तथा आवारागर्दो पर नियंत्रण करना। स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठनों को मजबूत करना। मद्यपान व अन्य नशीले पदार्थों के सेवन के निषेध का प्रचार करना।

सामान्य कार्य- उक्त कार्यों के अतिरिक्त जनपद पंचायत निम्न सामान्य कार्यों को सम्पादित करती है- त्यौहारों एवं स्थानीय तीर्थ यात्राओं की प्रबंध व्यवस्था। मेलों तथा प्रदर्शनों युक्त मेलों का आयोजन। कांजी हाउसों की स्थापना एवं प्रबंध। पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी कार्य।

रीवा जिले की जनपद पंचायत- रीवा जिले की जनपद पंचायतों का विवरण नीचे तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

क्रमांक	जिला	जनपद पंचायत
1.	रीवा	जनपद पंचायत, रीवा
2.	रीवा	जनपद पंचायत, रायपुर कर्चुलियान
3.	रीवा	जनपद पंचायत, मउगंज
4.	रीवा	जनपद पंचायत, सिरमौर
5.	रीवा	जनपद पंचायत, नईगढ़ी
6.	रीवा	जनपद पंचायत, त्यौंथर
7.	रीवा	जनपद पंचायत, हनुमना
8.	रीवा	जनपद पंचायत, गंगेव
9.	रीवा	जनपद पंचायत, जवा

शोध पद्धति- शोधार्थी द्वारा रीवा विकासखण्ड के 10 पंचायतों का चयन देव निदर्शन विधि से किया गया है। 10 पंचायतों से प्रत्येक पंचायत से 30 हितग्राही परिवारों का देव निदर्शन पद्धति के माध्यम से चयन किया गया है। इन हितग्राही परिवारों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के हितग्राही शामिल हैं। इनमें पुरुष एवं महिला दोनों तरह के हितग्राही सम्मिलित हैं।

तथ्यों का विश्लेषण- साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों को नीचे तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

पारिवारिक विवरण- रीवा विकासखण्ड के 10 पंचायतों का चयन देव निदर्शन विधि से किया गया है। 10 पंचायतों से प्रत्येक पंचायत से 30 हितग्राही परिवारों का सर्वक्षण किया गया है। इन हितग्राही परिवारों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के हितग्राही शामिल हैं। इनमें पुरुष एवं महिला दोनों तरह के हितग्राही सम्मिलित हैं। इनका विवरण सर्वेक्षण से प्राप्त आंकणों से स्पष्ट हो जाता है।

सारणी क्रमांक 01

हितग्राहियों का वर्ग/समुदाय विवरण

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	60	20
2	अनुसूचित जनजाति	108	36
3	सामान्य वर्ग तथा पिछड़े वर्ग	132	44
	योग	300	100

स्रोत –स्वयं सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि सम्पूर्ण हितग्राही में से 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति के परिवार, 36 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा 44 प्रतिशत सामान्य तथा पिछड़े वर्ग के हितग्राही है। जब कि जनपद पंचायत रीवा में 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा शेष पिछड़े एवं सामान्य वर्गो की संख्या है। सम्पूर्ण जनपद पंचायत की जनसंख्या एवं लाभान्वित हितग्राहियों की तुलना करने से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति के हितग्राहियों का प्रतिशत विकासखण्ड की जनसंख्या की प्रतिशत रीवा जनपंद पंचायत में अनुसूचित जनजाति की संख्या के प्रतिशत से 15 प्रतिशत कम है।

जनपद पंचायत में महिला हितग्राहियों की संख्या मात्र 06 प्रतिशत है, जबकि जनपद पंचायत विकास कार्यक्रम के नियमानुसार 30 प्रतिशत महिला हितग्राही होना चाहिए। साक्षात्कार से यह ज्ञात हुआ है कि जिले के महिलाओं को इस क्षेत्र में बहुत कम जागरुकता है और जो ग्रामसेवक एवं सम्बन्धित कर्मचारी जानकारी भी देते है वह केवल पुरुषों तक ही सीमित है। साथ ही महिलायें शासकीय कार्यो से बचना चाहती है। विशेष तौर पर शासकीय ऋण लेने से हितग्राही बचना चाहती है जिससे इनका प्रतिशत कम है।

हितग्राहियों की आयु संरचना- जनपद पंचायत रीवा में सर्वेक्षित हितग्राहियों की आयु सीमा का विवरण सारणियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि शासन की ओर से हितग्राहियों की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। किन्तु उन्हें वयस्क होना आवश्यक है। केवल शोध की दृष्टि से यह तथ्य प्राप्त किया गया है कि किस आयु वर्ग के सदस्यों का अधिक झुकाव अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की और है।

सारणी क्रमांक 02

हितग्राहियों की आयु संरचना

क्रमांक	आयु वर्षो में	संख्या	प्रतिशत
01	20 से 30	90	30
02	31 से 40	102	34
03	41 से 50	69	23
04	50 से 55	93	13
	योग	300	100

स्रोत –स्वयं सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपयुक्त सारणी के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि हितग्राहियों की आयु सीमा का विस्तार 20 से 55 वर्ष तक है इनमें से 20 से 30 वर्ष तक के आयु हितग्राही 90 है जिनका प्रतिशत 30 है। तथा 31 से 40 आयु वर्ग की हितग्राहियों की संख्या 102 है, जिनका कुल हितग्राहियों में प्रतिशत 34 है। इन दोनों वर्गो के ही सर्वाधिक आर्थत 34 प्रतिशत हितग्राही है। 41 से 50 आयु वर्ग के 23 तथा 50 से ऊपर के केवल 13 प्रतिशत

हितग्राही है। इस विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि 20 से 40 वर्ष आयु के हितग्राहियों ने अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास किया है।

शैक्षणिक स्थिति- रीवा जनपद पंचायत जिला के मुख्यालय में स्थित है। कारण से इस जनपद पंचायत की शैक्षणिक स्तर जिले के अन्य जनपद पंचायतों की अपेक्षा अधिक है। सर्वेक्षित हितग्राहियों की शैक्षणिक स्थिति का विवरण सारणी में दर्शाया गया है शोध कार्य में यह जानना आवश्यक है कि लाभान्वित हितग्राहियों में कितने साक्षर हैं एवं कितने शिक्षित हितग्राही हैं, उनके आर्थिक स्थिति पर शैक्षणिक स्थिति का प्रभाव कहाँ तक पड़ा है।

सारणी क्रमांक 03

हितग्राहियों की शैक्षणिक स्थिति

क्रमांक	शैक्षणिक स्तर	संख्या	प्रतिशत
1	अशिक्षित	120	40
2	प्राथमिक	75	25
3	मिडिल	45	15
4	हाई स्कूल	24	08
5	हायर सेकेण्डरी स्नातक	30	10
6		06	02
	योग	300	100

स्रोत –स्वयं सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपयुक्त सारणी के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि सर्वेक्षित हितग्राहियों का 40 प्रतिशत भाग अशिक्षित है तथा 25 प्रतिशत हितग्राही केवल प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त किये है। वास्तविक रुप से 15 प्रतिशत मिडिल 8 प्रतिशत हाई स्कूल, 10 प्रतिशत हायर सेकेण्डरी तथा मात्र 2 प्रतिशत स्नातक हितग्राही है। यहां के अशिक्षित हितग्राहियों में अधिकांश अनुचूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राही हैं। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी तक शिक्षित हितग्राहियों में अधिकांश सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के हितग्राही हैं। जबकि स्नातक स्तर तक के शिक्षित हितग्राहियों में केवल सामान्य वर्ग के हितग्राही हैं। यह कार्यक्रम गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु है। गरीबी, अशिक्षा तथा परिवार के वृहद आकार का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जनसंख्याशास्त्रियों के अनुसार ये तीनो घटक एक- दूसरे पर सकारात्मक प्रभाव डालतें हैं। सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि शिक्षित हितग्राहियों ने प्राप्त ऋण एवं अनुदान का सही उपयोग किये है। ये वर्ग अपनी आर्थिक सिथिति को सुदृढ़ करने के लिए अपनी आय–व्यय का सही लेखा–जोखा तैयार करके व्यवसाय में लाभ अर्जित किये है। इसके साथ ही यह पाया गया कि शिक्षित हितग्राही ही ऋण वापसी में अधिक उत्साह

दिखाये है। जबकि अशिक्षित वर्ग के कुछ हितग्राही तो एक भी किस्त जमा नहीं किये है सर्वेक्षण से पता चला कि इस वर्ग के लोग यह मानते है कि यह राशि मुझे मुफ्त में मिली है सरकार हमारे उत्थान के लिए यह राशि देती है तो वापस करने की क्या आवश्यकता है। इस तरह आर्थिक स्थिति पर शैक्षणिक स्थिति का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

हितग्राहियों के परिवार का आकार- सर्वेक्षित हितग्राहियों के आर्थिक स्थिति पर परिवार के आकार का भी प्रभाव पड़ता है। जो निम्न सारणी से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

सारणी क्रमांक 04

हितग्राहियों परिवार का आकार

क्रमांक	शैक्षणिक स्तर	संख्या	प्रतिशत
1	3 से 5	114	40
2	6 से 8	150	25
3	8 से 12	36	15
	योग	300	100

स्रोत -स्वयं सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपयुक्त सारणी के विश्लेषण से यह परिलक्षित होता है कि 38 प्रतिशत हितग्राहियों के परिवारों की सदस्य संख्या 3 से 5 तक है। 6 से 8 सदस्यों वाले परिवार 50 प्रतिशत है। हितग्राहियो में सर्वाधिक संख्या इन्हीं परिवारों की है। 12 प्रतिशत में 8 से 12 तक सदस्य संख्या पाई गई है और ये सभी अशिक्षित एवं निर्धनतम परिवारों के है।

आय एवं रहन सहन का स्तर- जनपद पंचायत रीवा के गामीण विकास कार्यक्रम का हिताग्राहियों के आय एवं रहन-सहन के स्तर पर भी प्रभाव पड़ा है। जिले के सर्वेक्षित हितग्राहियों से प्राप्त आकड़ों से जनपद पंचायत रीवा का योगदान दृष्टिगोचर होता है।

सारणी क्रमांक 05

हितग्राहियों का व्यवसाय

क्रमांक	व्यवसाय का विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	कृषि कार्य	60	20
2	कृषि श्रमिक	60	20
3	गैर कृषि श्रमिक	42	14
4	ग्रामीण दस्तकार	75	25
5	स्वनियोजित कार्य अन्य कार्य	54	18
6		09	03
	योग	300	100

स्रोत -स्वयं सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

सारणी क्रमांक 05 में जनपद पंचायत रीवा के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले 300 परिवारों के वयवसाय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस सारणी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि हितग्राहियों में से सर्वाधिक 20.0 प्रतिशत परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य एवं मजदूरी करना है। गैर कृषि श्रमिक 14 प्रतिशत एवं ग्रामीण दस्तकार 25 प्रतिशत स्वनियोजित कार्य में 18 प्रतिशत एवं अन्य कार्य में 03 प्रतिशत संलग्न है। अन्य कार्यों के अन्तर्गत रिक्सा चालक ,भवन निर्माण एवं अन्तर्गत बढ़ईगीरी, नाईगीरी, लोहारी, कुम्हारी, राजगीरी, कालीन बुनाई दरी बुनाई, रस्सी बनाना एवं ईट निर्माण का कार्य करते है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. आयंगर, एम.ए., (1967), ट्राइबल एण्ड रूरल लीडरशिप इन इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, मुम्बई
2. बंग, ठाकुर दास, (1997), हमारे गांव में हम सरकार, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी
3. बेटिले एन्ड्रे, (1969), ''कास्ट क्लास एण्ड पावर'', आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मुम्बई
4. अग्रवाल, एस.एन., (1946), गॉधियन कन्स्टीट्यूशन फार फ्री इण्डिया, इलाहाबाद, किताबिस्तान
5. अग्रवाल, उमेश चन्द्र, (2000), राजनीति और प्रशासन में महिलाएॅं, एक समीक्षा, प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका, मुद्रक एवं प्रकाशक महेन्द्र जैन, पृ. 61-64।
6. अग्रवाल, उमेश चन्द्र, (2000), राजनीति और प्रशासन में महिलाएॅं, 'योजना', मासिक पत्रिका, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, दिसम्बर, पृष्ठ - 14-19
7. चैम्बर्स, आर., (1983), सरल डेवलपमेन्ट, पुटिंग द लास्ट फास्ट, लण्डन, लांगमैन
8. दत्त, विजय रंजन (2009), ग्राम स्वराज योजना और पंचायती राज की आधारशिला, योजना, मासिक पत्रिका, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, अक्टूबर, पृ. 43-46
9. दत्त, विजय रंजन, (1997), पंचायती राज संकल्पना और वर्तमान स्वरूप, सर्व संघ प्रकाशन, वाराणसी
10. द्विवेदी, राधेश्याम, (1999), जिला सरकार का कानून, सुविधा लॉ हाऊस, भोपाल।

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

स्त्री की बदलती तस्वीर का साक्षी हिन्दी उपन्यास

• अनिता प्रजापत

सारांश- आधुनिक युग में नारी के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आया है और स्त्री खुद भी अपनी लड़ाई लड़ने की संकल्प शक्ति से युक्त हो रही है। आज की यह नारी पूरे आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ अपना अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष की राह पर है। साहित्यकारों की कलम ने भी स्त्री के संकल्प को पूरा करने में भरपूर सहयोग और संबल दिया है। उन्होंने माना है कि विवाह, पति और बच्चों से अलग भी औरत का अस्तित्व है। औरत की जिंदगी सिर्फ पुरुष की तलाश नहीं है, उसकी अपनी भी सार्थकता है। इस सार्थक जिंदगी के लिए प्रयासरत संघर्षशील औरत की नई छवि का चित्रण नए उपन्यासकारों ने किया है।

मुख्य शब्द - सार्थक, समुदाय, स्त्री, सहयोगी, पैरोकार, संघर्ष

प्रस्तावना- मनुष्य की सभ्यता का इतिहास पुरुष को केंद्र में रखकर पुरुष द्वारा अपने समुदाय के हितों की रक्षा के लिए लिखा गया है, जहाँ स्त्री की सार्थकता पुरुष की सहयोगी मात्र के रूप में रही है। आदिकाल से आधुनिक काल तक के हिंदी साहित्य को देखें तो ज्ञात होता है कि कभी स्त्री राजाओं के प्रेम और श्रृंगार का आश्रय थी तो कभी वह एक वस्तु थी जिसे पाने के लिए राजा लोग शक्ति प्रदर्शन करते थे। कभी उसे सौंदर्य, विलास, सत्ता और समृद्धि की प्रतिमूर्ति बनाकर प्रणयी पुरुष को रिझाने का साधन मात्र मान लिया गया है। आधुनिक काल में समाज सुधारकों के प्रयास, स्त्री-शिक्षा का प्रसार एवं स्त्री की स्थिति बेहतर बनाने के लिए कानूनी अधिकारों का प्रावधान आदि के फलस्वरुप साहित्य भी स्त्री-मुक्ति का पैरोकार दिखाई देता है।

भारतीय समाज नारी के परिवर्तन के प्रयासों को संस्कृति का अवमूल्यन मानकर बराबर खारिज करता आया है और आज भी कर रहा है। समाज में ही नहीं साहित्य में भी यही संस्कार काम कर रहा है। साहित्यिक कृति में, स्थापित मूल्यों के विखंडन को अभारतीय या पश्चिमी भाव-बोध से संचालित बताकर खारिज किया जाता रहा है। इस प्रकार एक लंबी अवधि तक साहित्य में स्त्रियाँ कठपुतलियाँ हैं, हाशियाग्रस्त है और स्त्रियोचित मूल्यों की संवाहक है। साहित्य में स्त्री की छवि धीरे-धीरे बदलती है, जब साहित्य लेखन में महिलाओं की एक सशक्त पीढ़ी उतरती है, विशेषकर उपन्यास लेखन में। हिंदी उपन्यास में विगत वर्षों में नारी की स्थिति और छवि में आए बदलाव का ग्राफ बहुत साफ तौर पर देखा जा सकता है। औरत ने अपने औरत होने के पारंपरिक अर्थ को

• सहायक आचार्य हिन्दी, भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्री गंगानगर

बदला है। शिक्षा और कानून के प्रति जागरुकता ने उसे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता दी है, जिसकी अभिव्यक्ति उपन्यासों में दिखाई देती है।

आज स्त्री परिवार, समाज, राजनीति, साहित्य, कला, व्यवसाय सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। परिवार में वह पढ़ी-लिखी सुसंस्कृत आदर्श गृहणी है, तो व्यवसाय में कुशल संचालिका। अनेक राजनीतिक, प्रशासनिक पदों पर वह आसीन है। प्रत्येक कार्यभार के हर उत्तरदायित्व को वहन करने में वह सक्षम व तत्पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में उसका संघर्ष बहुत बड़ा रहा है और आगे भी जारी है। जो तस्वीर बदली है, वह भी संपूर्ण नहीं है। वहाँ पर भी अनेक स्तर है। कुछ स्त्रियाँ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं, अपनी सफलता के परचम लहरा रही है। कुछ अभी संघर्ष की राह पर कदम बढ़ा ही रही है। और कुछ अभी भी अन्याय, शोषण, असमानता, रूढ़ियों की जकड़न, प्रताड़ना का जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। उनके संघर्ष की राह की शुरुआत अभी बाकी है। प्रभा खेतान लिखती हैं, ''तमाम कठिनाइयों के बावजूद आज की स्त्री की दृष्टि में उसका भविष्य जितना सुखद और रोचक है, उतना उसका अतीत कभी नहीं रहा। वर्तमान के आधार पर ही कहा जा सकता है कि हम स्त्रियों का अतीत सुखद नहीं था। क्या था हमारे अतीत में? चिताओ पर जलती हुई औरतें। घूँघट की आड़ में रोती घुटती हुई औरतें। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए तरसती हुई औरतें। समाज के नियम इतने कठोर कि विरोध में स्त्री का एक भी शब्द बोलना नामुमकिन।''[1]

आजादी के बाद के साहित्य में, विशेषकर उपन्यासों में स्त्री के अस्तित्व को, पुरुष के समान ही हर क्षेत्र में उसकी भागीदारी की आवश्यकता को स्वीकार किया जाने लगा। कमलेश्वर अपने उपन्यास 'काली आंधी' में लिखते हैं, ''देश के निर्माण में औरतों को भी आगे आना चाहिए। औरतें यानी हमारी आधी जनसंख्या जब तक इस तामीर में हाथ नहीं बटाएँगी, तब तक हर काम की स्पीड आधी रहेगी। यह बेहद जरूरी है कि हमारे घरों की औरतें आगे आएँ और हर काम में मर्दों का हाथ बटाएँ।''[2]

आज स्त्री अपने व्यक्तित्व को नए सिरे से पहचानने और पाने की कोशिश कर रही है। वह रिश्तों, समाज, परिवार एवं परिवेश में अपनी नई भूमिका तय कर रही है, एक नई व्याख्या कर रही है। स्त्री-चेतना, स्त्री-स्वतंत्रता, स्त्री-अस्मिता आदि प्रश्नों पर विचार प्रारंभ हो गया है। स्त्रीत्व का अपमान, अधिकारों की अवहेलना, दोयम दर्जे का व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। अब तक भारतीय नारी ने दुख को नियति मान सदैव स्वीकार किया है। लेकिन अब वह अधिक जागरुक, सचेत होकर सम्मान, सहयोग की मांग कर रही है। 'वही बात' उपन्यास में कमलेश्वर ने औरतों के आत्मसम्मान की जिंदगी जीने के अधिकार के पक्ष में लिखा था, ''औरत को अपनी जिंदगी जीने का हक क्यों नहीं? हम कब तक उसे बेइज्जत करते रहेंगे?''[3]

भारतीय स्त्री के चरित्र में जो परिवर्तन आ रहा है, उसकी झलक नरेश मेहता के उपन्यास 'उत्तरकथा' के पात्र सरो और दुर्गा के चरित्रों में देखी जा सकती है। दुर्गा विश्वास, धैर्य, सहनशीलता, सदाशयता और चट्टानी दृढ़ता की सजीव मूर्ति के रूप में सामने आती है। क्षितिज शर्मा के उपन्यास 'उकाव' की प्रमुख पात्र श्यामा का अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष

उसकी दुर्धर्ष जीवनी-शक्ति और अपने लक्ष्य पर पहुँचने की जिद आज की उभरती नारी शक्ति की परिचायक है।

उच्चतर शिक्षा ने स्त्रियों को स्वावलंबी बनाया है, उन्हें अपनी अस्मिता और अधिकारों के प्रति जागरुक बनाया है। उनमें परंपरागत नारी संहिता और संस्कारों के प्रति विद्रोह का भाव पैदा हुआ है। उषा प्रियंवदा के 'रुकोगी नहीं राधिका' उपन्यास की राधिका आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व करती है, जो परंपरागत मूल्यों और नैतिक तथा आचरणगत विधान को स्वीकार नहीं करती। वह किसी संकोच, कुंठा या अपराधबोध से ग्रस्त नहीं होती। अनेक बाधाओं के बीच निरंतर मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो रही आधुनिक नारी की कथा राधिका के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

परंपरागत भारतीय समाज में पत्नी का पति से अलग कोई व्यक्तित्व नहीं होता। समस्त संवैधानिक अधिकारों के बावजूद भारतीय स्त्री चाहे वह शिक्षा प्राप्त और उच्च पदाधिकारी ही क्यों न हो, पारिवारिक और सामाजिक शोषण की शिकार बनी हुई है। पति पत्नी को अपनी चीज समझता रहा है और पत्नी भी पति की अनुगता होना अपना धर्म मानती आई है। लेकिन अब दांपत्य-जीवन का यह संतुलन बिगड़ रहा है, जब स्त्री अपने पति की तुलना में अधिक या समान योग्य और आर्थिक ष्टि से स्वतंत्र हो रही है। इस नई परिस्थिति में आज की नारी की भूमिका भी नए रूप में तय की जा रही है। नासिरा शर्मा अपने उपन्यास 'शाल्मली' में कहती है, ''मेरा विश्वास न घर छोड़ने पर है, न अपने को किसी एक के लिए स्वाहा करने में है। मैं तो घर के साथ औरत के अधिकार की कल्पना भी करती हूँ और विश्वास भी।''[4]

औरत की भूमिका, जिम्मेदारी, संबंध आदि विषयों पर अनेक उपन्यासकारों ने नई दृष्टि से विचार किया है। 'ठीकरे की मँगनी' उपन्यास में नासिरा शर्मा लिखती है, ''एक घर औरत का अपना भी तो हो सकता है, जो उसके बाप और शौहर के घर से अलग, उसकी मेहनत और पहचान का हो। सवाल रास्ता चुनने का और उस पर दृढ़तापूर्वक चलने का है।''[5] 'अर्धनारीश्वर' उपन्यास में विष्णु प्रभाकर परंपरागत नारी संहिता से परिचालित संपूर्ण नारी नियति का विश्लेषण करके नया निष्कर्ष देते हैं, ''नर-नारी को न तो एक दूसरे की दासता करनी है, न एक-दूसरे में खो जाना है, न एक-दूसरे पर अपने को आरोपित करना है। बस अपना-अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हुए एक-दूसरे से जुड़ना है, अर्धनारीश्वर की तरह।''[6] चित्रा मुद्गल के उपन्यास 'एक जमीन अपनी' की एक पात्र कहती है, ''मैं पत्नी नहीं, सहचरी बनना चाहती हूँ। पत्नी शब्द में मुझे दासीत्व की बू आती है।''[7]

आजादी के बाद से स्त्री-जीवन से जुड़ी समस्याओं, मुक्ति के प्रश्नों को अनेक स्त्री-पुरुष लेखकों द्वारा उठाया गया। स्त्री स्वतंत्रता, समानता की बात कही गई। बदलते परिवेश के साथ बदलती स्त्री छवि को चित्रित किया गया। 21वीं सदी में आकर यह परिवर्तन अधिक दिखाई देने लगा। नई सदी की स्त्रियाँ युगों-युगों से चली आती व्यवस्था को अधिक तीव्र चुनौती दे रही है, उनके प्रश्न अधिक धारदार और तीखे हैं। रजनी गुप्त के उपन्यास 'एक न एक दिन' की नायिका पुरुष द्वारा औरतों पर अधिकार जताने के प्रति आक्रोश और विद्रोह प्रकट करते हुए कहती है, ''आखिर किसने थमाए एक व्यक्ति के

हाथों में इतने अनंत अधिकार? क्यों ये व्यवस्था हमेशा औरत पर ही छींटाकशी के मौके ढूँढती रहती है? महज सात फेरे लेने से क्यूँकर एक पुरुष किसी भी स्त्री का सर्वांग मालिक बन जाएगा? स्त्री की सारी सोच, सारी क्षमताएँ और सारी ऊर्जा क्यूँकर एक पुरुष के इर्द-गिर्द चक्कर काटकर वहीं थम जाने के लिए अभिशप्त है?"[8] मधु काँकरिया के उपन्यास 'सेज पर संस्कृत' की नायिका संघमित्रा नारी स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करते हुए स्त्री शोषण के खिलाफ डटकर खड़ी होती है। अपने बॉस को वह दो टूक जवाब देती है। यहाँ तक कि वह नौकरी से त्यागपत्र भी लिख देती है। वह अपनी रक्षा में कहती है, 'नहीं सर, मैं इस गंदगी में लोट नहीं लगा सकती। मैं इस हवा पानी की जीव नहीं। यदि मैं आत्मविहीन हो गई, मेरा स्वाभिमान पराजित हो गया, गर्दन मरोड़ दी गई उसकी तो कितनी दूर जा पाऊँगी मैं? अब जीवन ही हाथ से निकल जाएगा तो जीविका लेकर क्या करूँगी मैं?"[9] यहाँ स्त्री समाज द्वारा दी गई यातनाओं, प्रताड़नाओं और दैहिक त्रासों के आगे किसी भी स्थिति में झुकने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ उनका भरपूर प्रतिकार करती है।

उपभोक्ता संस्कृति और बाजारवाद की चकाचौंध ने स्त्रियों को भी भ्रमित किया है। आज से पूर्व वह पुरुष के एकाधिकार के कारण वस्तु समझी जाती रही है। लेकिन अब वह सुविधाओं, साधनों, उच्चाकांक्षाओं के कारण स्वयं को वस्तु के रूप में बिकाऊ स्थिति में डाल रही है और इसके लिए कोई और नहीं, वह स्वयं जिम्मेदार है। कमल कुमार अपने उपन्यास 'पासवर्ड' में कहती है, "आदिकाल से आज तक औरत की देह पुरुष की तुष्टि के लिए और अपनी जरूरतों के लिए, उनकी पूर्ति के दूसरे साधनों के अभाव में बिकाऊ रही है, लेकिन अब सुविधाओं और साधनों के लिए वह बिकाऊ हो रही है। बड़ा जटिल सवाल है। आज 21वीं सदी में, औरत वहीं खड़ी है, फिर से देह और बिकाऊ बनी।"[11] लता शर्मा के उपन्यास 'सही नाप के जूते' में आधुनिक नारी के कमोडिटी के रूप में परिणत होने, खुद को बिकाऊ स्थिति में डालने का चित्रण हुआ है। "मुक्त अर्थव्यवस्था के सामने नाच रही है अर्धनग्न स्त्री देह"[12] कहकर उपन्यासकार ने मुक्त बाजार की उपभोक्ता संस्कृति में महत्वाकांक्षाओं के सामने लाचार होकर एक स्त्री के अपने बचपन और कैशोर्य का बहुत कुछ खोने का यथार्थ चित्रण किया है।

नई सदी की स्त्री जिस रूप में अपनी जिंदगी जी रही है, उसकी जिम्मेदारी वह स्वयं लेती है। यह स्त्री पूरे सच के साथ स्वयं को स्वीकार करती है, स्वयं पर विश्वास करती है। जयंती के उपन्यास 'खानाबदोश ख्वाहिशें' की निधि कहती है, "मैंने जो किया, कहा और जिया, उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाती हूँ। मुझ में किसी किस्म का गिल्ट नहीं। मैं औरों जैसी नहीं बन सकी, ना बनने की कोशिश की और ना ही बनना चाहूँगी। कोई मुझ जैसा बनना चाहे, इसकी भी आकांक्षा नहीं। मैं जैसी हूँ, मैं हूँ, अपने पूरे सच के साथ। मैं निधि!"[12] आगे वह कहती है- ... मैं भी कुछ दिनों पहले तक मानती थी कि औरत को पुरुष दिशा देता है। मैं अपनी तलाश में बहुत भटकी। बहुत पुरुषों में सहारा ढूँढा। पर मिला तो अपने ही कंधों पर।... हम हर पुरुष में एक आदर्श ढूँढते हैं। सब किताबी बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता।"[13]

इस प्रकार आधुनिक युग में नारी के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आया है और स्त्री खुद भी अपनी लड़ाई लड़ने की संकल्प शक्ति से युक्त हो रही है। आज की यह नारी पूरे आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ अपना अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष की राह पर है। साहित्यकारों की कलम ने भी स्त्री के संकल्प को पूरा करने में भरपूर सहयोग और संबल दिया है। उन्होंने माना है कि विवाह, पति और बच्चों से अलग भी औरत का अस्तित्व है। औरत की जिंदगी सिर्फ पुरुष की तलाश नहीं है, उसकी अपनी भी सार्थकता है। इस सार्थक जिंदगी के लिए प्रयासरत संघर्षशील औरत की नई छवि का चित्रण नए उपन्यासकारों ने किया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. प्रभा खेतान, निषेध और अमूर्तन में फँसा 'स्त्रीत्व का मानचित्र' हंस, सितंबर 2000, पृ.33
2. कमलेश्वर, समग्र उपन्यास, काली आँधी, सं. 2011, राजपाल एंड सन्स, नई दिल्ली, पृ.366
3. कमलेश्वर, समग्र उपन्यास, वही बात, सं. 2011, राजपाल एंड सन्स, नई दिल्ली, पृ.557
4. प्रो. गोपालराय, हिन्दी उपन्यास का इतिहास, सं. 2010, राजकमल प्रकाशन, पृ. 423
5. वही, पृ. 424
6. वही, पृ. 425
7. वही, पृ. 426
8. रजनी गुप्त, एक न एक दिन, सं. 2008, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली-2, पृ. 171
9. मधु काँकरिया, सेज पर संस्कृत, सं. 2008, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली-2, पृ. 159
10. कमल कुमार, पासवर्ड, सं. 2013, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली-2, पृ. 20
11. पुष्पपाल सिंह, 21वीं शती का हिन्दी उपन्यास, सं. 2016, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 171
12. जयन्ती, खानाबदोश ख्वाहिशें, सं. 2009, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली-2, पृ. 190
13. वही, पृ. 190

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

हितग्राहियों की आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण (जनपद पंचायत रीवा के विशेष संदर्भ में)

• रविकान्त तिवारी

सारांश- म.प्र में 73 वे संविधान संशोधन (1992) को लागू करने के लिए 30 दिसम्बर 1993 को म.प्र पंचायती राज अधिनियम 1993 रखा गया, जिसे 25 जनवरी 1994 को पारित किया गया और 20 अगस्त, 1994 को लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तर है। सभी तीनों स्तरों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रस्तुत शोध पत्र में जनपद पंचायत जिला रीवा के हितग्राहियों की आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द - हितग्राहियों की आर्थिक पृष्ठभूमि, पंचायती राज अधिनियम, नियोजित विकास।

प्रस्तावना- स्वतंत्रता के बाद, भारत में नियोजित विकास का आरंभ प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ सन 1951 में हुआ। देश के नियोजित विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग को देश के विकास के संबंध में नीतियाँ बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी। तब से लेकर अब तक, देश के विकास की प्रक्रिया में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव विकास की अवधारणा से भी काफी हद तक प्रभावित रहे।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा के कार्यक्रमों के अध्ययन हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। दिसंबर, 1957 में इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा की असफलता का मुख्य कारण स्थानीय स्तर लोकतंत्रिक जन प्रतिनिधि का अभाव रहा है। समिति के यह भी मत था कि वह कार्यक्रम केंद्र द्वारा निर्धारित किया गया था और इसके लिए आवश्यक संसाधनों का भी अभाव रहा। यह कार्यक्रम पूर्ण रूपेण ऊपर से नीचे की ओर रहा तथा जन सामान्य की भागदारी, कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया में नगण्य रही है। अफसरशाही का इस संपूर्ण कार्यक्रम पर अत्यधिक बोलबाला रहा। साथ ही इस सम्पूर्ण कार्यक्रम कार्यक्रम में जन-सामान्य की सक्रिय भागदारी के बराबर रही।

समिति का यह भी मत था कि स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधि संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए तथा विकास संबंधी कार्यों को इन संस्थाओं को प्रदत्त कर देना चाहिए। मेहता समिति ने ग्रामीण स्थानीय सरकार के निर्माण के लिए एक

• **शोधार्थी, अर्थशास्त्र अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र)**

त्रि–स्तरीय व्यवस्था की संस्तुति की जो पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानी गई। दूसरे दशक (1960–70) के आरंभ में जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, देश भर में पंचायती राज संस्थाएँ स्थापित कर दी गयी। पर धीरे– धीरे सारा जोश ठंडा होता चला गया। सारा नियंत्रण सरकार ने अपने हाथों में रखा। इस दशक के अंत तक पंचायतें मृतप्राय सी हो गयी। पांचवे दशक (1990 से वर्तमान तक) में आठवीं एवं नवीं पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य भूमिका रही। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने स्वीकारा की अभी तक जो उसने विकास की प्रक्रिया अपनाई उससे वांछित परिणाम समाने नहीं आए। बल्कि, लोगों की सरकार पर निर्भरता बढ़ती चली गयी। अब समय आ गया है कि लोग अपने विकास की प्रक्रिया में स्वयं आगे आयें और पहल करें। सरकार मात्र सहायक के रूप में कार्य करें। मुख्य भूमिका जन समुदाय की होनी चाहिए। यह स्वीकार करने के बाद सन 1992 में सरकार ने इस संबंध में स्पष्टता हेतु चिमनभाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति ने संस्तुति की इस प्रकार की प्रक्रिया को यदि हमें आगे ले जाना है और उसे मूर्त रूप प्रदान करना है ब्लॉक स्तर पर या जिले स्तर पर, उसमें जन समुदाय की सक्रिय भागदारी हो। इस इच्छाशक्ति को दर्शाते हुए सरकार सन 1992 में संविधान में दो संशोधन किए गए। संविधान का तिहत्तरवाँ संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है एवं चौहत्तरवाँ शहरी क्षेत्रों से। मध्यप्रदेश में 30 दिसंबर 1993 को मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 रखा गया। 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में लागू हुआ।

शोध पद्धति– शोधार्थी द्वारा रीवा विकासखण्ड के 10 पंचायतों का चयन देव निदर्शन विधि से किया गया है। 10 पंचायतों से प्रत्येक पंचायत से 30 हितग्राही परिवारों का देव निदर्शन पद्धति के माध्यम से चयन किया गया है। इन हितग्राही परिवारों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के हितग्राही शामिल हैं। इनमें पुरुष एवं महिला दोनों तरह के हितग्राही सम्मिलित हैं।

हितग्राहियों की चयन प्रक्रिया- योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। इसके अन्तर्गत निम्न लिखित चरण अपनायें जातें है ।

1. सर्वेक्षण द्वारा निर्धन एवं निर्धनतम परिवारों की सूची तैयार करना।
2. विकास खण्ड अधिकारी द्वारा ग्राम सभा की बैठक बुलाना ।
3. ग्राम सभा की बैठक में हितग्रहियों का चुनाव करना।
4. चयनित व्यक्तियों की सूची ब्लाक आफिस ग्राम पंचायत या अन्य सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करना।
5. ऋण प्रकरण तैयार करना तथा उनकी स्वीकृत कराकर हितग्राहियों को प्रदान करना।

तथ्यों का विश्लेषण- साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों को नीचे तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

सारणी क्रमांक 01

पारिवारिक वार्षिक आय

क्रमांक	वार्षिक आय	हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत
1	4000रु. से 5000रु.तक	105	35
2	5000रु. से 6000रु.तक	36	12
3	6000रु. से7000रु.तक	60	20
4	7000रु. से 8000रु.तक	39	13
5	8000रु. से 9000रु.तक	30	10
6	9000रु. से 10000रु.तक	24	8
7	10000रु. से 12000रु.तक	06	2
	योग	300	100

स्रोत –स्वयं सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि हितग्राहियों की वार्षिक आय का विस्तार 4000 से 12000रु. तक है। इनमें से 35 प्रतिशत की वार्षिक आय रु. 4000 से 5000 तक, 12 प्रतिशत हितग्राहियों की वार्षिक आय 5000 से 6000 रु तक, 20 प्रतिशत हितग्राहियों की आय 6000–7000 रु. तक, 13 प्रतिशत हितग्राहियों की वार्षिक आय 6000 से 8000 रु. तक, 10 प्रतिशत हितग्राहियों की वार्षिक आय 8000 से 9000रु. है, 8 प्रतिशत हितग्राहियों की वार्षिक आय 9000 से 10000 रु. है तथा 2 प्रतिशत हितग्राहियों की वार्षिक आय 10000 से 12000 रु. है।

सारणी क्रमांक 02

हितग्राहियों की आवास स्थिति

क्रमांक	आवास विवरण	हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत
1	आवासहीन	–	–
2	झोपड़ी	30	10
3	कच्चा मकान	210	70
4	कच्चा–पक्का मिश्रित	39	13
5	पक्का	21	7
	योग	300	100

स्रोत –स्वयं सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि अधिकांश हितग्राहियों के पास आवास उपलब्ध है सर्वेक्षित हितग्राहियों में 10 प्रतिशत हितग्राही झोपड़ी में रहते हैं यह झोंपड़ी जिनकी घांस ,फूस ,बास आदि से बनी होती है। हितग्राहियों का सर्वाधिक 70 प्रतिशत कच्चे मकानों में निवास करते है, 13 प्रतिशत हितग्राही कच्चा–पक्का निर्मित मकानों में निवास करते है इस वर्ग के अधिकांश हितग्राही नगरीय क्षेत्र के निवासी है। जो कि व्यवसायी वर्ग के है केवल 7 प्रतिशत हितग्राही पक्के मकानों में निवास करते है। यद्यपि ये हितग्राही गरीबी रेखा के ऊपर के आय वर्ग के है। सर्वेक्षण से प्राप्त तत्वों से यह भी ज्ञात होता हैं कि हरिजन आदिवासी हितग्राहियों के आवास झोपड़ी एवं कच्चे मकान के रुप में है।

सारणी क्रमांक 03

हितग्राहियों की आर्थिक सम्पन्नता

क्रमांक	नाम वस्तु	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
1	स्कूटर	06	02
2	टी.वी	90	30
3	टेप रिकार्ड	15	05
4	ट्रंजिस्टर	60	20
5	साइकिल	120	40
6	सोफा	03	01
7	आलमारी	24	08
8	इलेक्ट्रिक फैन	60	20
9	कलाई घड़ी	180	60
10	अन्य (गर्म कपड़े, कुकर ,स्टोव, अच्छी धातु के बर्तन आदि)	30	10
	योग	300	100

स्रोत –स्वयं सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

किसी व्यक्ति या राष्ट्र की आर्थिक सम्पन्नता वहां के निवासियों के सुखमय जीवन से ही मापा जाता है जिस व्यक्ति का सुखमय जीवन होता है उसके पास आधुनिक भौतिक वस्तुओं का विशेष महत्व होता है यद्यपि अचल सम्पत्ति का भी महत्व होता है।किन्तु मेरे शोध क्षेत्र में केवल जनपद पंचायत द्वारा संचालित योजनाओं द्वारा प्राप्त हितग्रहियों का अध्ययन किया गया है। इनके पास अचल सम्पत्ति नहीं है। जिनके पास है भी वे बताना नहीं चाहतें है। सर्वेक्षित परिवारों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि लाभवान्वित हितग्राहीयों में अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर उपरोक्त वस्तुओं को उपलब्ध किया है।

सारणी क्रमांक 04

भूमि स्वामित्व का विवरण

क्रमांक	कृषि भूमि सीमा	हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत
1	भूमि हीन	90	30
2	सीमान्त कृषक (0.01 एकड़ से 2.5एकड़)	105	35
3	लघु कृषक (2.5 एकड़ से 5एकड़)	60	20
4	मध्यम कृषक (5.1 एकड़ से 8एकड़ तक)	45	15
	योग	300	100

स्रोत –स्वयं सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

सारणी के विश्लेषण से यह परिलक्षित होता है कि व्यवसायिक वितरण में 30 प्रतिशत हितग्राही भूमिहीन है इनका मुख्य व्यवसाय मजदूरी है, 35 प्रतिशत हितग्राहीयों के पास एक एकड़ से 5 एकड़ की भूमि है इस वर्ग के हितग्राहियों को सीमान्त कृषक कहा जाता है 20 प्रतिशत हितग्राही लघु कृषक है जिनके पास 2.5 एकड़ से, 5 एकड़ तक की भूमि है। केवल 15 प्रतिशत हितग्राहियों के पास 5.1 एकड़ से 8 एकड़ की भूमि कृषि योग्य

है इन्हें मध्यम कृषक माना जाता है। रीवा जनपद पंचायत अन्तर्गत अभी तक सिंचाई की विशेष सुविधा नहीं है अत: यहां पर भूमि होते हुए भी सिंचाई संविधाओं का अभाव होने के कारण भूमि बंजर हो जाती है।

सारणी क्रमांक 05

क्षेत्रवार क्रियाओं के आधार पर हितग्राहियों का विवरण

क्रमांक	क्रियाओं का क्षेत्र	हितग्राही संख्या	प्रतिशत
1	प्राथमिक	75	25
2	द्वितीयक	120	40
3	तृतीयक	105	35
	योग	300	100

स्त्रोत –स्वयं सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से यह परिलक्षित होता है कि सर्वेक्षित हितग्राही परिवारों को सबसे अधिक द्वितीयक क्षेत्र के लिए सहायता प्राप्त हुई है। इसके पश्चात् प्राथमिक क्षेत्र के लिए सहायता प्राप्त हुई है तथा सबसे कम तृतीय क्षेत्र के लिए सहायता प्राप्त हुई है।

सारणी क्रमांक 06

प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत दी गई सहायता की मदें

क्रमांक	विवरण	हितग्राही की संख्या
1	दुधारु पशु पालन	8
2	मुर्गी पालन	2
3	सुअर पालन	2
4	सब्जी विक्री	2
5	बैल जोड़ी	2
6	थ्रेसर	1
7	कुआं	3
8	पम्प	2
	योग	22

स्रोत –स्वयं सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

सारणी क्रमांक 07

द्वितीयक क्षेत्र के अन्तर्गत दी गई सहायता की मदें

क्रमांक	विवरण	हितग्राही की संख्या
1	जूता चप्पल मरम्मत एवं मोचीगीरह	2
2	चर्म उघोग	6
3	खपड़ा–ईट बनाना	21
4	कुम्हारी (मिट्टी के बर्तन बनाना)	4
5	बांस की वस्तुयें	3
6	तम्बाकू व्यापार	–
7	मनिहारी	–
	योग	36

स्रोत –स्वयं सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

सारणी क्रमांक 08

द्वितीयक क्षेत्र के अन्तर्गत दी गई सहायता की मदें

क्रमांक	विवरण	हितग्राही की संख्या
1	किराना	11
2	जरनल स्टोर	3
3	रेडीमेड वस्तु दुकान	7
4	सिलाई मशीन	2
5	सायकल मरम्मत दुकान	2
6	विघुत मरम्मत	1
7	होटल	2
8	लोहारीगीरी	2
9	बढ़ईगीरी	2
10	नाईगीरी	2
11	टाइपराइटर	1
12	बैण्ड बाजा	1
13	लाउडस्पीकर	2
14	पानदुकान	1
15	फोटो स्टूडियों	–
16	फोटो फ्रेमिंग	1
17	रिक्सा	2
18	कालीन बुनाई	1
	योग	42

स्रोत –स्वयं सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

एकीकृत ग्रामीण विकास का कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यावर्तित योजना है जिसका निर्देशन कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है इस विभाग द्वारा प्रकाशित नियमावली में उन क्रियाओं की विस्तृत सूची दी गई ह जिनके लिए हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान प्रदान किया जाता है नियमावली के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत 8 क्रियायें द्वितीयक क्षेत्र के अन्तर्गत 7 क्रियायें एवं तृतीयक क्षेत्र के अन्तर्गत 18 क्रियाओं की सूची दी गई है। इन सूची में वर्णित क्रियाओं में से जो क्रियायें स्थानीय परिस्थिति एवं हितग्राहियों की रुचि तथा क्षमता के अनुरुप होती हैं उन्हीं क्रियाओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

शोधार्थी ने रीवा जिले के रीवा जनपद पंचायत के जिन 300 हितग्राहियों का शोधपरक अध्ययन किया है उन्हें जिन क्रियाओं के लिए सहायता दी गई है उनका विवरण तालिका में प्रस्तुत किया गया है। सर्वाधिक अर्थात 8 हितग्राहियों को दूधारु पशुपालन हेतु सहायता प्रदान की गई है। सारणी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि द्वितीयक क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वाधिक हितग्राहियों को खपड़ा ईट निर्माण हेतु सहायता प्रदान की गई है। द्वितीयक खेत्र के अन्तर्गत तम्बाकू व्यापार के लिए कोई हितग्राही को सहायता प्रदान नहीं की गई है। तृतीयक क्षेत्र के अन्तर्गत 18 क्रियाओं के लिए सहायता प्रदान की गई है इस क्षेत्र के अन्तर्गत सहसयता पाने वाले हितग्राहियों की संख्या 42 है। जो अन्य क्षेत्रों के तुलना में सबसे अधिक है। इस क्षेत्र के अन्तर गत किराने के लिए 11 हितग्राहियों को तथा

रेडीमेंट कपड़ा व्यापार के लिए 7 हितग्राहियों को तथा जनरल स्टोर के लिए तीन हितग्राहियों को तथा अन्य क्रियाओं के दो-दो एवं एक-एक हितग्राहियों को सहायता प्रदान कि गई। शोधार्थी द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन से यह ज्ञात हुआ है, कि जनपद पंचायत रीवा नगरीय एवं घनी वस्ती का क्षेत्र है। इस विकास खण्ड में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के लिए अधिक सहायता प्रदान हुई है। इन विशेष कार्यो के लिए जिन हितग्राहियों को लाभ मिला है उनमें से अधिकाश हितग्राहियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थित में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।

शोधार्थी द्वारा जिन पंचायतों का गहन अध्ययन किया गया है उनके हितग्रहियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है। कि 54 प्रतिशत प्रकरण में परिवार सर्वेक्षण कराया गया था जबकि 46 प्रतिशत प्रकरणों में परिवार सर्वेक्षण नही किया गया और सर्वेक्षणकर्ता ने किसी दूसरे माध्यम से जानकारी प्राप्त करके अपनी सूची पूरी कर ली। जिसका विवरण अग्र सारणी में प्रस्तुत है।

सारणी क्रमांक 09

सर्वेक्षण प्रक्रिया का विवरण

क्रमांक	विवरण	हितग्राही संख्या	प्रतिशत
1	परिवार सर्वेक्षण किया गया	195	54
2	परिवार सर्वेक्षण किया नही गया	105	46
	योग	300	100

स्रोत -स्वयं सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

नियमानुसार सर्वेक्षण के पश्चात ग्राम सभा की बैठक की जानी चाहिए। इस बैठक में ग्राम सभा सदस्य एवं सरपंच विकास खण्ड अधिकारी तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को बुलाया जाना चाहिए। तथा एक-एक नामों पर विचार करके हितग्राहियों का चयन करना चाहिए। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकडों का विश्लेषण निम्न सारणी में प्रस्तुत है।

सारणी क्रमांक 10

हितग्राही चयन आधार

क्रमांक	चयन आधार	हितग्राही संख्या	प्रतिशत
1	ग्राम सभा की बैठक के द्वारा	165	55
2	ग्राम सभा के सरपंच के	39	13
3	द्वारा	30	10
4	अधिकारियों द्वारा	60	20
5	अन्य व्यक्तियों द्वारा	06	02
	योग	300	100

स्रोत -स्वयं सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

सारणी में प्रदर्शित आकडों से यह ज्ञात होता है। कि ग्राम सभा की बैठकों के द्वारा केवल 55 प्रतिशत हितग्राहियों का चयन किया गया है। जो कि नियमानुसार उचित है। 13 प्रतिशत हितग्राहियों का चयन ग्राम सभा के सरपंच द्वारा किया गया 10 प्रतिशत हितग्राहियों का चयन अधिकारियों के द्वारा किया गया 20 प्रतिशत हितग्राहियों का चयन

भूमि स्वामियों की अनुशंसा के आधार पर किया गया तथा 02 प्रतिशत अन्य व्यक्तियों (स्थानिय नेता पटवारी शिक्षक एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति) द्वारा दर्ज करवाये गये है।विश्लेषण से स्पष्ट है कि हितग्राहियों के नाम सूची में दर्ज कराने के लिए सरपंच एवं भूस्वामियों का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है।

सारणी क्रमांक 11

चयनित हितग्राहियों की सूची का प्रकाशन

क्रमांक	चयन आधार	हितग्राही संख्या	प्रतिशत
1	ग्राम के सार्वजानिक स्थान में प्रदर्शित किया गया।	50	50
2	ग्रात के सार्वजनिक स्थान में प्रदर्शित नही किया गया ।	50	50
3	विकास खण्ड मुख्यालय में प्रदर्शित किया गया	100	100
	योग	300	100

स्रोत -स्वयं सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

शासन के नियमानुसार चयनित हितग्राहियों की सूची प्रत्येक चयनित ग्राम के सार्वजनिक स्थल जैसे ग्राम पंचायत विद्यालय सामुदायिक भवन या अन्य कोई कार्यलय भवन पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। जिससे कि उन हितग्राहियों के साथ ही ग्राम के अन्य व्यक्तियों को जानकारी हो सके और सही व्यक्तियों को लाभ मिल सके। सारणी क्रमांक 11 के अनुसार यह तथ्य ज्ञात होता है कि 50 प्रतिशत प्रकरणों मे चयनित हितग्राहियों की सूची का प्रदर्शन ग्राम के सार्वजानिक स्थान में किया गया था। जबकि 50 प्रतिशत प्रकरणें में इस प्रकार सूची का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया गया । किन्तु इस सूची का प्रदर्शन सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय में शत-प्रतिशत किया है। जिन प्रकरणों में चयनित हितग्राहियों की सूची विकास खण्ड मुख्यालय में प्रदर्शित नही की गया उनमें हितग्राहियों को सूचना विलम्ब से प्राप्त हुई जिससे उन्हें सहायता पाने में अधिक समय लगा। सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्य से ज्ञात होता है कि जिन प्रकरणों में सूचियां प्रदर्शित नही की गयी उनमें अधिकांश उपयुक्त हितग्राही नही थे, जिसका विवरण अग्र सारणी से स्पष्ट होता है।

सारणी क्रमांक 12

लाभान्वित हितग्राहियों की उपयुक्तता

क्रमांक	विवरण	हितग्राही संख्या	प्रतिशत
1	उपयुक्त हितग्राही	231	77
2	गरीबी रेखा के ऊपर हितग्राही	69	23
	योग	300	100

स्रोत -स्वयं सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

शोधार्थी ने घर -घर जाकर एवं पक्षपात रहित सर्वेक्षण किया तो उनकी आर्थिक स्थित के सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त हुई उससे वास्तव में लगता है कि इस योजन का लाभ जिन्हें मिलना चाहियें, उनको नही मिल पाता। जिन हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी उन्हीं को अधिक सहायता प्राप्त हुई है। वास्तविक निर्धन परिवारों को मामूली

सहायता प्राप्त हुई है तथा कुछ निर्धनों को सहायता राशि तो स्वीकृत हुई है किन्तु उसका वास्तविक लाभ ग्राम के सभ्रान्त नागरिक प्राप्त कर रहे है। हितग्राहियों के साक्षत्कार से पता चलता है कि उनकें भूमिस्वामी अपने उपयोग के लिए लें लिये अथवा उन्हें कुछ नगद रुपया देकर खरीद लिये इससे जिस उददेश्य से उनको लाभान्वित किया गया था उसका लाभ उन्हें नहीं मिला।

सारणी क्रमांक 12 में प्रदर्शित तथ्यों की विवेचना से यह ज्ञात होता है कि सर्वेक्षित 300 हितग्राहियों में से 77 प्रतिशत हितग्राही एग्राविका के अन्तर्गत लाभ पाने 23 प्रतिशत हितग्राही निर्धनता सीमा रेखा के ऊपर थे और वे एग्राविका के अन्तर्गत लाभ पाने के उपयुक्त नही थे। इस प्रकार के हितग्राहियों का चयन ग्राम सभा की बैठकों द्वारा न किया जा कर अन्य माध्यमों से किया गया था । इसमें अधिकाश हितग्राही सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते है।

एग्राविक से प्राप्त आर्थिक सहायता का हितग्राहियों पर पड़नें वाले प्रभाव का मुख्य बिन्छु इनकी वार्षिक आय में वृद्धि होना था। सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार के माध्यम से इस सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त हुई है, वह अग्र सारणी में प्रदर्शित की जा रही है।

सारणी क्रमांक 13

हितग्राहियों की वार्षिक आय में वृद्धि

क्रमांक	विवरण वृद्धि की मात्रा (वार्षिक)	हितग्राही संख्या	प्रतिशत
1	रु.500तक	165	55
2	रु.501 से 1000 तक	75	25
3	रु.1001 से 1500तक	30	10
4	रु.1501 से 2000 तक	06	02
5	कोई वृद्धि नहीं हुई	24	08
	योग	300	100

स्रोत –स्वयं सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से परिलाक्षित होता है कि एग्राविका द्वारा सहायता प्रदान होने से कुल हितग्राहियों में 82 प्रतिशत की वार्षिक आय में वृद्धि हुई है जबकि 08 प्रतिशत हितग्राहियों की वार्षिक आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अर्थात एग्राविका का कोई प्रभाव इन 08 प्रतिशत हितग्राहियों पर नहीं हुआ है अतः वे आज पूर्व स्थिति में है। वार्षिक आय में वृद्धि की मात्रा के आधार पर ज्ञात होता है कि 55 प्रतिशत हितग्राहियों की आय में 500रु. की वृद्धि हुई है, 25 प्रतिशत हितग्राहियों की आय में 501 से 1000रु. तक की वृद्धि हुई है, 10 प्रतिशत हितग्राहियों की आय में 1001 से 1500रु. तक की वृद्धि हुई है, 02 प्रतिशत हितग्राहियों की आय में 1501 से 2000रु. तक की वृद्धि हुई है। प्राप्त सहायता से विभिन्न वर्गो के हितग्राहियों की औसत वार्षिक आय में वृद्धि समान रुप से नही हुई है।सहायता प्राप्त होने के पूर्व से ही इनकी वार्षिक आय में असमानता रही है जो कि कार्यक्रम मे द्वारा प्राप्त सहायता के पश्चात भी लगभग उसी प्रकार है जिसका विवरण सारणी से स्पष्ट है।

सारणी क्रमांक 14

आय वृद्धि की तुलनात्मक स्थिति

क्रमांक	हितग्राहियों वर्ग	सहायता पूर्व आय	सहायता पश्चात आय
1	कृषि मजदूर	4000रु.	4400रु.
2	गैर-कृषि मजदूर	4500रु.	5000रु.
3	ग्रामीण दस्तकार	5000रु.	6200रु.
4	सीमान्त कृषक	5500रु.	7000रु.
5	लघु कृषक	7000रु.	8000रु.
	स्वनियोजित व्यवसाय	7000रु.	9000रु.
	योग	300	100

स्रोत -स्वयं सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. नारायण, जय प्रकाश (1987) - भारतीय राजव्यवस्था की पुनर्रचना: एक सुझाव, सर्व सेवा संघ प्रकाशन वाराणसी
2. रवि, राजेश, जैन एवं दिनेश (1997) - ग्राम स्वराज की राह पर झांकता कोल्याला, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी
3. उपाध्याय, देवेन्द्र (1998) - पंचायती राज व्यवस्था, सामाजिक प्रकाशन दरियागंज, नई दिल्ली
4. वर्मा, एस.एल. (1990) - पंचायती राज ग्राम स्वराज एण्ड फेडरल पोलिटी, रावल पब्लिकेशन, जयपुर
5. झा, चेतकर (1953) - भारतीय स्थानीय स्वाशासन, वैशाली प्रेस, पटना
6. मालवीय हर्षदिव (1965) - विलेज पंचायत इन इण्डिया, नई दिल्ली
7. एम.के. गॉधी (1962) - मेरे सपनों का भारत, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद। ttps:@@hi-vikaspedia
8. in@social&welfare
9. https://prd**.mp.gov.in/Public/Portal/Reports/Gram_Panchayat**

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

बुन्देली लोककला एवं नारी संघर्ष का अनूठा समन्वय रूपः कामिनी बघेल

• राज कुमार सिंह

सारांश- नारी के संघर्ष में जीवन, त्याग, बलिदान व व्यथाओं का चित्रण कर नारी मुक्ति की प्रेरणा कामिनी जी चित्रकला के द्वारा कर रही है। इनके चित्र देखने से नारी के संघर्षमय जीवन का स्पष्ट स्वरूप आंखों के सामने झूमने लगता है। नारी की अग्निपरीक्षा का चित्र आज के मशीनरी युग में मानव को झकझोरता है। देवी सीता की अग्निपरीक्षा का केन्द्र बिन्दु व भारतीय प्राचीन समाज में नारी सती की झलक इनके चित्र में देखने को मिलती है। इन्होंने अपनी कला को लोककला का अनुकरण न कर उसमें आधुनिकता का भी स्पर्श दिया है। कामिनी जी ने कहीं पोत के द्वारा, तो कही वर्ण संयोजन के द्वारा लोककला को आधुनिकता के सूत्र में बंधकर, बुन्देलखण्ड की कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किया है।

मुख्य शब्द - नारी, संघर्ष, जीवन, त्याग, बलिदान, चित्रकला, कला, लोककला, लोक प्रतीक

प्रस्तावना- कला की उन्नति में लोक कला का बहुत महत्व रहा है, आदिमानव के साथ लोककला का गहरा सम्बन्ध है। आदिमानव ने प्रकृति से प्रेरित होकर सहज भाव से दैविक शक्तियों का सहारा लिया जिन्हें उसने अपने प्रकार से किसी रूप में ढालकर अपने मंगल की आराधना हेतु चित्रित करना प्रारम्भ कर दिया इनका उदाहर.ा हम प्रागैतिहासिक कला की चित्रकला में पाते है। प्रतीक सार्वभौमिक एवं सर्वकालिक है, प्रतीक के उद्‌गम और विकास की कथा मानवीय, मानसिक एवं बौद्धिक चेतना के क्रमिक विकास की कथा है। आदिमानव के जीते जागते विश्वास ये जिन पर उनकी अटूट आस्था थी। अतः उनके इन्हीं विश्वासों में प्रतीक सृजन की भूमिका और पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है।

यदि लोक प्रतीकों का विश्लेषण किया जाये तो अनेक लोक प्रतीकों व प्रथाओं का हल्का सा रूप अवश्य प्राप्त हो जायेगा, यही प्रवृत्ति समस्त पौराणिक तथा धार्मिक लोक प्रतीकों के अंतराल में व्याप्त प्रतीत होती है। मानव अनादि काल से लोक प्रतीकों, बिम्बों, मिथकों का सृजन करता आ रहा है। अनेक विद्वानों ने समय समय पर लोककला के महत्व को बताया है। लोककलाएं हमारे देश में लोक परम्पराओं का दर्पण है। जो

• असिस्टेंट प्रोफेसर, इंस्टिट्यूट ऑफ फाइन आर्ट, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

विभिनन रीति-रिवाज उत्सव में देखे जा सकते है। यह सत्य है कि चित्रकार अपने वातावरण और परिवेश मे जिसकी खोज करता है, चित्र उसके ही प्रतिविम्ब होते है। प्रतीक तो एक सर्वमान्य संकेत होता है। ललित कला इस अर्थ में भी भिन्न है इसमें प्रतीकों की कुंजी भी रहती है। जो विषयवस्तु तक पहुंचना संभव कराती है । इस प्रकार चित्रकार कामिनी बघेल की कृतियों में बुन्देलखण्ड की कला एवं संस्कृति का अनुठा समन्वय दिखाई देता है। जिसमे सदैव से मानव कल्याण का भाव भी हैं। इनकी कला में बुन्देलखण्ड की संस्कृति परम्पराओं के लिए एक सम्मान झलकता है । झांसी में बुन्देली लोककला 'चितेरी कला' की विशेष परम्परा सी है।

कामिनी जी ने अपनी कला को पूर्णता लोककला पर आधारित नहीं मानती है लेकिन फिर भी उनकी कला के रूपाकारों पर, वर्ण संयोजन पर व रेखा प्रयोग आदि पर बुन्देलखण्ड की कला के बहुत से प्रभाव देखे जा सकते हैं। जो शायद इनको बाल्य काल में अपनी माता जी से प्राप्त हुए हैं ,झांसी में बुन्देली लोक कलाश्चितेरी कलाश की विशेष परम्परा सी है। कामिनी जी की माता श्रीमती मीरा जी धार्मिक विचारों की महिला थी, वे सदैव उत्सवों आदि के अवसरों पर भित्ति चित्रण किया करती थी, जिसे कामिनी जी देखकर कला प्रेरणा ग्रहण करती थी और यही से कामिनी जी को लोक कला का ज्ञान प्राप्त हुआ स कामिनी जी की कला में सदैव बुन्देलखण्ड की संस्कृति का चित्रण हुआ है, वहां की लोक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को कामिनी जी ने प्रदर्शित करने का कार्य किया है। इनकी कला में नारी आकृतिय आधुनिकता की जगह बुन्देलखण्डी पारम्परिक पोशाकों से शोभायमान होती है। रूप , वर्ण व रेखा आदि पर लोक कला का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

चितेरी कला में उच्च स्तर की प्रमाणिकता के स्पष्ट दर्शन है। त्यौहारों से सम्बन्धित सम्पूर्ण कथा को केवल प्रतीकों के द्वारा दर्शाने का प्रयास किया जाता है। इन प्रतीकों में सूर्य, चन्द्रमा, त्रिशुल, साँप-सिढ़ियों और सात्विक आदि प्रमुख है। साथ ही इस कला में वर्ण योजना का भी उच्च स्तर का प्रयोग किया जाता है। बुन्देलखण्डी माटी ने चम्पतराय, छात्रसाल बुन्देल और भक्तिकाल, तोमर काल के नायक विष्णुदास आदि को जन्म दिया है। साधारण व ग्रामीण संस्कृति आडम्बर लक्षण व इष्टता से बहुत दूर है। यहाँ की महिलाओं को परिश्रमी व संस्कृति का पोषक दर्शाया गया है। पुंजीवाद से दूर व आदर्शों से ओत-प्रोत यहाँ की संस्कृति है। साथ ही महिलाओं के लिए इस संस्कृति में कुछेक कुरीतियाँ भी विद्यमान हैं, जैसे पर्दा प्रथा आदि। पर्दा प्रथा जिसे कामिनी जी नें 1981 में शादी के पश्चात् निर्वहन किया है। मैं इसे समाज के द्वारा एक प्रकार से महिलाओं की आजादी पर आपत्ति मानती हूँ। बुन्देलखण्ड की परिस्थितियाँ, अभाव, वहां की बुन्देलखण्ड के क्षेत्र में पेयजल एक प्रमुख समस्या है। यहाँ की महिलाओं को दूर-दूर तक पैदल जाकर पेयजल का इन्तजाम करना पड़ता है, यह एक अतिरिक्त कार्य महिलाओं की दिनचर्या में शामिल है। जो उनके लिए और ज्यादा ध्यान देने वाली दिनचर्या बना देता है। साथ ही शराब, नशा आदि की कुरितियों ने भी बुन्देलखण्डी समाज को गिरफ्त में ले लिया है। जिससे यहाँ पर और अधिक कठिन परिस्थितियों उत्पन्न हो गई है।

इन परिस्थितियों का सीधा प्रभाव महिलाओं के जीवन पर देखने को मिलता है। इन परिस्थितियों के सुधार हेतु ही कामिनी जी की कला है।

आपकी कला देश-विदेश में अनेक एकल व समूह प्रदर्शनियों से कला प्रेमियों के दिलों में पैठ बना चुकी। कामिनी जी की कला सतह पर देखने में साधारण नजर आती है, लेकिन जैसे-जैसे हम उसमें गहरे होते चले जाते है, हमारे सामने नए अर्थों की परत खुलती जाती है। उनकी अपना देशज मुहावरा है। उनके बनाए गए चित्र साधारण लोगों के जीवन की छोटी-छोटी संवेदनाओं को सामने लाते है। मानवीय संबंधों की उष्मा और रागात्मकता दर्शकों के मन में नई कशिश को जगाती है। कामिनी ने अपने चित्रों को बड़ी ही कुशलता से उभारा है। तेल व एक्रेलिक रंगों में काम करते हुए, वे जिस खूबसूरती से आकारों को अमूर्तन में रचती है और यह एक तरह की उनकी कलात्मक रुप से उत्पन्न रहस्यात्मकता का प्रभाव कौशल का प्रमाण है।

नारी के संघर्ष में जीवन, त्याग, बलिदान व व्यथाओं का चित्रण कर नारी मुक्ति की प्रेरणा कामिनी जी चित्रकला के द्वारा कर रही है। इनके चित्र देखने से नारी के संघर्षमय जीवन का स्पष्ट स्वरूप आंखों के सामने झूमने लगता है। नारी की अग्निपरीक्षा का चित्र आज के मशीनरी युग में मानव को झकझोरता है। देवी सीता की अग्निपरीक्षा का केन्द्र बिन्दु व भारतीय प्राचीन समाज में नारी सती की झलक इनके चित्र में देखने को मिलती है। इन्होंने अपनी कला को लोककला का अनुकरण न कर उसमें आधुनिकता का भी स्पर्श दिया है। कामिनी जी ने कहीं पोत के द्वारा, तो कही वर्ण संयोजन के द्वारा लोककला को आधुनिकता के सूत्र में बंधकर, बुन्देलखण्ड की कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. गुप्त नर्मदा प्रसाद, बुन्देलखण्ड की लोक संस्कृति का इतिहास, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र ,1995
2. स्वंय सर्वेक्षण के आधार पर 20/09/2021
3. स्वदेश, झांसी, 3 मार्च, 2000
4. जागरण, झांसी, दिनांक 21 फरवरी, 2003
5. जनसेवा मेल, झांसी, 9 फरवरी 2016

UGC Journal No. (Old) 40942,
Peer-Reviewed Research Journal
Impact Factor 5.125 (IIFS) ISSN 0973-3914
Vol.- 36, Hindi Edition, Year-18, Jan.-June 2022

महोबा के हजरत सैय्यद पीर मुबारक

• रानू चौरसिया

सारांश- दिल्ली आकर मुबारकशाह को इब्राहीम दास्ताबूत का आश्रय प्राप्त हुआ, जो एक धार्मिक दानी, उदार एंव सन्तो फकीरों का सम्मान करने वाला था। इब्राहीम ने मुबारकशाह को अपने निवास में रखा किन्तु कुछ ही दिनों की पीर साहब वहॉं से ऊब गये और अपने उद्‌देश की पूर्ति के लिए वहॉं से चलें गये। रात-दिन भ्रमण करते हुए एक रात मखद्‌म जहॉंनिया जहॉंगश्त की परम्परा से एक और फकीर सैय्यद राजौ हुसौनी ने उन्हें स्वप्न दिया और कहा कि मुबारक तुम कन्नौज की ओर आओं। मुबारकशाह ने सफर प्रारम्भ किया और कन्नौज पहुचे उन्होने राजौ हुसैनी से मिलने की इच्छा से उनके पास सूचना भेजी। किन्तु वहां से उत्तर आया कि अभी प्रतीक्षा करो। राजौ हुसैनी के दर पर मुबारकशाह को तीन वर्ष बीत गये। अन्ततः हुसौनी ने उन्हें बुलाया और कहा जिस हिरण ने तुम्हें अपने उदेश्य पूर्ति का स्मरण कराया था, वह मै ही था। मुबारकशाह ने उन्हे अपना गुरु बनाया और उनसे गुरुदीक्षा ली।

मुख्य शब्द - आश्रय, सम्मान, उद्‌देश

प्रस्तावना- मदनसागर से पूर्व दिशा में कुछ दूरी पर पीर मुबारक शाह की दरगाह है। शाह का जन्म अफगानिस्तान के हिरात प्रान्त में हुआ था। उनके पिता का नाम सैय्यद नशीरउद्‌दीन शाह था। उनकी माता का नाम रोशनजहॉं था। वे हजरत अबूबक्र सिद्‌दीकी की पौत्री थी। शाह के पिता हिरात, काबुल, बल्ख और बुखारा के बादशाह थे। शाह अपने तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके अन्य दो भाइयो के नाम सैय्यद हामिदशाह और सैय्यद महमूदशाह थे। सैय्यद महमुदशाह तीन लाख सेना के सिपहसालार थे। मुबारक शाह के जन्म के अवसर पर चालीस लाख अशर्फिया उत्सव में व्यय कर खैरात तथा जकात के रुप में गरीबों, फकीरों, अनाथों, विधवाओं, लूले-लंगड़ों और अन्धों में बॉंटी गयी थी। मुबारक शाह के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक 20 वर्ष की आयु में राज त्याग कर फकीरी करने के लिए हिन्दुस्तान चला जायेगा। मुबारक शाह का बचपन शाही शौकत में चमक-दमक के साथ व्यतीत हुआ। उन्होने बारह वर्ष की आयु में तालीम प्राप्त की तीरंदाजी में विशेष योग्यता प्राप्त की।

बीस वर्ष की आयु में मुबारक शाह राजकीय शान-शौकत के साथ जंगल में शिकार खेलने गये। वहां पर उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। जब उन्होने शिकार पर निशाना

• **शोधार्थी, इतिहास अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)**

साधा तभी वह हिरण उनके पास आ गया और मनुष्य की आवाज में कहने लगा कि ईश्वर ने तुम्हे इस दुनिया में उपासना के लिए भेजा है, उसकी दुनिया को हानि पहुॅचाने के लिए नहीं।' यह सुनकर उन्होनें अपने धनुष-बाण वही रख दिया और अपने प्रधानमंत्री अबुल माली को बुलाकर अपना सारा राज-पाट अपने छोटे भाई शाह हामिद को सौप दिया और वहॉ से चलेगये। जब छोटे भाई को यह सब पता चला तो वह अपने बड़े भाई की खोज में निकल पड़ा। राजपाट त्याग कर भाई की खोज में हामिद भारत की सीमा तक आ गया और जब वे पीर मुबारकशाह से मिले तो पीर साहब ने वापिस जाना स्वीकार नहीं किया।

दिल्ली आकर मुबारकशाह को इब्राहीम दास्ताबूत का आश्रय प्राप्त हुआ, जो एक धार्मिक दानी, उदार एवं सन्तो-फकीरों का सम्मान करने वाला था। इब्राहीम ने मुबारकशाह को अपने निवास में रखा किन्तु कुछ ही दिनों की पीर साहब वहॉ से ऊब गये और अपने उद्देश की पूर्ति के लिए वहॉ से चलें गये। रात-दिन भ्रमण करते हुए एक रात मखद्म जहॉनिया जहॉगश्त की परम्परा से एक और फकीर सैय्यद राजौ हुसौनी ने उन्हें स्वप्न दिया और कहा कि मुबारक तुम कन्नौज की ओर आओं। मुबारकशाह ने सफर प्रारम्भ किया और कन्नौज पहुचे उन्होने राजौ हुसैनी से मिलने की इच्छा से उनके पास सूचना भेजी। किन्तु वहां से उत्तर आया कि अभी प्रतीक्षा करो। राजौ हुसैनी के दर पर मुबारकशाह को तीन वर्ष बीत गये। अन्ततः हुसौनी ने उन्हें बुलाया और कहा जिस हिरण ने तुम्हें अपने उदेश्य पूर्ति का स्मरण कराया था, वह मै ही था। मुबारकशाह ने उन्हे अपना गुरु बनाया और उनसे गुरुदीक्षा ली। ख्वाजा गरीब नवाज का कथन था कि भारत में अगर मेरा कोई उत्तराधिकारी हो सकता है तो वह अधिकार केवल मुबारकशाह को प्राप्त है। ख्वाजा गरीब नवाज की आज्ञा से वे मदीने खानेकाबां की तीर्थयात्रा पर गये और वहॉ से लौटने पर अपने गुरु राजो हुसौनी से मिले और उन्ही के आदेश पर 1242ई. में महोबा आये और चन्देल शासक मदनवर्मा के शासनकाल (1128.1165ई॰) में निर्मित मदनसागर के समीप चन्देलों की बैठको और मठों मे जहॉ सूफियों का इबादत खाना था वही पर वीर साहब ने अपना डेरा जमाया।

सफरनामा के अनुसार पीर मुबारक शाह ने अपनी साधना से अनेक सिद्धियॉ प्राप्त की थी। सिद्धि क्षेत्र में उनकी प्रतिद्वन्दिता तत्कालीन प्रसिद्ध सन्त बाबा गुरु सिद्धनाथ से थी। सिद्धनाथ महोबा की गोखर पहाड़ी पर सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। सन्देहवाहक ने मुबारक शाह के आने का समाचार सिद्धनाथ को दिया। अतः सिद्धनाथ मदनसागर के जल के ऊपर से चलकर इबादत खाना पहुॅचने का प्रयत्न करने लगे। मुबारकशाह एक दीवार पर बैठकर इबादत कर रहे थे। अतः उन्होने दीवार को सम्बोधित करते हुए कहा कि एक सिद्ध हमसे मुलाकात करने के लिए आ रहा है और तुम यही पर अचल खड़ी हो, जबकि तुम्हारा कर्तव्य है कि आगे बढ़कर उनका स्वागत करो। यह सुनकर दीवार उड़कर मुबारकशाह को सिद्धनाथ के पास ले गयी। सिद्धनाथ यह देखकर आश्चर्यचकित हो गये और कहने लगे की यदि आप मुझे स्वर्ग से अनार मंगाकर खिलाये तब आपको पहुॅचा हुआ सूफी संत मानूंगा। मुबारकशाह के पास चार अदद अद्भुत वस्तुये थी (1)मृगछाल (2)भरदू का अण्डा (3)सरकार दो आलम की पगड़ी(4)खिज्र अलैहिस्लाम के गेल की सहली

मुबारकशाह के मृगछाल हाथ में लेकर दुआ मांगते ही स्वर्ग से अनार आ गया। सिद्धनाथ ने अनार खाकर मुबारकशाह की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली और कहा कि मै आप जैसे सूफी सन्त को एक तुच्छ भेट देना चाहता हूँ। यह एक कीमती मणि है, इसे आप स्वीकार करें। मुबारकशाह ने मणि लेकर मदनसागर में फेंक दी। यह देखकर सिद्धनाथ को बड़ा दु:ख हुआ। तब मुबारकशाह ने कहा सिद्धनाथ दु:ख मत करो और तालाब में उतरकर अपनी मणि ले लो। जैसे ही सिद्धनाथ ने तालाब में डुबकी लगाई तब ने यह देखकर आश्चर्यचकित हो गये कि पूरा तालाब मणियों से भरा पड़ा है। अत: वे बिना मणि लिए तालाब से बाहर आ गये। दोनो सिद्ध पुरुष गले लगकर एक दूसरे की प्रशंसा करने लगे। उन्होने निश्चय किया कि जब हम मानव कल्याण के लिए ही यहाॅ अवतरित हुए है। तब हमें इस कार्य को भूतरुप देना चाहिए औरसौहार्द की कल्पना की। उनके आदर्शवाद से आज भी वह महोबा में दैदीव्यमान है।यही पर मुबारकशाह ने 71वर्ष की आयु में पर्दा कर लिया। यही पर उनकी मजार का निर्माण किया गया।

मुबारकशाह की दरगाह के ऊपर विशाल गुम्बद तत्कालीन वास्तुकला का नायाब उदाहरण है। आज यह भवन इस्लाम धर्म के अत्यन्त महत्वपूर्ण सूफी सन्त मुबारकशाह की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। जहाॅ पर सभी जाति-धर्म के लोग श्रद्धापूर्वक अपना शीश झुकाते है। मुहर्रम की दसवीं के दिन पूरे नगर की ढाल सनारियाॅ यहाॅ ठण्डी की जाती है। मुबारकशाह की मजार पर प्रतिवर्ष उर्स शरीफ मनाया जाता है। इस अवसर पर पीर साहब को मानने वाले हजारों की संख्या में आते है। इनमें भारतीय नागरिकों को अतिरिक्त अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान तथा ईराकी जायरीन जियारत करते है।

मुबारकशाह के बाद शाह हामिद गददी पर बैठे। तत्पश्चात पीढ़ी दर पीढ़ी सूफी सन्त गद्दी पर बैठते रहे। किन्तु इस परम्परा में परिवर्तन उस समय हुआ जब नसीकद्दीन शाह ने अपने बड़े पुत्र सैय्यद शाह फखरुद्दीन ने स्वेच्छा से गददी का त्यागकर अपने छोटे भाई सैय्यदशाह मुईनुद्दीन को गददी सौंप दी और इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए गद्दीनशीन मुईनुद्दीन शाह को गददी पर बैठा दिया। इसी भवन के अन्दर गद्दी नशीनो एवं उनके वंशजो की मजारे निर्मित है। इस स्थान का मुतबल्ली (किसी वक्फ जायदाद की देख रेख करने वाला) उसी को बनाया जाता जो यहाॅ का खलीफा या गद्दीनशीन होता है। अलीमुद्दीन शाह के पास अपने खानदान की पुरानी निशानियाॅ विद्यमान है। यथा मृगछाल,भरई का अण्डा,कौड़ी तथा पगड़ी। मुबारक शाह के उत्तराधिकारियों के नाम इस प्रकार है।

1. मुबारक अली शाह
2. शाह हामिद
3. शाह मुहम्मद अली
4. शाह महमूद अली
5. सैय्यद शाह फरीद
6. सैय्यद बरखुरदार
7. सैय्यद फतेद

8. सैय्यदशाह मुहम्मद
9. सैय्यदशाह अहमद
10. सैय्यदवली मुहम्मद
11. सैय्यद खुदावक्श
12. सैय्यद वशारत उल्ला
13. सैय्यद अब्दुल वली
14. सैय्यद अब्दुल बारी
15. सैय्यद दीदार वक्श
16. सैय्यद सावार वख्श
17. सैय्यद नसीरुद्दीन
18. सैय्यद शाह फखरुद्दीन
19. सैय्यद मुईननुद्दीन
20. अलीमुद्दीन शाह
21. सैय्यद शाह शाहिब

वर्तमान में सैय्यद शाह शाहिब गद्दीनशीर है। वे प्रत्येक जाति और धर्म के लोगो में धार्मिक समन्वय के कार्य में लगे है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. सफरनामा
2. जिला हमीरपुर गजेटियर डी.एल.ड्रैक ब्रोकमैन, 1909ई.
3. चन्देलकालीन महोबा एंव जनपद हमीरपुर महोबा के पुरावशेष (परिवद्धित संस्करण) लेखक -वासुदेव चौरसिया प्रकाशक - जे.के.आर्ट प्रेस महोबा पेज न. 63
4. आज (समाचार पत्र)-कानपुर पेज न. 3 दिनॉक 3 दिसम्बर 2002

RNI No MP BIL 01034 / 12 / 1 / 2005 - TC
REGISTRAR OF NEWS PAPERS IN INDIA, GOVT. OF INDIA

Centre for Research Studies
Rewa-486001 (M.P.) India
Registered Under M.P. Society Registration Act,
1973, Reg. No. 1802, Year-1997
www.researchjournal.in

ISSN 0973-3914

Editor : Prof. Braj Gopal, Printed and Published by Dr. Gayatri Shukla on behalf of Gayatri Publications,Rewa - 486001 (M.P.) and Printed at Lineage Offset Rewa - 486001 (M.P.)